UGC Approved Journal No. 40973

ISSN : 2393-8935

शिक्षासन्देशः
SHIKSHA SANDESHAH

सत्रम् – 2016–17

शिक्षासङ्कायस्य वार्षिकी पत्रिका
Annual Magazine of Faculty of Education

अङ्कः – 4

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्

राष्ट्रियमूल्याङ्कनप्रत्यायनपरिषदा 'ए' श्रेण्या प्रमाणितम्

(मानितविश्वविद्यालयः), जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

शिक्षासन्देशः
SHIKSHA SANDESHAH

(UGC Approved Journal No. 40973)

अङ्कः – 4

शिक्षासङ्कायस्य वार्षिकी पत्रिका
Annual Magazine of Faculty of Education

सत्रम् – 2016–17

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्
जयपुरपरिसरः

त्रिवेणीनगरम्, गोपालपुरा-बाईपास, जयपुरम्-302 018
दूरभाषः 2761115 (का.) • फैक्स : 0141-2760686
ई-मेल : principaljp.in@gmail.com
वेबसाइट : www.rsksjaipur.ac.in

संरक्षकः

डॉ. प्रकाशपाण्डेयः

प्राचार्यः

प्रधानसम्पादकः

प्रो. वाई.एस. रमेशः

सम्पादकः

डॉ. [illegible] शर्मा

परामर्शः

प्रो. सन्तोषमित्तलः

प्रो. सोहनलालपाण्डेयः

प्रो. फतहसिंहः

सह–सम्पादकाः

डॉ. लीनातिवाडी ✻ डॉ. शीशरामः ✻ डॉ. कैलाशचन्दसैनी

प्रो. पी.एन. शास्त्री
कुलपतिः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्
मानितविश्वविद्यालयः
(भारतशासनस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयाधीनम्)
(राष्ट्रीयमूल्यांकनप्रत्यायनपरिषदा 'ए' श्रेण्या प्रत्यायितम्)

Prof. P.N. Shastri
Vice-Chancellor
RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN
Deemed to be University, Under MHRD, Govt. of India)
(Accredited by NAAC with 'A' Grade)

स्वस्तिवाक्

एवा ते वयमिन्द्र भुञ्जतीनां विद्याम सुमतीनां नवानाम्।
विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो विश्वामित्रा उत त इन्द्र नूनम्॥

ऋग्वेद [illegible]

अधीतिबोधाचरणप्रचारणेत्याचार्योपदेशानुचरणे तुरीयचरणे [illegible] विकचीकर्तुं सुधीसुबोधसुधासिन्धुनिर्मन्थनान्नवनवनीतायितस्य 'शिक्षासन्देश[illegible] [illegible]मिदं शक्तमिति निश्चप्रचमेव। परुत्परारीवास्मिन् हायनेऽपि विद्यावारपारावाराणां [illegible] प्रेष्ठश्रेष्ठसृष्टेन शेमुषीप्रज्ञासूत्रेण ग्रथितग्रन्थोऽयं जयपुरपरिसरप्रसिद्धिं प्रसारयति। [illegible] शिक्षा शास्त्रञ्चेत्युभयविधं निबन्धनमिहोपस्थाप्यते इति विज्ञाय हर्षप्रकर्षानुभूतिरजायत। [illegible] तावत् शाब्दबोधविमर्शः, प्रामाण्यविचारश्च विमृष्टः। तत्र पदमुद्दिश्य व्याकरणशास्त्रम्, पदा[illegible] साहित्यशास्त्रम्, वाक्यमुद्दिश्य मीमांसाशास्त्रम्, प्रमाणञ्चोद्दिश्य न्यायशास्त्रमाख्यां [illegible]ति। 'उपेयप्रतिपत्त्यर्था उपाया अव्यवस्थिताः' इति भूषणोक्तिदिशा उपायस्योपायान्तरेणादूषणत्वात् सर्वशास्त्रसम्मतं शाब्दबोधचिन्तनं परस्परमानुपौर्व्यमेवाधत्ते इत्येव वाच्यम्। ततस्ततः शिक्षाशास्त्रीयखण्डे समावेशात्मकशिक्षामूलान्तं व्यव्रियत। शिक्षाजगत्तलेऽद्यत्वे सर्वेभ्यः शिक्षेति किमप्यघोषितान्दोलनमाद्रियते। एतद्धि समतामूलकस्य प्रजातान्त्रिकसमाजस्य स्थापनायै गभीरार्थकः प्रयत्नो मन्तव्यः। 'सर्वेप्रपत्तेरधिकारिणो मता' इति वचनानुरोधेन प्राच्यशिक्षापि समावेशात्मकशिक्षां पुष्णाति। सैषा पत्रिका प्राच्यपाश्चात्त्योभयविधशिक्षाविदां विचाररञ्जनार्थमुपकारिका भवेदिति नो विश्वसिति विज्ञाप्य परिसरप्राचार्याय सम्पादकमण्डलाय चैतस्मै सारस्वतोद्यमाय शुभासञ्जनं रामः।

प.ना. शास्त्री
(प्रो. पी.एन. शास्त्री)
कुलपतिः

डॉ. प्रकाशपाण्डेयः, प्राचार्यः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् मानितविश्वविद्यालयः
(भारतशासनस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयाधीनम्)
(राष्ट्रीयमूल्यांकनप्रत्यायनपरिषदा 'ए' श्रेण्या प्रत्यायितम्)
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

प्राचार्यसन्देशः

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि।।

श्रीमद्भगवद्गीता 16/24

इत्थं निगदन्ती गीतागीतिः शास्त्रगौरवं स्फुटमभिव्यक्ति यत्पदप[illegible]ाने शाब्दिकसंसारे शास्त्राण्येव शरणमिति। किमिदं शास्त्रमिति चेन्मे मत्यनुसारेण–

चतुर्वर्गस्य सिद्ध्यर्थं, शास्ति यन्मार्गमुत्तमम्।
शिवत्वं सर्वलोकस्य, शास्त्रं तदात्मबोधकम्।।

प्राच्यशास्त्रभूमावाधुनिकशास्त्राणां बीजान्यवेष्टुं सततं प्रयत्य प्रशस्तपात्र[illegible]ह्यते अस्मत्परिसरस्य शिक्षाशास्त्रविभागेनेति मे महन्मोदस्थानम्। वि[illegible]नानेन प्रतिसंवत्सरमिवास्मिन् संवत्सरेऽपि 'शिक्षासन्देशः' संदिश्यते। तदत्रादौ शाब्द[illegible]सदृशे विद्वत्परिषन्मात्रविषयेऽपि शिक्षाशास्त्रविद्यार्थिनां प्रविविक्षां प्रकाम्य तत्तच्छा[illegible]डतानां सुबोधरीतिरचिताः ललितलेखाः प्राकाश्यन्त। ततश्चाग्रे समावेशात्मकशिक्षायाः सर्वाङ्गोपेतं विवरणं विवृत्तम्। एतद्धेतुना सम्पादकगणः सहयोगिनश्च साधुवादपात्रतामावहन्ति, येषामनितरकल्पैरियं सारस्वतसाधना साफल्यमवाप। शिक्षासन्देशोऽयं शास्त्रसंपोषणं सम्पाद्य षड्विधशास्त्रैः सह शिक्षाशास्त्रस्यापि व्युत्पित्सूनां जिज्ञासूनाञ्च शङ्कोपशमनं विदध्यादिति भगवन्तं परेशानं सम्प्रार्थ्य वाङ्निरोधक्रमेऽन्ते स्वस्तिकामनयोपनिषद्वचनमाश्रये–

य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद्वर्णाननेकान्निहितार्थो दधाति।
विचैति चान्ते विश्वमादौ च देवः स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु।।

(डॉ. प्रकाशपाण्डेयः)
प्राचार्यः

सम्पादकीयम्

श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थिते हे
श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुगात्रे।
उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये
विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम्॥

सुरभारतीरतिरतानामविरतसारस्वतसमुपासनधनानां सहृदयावतंसानां शेमुषीप्रज्ञासञ्जनेन समुदितान्तःकरणानां सौहार्दपुषां श्रीमतां तत्रभवतां भवतां शिक्षाजगद्यात्रापाथेयत्वेन 'शिक्षासन्देशं' समर्पयन्तो वयमात्यन्तिकममन्दानन्दमनुभवामः। चतुर्थोऽङ्कोऽयं शिक्षाशास्त्रविदामध्येतॄणाञ्च प्रणयनप्रावीण्यमालक्ष्य हायनेऽस्मिन्नात्मानं लोकाय विज्ञापयति। सोऽयमङ्कः शास्त्रशिक्षा शिक्षाशास्त्रं चेति खण्डयोरत्मानं ख्यापयति।

तत्रादौ शास्त्रखण्डः शाब्दबोधस्य परिचयात्मकज्ञानोपस्थापनायोपकुरुते। खण्डेऽस्मिन् शाब्दबोधबोधनमालक्ष्यायोजितानां विशिष्टशास्त्रीयव्याख्यानप्रसूतलेखानामुपस्थापनमनुष्ठीयते। विविधशास्त्रदिशा शाब्दबोधप्रक्रियायाः वैशिष्ट्यं शास्त्रान्तस्तत्त्वविद्भिः प्राकाशि। तदिह शास्त्रज्ञानां प्रो. आजादमिश्रः, प्रो. शिवकान्तझाः, प्रो. रामकुमारशर्मा, प्रो. श्रीधरमिश्रः, डॉ. विष्णुकान्तपाण्डेयः, डॉ. कुलदीपशर्मा इत्येतेषां लेखाः साहित्यव्याकरणादिदिशा शाब्दबोधं बोधयन्ति। तत्रैव परिसरस्यास्य प्राचार्यवर्यस्य प्रकाशपाण्डेयस्य अत्यन्तं छात्रहितपरायणया भाषया विहितः शाब्दबोधविमर्शोऽपि एतद्ग्रन्थगाम्भीर्यं वर्धयंस्तिष्ठति। तदिदं शास्त्रशिक्षणमिति पत्रमालक्ष्य शिक्षाशास्त्राध्येतॄणां ज्ञानपिपासां शमयेदिति। तथैव समावेशात्मकशिक्षायाः विविधपक्षानादाय विद्वल्लेखाः प्रथन्ते। तिसृषु भाषासूपस्थिताः इमे लेखाः प्राच्यपाश्चात्त्योभयविधमत्या समावेशात्मकशिक्षापरिचयं प्रकाशयन्ति। तदिह परिसरस्थानाम् अन्येषाञ्च विदुषां शोधविद्यार्थिनाञ्च सारस्वताहुत्या खण्डोऽयं सुपुष्यतां स्फुटतीति।

प्राच्यपाश्चात्त्योभयविधशिक्षाविमर्शानां परिचयपुरस्सरमभिनवप्रतिपादनयत्नैः 'शिक्षासन्देशो'ऽयं गुणसमीक्षणदक्षाणां भवतां मनांसि रञ्जयित्वा अस्मद्ध्येयान् राधयिष्यतीत्यभिलष्यते।

सम्पादकः

अनुक्रमणिका

1.	शब्दार्थसम्बन्धजन्यशाब्दबोधविमर्श:	प्रो. आजादमिश्र:	7
2.	शाब्दबोधपरिचय:	प्रकाशपाण्डेय:	16
3.	वैयाकरणमते शाब्दबोधकारणत्वविमर्श:	प्रो. शिवकान्तझा:	21
4.	रूपके शाब्दबोध:	प्रो. रामकुमारशर्मा	27
5.	शाब्दबोधप्रक्रिया	प्रो. श्रीधरमिश्र:	35
6.	अथ प्रामाण्यवाद:	डॉ. विष्णुकान्तपाण्डेय:	39
7.	शाब्दबोधशिक्षणम्	डॉ. कुलदीपशर्मा	43
8.	समावेशात्मकशिक्षाया: क्रियान्विति: सम्भावनाश्च	द्विदिवसीया राष्ट्रियसङ्गोष्ठी	49
9.	समावेशात्मकशिक्षाया: नीतीनां समीक्षा	प्रो. सन्तोषमित्तल:	52
10.	भारते समावेशात्मकशिक्षाया: ऐतिहासिकपृष्ठभूमि: (Historical Background of Inclusive Education in India)	डॉ. शीशराम:	60
11.	समावेशात्मकशिक्षायां नवाचारिताभ्यासा:	डॉ. लीना तिवारी	64
12.	समावेशात्मकशिक्षाया: आयोजनम्	डॉ. कुलदीपशर्मा	67
13.	भारते समावेशात्मकविद्यालय: संसाधनानि उपलब्धता च	डॉ. प्रेमसिंहसिकरवार	72
14.	समावेशात्मकी-शिक्षा-बीजं व्याकृति-वाङ्मये यथा	कमलचन्द्र योगी	76
15.	समावेशात्मकविद्यालयस्य निर्माणम्	डॉ. कैलाशचन्द्रसैनी	78
16.	आधुनिकसन्दर्भे संस्कृतवाङ्मये समावेशितशिक्षाया स्वरूपं प्रासङ्गिकता च	अभिनव उपाध्याय:	80
17.	शिक्षकशिक्षायां समावेशात्मकशिक्षाया: पाठ्यक्रम:	सचिनकुमार:	82
18.	समावेशात्मकशिक्षाया: क्रियान्विति: सम्भावना च	हेमेन्द्रकुमारगौतम	85
19.	शिक्षकदृष्ट्या विद्यालय-प्रबन्धदृष्टया च समावेशात्मकशिक्षाया: आयोजनम्	श्रीमती इन्दुशर्मा	87
20.	समावेशात्मकशिक्षाया: महत्त्वं सम्भावनाश्च	संजयगोस्वामी	89
21.	समावेशात्मकशिक्षायां कक्षा-प्रबन्धनं, अध्यापकानां भूमिका प्रविधयश्च	कमलेशस्वामी	90
22.	शिक्षकशिक्षायां समावेशात्मकशिक्षाया: परिदृश्यम्	स्नेहलता	92
23.	कथं स्याद् समावेशात्मकशिक्षाया: स्वरूपम्	डॉ. मामराज शर्मा	95
24.	योगसूत्रेवर्णितचित्तम् - समावेशीशिक्षाया: सन्दर्भे	नवीन आर्य:	97
25.	शिक्षक एवं विद्यालय प्रबन्ध दृष्टि से समावेशात्मक शिक्षा	डॉ. रेखा शर्मा	104
26.	समावेशी शिक्षा की स्थिति	डॉ. नवप्रभाकर लाल गोस्वामी	109
27.	समावेशात्मक शिक्षा का औचित्य	डॉ. बत्तीलाल मीना	112
28.	समावेशी शिक्षा, समस्या एवं समाधान	डॉ. दरयाव सिंह	116

29. समावेशी शिक्षा ग्रन्थालय :दिव्यांग जनों के विशेष सन्दर्भ में	डॉ. श्यामसुन्दर पाण्डेय सुनीता पाण्डेय	121
30. समावेशी शिक्षा में अनुदेशन-अनुकूलन आव्यूह तकनीकी (Strategy Technology Adaptinor construction in inclusion education)	डॉ. हरिओम शर्मा	129
31. समावेशी शिक्षा की संकल्पना	डॉ. विनी शर्मा	
32. समावेशात्मक शिक्षा का स्वरूप	डॉ. कृष्णा शर्मा	135
33. समावेशित शिक्षा आवश्यकता, संभावना एवं क्रियान्वयन	डॉ. डी.बी. पाठक	139
34. भारत में समावेशात्मक शिक्षा	डॉ. दिनेश कुमार यादव	141
35. भारत में समावेशात्मक शिक्षा की समस्या और सम्भावना	सुरेन्द्र सिंह राजावत	147
36. भारत में समावेशी शिक्षा की समस्याएं एवं सम्भावनाएं	डॉ. रोहिताश्व यादव श्रीमती माया पाठक	153
37. समावेशात्मकशिक्षा के विषय में शोध समीक्षा	बोलतीराम मीना	162
38. भारत में समावेशी शिक्षा समस्या	सुमनलता यादव	167
39. समावेशी शिक्षा मे समस्याएँ और समाधान	भुवनेश भारद्वाज	176
40. सर्वशिक्षा अभियान के तहत समावेशित शिक्षा हेतु प्रयास	डॉ. कैलाश चन्द मीना	179
41. समावेशी शिक्षा एवं कक्षा-कक्ष प्रबन्धन	नरेश कुमार	181
42. भारत में समावेशात्मक शिक्षा की समस्या और सम्भावना	पूरणमल सुमन	186
43. समावेशी स्कूल प्रबन्धन में कक्षा अधिगम	सुरेश गुर्जर	189
44. विद्यालय में समावेशी शिक्षा का विकास	रेणु गोयल	192
45. समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका	संगीता मोहिल	194
46. समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के उपाय	रामकंवार मीना	197
47. समावेशात्मक शिक्षा की क्रियान्विति और संभावना	सोनिया शर्मा	201
48. समावेशात्मक शिक्षा की क्रियान्विति और संभावना	कमलेश कुमार सुखवाल	204
49. समावेशात्मक शिक्षा की क्रियान्विति और संभावना	धर्मराज यादव	206
50. भारत में समावेशात्मक शिक्षा की समस्यायें और संभावनाएँ	किशन शर्मा	208
51. विद्यालय में समावेशात्मक वातावरण निर्माण के उपाय	हेमराज चतुर्वेदी	209
52. समावेशी शिक्षा की महती आवश्यकता	विमल गौतम	215
53. विशिष्ट बालकों के उन्नयन में समावेशित शैक्षिक नीतियों की समीक्षा	सूरज कुडियाल	217
54. भारत वर्ष में समावेशित शिक्षा की समस्या एवं संभावनायें		219
55. INCLUSIVE EDUCATION: CHALLENGES AND REFORMS	प्रदीप प्रसाद भट्ट	224
56. Curriculum and innovation in teacher education in inclusive setting	Dr. Vijay Kumar Dadhich	229
57. Inclusive education for children with special needs	Dr.Radha Rani Saxena Dr. Vibha Kaushik Kuldeep Pareek	233 238

शाब्दबोध-शिक्षण खण्डः

दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्।
शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्।।

May the wicked become good, may the good realize peace. May the peaceful be released from all bondage; and may the released redeem others.

शब्दार्थसम्बन्धजन्यशाब्दबोधविमर्शः

प्रो. आजादमिश्रः

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते।। (वा.ब्र.123)

1. शब्दः

'शब्द (1715) उपसर्गादाविष्कारे च। चाद्भाषणे' इति चुरादौ पठिताद् धातोः अकर्तरि भावे वा घञि शब्देति शब्दो निष्पद्यते। किन्तु केचिद् वदन्ति, यथा अपः ददातीति अब्दः, तथैव आक्रोशजन्यं शापं ददातीति शब्दः। अर्थात् 'शप्' 'दा' इति धातुद्वययोगेन शब्द इति पदस्य निर्वचनं युक्तम्; यतोहि आकुलीभावात्परमेव जीवजन्तुबालादीनां मुखेभ्यो निःसरति ध्वनिरिति हास्यास्पदम्। अस्तु तावत्, शब्द आसृष्टेरनादिकालाद् मनोभावं प्रकाशयितुं व्यवह्रियते लोकैः, अतोऽस्य लक्षणद्वयं पतञ्जलिना कृतम् - 'येनोच्चारितेन ककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति, स शब्दः'। उच्चारितेन अभिव्यक्तेन हृदि प्रादुर्भूतेन मध्यमावाचा आन्तरस्फोटेनेति भावः। स च मध्यमावाग्रूप आन्तरः शब्दो ध्वनिःरूपरूपितोऽपि निर्ध्वनिर्नित्यः इत्युच्यते बुधैः। अतः द्वितीयं स्वरूपमुक्तं महाभाष्ये - 'अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्दः' इति। स च कण्ठताल्वाद्यभिघातजन्यस्तृतीयक्षणध्वंशप्रतियोगीत्यनित्यः, सापेक्षिकः सार्थको निरर्थकश्चेति यत्किञ्चिदेतत्; स्वरूपाहानेः, पितापुत्रव्यवहारवत् स्वामिभृत्यव्यवहारवद् वेति बोध्यम्।

2. अर्थः

अर्यते प्राप्यते गम्यते प्रकाश्यते यः स इत्यर्थे 'ऋ गतौ' इत्यस्माद्धातोः 'उषिकुषिगार्तिभ्यस्थन्' (उ. 2.161) इति सूत्रेण कर्मणि थनि सति गुणे रपरत्वे च कृते अर्थः इति पदं सिद्ध्यति। तथा च अर्थो नाम गम्यः प्राप्यः प्रकाश्य इति। तदाह पतञ्जलिः - 'अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः। युक्तं पुनर्यत् अर्थनिमित्तक एव शब्दः; अर्थे शब्दप्रयोगात्' इत्यादि पस्पशाह्निके 'न वेति विभाषा' (1.1.43) इति सूत्रे च। तत्र नृणामेको गम्यः पारमार्थिकं वाग्ब्रह्मरूपं परमं तत्त्वम्। शब्दो हि तस्य गमकः प्रापकः प्रकाशकस्तद्द्वारमिति यावत्। तदुक्तम् -

तद्द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम्।
पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशते। (वा.ब्र.14) इति।

3. शब्दार्थसम्बन्धः

सोऽयं शब्दः सन्तमसन्तं मिथ्यालीकान् वा बुद्धिस्थान् सर्वान् अर्थान् अनादिकालात् प्रकाशयति। यतोहि तत्र शब्दे तादृशी योग्यता तादृशं सामर्थ्यं वा अनादिकालाद् वर्तते। तदुक्तम्-

इन्द्रियाणां स्वविषयेषु अनादिर्योग्यता यथा।
अनादिरर्थैः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा।। इति।

एवञ्च शब्दः अर्थः तयोः सम्बन्धश्चानादिः। तदुक्तं भाष्ये प्रथमं वार्तिकम् - 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' इति। शब्दः कदापि अर्थसम्बन्धं न व्यभिचरतीति भावः। वस्तुतः शब्दार्थयोरस्ति इतरेतराध्यासः। शब्दे अर्थधर्मस्य, अर्थे च शब्दधर्मस्य अनादिकालादेव व्यवहारो जायते, यथा - 'शब्दः श्रुतः, अथ अर्थं शृणु। रामेति द्व्यक्षरं नाम मानभङ्गः पिनाकिनः' इति इह श्रावणप्रत्यक्षयोग्यत्वं शब्दे, अक्षरत्वं च रामार्थे आरोप्य व्यवहारो दृश्यते। इतरेतरधर्माध्यासादेव अनयोः तादात्म्यं ताद्रूप्यं प्रसिद्धम्। तादात्म्यञ्च - 'तद्भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वमि'ति नागेशः मञ्जूषायाम्। वास्तविको भेदः, आरोपितोऽभेद इति भावः। किन्तु एतद् विपरीते भर्तृहरिमते तादात्म्यं नाम - ' तद्भिन्नत्वे सति भेदेन प्रतीयमानत्वम्' इति। वास्तविकोऽभेदः, भेदस्त्वारोपितो व्यावहारिक इति भावः। तथाहि-

शब्दार्थयोरसम्भेदे व्यवहारे पृथक् क्रिया।
यतः शब्दार्थयोस्तत्त्वमेकं तत्समवस्थितम्।। (वा.ब्र.26) इति।

व्यवहारस्तु 'गौरित्ययं शब्दः, अयं च सास्नादिमानर्थः' इत्येवं रूपेण शब्दार्थयोर्विभागं विना नार्हतीति व्यवहारे भेदः, पारमार्थिकस्तु अभेदः इति भावः। तत्र नागेशमते उदाहरणम् -

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये।
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ।। (रघु.) इति।

भर्तृहरिमते उदाहरणं रामचरितमानसे यथा -

गिरा अरथ जलबीचिसम कहियत भिन्न, न भिन्न।
बन्दऊँ सीतारामपद जिन्हहिं परमप्रिय खिन्न।।
देखिअहिं रूपनाम अधीना, रूपज्ञान नहिं नाम विहीना।।
रूपविशेष नाम बिनु जाने, करतलगत न परहिं पहिचाने'।। (रामचरितमानसे)

4. शब्दार्थयोर्वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः

अस्तु तावत् शब्दार्थयोरध्यासः, तादात्म्यम्, अभेदो वा। अथ च शब्दे बोधजनकता, सामर्थ्यम्, ईश्वरेच्छा, आधुनिकेच्छा, इच्छामात्रं वा काममस्तु। किन्तु सम्बन्धस्तु एतेभ्यः सर्वथा भिन्नो वाच्यवाचकभावरूपस्तत्र चकास्ति; तस्य द्विष्ठत्वाद् उपकारस्वभावाच्च। तदुक्तं सम्बन्धलक्षणं वैयाकरणैः

- 'सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्न उभयाश्रितो विशिष्टबुद्धिनियामकश्च' इति। तत्र वाच्यवाचकभावसम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां शब्दार्थाभ्यां भिन्नः, वाच्यत्वेन अर्थे, वाचकत्वेन शब्दे चेत्युभयाश्रितः, 'शब्दनिष्ठजनकतानिरूपितजन्यतावान् अर्थः' इति विशिष्टबुद्धिनियामकश्च समस्ति। किन्तु तादात्म्यम्, अभेदः, ईश्वरेच्छा, प्राचीनवैयाकरणानां बोधजनकता संकेतो वा उभयाश्रितं नास्तीति तेषु सम्बन्धलक्षणं न सङ्घटते। अथ च सम्बन्धत्वाभावान्तेषु उपकारस्वभावोऽपि नार्हति। सम्बन्ध एव उपकारस्वभावः। तं विना शब्दे शक्तिसत्वेऽपि बोधाभावः प्रसज्येत। यथा दीपगतप्रकाशकत्वशक्तौ सत्यामपि सम्बन्धाभावे वस्तुप्रकाशकत्वाभावः। तदुक्तं हरिणा -

उपकारः स यत्रास्ति धर्मस्तत्रानुगम्यते।
शक्तीनामप्यसौ शक्तिर्गुणानामप्यसौ गुणः॥ (वा.3.3.6) इति।

एवञ्च वाच्यवाचकभावः शब्दार्थसम्बन्ध इति नव्यवैयाकरणानां सिद्धान्तशिरोमणिः असौ शब्दनिष्ठो व्यापाररूपः सम्बन्ध एव न्यायव्याकरणादिशास्त्रेषु शक्तिः इति साहित्यशास्त्रे च संकेतः अभिधा वेति पदेनाभिलप्यते। अस्याः शक्तेः संकेतस्य वा ज्ञानादेव तत्पदस्य अर्थज्ञानं जायते। यस्य पदस्य शक्तिग्रहः संकेतज्ञानं नास्ति, तत्पदस्य अर्थबोधोऽपि न भवतीति तत्पदजन्यतदर्थविषयक-शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तत्पदनिष्ठवृत्तिज्ञानाधीनतदर्थविषयोपस्थितिः कारणमिति कार्यकारणभावः निश्चीयते।

5. वृत्तिः

अयम्भावः - वृत्तिर्नाम शब्दव्यापारः। यदर्थनिरूपिता शक्तिर्यस्मिन् पदे गृहीता, तत्पदं स्वार्थबोधनाय व्याप्रियते = व्यापारं करोति। स व्यापार एव वृत्तिरित्युच्यते। तया वृत्त्या तदर्थस्य पूर्वं मनसि उपस्थितिर्जायते। ततः बुद्धौ तदर्थस्य निश्चयेन बोधो भवतीति क्रमः शास्त्रेषु निर्धारितः। एवञ्च पूर्वं पदस्य शक्तिज्ञानम्, ततः शक्तिज्ञानेन बोधकाले तत्पदात् वृत्तेरुत्पत्तिः, तया वृत्त्या अर्थोपस्थितिः, ततः शाब्दबोधः। शब्दादर्थबोधस्यायं सामान्यक्रमः सर्वत्रावधारणीयः। अत एव अगृहीतवृत्तिकस्य विस्मृतवृत्तिकस्य वा जनस्य न भवति शाब्दबोधः। यथा- घटपदात् वृत्तिज्ञानाधीनघटत्वप्रकारकघटविशेष्यकोपस्थितिः, अतः घटपदात् घटत्वप्रकारकघटविशेष्यक एव शाब्दबोधः। अत एव घटपदश्रवणकले 'एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिनं स्मारयति' इति न्यायेन जाते आकाशस्मरणे तत्र घटपदात् न जायते आकाशविषयको बोधः; तदुपस्थितेः वृत्तिजन्यत्वाभावात्। यतोहि 'तत्पदजन्यतदर्थविषयशाब्दबोधं प्रति तत्पदनिष्ठवृत्तिज्ञानाधीनतदर्थविषयकोपस्थितिः कारणम्' इति कार्यकारणभावः सुनिश्चितोऽस्ति।

6. संकेतग्रहोपायाः

अत्रेदमवधेयम् - कस्यार्थस्य कस्मिन् पदेऽस्ति संकेतः शक्तिर्वा इति ज्ञातुम् आचार्यैरुपायाः सन्ति निर्दिष्टाः, यथा -

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च।
वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः॥ इति।

ग्रहणं ग्रहः = ज्ञानम्। शक्तिग्रहं पदनिष्ठशक्तिज्ञानं सप्तभ्यः उपायेभ्यो वृद्धाः वदन्ति। ते च सन्ति उपायाः- व्याकरणम्, उपमानम्, शब्दकोशग्रन्थाः, आप्तवाक्यानि, प्रायोज्यप्रयोजकवृद्धव्यवहारः, वाक्यशेषः, विवरणम् इति। तत्र व्यवहारः शक्तिग्राहकशिरोमणिरित्युच्यते बुधैः। उदाहरणानि- पाचकः, गोसदृशो गवयः, अमरा निर्जरा देवाः, दूरदर्शनम् आकाशवाणी दूरभाष इत्यादि, अबोधबालः आदौ प्रयोज्यप्रयोजकवृद्धव्यवहारेणैव मातृभाषां तत्तच्छब्दान् तदर्थांश्च शिक्षति आवापोद्वापन्यायेन। 'यवमयश्चरुर्भवति' इत्यादौ वाक्यशेषात् यवो दीर्घशूकः; न तु प्रियङ्गुः, संस्कृतप्रकरणे छात्रशब्देन संस्कृतच्छात्रो गृह्यते इत्यादि। विवृत्तिः = विवरणम्, यथा - 'मघवा इन्द्रः इति' इत्यादि।

एवमेभिः साधनैः यस्मिन्नर्थे यस्य पदस्य संकेतो गृह्यते, तदर्थनिरूपिता शक्तिस्तस्मिन् पदे तिष्ठतीति निश्चीयते। यस्मिन् पदे शक्तिः, तत्पदं शक्त्याश्रयत्वाद् शक्तं वाचकत्वाद् वाचकं वेति, तदर्थश्च शक्यः, वाच्योऽभिधेयो वेति, तत्र शब्दव्यापारो वृत्तिस्तु शक्तिरभिधा वेति नाम्ना व्यवह्रियते। एवञ्च विश्वस्मिन् जगति तले सर्वासु भाषासु प्रयुज्यमानानां पदानां मुख्योऽर्थः अभिधया शक्त्या वा शब्दवृत्त्या बोध्यते इति सुस्थिरम्। अयमेव भावः न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीकारिकायामुक्तम् -

पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः।
शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी॥इति।

शब्दाज्जायमानो बोधः शाब्दबोधः = पदार्थबोधः मुख्यार्थबोधः फलम् अर्थात् कार्यम्। तत्र तत्पदनिष्ठशक्तिज्ञानं सहकारिकारणम् तथा करणम् अर्थात् व्यापारवद् असाधारणं कारणं तु पदज्ञानम्। इह तत्पदनिष्ठवृत्तिविशिष्टज्ञानमेव पदज्ञानमित्युक्तम्। यतोहि पदार्थधीः अर्थात् वृत्तिज्ञानाधीनतत्प्रकारकतद्विशेष्यकोपस्थितिरेव तत्र = तस्मिन् करणे द्वारम् अर्थाद् व्यापारो भवति। व्यापारत्वञ्च तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम्। पदार्थोपस्थितिः तावत् पदज्ञानजन्या तथा पदज्ञानजन्यशाब्दबोधस्य जनिका, अतो व्यापाररूपा। एवञ्च शक्तिज्ञानं सहकारिकारणं पदज्ञानं करणम्, पदार्थोपस्थितिस्तस्य व्यापारस्तथा शाब्दबोधः कार्यमिति कारिकार्थोऽवधेयः।

7. लक्षणाव्यञ्जनातात्पर्यावृत्तयः

अभिधाशक्त्या मुख्यार्थे उपस्थिते सति तदा तस्य पदस्य पदान्तरेण सह वाक्ये प्रयोगः क्रियते

तदा वाक्यरूपस्य शब्दस्य तदर्थस्य च सम्बन्धं बोधयितुं लक्षणा व्यञ्जना केषाञ्चिन्मते तात्पर्या आकाङ्क्षा वा वाक्यरूपशब्दवृत्तयो व्याप्रियन्ते। एवञ्च तासां वृत्तीनां व्यापारेण उपस्थापितोऽर्थो वाक्यार्थः शाब्दबोध इति पदेनाभिधीयते। वस्तुतः शाब्दबोधपदेन वाक्यार्थबोध एव ज्ञायते। तस्मिन् वाक्यार्थे क्वचिल्लक्ष्यार्थः कुत्रचिच्च व्यङ्ग्यार्थः प्रतीयते। तत्र लक्ष्यार्थो लक्षणा व्यापारेण, व्यङ्ग्यार्थो व्यञ्जनाव्यापारेण, पदार्थानां सम्बन्धश्च आकाङ्क्षाव्यापारेण भासते किन्तु भाट्टमीमांसकानां मते सर्वोऽपि लक्ष्यव्यङ्ग्यसहितः सम्बन्धरूपो वाक्यार्थः तात्पर्याव्यापारेणैव प्रकाशते; तात्पर्यार्थे समेषां लक्ष्यव्यङ्ग्यसम्बन्धार्थानां समावेशनात्। किञ्च अन्विताभिधानवादिप्राभाकरगुरुमते तु अभिधाशक्त्यैव पदार्थत्रिविधवाक्यार्थरूपो निखिलोऽप्यर्थः प्रकाशते; 'इषोरिव दीर्घदीर्घतरोऽभिधाव्यापारः इति काव्यप्रकाशीयोद्धरणप्रामाण्यात्। अस्तु तावद् गुरुमतं गौरवावहम्। अतः सम्प्रति प्रसिद्धालक्षणावृत्तिं मनाक् लक्षयामः।

(क) लक्षणा

वाक्ये एकपदार्थस्य अपरपदार्थे अन्वयकाले मुख्यार्थबाधे सति लक्षणावृत्त्या संबद्धार्थः उपस्थाप्यते। यथा 'गङ्गायां घोषः' इति वाक्ये गङ्गापदात् उपस्थिते जलप्रवाहरूपार्थे घोषासम्भवात् गङ्गापदस्य मुख्यार्थबाधो जातः। अतस्तत्र लक्षणया सामीप्यसंबन्धेन गङ्गापदात् तीररूपोऽन्योऽर्थो बोध्यते। तेन गङ्गातीरे घोषः अर्थात् 'गङ्गातीराधिकरणकघोषसत्ता' इति निर्बाधः शाब्दबोधः सम्पद्यते। इह लक्ष्यं तीरम्, तस्य आरोपितगङ्गात्वेन तीरत्वेन चेत्युभयथा बोधो जायते। आरोपितशक्यतावच्छेदकधर्मसत्त्वादेव तीरार्थबोधात्परं तत्र शैत्यपावनत्वादयो व्यङ्ग्यार्थाः प्रतीयन्ते। अत एव 'लक्षणारोपितक्रिया' शक्यतावच्छेदकारोपरूपा लक्षणेति भावः । तदुक्तं काव्यप्रकाशे -

मुख्यार्थबाधे तद्योगे ययाऽन्योऽर्थो प्रतीयते।
रूढिप्रयोजनाद्वापि लक्षणाऽऽरोपितक्रिया।। इति।

तदुक्तं महाभाष्यकारेण - 'तात्स्थ्यात्, तत्सामीप्यात्, तत्साहचर्यात्, ताद्धर्म्याच्च अतस्मिन् इत्येतद्भवति' इति। लक्षणायाम् एभिः चतुर्भिर्हेतुभिः तद्धर्माभाववति तद्धर्मारोपो भवतीत्यर्थः। यथा 'मञ्चाः क्रोशन्ति' इत्यादौ तात्स्थ्यात् बालकेषु मञ्चत्वारोपः, 'गङ्गायां घोषः' इत्यादौ तत्सामीप्यात् तीरे गङ्गात्वारोपः, 'छत्रिणो यान्ति' इत्यादौ साहचर्यात् अच्छत्रिषु छत्रित्वारोपः तथा 'सिंहो माणवकः' इत्यादौ ताद्धर्म्यात् माणवके सिंहत्वारोपो विभावनीयः। एवञ्च लक्ष्यार्थे आरोपितशक्यतावच्छेदकस्य लक्ष्यतावच्छेदकस्य चोभयोः प्रतीत्यैव 'कचतस्त्रस्यति वदनम्' आरोपितकचत्वेन प्रतीत्या चमत्कारः, लक्ष्यतावच्छेदकराहुत्वेन प्रतीत्या च त्रास उपपद्यते। अत एव 'गङ्गायां मीनघोषौ स्तः' इति वाक्यं साधु सङ्गच्छते; गङ्गापदात् लक्षणया आरोपितनीरतीरयोरेककालावच्छेदेन बोधोदयात् इत्यवधेयम्।

(ख) व्यञ्जना

शब्दार्थयोः अभिधालक्षणातिरिक्तो व्यञ्जनानामकः सम्बन्धोऽपि वाच्यलक्ष्यातिरिक्तस्य

व्यङ्ग्यार्थस्य बुबोधयिषया स्वीकृतो वर्तते। सा चेयं व्यञ्जना मुख्यार्थबाधग्रहनिरपेक्षबोधजनिका मुख्यार्थसम्बद्धासम्बद्धसाधारण- प्रसिद्धाप्रसिद्धार्थविषयिका शब्द-तदर्थ-पद-पदैकदेश-वर्ण-रचना-चेष्टादिषु वर्तमाना अभिधालक्षणानुमानादिभिः यत्नसहस्रेणापि अन्यथयितुमशक्या सर्वैरङ्गीकार्यैवेति साहित्यव्याकरणशास्त्रकारैः सत्तर्कैः प्रतिष्ठापिता सती सुशोभते।

(ग) तात्पर्यावृत्तिः

वाक्यार्थबोधे भाट्टमीमांसकैः तात्पर्यानामिका वृत्तिरङ्गीकृता वर्तते। कुमारिलभट्टास्तदनुयायिनस्तु 'अभिहितानाम् अभिधया उपस्थापितानाम् अर्थानां पश्चाद् अन्वयः' इति व्युत्पत्त्या अभिहितान्वयवादिनः सन्ति। वाक्ये हि अभिधाशक्तिः प्रत्येकं पदानामर्थान् बोधयित्वा उपक्षीणा भवति। ततस्तत्र प्रत्येकं पदार्थानां यथायोग्यमन्वयसंबन्धं तात्पर्यावृत्तिर्बोधयति। स चान्वयरूपः सम्बन्धः, न पदार्थः किन्तु वाक्यार्थः। तद्बोधिका च तात्पर्यावृत्तिः एवञ्च तात्पर्यार्थः एव वाक्यार्थः, तद्बोधकं वाक्यमिति अभिहितान्वयवादिभाट्टमतम्। तदुक्तं साहित्यदर्पणे -

तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहुः पदार्थान्वयबोधने।
तात्पर्यार्थं तदर्थं तु वाक्यं तद्बोधकं परे।।इति।

(घ) नैयायिकमतम्

वाक्ये पदार्थानां सम्बन्धो योग्यतासन्निधिसहकृतया आकाङ्क्षया भासते। तदुक्तं व्युत्पत्तिवादे- 'शाब्दबोधे चैकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते' इति। एकपदार्थानुयोगिकोऽपरपदार्थप्रतियोगिकः अभेदादिसम्बन्धः शाब्दबोधनिरूपिताकाङ्क्षाप्रयोज्यविषयताश्रयः इत्यर्थः। यथा - मीमांसकोदाहृतमुदाहरणम् 'मुखं चन्द्रः' इत्यादौ मुखे चन्द्रस्य आहार्याभेदसंबन्धः तात्पर्यया भासते इति मीमांसकाः, किन्तु इह आहार्यत्वम् आरोपितत्वं लक्षणया तथा अभेदबोधः आकाङ्क्षयेति नैयायिकाः। तथा च इह अभेदसम्बन्धावच्छिन्नचन्द्रसदृशत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितमुखत्वावाच्छिन्नविशेष्यताको बोधः।

न्यायशास्त्रे संसर्गताप्रकारतावादौ प्रसिद्धौ। तत्र समानविभक्तिकस्थले अभेदसम्बन्धः, विरुद्धविभक्तिकस्थले च भेदसम्बन्धः आकाङ्क्षाभास्य इति संसर्गतावादिनः। प्रकारतावादिनस्तु समानविभक्तिकस्थले अभेद एव विशेषणविभक्तेरर्थः तथा विरुद्धविभक्तिकस्थले स्वत्वाधेयत्वादिकः सम्बन्धो विशेषणविभक्तेरर्थः इत्यामनन्ति। तथा च विभक्त्यर्थसम्बन्धे प्रकृत्यर्थो विशेषणम्, अतस्तत्र प्रकृत्यप्रकारतयान्वेति। विशेष्यताश्रयः सम्बन्धश्च स्वोत्तरनामार्थनिष्ठविशेष्यतायां प्रकारो भवति। अथ च विशेषणीभूतप्रकृत्यर्थस्य अवच्छेदकताद्वयम् - विशेषणसम्बन्धः, प्रकृत्यर्थतावच्छेदकं च। शाब्दबोध इदमप्यवधेयम् - यस्य सम्बन्धः सादृश्यम् अभावो वा स प्रतियोगी, यस्मिन् सम्बन्धः सादृश्यम् अभावो वा सोऽनुयोगी। प्रतियोगिनि प्रतियोगिता, अनुयोगिनि अनुपयोगिता, प्रकारे प्रकारता, विशेषणे

विशेषणता, विशेष्ये विशेष्यता च अवच्छेदको धर्मो भवति। इमाः प्रतियोगितानुयोगिताविशेष्यतादयो विषयतापदेनाप्युच्यन्ते। यथा 'नीलो घटः' इत्यत्र नीलपदार्थस्य अभेदसम्बन्धेन घटपदार्थेऽन्वय इति नीले विशेषणताख्या विशेषणताख्या विषयता, घटे च विशेष्यताख्या विषयता, सम्बन्धश्च तयोरभेद इति। तथा च- अभेदसम्बन्धावच्छिन्ननीलत्वावच्छिन्ननीलनिष्ठप्रकारतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नघटनिष्ठविशेष्यताकः शाब्दबोध आत्मनिष्ठप्रत्यासत्त्या जायते। विषयनिष्ठप्रत्यासत्त्या तु तादृशघटत्वावच्छिन्नविषयताश्रयो घट इति बोधः। एवमेव विरुद्धविभक्तिस्थले भेदान्वयो यथा- 'राज्ञः पुरुषः' इत्यत्र राजपदार्थस्य स्वत्वसम्बन्धेन पुरुषेऽन्वये कृते 'स्वत्वसम्बन्धवच्छिन्नराजत्वावच्छिन्नराजनिष्ठप्रकारता-निरूपितपुरुषत्वावच्छिन्न-पुरुषनिष्ठविशेष्यताकः' शाब्द-बोधो जायते। एवमेवान्यत्राप्यूह्यम्।

(ङ) गुरुमतम्

मीमांसककुमारिलभट्टस्य शिष्यः प्रभाकरः। मीमांसाशास्त्रे तस्य पृथङ्मतं प्रवर्तते। तदेव गुरुमतं प्रभाकरमतं वेत्युच्यते। तदनुयायिनश्च प्राभाकराः कथ्यन्ते। शब्दार्थसम्बन्धविषये अन्विताभिधानवादनाम्ना तस्य मतं प्रसिद्धम्। अन्वितानां सम्बद्धानां पदार्थानां पदैरभिधानमिति अन्विताभिधानम्, तस्य वादः इति अन्विताभिधानवादः। अयम्भावः - जातस्य बालकस्य आदौ मातृभाषाज्ञानम्, तत्पदार्थज्ञानञ्च प्रयोज्यप्रयोजकवृद्धव्यवहारादेव तद्वाक्यादेव जायते। वाक्ये च पदानि मिथोऽन्वितार्थं सम्बन्धसहितमेव अर्थम् अभिदधति। अतो बालकः शब्दशक्त्या तथैव अन्वितार्थमेव गृह्णाति। तदानीम् एकैव शब्दशक्तिरभिधा शब्दज्ञानं तदर्थज्ञानं तत्सम्बद्धज्ञानं च कारयति। अतः सम्बन्धरूपं वाक्यार्थं लक्ष्यार्थं व्यङ्ग्यार्थं वा ज्ञातुं पृथक् पृथक् तात्पर्या लक्षणा व्यञ्जना इति शक्तित्रयकल्पना निष्फला। यतोहि इषोरिव दीर्घदीर्घतरेण केवलेन अभिधाव्यापारेणैव सर्वार्थोपस्थितिरुपपद्यते। अस्मिन् विषये महान् गहनो विचारः प्राभाकरैः खण्डनमण्डनपद्धत्या कृतो वर्तते। तत्र अन्विताभिधानस्य त्रयः पक्षाः सन्ति मीमांसिताः। प्रथमस्तावत् कार्यान्विताभिधानपक्षः। किन्तु लिङ्लोट्तव्यदादिक्रियारहितानि अपि 'पुत्रस्ते जातः' इत्यादिवाक्यानि भवन्ति। तदर्थम् इतरान्विताभिधानपक्षोऽङ्गीकृतः। वस्तुतस्तु अन्वितपदेनैव इतरस्य लाभः। इतरार्थं विना अन्वयस्यैवाभावात् इह इतरपदनिवेषः व्यर्थः। अतः केवलमन्वितपदार्थे एव शब्दस्य शक्तिरित्याशयेन अन्विताभिधानपक्षः सुस्थिरो भवति।

8. आख्यातार्थमूलकः शाब्दबोधः

लोकस्य कस्मिंश्चिदपि कर्मणि प्रवृत्तिर्निवृत्तिर्वा वाक्यादेव सञ्जायते। वाक्यं च क्रियाप्रधानम्। अत एवोच्यते - 'सर्वं वाक्यं क्रियया एव परिसमाप्यते' इति। क्रियामन्तरा कीदृशोऽपि निराकाङ्क्षः शाब्दबोधो भवितुं नार्हति। अतः क्रिया मुख्यं साधनं शाब्दबोधस्य। क्रियाया वाचको धातुः। धातोश्च फलव्यापारावर्थौ न्यायव्याकरणशास्त्रयोः। तदुक्तं वैयाकरणभूषणसारे -

फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङः स्मृताः।
फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्।।इति।

तत्र 'एकवृन्तगतफलद्वय'न्यायेन धातोः फले व्यापारे च खण्डशः पृथक् पृथक् शक्तिस्वीकारात् शक्यतावच्छेदके न गौरवम्। 'लः कर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः' इति सूत्रेण धातोः कर्तरि प्रत्यये फलावच्छिन्नं व्यापारत्वं शक्यतावच्छेदकं तथा कर्मणि प्रत्यये व्यापारावच्छिन्नं फलत्वं शक्यतावच्छेदकम्। अतो प्राचां वैयाकरणानां मतेन सर्वत्र व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः, किन्तु नव्यानां मतेन कर्तृवाच्ये व्यापारमुख्यविशेष्यकः कर्मवाच्ये च फलमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः प्रसिद्ध्यति।

तिङन्तक्रियापदेषु धातोः सर्वलकारेषु तिङ्प्रत्ययाः भवन्ति। तिङ्प्रत्ययस्य अपरं नाम 'आख्यातम्' अप्यस्ति। तस्य कर्तृकर्मसंख्याकालाश्चत्वारोऽर्थाः। तत्र कर्तृकर्मणी आश्रयपदेनाप्युच्येते। कर्तृप्रत्यये कर्ता वाच्यः, कर्मप्रत्यये च कर्म वाच्यम्। तिङर्थसंख्यायाः कर्तृवाच्ये कर्तरि कर्मवाच्ये च कर्मणि अन्वयः। कालस्य च सर्वत्र व्यापारेऽन्वयः।

यद्यपि 'प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम्' इति शाब्दबोधसिद्धान्तः, तथापि 'भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि' इति यास्कवचनात् आख्यातार्थस्थले क्रियाप्रधानमेव शाब्दबोधः इति वैयाकरणानां राद्धान्तः। अत एव पाणिनिना 'प्रधानप्रत्ययार्थवचनमशिष्यम्' इति सूत्रितम्। लोकव्यवहारात् तिङन्तेषु क्रियाप्रधानम्, अन्यत्र प्रत्ययार्थप्रधानम् अवधारणीयमिति सूत्रार्थः। अत एव तिङन्तस्थले धात्वर्थमुख्यविशेष्यको बोधः इति वैयाकरणसिद्धान्तः। तत्र प्राचीनवैयाकरणानां मतेन कर्तृकर्मोभयत्र व्यापारमुख्यविशेष्यक एव शाब्दबोधः। यथा - 'रामः ग्रामं गच्छति' इत्यत्र गम् धातोः उत्तरदेशसंयोगः फलम्, तदनुकूलो व्यापारः अर्थः। कर्तरि तिङ्प्रत्ययस्य कर्ता, एकत्वसंख्या, वर्तमानकालश्चेति त्रयः अर्थाः। तत्र कर्तुः एकत्वसंख्यायाश्च प्रथमान्तार्थे रामे अभेदसम्बन्धेनान्वयः, प्रथमान्तार्थस्य रामस्य च वृत्तित्वसम्बन्धेन व्यापारेऽन्वयः, कालस्यापि वृत्तित्वसम्बन्धेन व्यापारेऽन्वयः, कर्मणो ग्रामस्य च वृत्तित्वसम्बन्धेन धात्वर्थफलेऽन्वयः, तस्य फलस्य अनुकूलसम्बन्धेन व्यापारेऽन्वयः। तथा च - 'एकत्वविशिष्टरामाभिन्नकर्तृवृत्तिः वर्तमानकालिकः एकत्वविशिष्टग्रामाभिन्नकर्मवृत्युत्तरदेश-संयोगानुकूलव्यापारः' इति शाब्दबोधः। अर्थात् रामकर्तृकः ग्रामकर्मकः वर्तमानकालिको व्यापारः इति यावत्।

– प्राचीनवैयाकरणानां मतेन 'रामेण ग्रामो गम्यते' इत्यत्रापि पूर्ववदेव व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः। किन्तु नव्यवैयाकरणानां मतेन कर्मवाच्ये फलमुख्यविशेष्यको बोधः। तथाहि - कर्मणि तिङर्थः कर्मसंख्याकालाः। तत्र कर्मणः संख्यायाश्च प्रथमान्तार्थे ग्रामेऽभेदान्वयः, वर्तमानकालस्य पूर्ववद्व्यापारेऽन्वयः। तथा च 'एकत्वविशिष्टरामाभिन्न - कर्तृवृत्तिवर्तमानकालिकव्यापारजन्यम् एकविशिष्टग्रामाभिन्नकर्मवृत्त्युत्तरदेशसंयोगाभिन्नं फलम्' इति फलमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः।

– मीमांसकानां मते तिङर्थो व्यापारः भावना वा। तत्र भावनापि क्रियारूपा व्यापार एव। एतन्मते फलमात्रं धात्वर्थः। तथा च व्यापारभावनामुख्यविशेष्यकबोधः पूर्ववदेव।

– न्यायनये प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः। तत्र फलव्यापारौ धात्वर्थः। कर्तृवाच्ये कृतिः, कर्मवाच्ये फलम्, संख्या, कालश्च तिङर्थः। तत्र कृतिफलसंख्यानां प्रथमान्तार्थेऽन्वयः, कालस्य व्यापारेऽन्वयः। तथा च 'रामो ग्रामं गच्छति' इत्यत्र 'एकत्वविशिष्टग्रामाभिन्नकर्मवृत्त्युत्तरदेशसंयोगानुकूल-वर्तमानकालिकव्यापारानुकूलैकत्व-विशिष्टकृतिमान् रामः' इति प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः। कर्मवाच्ये 'रामेण ग्रामो गम्यते' इत्यत्र 'एकत्वविशिष्टकृतिमद्रामाभिन्नकर्तृवृत्ति-वर्तमानकालिकव्यापारजन्योत्तरदेशसंयोगाभिन्नफलवान् ग्रामः इति प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः।

प्राचार्यचरः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्,
भोपालपरिसरः, मध्यप्रदेशः।

जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम्।
इत्येषा प्रार्थनाऽस्माकं भगवन्परिपूर्यताम्।।

Oh Lord, please so fulfill this expectation that –
In our lives whatever we give to others should be
greater than whatever we borrow from others.

शाब्दबोधपरिचयः

प्रकाशपाण्डेयः

प्रस्तावोऽयं कोमलधियां शास्त्रैकदेशेऽत्र शाब्दबोधप्रकरणे प्रविविक्षूणां सुखबोधाय तन्यते। महान् ह्येषः विषयः यथा सरलभाषया बोधः स्यात् तथा प्रयासः विधीयत इति।

शाब्दबोधपदार्थः–

शब्दाज्जायमानं ज्ञानं शाब्दबोधः। यस्य ज्ञानस्य हेतुः निराकाङ्क्षमासन्नमन्वययोग्यं वाक्यरूपं पदसमूहं भवति तज्ज्ञानं शाब्दबोध इति कथ्यते। किंवा वाक्यार्थज्ञानं शाब्दबोध इति अर्थः।

शाब्दबोधसामग्री–

पदज्ञानं (करणं), आकांक्षायोग्यतासंनिधिसहकृतेन पदेन पदार्थसंबन्धरूपशक्तिनिश्चयः (सहकारिकारणम्), निश्चितशक्तिसाहाय्येन पदजन्यपदार्थबोधः (व्यापारः), शाब्दबोधः (फलम्)।

अत्र आकांक्षा हि वाक्यार्थज्ञाने सहकारिहेतुः। एवञ्च अभिधानस्य अपर्यवसानम्, पदानां परस्परव्यतिरेकेण परस्पराभावे वा वाक्ये अन्वयाभावः, प्रतीतिपर्यवसानविरहः, पदार्थानां परस्परजिज्ञासाविषययोग्यता वा आकांक्षा इति विदुषां मतम्।

अयं भावः यत्पदं विना यत्पदस्य अन्वयः न संभवति तत्पदे तत्पदवत्वरूपः यः संबन्धः सा आकांक्षा। विभक्तिधात्वाख्यातक्रियाकारकपदानां परस्परं यः संबन्धः येन विना परस्परस्य स्व-स्वार्थस्य अनुभावकता न भवति स संबन्ध आकांक्षापदवाच्यः ज्ञेयः। 'गौः पुरुषः अश्वः हस्ती' इत्यादीनि पदानि साकांक्षत्वात् परस्परान्वयाभावात् परस्परस्वार्थानुभवयोग्यानि न दृश्यन्ते। किन्तु 'रामः ग्रामं गच्छति' इत्यत्र विभक्तिक्रियादयः परस्परान्वययोग्यत्वे सति परस्परस्वार्थानुभवयोग्यानि सन्ति तथा हि, 'रामकर्तृकग्रामकर्मकगमनम्' इति स्पष्टं बोधयन्ति।

आसक्तिर्हि पदानामविलम्बेन उच्चारणम्। प्रहरे प्रहरे एकैकशः पदानामुच्चारणे जाते तेषां पदानां विलम्बेनोपस्थितेः अन्वयाभावः ततः कस्यापि वाक्यस्य अन्वयबोधः न स्यात्। अन्वयबोधविरहात् पदानां परस्परार्थबोधोऽपि न स्यात् ततः शाब्दबोधोऽपि कथं जायेत। एवं हि अविलम्बेन पदार्थोपस्थितिः अपि आसक्तिः। अत्रोच्चारितपदानामासक्तिलक्षणमुक्तम्। तल्लक्षणं मौनरूपेण श्लोकपठने अव्याप्तमिति पश्यद्भिः नवीनैः 'अव्यवहितपदतात्पर्यमासक्तिः' इति लक्षणं परिष्कृतम्। अत्र तात्पर्यमिति पदम् एवं व्याख्येयम्– 'एतत्पदोत्तरमभिसन्धातुः तात्पर्यम्' इति। अभिसन्धातुः इच्छा तात्पर्यार्थत्वेन अयाति। तेन स्फुटोच्चारणाभावेऽपि पिपठिषायाः सत्त्वात् मौनिश्लोके अपि लक्षणसंगतिः।

शाब्दबोधभेदाः–

शाब्दबोधः द्वेधा– 1. खण्डशाब्दबोधः। 2. अखण्डशाब्दबोधश्च।

प्रथमः – 'रामः ग्रामं गच्छति'। इत्यादिवाक्ये प्रातिपदिकार्थः रामाख्यः व्यक्तिः, प्रथमाविभक्तेः एकत्वं कर्तृत्वं फलितार्थः, ग्रामः देशविशेषः, द्वितीयाविभक्तेः कर्मत्वं, गच्छतेर्वर्तमानकालिकगमनव्यापारः इति खण्डशः बोधो जायते। एष हि द्वितीयस्योपकारमात्रपर्यवसायी शाब्दबोधस्य वाक्यार्थरूपत्वात्।

द्वितीयः– अन्वितार्थबोधे तु 'एकत्वविशिष्टरामकर्तृक-ग्रामकर्मक-वर्तमानकालिकगमनानुकूलव्यापारः'। पुनरपि प्रत्येकस्य द्विधा वृत्तिः–

1. यथार्थशाब्दबोधः। 2. अयथार्थशाब्दबोधश्चेति।

प्रथमा– यथार्थता नाम 'फलवत्प्रवृत्तिजननयोग्यता'। वाक्यबोधात् बोद्धरि प्रवृत्तिः जायते सा हि फलपर्यवसायिनी स्यात् तद्योग्या वा स्यात् तदा एव वाक्ये यथार्थता ज्ञेया। इयमेव शाब्दबोधे 'यथार्थता' स्वीक्रियते। यथार्थशाब्दबोध एव शब्दप्रमाणम्। यथा– रामः ग्रामं गच्छति इति वाक्यबोधजन्यायां प्रवृत्तौ यथोक्तग्रामसंयोगावाप्तिरूपफलजननयोग्यता वर्तते, यथा वा नद्यास्तीरे पञ्च फलानि सन्तीति वाक्यबोधजन्यायां प्रवृत्तौ पञ्चानां फलानां प्राप्तिः तत्प्राप्त्यर्हता वा।

द्वितीया– फलवत्प्रवृत्तिजननयोग्यताभावः अयथार्थता ज्ञेया। सा तु अयोग्यवाक्यविषया भवति। 'वह्निना सिञ्चति' इति वाक्यस्य शाब्दबोधस्वरूपं एवं भवेत् 'वह्निकरणकसेकानुकूलव्यापारः'। किन्तु वह्नौ सेकफलरूपवृक्षमूलतर्पणजननयोग्यता नास्ति। अपितु तद्विरुद्धयोग्यता वर्तते। तस्माद् वह्नौ सेककरणत्वमनुपपन्नं तस्मात् सेकानुकूलव्यापारोऽपि बाधितः। अतः अत्र अयथार्थशाब्दबोधः उदेति।

पुनः प्रत्येकं द्विधा–

1. भेदान्वयविषयकः यथार्थशाब्दबोधः। 2. भेदान्वयविषयकः अयथार्थशाब्दबोधः।

यत्र वाक्ये परस्परमसमानलिंगविभक्त्यादिः शाब्दबोधस्य प्रयोजकः सः भेदान्वयविषयकः शाब्दबोधः।

3. अभेदान्वयविषयकः यथार्थशाब्दबोधश्च। 4. अभेदान्वयविषयकः अयथार्थशाब्दबोधश्च।

यत्र च समानलिङ्गविभक्त्यादिः शाब्दबोधस्य प्रयोजकः तत्र अभेदान्वयविषयकः शाब्दबोधः जायते।

प्रथमस्योदाहरणं यथा– राज्ञः पुरुषः

द्वितीयस्य– कूर्मस्य क्षीरम्।

तृतीयस्य– नीलो घटः।

चतुर्थस्य– रक्तं खपुष्पम् इत्यादि।

शाब्दबोधे प्रयोजकत्वं सर्वत्र संसर्गमर्यादया प्रकाशते गम्यते लभ्यते इति यावत्। तस्मात् संसर्गमर्यादापदार्थोऽपि बोध्यः। 'शाब्दबोधकार्यतावच्छेदककोटिप्रविष्टा सम्बन्धता' संसर्गमर्यादा कथ्यते। एवं बोध्यं 'शाब्दबोधे या कार्यता वाक्यार्थज्ञानं तस्य यः अवच्छेदकः स्वरूपसम्बन्धविशेषः तस्मिन् अधिरूढा या सम्बन्धता विशिष्टसंसर्गः सहकारिकारणं सा'। अथवा आकांक्षादिशाब्दबोधसहकारिसहकृता या पदशक्तिः सा संसर्गमर्यादा उच्यते। आचार्या आकांक्षामेव संसर्गमर्यादात्वेन व्याख्यान्ति।

'घटमानय त्वं' इति वाक्यम्। अत्र प्रकृतार्थः घटपदस्य अभिधेयः घटः शक्यो वा लक्ष्यो वा इति सम्बन्धज्ञानं, ततः आनयेत्यस्य आवापकृतिज्ञानं, कालान्तरे केनचिद् 'घटमानय त्वं; श्रवणात् घटार्थस्मृतिः, आवापव्यापारस्मृतिः ततः त्वत्कर्तृकघटकर्मकानयनानुकूलाकृतिरिति शाब्दबोधः जायते। अत्र 'कृतिः' 'व्यापारो वा' संसर्गमर्यादया आख्यातात्लभ्यते।

शास्त्रभेदे शाब्दबोधव्यवस्था

प्रमुखरूपेण त्रिषु शास्त्रवित्सु शाब्दबोधविशेष्यग्रहणे विशेषं विवृण्वन्ति विद्वांसः। आद्यः वैयाकरणाः, द्वितीयः नैयायिकाः तृतीयश्च मीमांसकाः। वैयाकरणकुले व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः। नैयायिकनये प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोध अङ्गीक्रियते। मीमांसकानां गृहे च आख्यातार्थ-(तिङर्थ-) मुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः स्वीकृतः। अत्रोदाहरणम्– 'रामः ग्रामं गच्छति'। अस्य वाक्यस्य शास्त्रभेदेन शाब्दबोधस्वरूपं यथा–

1. एकत्वविशिष्टरामकर्तृकग्रामकर्मकवर्तमानकालिकगमनानुकूलव्यापारः।
2. ग्रामकर्मकवर्तमानकालिकगमनानुकूलकृतिमानेकत्वविशिष्टः रामः।
3. ग्रामकर्मकवर्तमानकालिकगमनानूकूला एकत्वविशिष्टरामसमवेताकृतिः।

प्रायेण मीमांसकवैयाकरणयोरात्यन्तिकः भेदः नास्तीति विदुषां मतम्। केवलं धात्वर्थमादायैव भेदः। मीमांसायामाख्यातार्थः तिङागृह्यते तन्मते धात्वर्थस्य फलवाचकत्वात्। व्याकरणे फलव्यापारे उभे धात्वर्थरूपेण गृह्येते।

किन्तु न्यायव्याकरणयोः महान् भेदः वर्तते। वैयाकरणाः यास्कोक्ते 'भावप्रधानमाख्यातम्' इति प्रमाणे बहुव्रीहिं स्वीकृत्य 'भावः धात्वर्थः प्रधानं विशेष्यं यस्य आख्यातार्थस्य' इति विग्रहं कुर्वन्ति। नैय्यायिकाः अत्र षष्ठीतत्पुरुषे लाघवं भवेदिति 'भावस्य प्रधानम्' इति विग्रहं विधाय प्रथमान्तार्थं मुख्यं

विशेष्यं वाक्यार्थे गृह्णन्ति। एवं हि कर्तृवाच्ये प्रथमान्तार्थः मुख्यः विशेष्यः, कर्मवाच्ये तु फलस्य प्राधान्यात् फलं मुख्यं विशेष्यम्। उभयोः शाब्दबोधयोः स्वरूपं यथा–

नैय्यायिकशाब्दबोधनये–

कर्तृवाच्ये– 'रामः पठति पुस्तकम्'। इत्यादिवाक्यस्य शाब्दबोधान्वयस्वरूपम्– 'वर्तमानकालिकपठनानुकूलकृतिमानेकत्वविशिष्टरामः'।

'पुस्तकं पठ्यते रामेण'। अत्र फलविशिष्टः व्यापारः धात्वर्थः। तृतीयाविभक्त्या रामस्य आधेयता लब्धा। संसर्गमर्यादया कृतेर्लाभः। शाब्दबोधो यथा– 'एकत्वविशिष्टरामवृत्तिवर्तमानकालिक-पठनानुकूलकृतिजन्यपुस्तकवृत्तिफलम्'।

वैयाकरणशब्दबोधविधाने– कर्तृवाच्ये व्यापारमुख्यविशेष्यकः, कर्मवाच्ये च फलमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधोऽनुसंधेयः। तथाहि उक्तवाक्यस्य शब्दबोधो यथा–

कर्तृवाच्ये– 'एकत्वविशिष्टरामकर्तृकपुस्तककर्मकवर्तमानकालिकपठनानुकूलव्यापारः'।

कर्मवाच्ये–

'एकत्वविशिष्टरामसमवेतकृतिजन्यवर्तमानकालिकपाठानुकूलव्यापारजन्यपुस्तकवृत्तिफलम्'।

उभयोः वैशिष्ट्यम्–

ज्ञातमस्माभिः यच्छाब्दबोधक्षेत्रे प्राधान्येन कल्पद्वयं वर्तते। धात्वर्थमुख्यविशेष्यकः प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकश्चेति। अन्विताभिधानवादिनः (पदं वाक्ये अन्वितम् एव स्वार्थमभिदधाति न तु स्वतन्त्रमिति वादिनः) क्रियाप्रधान्यवादिनः वैयाकरणाः धात्वर्थमुख्यविशेष्यकं शाब्दबोधमुरीचक्रिरे। नैय्यायिकाः अभिहितान्वयवादिनः (पदं स्वतन्त्रं स्वार्थमभिदधत् वाक्ये अन्वेति इति वादिनः) पदार्थविचारकाः प्रथमान्तार्थं मुख्यं विशेष्यं स्वीकृतवन्तः।

धात्वर्थमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधविषये कानिचन उदाहरणानि आचार्या उपस्थापयन्ति यत्र धात्वर्थमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधे एव इष्टस्य वाक्यार्थस्य लाभः भवति, न तु प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधे। यथा– 'देवदत्तेन सुप्यते', 'पश्य मृगो भवति', 'पचति भवति', 'शृणु मेघो गर्जति' इत्यादि।

अत्र 'देवदत्तेन सुप्यते' इत्यत्र फलव्यापारयोः सामानाधिकरण्यम् आश्रयत्वं संसर्गमर्यादया प्राप्तः तथा च 'देवदत्ताभिन्नाश्रयकः शयनानुकूलव्यापारः' इति 'देवदत्तकर्तृकः स्वापः' इति वा क्रियामुख्यविशेष्यकः सर्वसिद्धान्तसिद्धः बोधः। 'पश्य मृगो धावति' इत्यादिवाक्ये इष्टार्थः मृगधावनसौन्दर्यदर्शनमस्ति न तु मृगदर्शनम् तच्च व्यापारमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधाल्लभ्यते- 'मृगकर्तृकधावनानुकूलव्यापारं पश्य। प्रथमान्तार्थमुख्यविशष्यके शाब्दबोधे कृते तु

'धावनानुकूलव्यापारवान् मृगः तत्कर्मकदर्शनानुकूलव्यापारवान् त्वमिति' बोधः जायते। 'पचति भवति' इत्यादौ 'पाकाभिन्नकर्तृकभवनानुकूलव्यापार' इति व्यापारमुख्यविशेष्यकशाब्दबोध एव शरणं प्रथमान्तस्य पदस्य अप्राप्तत्वात्। 'शृणु मेघो गर्जति'। 'मेघकर्तृकगर्जनानुकूलव्यापारकर्मकत्वकर्तृकश्रवणानुकूलव्यापारः' श्रुधात्वर्थेन शब्दरूपगर्जनमन्वययोग्यम्। प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यक-शाब्दबोधे गर्जनानुकूलक्रियावान् मेघः तस्य कर्मतासंबन्धेन अन्वयः न संभवति मेघस्य श्रवणायोग्यत्वात्।

अथ प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधपक्षे अपि कानिचन स्वानुकूलानि उदाहरणानि उपस्थापयन्ति नैय्यायिकधुरीणाः। यथा- 'घटो न भवति पटः', 'त्रयः कालाः', 'अश्वः गच्छति आनय' इत्यादि।

'घटभेदवान् पटः'। 'त्रित्वविशिष्टाः कालाः' प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः बोधः। कालत्रयस्य केनापि जीवेन ज्ञातुमशक्यत्वात् भवन्ति क्रियाया अध्याहारः असंभवः ईश्वरेण ज्ञायते इत्यत्र प्रामाणाभावश्च। तस्मात्प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोध एव शरणम्। 'अश्वः गच्छति आनय' इत्यत्र गमनानुकूलव्यापारव्यापृतस्य अश्वस्य आनयनक्रियया सह अन्वये बाधः स्यात्। अतः प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः ज्यायान् कल्पः एवं च 'गमनानुकूलव्यापारवान् अश्वः तत्कर्मकानयनानुकूलव्यापारवान् त्वम्' इति शाब्दबोधः। मीमांसकास्तु सर्वत्राख्यातमुख्यविशेष्यकमेव शाब्दबोधमङ्गीकुर्वन्ति।

मनागेवात्रोदाहरणमाध्यमेन शास्त्रसम्मतशाब्दबोधस्वरूपः प्रदर्शितः विशेषस्तु गुरुशुश्रूषया एव ज्ञातुं शक्यते।

प्राचार्यः
रा.सं.सं., जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

वैयाकरणमते शाब्दबोधकारणत्वविमर्शः

प्रो. शिवकान्तझाः

शाब्दबोधो हि निखिलशास्त्रोपयोगी। स च शब्दजन्यबोधात्मकः। किन्तु कस्माच्चिदपि शब्दात् कस्याप्यर्थस्य बोधस्तावन्न भवति यावत् तस्मात् तदर्थस्योपस्थितिर्न भवति। एवं तस्माच्छब्दात् तस्यार्थस्योपस्थितिरपि तावन्न भवति, यावत् तदर्थं निरूपिता शक्तिस्तस्मिन् शब्दे गृहीता न भवेत्।

इदमत्रावधेयम्– यदर्थनिरूपिता शक्तिः पदे तिष्ठति, न त्वस्य पदस्यास्मिन्नर्थे शक्तिरिति विधेया भ्रान्तिरपि कदाचित्। शक्त्याश्रयत्वादेव पदं शक्तमित्युच्यते। एवञ्च पूर्वं शक्तिग्रहः, तत उपस्थितिः, ततः शाब्दबोध इत्यस्ति शक्तिग्रहपदार्थोपस्थिति शाब्दबोधानां पौर्वापर्यक्रमः। तत्र यत्प्रकारकयद्विशेष्यकशक्तिग्रहो जायते, तादृशी एव ततः समुपस्थितिस्तथा शाब्दबोधोऽपि तत्प्रकारकस्तद्विशेष्यक एव भवति। यथा घटपदे घटत्वप्रकारकघटविशेष्यकार्थनिरूपिता शक्तिर्गृहीता वर्तत इति गृहीततादृशशक्तिकस्य श्रोतुर्जायते घटत्वप्रकारको घटविशेष्यको बोधः 'अयं घटः' इत्येवं रूपेण, न तु घटप्रकारकघटत्वविशेष्यको बोधोऽपि तत्र। तदुक्तम्- कारिकावल्याम्-

पदज्ञानन्तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः।
शाब्दबोधः फलन्तत्र शक्तिधीः सहकारिणी॥

शाब्दबोधे पदज्ञानं करणं भवति, न तु वर्तमानकालिकश्रावणप्रत्यक्षविषयतावच्छेदकधर्मावच्छिन्नं पदं शाब्दबोधे कारणम्। अत एव मौनिश्लोकस्य श्रावणप्रत्यक्षाभावेऽपि जायते ततः शाब्दबोधः। तत्र करणन्तु व्यापारवदसाधारणं कारणं भवतीति कृत्वा पदज्ञानस्य को हि व्यापारः? इति जिज्ञासायामाह - द्वारं तत्र पदार्थधीः। द्वारत्वञ्च व्यापारत्वम्। ता तान्यत्वे सति। तान्यजनकत्वरूपम्। भवति हि पदार्थज्ञानस्य पदज्ञानजन्यत्वे सति पदज्ञानजन्य शाब्दबोधजनकत्वाद् द्वारत्वम्।

इत्थञ्च पदार्थज्ञानं पदनिष्ठवृत्तिज्ञानाधीनोपस्थितिविषयत्वेनाभिमतमस्ति। अत एव एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकमिति नियमाद् घटपदं श्रुतवतः समवायसम्बन्धेनाकाशस्मरणे जातेऽपि न भवति तद्विषयकः शाब्दबोधः, आकाशोपस्थितेर्वृतिज्ञानजन्यत्वाभावात्।

इयन्तु साधारणप्रक्रिया शाब्दबोधस्य पदार्थबोधात्मिका वस्तुतस्तु। 'सर्वं वाक्यं क्रियायां परिसमाप्यत' इति नियमात् क्रियामन्तरा कीदृशोऽपि निराकांक्षः शाब्दबोधः भवितुं नार्हतीति शाब्दबोधपदेन वाक्यार्थबोध एव गृह्यते। तत्र च भवन्त्यनेकानि पदानि, जायते च तेषां पारस्परिकोऽन्वय इति शाब्दबोधस्य नामान्तरम्। अन्वयबोधोऽप्यस्तीति वेदनीयम्। अतस्तदौपयिकभूताः सिद्धान्तास्तावत्प्रदर्श्यन्ते यैः जायते तादृशो विशिष्टोऽन्वयबोधः।

शाब्दबोधस्य मुख्यं साधनं क्रिया। क्रियावाचको भवति धातुः। धातोश्च फलं व्यापारश्च इति अर्थद्वयम्। तत्र फलं व्यापारेण जन्यते इति भवति फलव्यापारयोः जन्यजनकभावः सम्बन्धः। धातोः उत्तरं तिबादिप्रत्ययसंयोगेन निष्पाद्यते तिङन्तं क्रियापदव्यवहार्यम्। तिङ्प्रत्ययस्यापरं नाम "आख्यातम्" अप्यस्ति इति न विस्मरणीयम्। तत्र कर्तृकर्मसंख्याकालाः तिङ्प्रत्ययार्थाः भवन्ति। तत्र च कर्ता वृत्तित्वसम्बन्धेन व्यापारे, तथा कर्मापि वृत्तित्वसम्बन्धेन फले विशेषणं भवति। यतो हि फलव्यापारौ वृत्तित्वसम्बन्धेन कर्तृकर्मणोरेव वर्तेते। तिबर्थसंख्या च कर्तृवाच्ये कर्तरि कर्मवाच्ये च कर्मणि विशेषणं भवति। तिङर्थकालश्च वृत्तित्वसम्बन्धेन व्यापारे विशेषणं भवति, व्यापारश्च शाब्दबोधे मुख्यविशेष्यतां भजते। यद्यपि प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यमिति नियमानुसारं धातुरूपप्रकृत्यर्थस्य व्यापारस्य शाब्दबोधे प्राधान्यमयुक्तं, तथापि भावप्रधानमाख्यातमिति यास्कवचनानुसारं शाब्दबोधे व्यापारस्य प्राधान्यमिति वदन्ति शाब्दिकाः।

यथा 'रामो ग्रामं गच्छति' इति वाक्ये गम्धातोः संयोगानुकूलो व्यापारः अर्थः। तत्र संयोगरूपे फले ग्रामस्य वृत्तित्वसम्बन्धेनान्वयः, व्यापारे च रामस्य वृत्तित्वेनान्वयः, एकत्वसंख्या च रामे विशेषणीभूता, वर्तमानकालश्च व्यापारे विशेषणी भूता त इति– रामाभिन्नैकत्वावच्छिन्नकर्तृवृत्तिः ग्रामनिष्ठसंयोगानुकूलो वर्तमानकालिको व्यापार इति बोधः।

नैयायिकानाम्मते तु– "पश्य मृगो धावति" इत्यत्र अन्यदेशसंयोगानुकूल कृतिमन्मृगकर्मकं प्रेरणाविषयीभूतं यद्दर्शनं तदनुकूलकृतिमांस्त्वमिति बोधो जायते। तत्र विशेष्यभूतार्थवाचकस्य मृगशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां दृशिक्रियायाः कर्मत्वाद् द्वितीयायां धावन्तं मृगं पश्येतिवत् पश्य मृगः धावतीत्यापत्तिः स्यात्। अप्रथमासमानाधिकरणे लटः स्थाने शतृशानचोर्नित्यतया विधानेनैवम्प्रकारकप्रयोगाणां विलयापत्तिः।

वैयाकरणमते 'पश्य मृगो धावति' इत्यत्र मृगकर्तृकधावनकर्मकं प्रेरणाविषयीभूतं त्वत्कर्तृकं दर्शनमिति शाब्दबोधो जायते। अत्र मृगकर्तृकं यद् धावनं तत्तु दृशिक्रियायाः एव प्राधान्यम्, तत्र विशेष्यभूतं यद्दर्शनं तद्रूपार्थवाचकस्य धावतीत्यस्य धातुपर्युदासबलात् प्रातिपदिकसंज्ञाया अप्राप्त्या द्वितीया न भवति। कर्मत्वन्तु संसर्गमर्यादया भासते।

पुनश्च तार्किकाः विशिष्टार्थवाचकं यद् 'धावति मृगः' इति वाक्यमस्ति तस्य कर्मसंज्ञायामपि समासग्रहणकृतनियमानुसारेण प्रातिपदिकसंज्ञा न प्राप्नोति तथा मृगपदस्य प्रातिपदिकसंज्ञायामपि कर्मसंज्ञाभावात्र द्वितीया, तथापि न काचित् क्षतिरित्याहुः।

परन्तु नैयायिकानामुपर्युक्तं मतं न समीचीनमित्याहुर्वैयाकरणाः "अनभिहिते" इत्यधिकारसूत्रप्रकरणे अभिधानञ्च तिङ्कृत्तद्धितसमासैरित्येतत्परिगणनप्रत्याख्यानपरभाष्यरीत्या द्वितीयापत्तिः।

कौण्डभट्टप्रभृतीनां प्राचीनानां वैयाकरणानाम्मते 'देवदत्तो जानाति' 'देवदत्त इच्छति' इत्यादौ

देवदत्ताभिन्नाश्रयको ज्ञानानुकूलो वर्तमानकालिको व्यापारः, देवदत्ताभिन्नाश्रयक-इच्छानुकूलो वर्तमानकालिको व्यापार इत्याकारकः शाब्दबोधो जायते।

किन्तु भट्टनागेशप्रभृतीनां नव्यवैयाकरणानाम्मते ज्ञाधातोर्विषयतया ज्ञानं फलम्, आत्ममनःसंयोगो व्यापारः। अत एव मनो जानातीत्युपपद्यते। आत्माऽत्रान्तःकरणम्। मनोऽपि तद्वृत्तिविशेषणम्, आत्मा आत्मानं जानातीत्यादावन्तःकरणावच्छिन्नकर्ता शरीरावच्छिन्नकर्मेति "कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया" इति भाष्ये स्पष्टम्।

अत एव तेषाम्मते देवदत्तो जानातीत्यत्र "यत् किञ्चिन्निष्ठविषयतानिरूपकज्ञानानुकूलो देवदत्ताभिन्नैकाश्रयवृत्तिर्वर्तमानकालिको व्यापारः" इति शाब्दबोधो भवति।

इच्छतेरिच्छानुकूलं ज्ञानमर्थः। अतीतानातीतयोरपि बुद्ध्युपारोहात् फलशालित्वम्। अत एव देवदत्तः इच्छतीत्यत्र नागेशमते यत् किञ्चिन्निष्ठविषयतानिरूपकेच्छानुकूलो देवदत्ताभिन्नैकाश्रयवृत्तिर्वर्तमानकालिको व्यापारः इत्याकारकः शाब्दबोधः इति। अधुना शाब्दबोधकारणत्वं विचार्य्यते-

वैयाकरणैरपि शाब्दबोधे आकांक्षायोग्यताऽऽसक्तितात्पर्येति कारणचतुष्टयं स्वीक्रियते। वैयाकरणमते - **"आकांक्षा वाक्यसमयग्राहिका। सा चैकपदार्थज्ञाने तदर्थान्वययोग्यार्थस्य यज्ज्ञानं तद्विषयेच्छा 'अस्याऽन्वय्यर्थः कः' इत्येवंरूपा पुरुषनिष्ठैव।।"**

तथापि तस्याः स्वविषयेऽर्थे आरोपः। अयमर्थोऽर्थान्तरमाकांक्षतीति व्यवहारात्। इदमेवाभिधानपर्यवसानमित्युच्यते। पदे तु नारोपः, अर्थबोधोत्तरमेवाकांक्षोदयात्। पदं साकांक्षमिति तु साकांक्षार्थबोधकमित्यर्थकम्। तदुक्तम् समर्थसूत्रे भाष्ये -

"परस्परव्यपेक्षां सामर्थ्यमेके। का पुनश्शब्दयोर्व्यपेक्षा? न ब्रूमश्शब्दयोरिति। किं तर्हि? अर्थयोरिति।।"

ईदृशजिज्ञासोत्थापकं चैकपदार्थेऽपरपदार्थव्यतिरेकप्रयुक्तस्याऽव्यबोध-जनकत्वस्य ज्ञानमिति तद्विषये तादृशान्वयबोधजनकत्वेऽप्याकांक्षेति व्यवहारः।

यद्बोधोत्थापकताविषयतान्यतरसम्बन्धेनोभयसम्बन्धेनवाऽर्थान्तरजिज्ञासा आकांक्षा। प्रथमलक्षणस्योदाहरणम्, यथा **"पश्य मृगो धावति"** इत्यत्र दर्शनार्थस्य कारकधावनाऽऽकांक्षोत्थापकत्वं धावनं तु तद्विषय एव। द्वितीयलक्षणस्योदाहरणम् यथा **"पचति तण्डुलं देवदत्त"** इत्यादौ क्रियाकारकयोर्द्वयोरपि तदुत्थापकत्वात् तद्विषयत्वम्।

अत एव घटः कर्मत्वम्, आनयनं कृतिः इत्यतो घटमानयेतिवन्नान्वयबोधः। आकाङ्क्षाविरहात्, घटमानयेति विभक्त्यन्ताख्यातान्तयोरेव साकांक्षत्वाच्च।

योग्यता च शाब्दबोधे कारणम्। वैयाकरणमते -

"योग्यता च परस्परान्वय प्रयोजकधर्मवत्त्वम्।।"

तेन **"पयसा सिञ्चति"** इति वाक्यं योग्यम्। सेकान्वयप्रयोजकद्रवद्रव्यत्वरूपा योग्यता जलेऽस्ति, करणत्वे जलान्वयप्रयोजकाद्रीकरणत्वरूपा योग्यता सेकक्रियायाम्। अत एव **"वह्निना सिञ्चति"** इति वाक्यान्न शाब्दबोधः, वह्नौ सेकान्वयप्रयोजकद्रवद्रव्यत्वरूपयोग्यता-भावात्।

एतादृशस्थलेषु नाऽन्वयबोधः, किन्तु प्रत्येकं पदार्थबोधमात्रमिति नैयायिकाः। तत्र, बौद्धार्थस्य सर्वत्र बोधविषयत्वेन तत्र बाधस्याऽभावात्। तदुक्तं श्रीहरिणा -

"अत्यन्तासत्त्यपि ह्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति च।
अबाधात्तु प्रमाणमत्र स्वतः प्रामाण्यनिश्चलाम्।।"

अत एव,

"एष वन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः।
कूर्मक्षीरचये स्नातः शशशृङ्गधनुर्धरः।।
करिणां शतमङ्गुल्या अग्रे क्रीडति नित्यशः।
कर्णयोर्विवरं सिंहः प्रविष्य प्रति र्जति।।"

इति वाक्येषु बौद्धार्थमादायैव प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। **"वह्निना सिञ्चति"** इत्यतो बोधाभावे तद्वाक्यप्रयोक्तारम्प्रति "अद्रवेण वह्निना कथं सेकं ब्रवीषि" इत्युपहासस्तदैव संगच्छते, यदा बौद्धार्थः स्वीक्रियते परन्तु वाक्यार्थबोधे जाते बुद्धार्थविषये प्रवृत्तिस्तु न भवति, बुद्धार्थेऽप्रामाण्यग्रहात्।

आसक्तिश्च शाब्दबोधे कारणम्। वैयाकरणमते -

"प्रकृतान्वयबोधाननुकूलपदाव्यधानमासक्तिः।।"

प्रकृतान्वयबोधानुकूलपदाव्यवधाने तु शाब्दबोधो भवत्येवेति तात्पर्यम्। **"गिरिरग्निमान्"** इत्यत्र **"गिरि"** पदस्य **"अग्निमान्"** पदेन सह सान्निध्ये शाब्दबोधो भवति।

"गिरिर्भुक्तमग्निमान् देवदत्तेन" इत्यत्र नाऽस्त्याऽऽसक्तिः। अत्र 'गिरि' पदस्य 'अग्निमान्' पदेन सह **"भुक्तम्"** इति व्यवधानात्, **'भुक्तम्'** पदस्य 'देवदत्तेन' पदेन सह "अग्निमान्" इति पदेन व्यवधानाच्च न शाब्दबोधः।

आसक्तिर्हि मन्दबुद्धेरविलम्बेन शाब्दबोधे कारणम्। मन्दबुद्धेस्त्वाऽऽसक्त्य-भावेऽपि पदार्थोपस्थितावाकांक्षोदितोऽविलम्बेनैव बोधो भवतीति न बोधे तस्याः कारणत्वमिति वैयाकरणाः। तदुक्तम्भाष्ये –

''**स्वरदीर्घयलोपविधिषु**'' लोपाजादेशो न स्थानिवत्। आनुपूर्व्येण सन्निविष्टानां **यथेष्टमभिसम्बन्धः शक्यते कर्तुम्। न चैतान्यानुपूर्व्येण सन्निविष्टानि। अनेनानुपूर्व्येणाऽपि यथेष्टमभिसम्बन्धो भवति। तद्यथा अनड्वाहमुदहारि। या त्वं हरसि शिरसा कुम्भं भगिनि! साचीनमभिधावन्तमद्राक्षीरिति। तस्य यथेष्टमभिसम्बन्धो भवति, उदहारि भगिनि! या त्वं कुम्भं हरसि शिरसा, अनड्वाहं साचीनमभिधावन्तमद्राक्षीरिति॥**''

अत्र भाष्ये - ''**अनड्वाहमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा कुम्भं भगिनि साचीनमभिधावन्तमद्राक्षीः** '' इत्येतेषां पदानामासक्त्यभावेऽपि यथेष्टमभिसम्बन्धो विहितः। अत एवाऽऽसत्त्यन्तरेणाऽपि शाब्दबोध इति स्पष्टं भवति।

''**स्थाल्यामोदनं पचति**'' इत्यादौ स्थाल्यामित्यस्य '**ओदनं**' इति पदेन व्यवधाने सत्यपि प्रकृतान्वयबोधानुकूलत्वादासक्तिः। अतस्तत्र शाब्दबोधः।

तात्पर्यमपि शाब्दबोधे कारणम्। वैयाकरणमते -

''**एतद्वाक्यं पदं वा एतदर्थबोधायोच्चारणीयमितिश्चेरेच्छा तात्पर्यम्॥**''

अत एव सति तात्पर्ये ''**सर्वे सर्वार्थवाचकाः**'' इति शाब्दिकनये घटशब्दात् पटप्रत्ययो नेष्टः। नानार्थस्थले लोके तात्पर्यन्तु एतत्पदं वाक्यं वा एतदर्थप्रत्ययाय मयोच्चार्यते इति प्रयोक्तुरिच्छारूपम्। तात्पर्यनियामकञ्च लोके प्रकरणादिकमेव। अतो भोजनप्रकरणे ''**सैन्धवमानय**'' इत्युक्ते ''**सैन्धव**'' इति पदेन लवणप्रत्ययः, युद्धावसरेऽश्वप्रत्ययः। वेदवाक्ये च ईश्वरतात्पर्यादर्थबोधो भवति।

ननु प्रकरणादीनां शक्तिनियामकत्वे शक्त्येव निर्वाहे किन्तात्पर्येणेति चेत् न, एकस्माच्छब्दार्थद्वयविशेष्यको बोधो जायते, अर्थद्वये शक्तिसत्त्वात्। तात्पर्यस्तु क्वेति न जानीम इत्यनुभवविरोधात्। अत एवाऽप्रकरणज्ञस्य पुरुषस्य ''**पय आनय**'' इत्युक्ते दुग्धस्य जलस्य वाऽनयने अर्थद्वयबोधो न सम्भवति। शक्तिद्वारा ''**पयः**'' पदेन दुग्धबोधे पुनः ''**शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः**'' इति सिद्धान्तानुसारेण अभिधाशक्त्यैव जलस्य बोधो न भवितुमर्हति, तर्हि अप्रकरणज्ञस्य ''पय आनय'' इत्युक्ते दुग्धं जलं वाऽऽनेयमिति प्रश्नः कथं संगच्छते। तात्पर्यस्वीकारे तु–

''**तात्पर्यव्यतिरेकाच्च व्यञ्जकत्वस्य न ध्वनिः।**
यावत् कार्यप्रसारित्वात्तात्पर्यं न तुलाधृतम्॥''

इत्यलङ्कारिकसिद्धान्तानुसारेण न तात्पर्यं तुलाधृतम् यत् पयः पदस्य दुग्धार्थ एव तात्पर्यम्, न जले, अत एवोक्तप्रश्नः संगच्छते।

एवञ्च नैयायिकवैयाकरणयोरुभयोर्मतेन आकांक्षायोग्यताऽऽसक्तितात्पर्याणि शाब्दबोधसहकारिकारणानि भवन्तीति सिद्ध्यतीत्यलमतिविस्तरेण।

संदर्भसंकेत: -

1. विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्य: - न्यायसिद्धान्तमुक्तावली शब्दखण्डम् का. 84
2. नोशभट्ट: - परमलघूमञ्जूषा, आकांक्षाप्रकरणम्।।
3. नोशभट्ट: - परमलघुमञ्जूषा, योग्यतानिरूपणम्।।
4. द्र., तत्रैव, योग्यतानिरूपणम्।।
5. तत्रैव, योयतानिरूपणम्।।
6. नोशभट्ट: - परमलघुमञ्जूषा, आसत्तिनिरूपणम्।।
7. पतञ्जलि: - व्याकरणमहाभाष्यम्, 1-1 आ. 8 सू. 58
8. नोशभट्ट: - परमलघुमञ्जूषा, तात्पर्यनिरूपणम्।।

व्याकरणविभागाध्यक्ष:

रा.सं.सं., जयपुरपरिसर:, जयपुरम्

असद्भि: शपथेनोक्तं जले लिखितमक्षरम्।
सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तं शिलालिखितमक्षरम्।।

The oath taken by the wicked person are like the letters written on the water (So much temporary). In contrast, even the informal words uttered by the saintly person are like the letters imprinted on rocks.

रूपके शाब्दबोधः

प्रो. रामकृपालशर्मा

पदस्य ज्ञानेन पदार्थस्य स्मरणम् उपस्थतिरुच्यते। स्मृतानाम् = उपस्थितानां पदार्थानाम् अन्वयस्य = सम्बन्धस्य ज्ञानं शाब्दबोध उच्यते। एष द्विधा भवति- सखण्डः, अखण्डश्च। यथा "रामो घटं नयति" इति वाक्ये त्रीणि पदानि सन्ति। राम इति पदस्य ज्ञानेन कस्यचन रामनामकस्य पुरुषस्योपस्थितिर्भवति, "शक्तं पदमि"ति पदस्य परिभाषया "घटम्" इत्यत्र "घट" इति "अम्" इति च द्वे पदे स्तः। तत्र घट इति प्रातिपदिकरूपस्य पदस्य ज्ञानेन घटरूपस्य पदार्थस्य, अमिति विभक्तिरूपस्य पदस्य च ज्ञानेन कर्मरूपस्यार्थस्योपस्थितिर्भवति। कर्मविशेषघटरूपोऽर्थोऽभेदेन सम्बन्धेन अमोपस्थिते सामान्ये कर्मणि विशेषणं भवति। सामान्यविशेषयोर्ह्यभेदो मन्यते। एवं घटमिति प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां "घटाभिन्नं कर्म" इति यो घटकर्मणोरभेदान्वयस्य शाब्दबोधः स सखण्डो वर्तते। "नयति" इत्यत्र नीधातुरूपं लटितिङिति रूपं चान्यत् पदमस्ति। नीधातोर्ज्ञानेन कर्त्रपेक्षदूरदेशसंयोगरूपं फलं तदनुकूलो नयनव्यापारश्चोपस्थितं भवति, तिपो ज्ञानेनैकत्वम्, कर्ता वर्तमानकालश्चोपस्थितानि भवन्ति। वैयाकरणमतेऽत्रैकत्वं कर्तरि समवायेन विशेषणं भवति, कर्ता स्वजन्यत्वेन स्वसमवेतत्वेन वा नयनव्यापारे विशेषणं भवति, कालः स्वावच्छेद्यत्वेन फले फलं च स्वजनकत्वेन नयनव्यापारे विशेषणं भवति। एवं नयतीत्यनेन जायमानः "एकत्वावच्छिन्नकर्तृजन्यो वर्तमानकालावच्छिन्नः कर्त्रपेक्षदूरदेशसंयोगरूपफलजनको नयनव्यापारः" इत्यपि सखण्डः शाब्दबोधः। किन्तु राम इत्यादीनां त्रयाणां सुप्तिङन्तपदानां समूहस्य वाक्यस्य ज्ञानेन जन्यः "रामाभिन्नैकत्वावच्छिन्नकर्तृजन्यो वर्तमानकालावच्छिन्नः घटाभिन्नकर्मनिष्ठरामरूपकर्त्रपेक्ष-दूरदेशसंयोगरूपफलजनको नयनव्यापारः" इति शाब्दबोधोऽखण्डः। अत्र रामरूपकर्तृविशेषः तिबर्थे सामान्यकर्तर्यभेदेन, घटाभिन्नकर्म च निष्ठत्वेन = स्वाधेयत्वेन तादृशसंयोगरूपे फले विशेषणं भवति।

एवमिह समासेनैकं वैयाकरणमतं तत्राप्येकदेशस्थं मतमाश्रित्य शाब्दबोधस्य दिक् प्रकृतोपकारकत्वेन दर्शिता। इदानीं प्रकृतमनुस्रियते। प्राकरणिकत्वेन प्रधाने उपमेये उपमानाभेदस्यारोपो रूपकालंकारो भवति। अत्राऽभिधयोपमेयपदेन सामानाधिकरण्यमलभमानम् उपमानपदं गुणवृत्त्या = गौण्या लक्षणयोपमेयपदेन एकधर्मिबोधकत्वरूपं सामानाधिकरण्यं लभते। उक्तमुद्भटेन–

श्रुत्या सम्बन्धविरहाद् यत्पदेन पदान्तरम्।
गुणवृत्तिप्रधानेन युज्यते रूपकं तु तत्॥

सम्प्रति रूपकस्थलेऽभिधा-लक्षणा-व्यञ्जनाप्रायोज्यः त्रिविधः शाब्दबोधः प्रदर्श्यते। काव्यालंकारसारसंग्रहे भट्टोद्भटेनायं श्लोको रूपकोदाहरणत्वेन दत्तः–

ज्योत्स्नाम्बुनेन्दुकुम्भेन ताराकुसुमशारितम्।
क्रमशो रात्रिकन्याभिर्व्योमोद्यानमसिच्यत॥

रात्रिरूपाः कन्याश्चन्द्रिकारूपेण जलेन पूर्णचन्द्ररूपं घटमादाय चन्द्ररूपेण तेन घटेन तारारूपैः कुसुमैः परिपूर्णम् आकाशरूपम् उद्यानं क्रमेणाऽसिञ्चन्- इति प्रकृतस्य श्लोकस्याभिप्रायो वर्तते। कन्यानामपि वृक्षसेचनं परमो धर्मः, अतः कन्याभिर्वृक्षाः सेचनीया इति कवेः सन्देशः। साङ्गरूपकमत्रालंकारः।

रात्रिकन्याभिः ताराकुसुमशारितम् व्योमोद्यानम् ज्योत्स्नाम्बुना इन्दुकुम्भेन क्रमशः असिच्यत इत्यन्वयो वर्तते। अत्र सप्त पदानि सन्ति। तत्र षट् सुबन्तानि ''असिच्यत'' इति च तिङन्तं पदम्।

(क) अभिधाप्रयोज्यः शाब्दबोधः

अत्र पूर्वं सखण्डः शाब्दबोधः प्रदर्श्यते–

असिच्यत

''असिच्यत'' इत्यत्र ''षिच क्षरणे'' इति षिच् धातुः कर्मणि लटः स्थाने तप्रत्ययश्च विद्यते। धातुना आर्द्रता = जलेन अवयवशैथिल्यं फलं जलपातनं व्यापारश्चोपस्थितं भवति, तप्रत्ययेन कर्मकारकम् अनद्यतनो भूतकालश्चोपस्थितं भवति। कालोऽपि धात्वर्थ एव ति मते स कालोऽपि तेन धातुनैवोपस्थितो भवति। प्राचां वैयाकरणानां मतेऽत्र जलपातनरूपस्य व्यापारस्यैव प्राधान्यम् = मुख्यविशेष्यत्वं भवति। अस्मिन् व्यापारे आर्द्रतारूपं फलं स्वजनकत्वसम्बन्धेन विशेषणं भवति, एकत्वं समवायेन तिङर्थे कर्मणि, तत् कर्म च स्वनिष्ठत्वेन सम्बन्धेन तस्मिन्नार्द्रतारूपे फले विशेषणं भवति, कालस्तु स्वावच्छेद्यत्वेन तस्मिन् व्यापारे एव विशेषणं भवति। ततश्च ''असिच्यत'' इति पदेन ''एकत्वावच्छिन्न-कर्मनिष्ठार्द्रताजनकोऽनद्यतनभूतकालावच्छिन्नो जलपातनरूपो व्यापारः'' इति सखण्डः शाब्दबोधः। ''क्रियाप्रधानम् आख्यातम्'' इति भाष्यवचने क्रियापदेन फलस्यापि ग्रहणेन नव्यानां वैयाकरणानां मते कर्माख्याते (कर्मवाच्ये) फलस्यैव मुख्यं विशेष्यत्वं भवति। अतस्तन्मते आर्द्रतारूपे फले व्यापार एवं स्वजन्यत्वेन विशेषणं भवति। अतोऽत्र ''अनद्यतनभूतकालावच्छिन्नजलपातन-रूपव्यापारजन्या एकत्वावच्छिन्नकर्मनिष्ठाऽऽर्द्रते''ति सखण्डः शाब्दबोधः।

रात्रिकन्याभिः

रात्रय एव कन्या इति रात्रिकन्यास्ताभिरित्यर्थः। मयूरव्यंसकादिवत् समासः। विशेषणबोधकस्य कन्याशब्दस्य परनिपातः। कन्यारूपा नामार्था रात्रिरूपेषु नामार्थेषु अभेदेन सम्बन्धेन विशेषणानि भवन्ति। तेन रात्रिकन्यापदेन कन्याभिन्ना रात्रय इति बोधः। रात्रिकन्यापदोत्तरेण भिस्प्रत्ययेन कर्तृकारकरूपो बहुत्वसंख्यारूपश्चाऽर्थ उपस्थितो भवति। अत्र भिस् ''कर्तृकरणयोस्तृतीया'' इति सूत्रेण कर्तरि विहितः।

भिसोऽर्थे सामान्ये कर्तरि कन्याभिन्नरात्रिरूपः कर्तृपदार्थोऽभेदेन बहुत्वं च समवायेन विशेषणं भवति। ततश्च रात्रिकन्याभिरिति पदेन कन्याभिन्नरात्र्यभिन्नबहुत्वावच्छन्नकर्तेति सखण्डः शाब्दबोधः।

ताराकुसुमशारितम्

तारा एव = नक्षत्राण्येव कुसुमानि ताराकुसुमानि। मयूरव्यंसकादिवत् समासः। तैः ताराकुसुमैः शारितम् = शबलीकृतं चित्रितम्। तृतीयातत्पुरुषः समासः। शारम् = शबलं कृतमित्यर्थः। "तत्करोति तदाचष्टे" इति गणसूत्रेण णिच् प्रत्ययः, क्तप्रत्ययस्याश्रयोऽर्थः। अथवा "शारः संजातोऽस्ये"ति शारशब्दान्मतुबर्थेऽच् प्रत्ययः। तेन शाराश्रय इत्यर्थः। कुसमान्यभेदेन तारासु विशेषणानि भवन्ति, ताराश्च स्वजन्यत्वेन शबलीकरणे, शबलीकरणं स्वाश्रयत्वेन क्तार्थे आश्रयेऽथवा स्वजन्यशबलीकरणत्वाश्रयत्वेन शबलत्वाश्रये एव विशेषणानि भवन्ति। अतः ताराकुसुमशारितमिति पदेन कुसुमाभिन्नताराजन्यशबलत्वाश्रय इति सखण्डः शाब्दबोधः।

व्योमोद्यानम्

व्योम एवोद्यानं व्योमोद्यानम्। मयूरव्यंसकादिवत् समासः। विशेषणबोधकस्योद्यानशब्दस्य परनिपातः। उद्यानरूपो नामार्थोऽभेदेन व्योमनामार्थे आकाशे विशेषणं भवति। आकाशोद्यानरूपस्य कर्मणः तिङोक्तत्वेन व्योमोद्यानप्रातिपदिकात् सुविभक्तिः प्रथमा प्रातिपदिकार्थमात्रे वर्तते। उद्यानाभिन्नं व्योम = उपवनाभिन्न आकाश इति व्योमोद्यानमिति पदेन सखण्डः शाब्दबोधः। अत्रोपवनाभिन्नाकाशे ताराकुसुमेतिपदस्य कुसुमाभिन्नताराजन्यशबलत्वाश्रयरूपोऽर्थोऽभेदेन विशेषणं भवति, नामार्थयोः = प्रातिपदिकार्थयोः सम्बन्धो ह्यभेद एव भवति। ततः ताराकुसुमशरितम्-व्योमोद्यानमिति पदाभ्यां शाब्दबोधः "कुसुमाभिन्नताराजन्यशबलत्वाश्रयाभिन्न उपवनाभिन्नाकाशः" इति भवति।

ज्योत्स्नाम्बुना

ज्योत्स्ना = चन्द्रिका एवाम्बु = जलं यस्मिंस्तेनेति सप्तम्यर्थे बहुव्रीहिः। अम्बु = जलं ज्योत्स्नायामभेदेन विशेषणम्, ज्योत्स्ना चाधाराधेयभावेन स्वाधिकरणे विशेषणम्। टाविभक्तिरत्र साधुत्वार्था। अतो ज्योत्स्नाम्बुनेति पदेन जलाभिन्नचन्द्रिकाधिकरणमिति सखण्डः शाब्दबोधः।

इन्दुकुम्भेन

इन्दुरेव = चन्द्र एव कुम्भः = घटस्तेन। मयूरव्यंसकादिवत् समासः। घटोऽभेदेनेन्दौ = चन्द्रे विशेषणम्, टारूपया विभक्त्या करणरूपोऽर्थ एकत्वसंख्या चोपस्थाप्यते, तत्र सामान्ये करणे घटाभिन्नचन्द्ररूपः प्रातिपदिकार्थविशेषोऽभेदेनैकत्वं च समवायेन विशेषणं भवति। ततश्चेन्दुकुम्भेनेति पदेन घटाभिन्नचन्द्राभिन्नैकत्वावच्छिन्नकत्वमिति सखण्डः शाब्दबोधः। जलाभिन्नचन्द्रिकाधिकरणरूपः पूर्वोक्तः पदार्थोऽत्र घटाभिन्नचन्द्राभिन्नकरणे अभेदेन विशेषणं भवति। तेन ज्योत्स्नेन्दुना-इन्दुकुम्भेनेति पदाभ्यां जलाभिन्नचन्द्रिकाधिकरणाभिन्नं घटाभिन्नचन्द्राभिन्नैकत्वावच्छिन्नकरणमिति शाब्दबोधः।

क्रमशः

क्रमश इत्यत्र क्रमप्रातिपदिकात् करणकारके ''बह्वल्पार्थाच्छस् कारकादन्यतरस्यामि''ति सूत्रेण शस् प्रत्ययः। क्रमपदेन पौर्वापर्यस्य शस्प्रत्ययेन करणस्य चोपस्थितिः। क्रमप्रकृत्यर्थः पौर्वापर्यमभेदेन संसर्गेण शस्प्रत्ययार्थे विशेषणं भवति। एवं क्रमश इति पदेन पौर्वापर्याभिन्नं करणमिति सखण्डः शाब्दबोधः। क्रमोऽप्यत्र करणकारकत्वेन विवक्षितः।

एवमिह सखण्डः शाब्दबोधः प्रदर्शितः। अत्र रात्रिकन्यादिसमस्तशब्दैः कन्यादिरूपाणाम् अर्थानां योपस्थितिर्दर्शिता सा व्यपेक्षावादिनां नैयायिकादीनां मते शक्त्या = अभिधया ज्ञातव्या, समासादौ पृथक्छक्तिं स्वीकुर्वतां वैयाकरणानां मते तु कन्याऽभिन्नरात्र्यादिरूपाणामर्थानामुपस्थितिः शक्त्यैव बोध्या। इदानीमखण्डः शाब्दबोधः प्रदर्श्यते। स च वाक्यस्थानां समेषां पदार्थानामेकेन प्रधानभूतेन पदार्थेन सहान्वयस्य बोधरूपो भवति। वैयाकरणानां मते व्यापाररूपा फलरूपा वा क्रियैव प्रधानं भवतीति समेषां कारकपदार्थानां प्रधानेन क्रियापदार्थेनैवान्वयः। एषां मते क्रियामुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः। सोऽत्र यथा–

एकत्वावच्छिन्नकर्मनिष्ठार्द्रताजनकेऽनद्यतनभूतकालावच्छिन्ने जलपातनरूपेऽसिच्यतेति पदस्यार्थे व्यापारे कन्यान्निरात्र्यभिन्नबहुत्वावच्छिन्नकर्तृरूपः, विशिष्टो जलाभिन्नचन्द्रिकाधिकरणाभिन्न-घटाभिन्नचन्द्राभिन्नैकत्त्वावच्छिन्नकरणरूपः, पौर्वापर्याभिन्नकरणरूपश्च पदार्थः स्वजन्यत्वेन स्वस्वगतजनकतानिरूपकत्वेन वा विशेषणं भवति। क्रिया हि कारकेण जन्या, स्वगतजन्यतया कारके जनकताया निरूपिका व च भवति। अत्रत्या कन्याभिन्निरात्र्यादिरूपाः पदार्थाः चेतनक्रियायाः कर्तृ-कर्म-करणरूपाणि कारकाणि सन्ति। विशिष्टः कुसुमाभिन्नताराजन्यशबलत्वाश्रयाऽभिन्नोपवनाभिन्नाकाशरूपः पदार्थो तिङर्थे सामान्ये कर्मणि अभेदेन विशेषणं भवति। तदयमखण्डः शाब्दबोधः–

कन्याभिन्नरात्र्यभिन्नबहुत्वावच्छिन्नकर्तृकः, जलाभिन्नचन्द्रिकाधिकरणाभिन्नघटाभिन्नचन्द्राभिन्नैकत्वा-वच्छिन्नकरणकः, पौर्वापर्याभिन्नकरणकः, कुसुमाभिन्नताराजन्यशबलत्वाश्रयाऽभिन्नोपवनान्निका-शाभिन्नैकत्वावच्छिन्नकर्मनिष्ठार्द्रताजनकोऽनद्यतनभूतकालावच्छिन्नो जलपातनरूपो व्यापारः।

यदि नव्यवैयाकरणमतमाश्रीयते तदाऽयं फलविशेष्यकः शाब्दबोधः–

कन्याभिन्नरात्र्यभिन्नबहुत्वावच्छिन्नकर्तृकेण, जलाभिन्नचन्द्रिकाधिकरणाभिन्नघटाभिन्नचन्द्राभिन्नै-कत्वावच्छिन्नकरणकेन, पौर्वापर्याभिन्नकरणकेन, अनद्यतनभूतकालावच्छिन्नजलपातनरूपव्यापारेण जन्या, कुसुमाभिन्नताराजन्यशबलत्वाश्रयाऽभिन्नोपवनाभिन्नाकाशाभिन्न-एकत्वावच्छिन्नकर्मनिष्ठार्द्रता। एवं वैयाकरणाभिप्रायेणऽभिधाप्रयोज्यो द्विविधः शाब्दबोधः प्रदर्शितः। इह पदार्थोपस्थितिरभिधया।

(ख) लक्षणाप्रयोज्यः शाब्दबोधः

अभिधाप्रयोज्ये शाब्दबोधेऽम्बुनो ज्योत्स्नाया, इन्दोः कुम्भेन, कुसुमानां ताराभिः, कन्यानां

रात्रिभिः, उद्यानस्य व्योम्ना चाभेदान्वयस्य, सेकस्य च रात्र्यादिभिरन्वस्य बोधो दर्शितः। एष बाधितो वर्तते। यतः प्रायेण समानाधिकरणयोरेवाभेदान्वयो भवति, सेकश्च चेतने युज्यते। समानाधिकरणे ते एव पदे भवतो ये एकस्यैव धर्मिणो बोधके भवतः। एकधर्मिबोधकत्वं हि सामानाधिकरण्यमुच्यते। यथा "नीलो घटः" इत्यत्र नील इति पदं घट इति च पदं समानाधिकरणे स्तः। नील इति पदं नीलगुणविशिष्टं घट इति च पदं घटत्वधर्मविशिष्टं कम्बुग्रीवादिमन्तमेकमेव धर्मिणं बोधयतः। नीलघटपदाभ्यामेकस्मिन्नेव घटरूपे धर्मिणि नीलगुणरूपो घटत्वजातिरूपश्च धर्मौ बोध्येते। अतो नीलाभिन्नो घट इति शाब्दबोधो भवति। किन्त्वम्बुपदम् अम्बुत्वधर्मविशिष्टम् अम्बुरूपम् (जलरूपं) धर्मिणम्, ज्योत्स्नापदं ज्योत्स्नात्वविशिष्टं ज्योत्स्नारूपम् (चन्द्रिकारूपं) धर्मिणं बोधयति। एवमेकधर्मिबोधकत्वस्याभावेनाऽम्बुज्योत्स्नापदयोः सामानाधिकरण्यं नास्ति। एवमिन्दुघटादिपदानामपि विषये वक्तुं शक्यते। जलादीनां चन्द्रिकादिभिरभेदान्वयस्य बोध एवं प्रत्यक्षतो बाधितः। इत्थमम्बुज्योत्स्नादीनामभेदान्वयस्य बाधितत्वेन अम्बु-कुम्भ-कुसुम-कन्योद्यानपदेषु गौणी लक्षणा स्वीक्रियते। जलचन्द्रिकयाः शुक्लत्व-आह्लादकत्व-अधःप्रसरणत्वादयः, चन्द्रघटयोर्वर्तुलाधोमुखत्वादयः, ताराकुसुमयोर्नानावर्ण-प्रकाशमानत्व-समानाकारत्वादयः, रात्रिकन्ययोः स्त्रीत्व-निर्मलत्वस्पृहणीयत्वादयः, आकाशोद्यानयोश्च रमणीयत्व-सेव्यत्व-महत्त्व-भासमानत्वादयश्च धर्माः (गुणाः) समानाः सन्ति। समानगुणयोगात् प्रवर्तमानाऽत्र लक्षणा गौणी। तया अम्बु-कुम्भ-कुसुम-कन्योद्यानपदानि क्रमेण जल-घट-पुष्प-कन्या-उद्यानसदृशान् पदार्थान् उपस्थापयन्ति। एते जलसदृशादयोऽर्थाः चन्द्रिकादिभिरुपमेयैः सहाऽभेदसंसर्गेन विशेषणानि भवन्ति। रूपके उपमानपदानां स्वार्थसदृशे लक्षणेति प्राचां मम्मटादीनां सिद्धान्तः। एवम् असिच्यतेत्यत्र सिञ्चतिः (षिच् धातुः) रात्रिकर्तृकव्याप्त्यनुकूलसर्वतः प्रसरणरूपस्य प्रकृतस्य विषयस्यानुपादानेन साध्यवसानया गौणलक्षणयाऽऽर्द्रतानुकूलजलपातनसदृशं व्याप्त्यनुकूलं सर्वतः प्रसरणरूपं व्यापारम्, अथवा मतान्तरेण जलपातनजन्यार्द्रतासृशीं सर्वतः प्रसरणजन्यां व्याप्तिम् (सर्वदेशसंयोगम्) उपस्थापयति। आर्द्रताव्याप्त्योः फलयोः सरसत्वादिर्जलनिपातन-सर्वतःप्रसरणयोश्च सरसत्वादिजनकत्वं समानो धर्मः। रात्रिकर्तृकप्रसरणेऽपि रसाभिव्यञ्जकत्वेन सरसतापादनं प्रसिद्धमेव। एवं "जलसदृशाभिन्ना चन्द्रिका, घटसदृशाभिन्नश्चचन्द्रः, कुसुमसदृशाभिन्नाः ताराः, कन्यासदृशाभिन्ना रात्रयः, उद्यानसदृशाभिन्न आकाशः, अनद्यतनकालिकजलपातनजन्यार्द्रतासदृशी सर्वतः प्रसरणजन्या व्याप्तिः (सर्वदेशसंयोगः)" इति सखण्डो लाक्षणिकः शाब्दबोधः। अत्रोपमानेभ्यः परं सदृशपदं योज्यम्। ततश्चोक्तश्लोकस्यायमखण्डो लाक्षणिकः शाब्दबोधः–

कन्यासदृशाभिन्नरात्र्यभिन्नबहुत्वावच्छिन्नकर्तृकः, जलसदृशाभिन्नचन्द्रिकाधिकरणाभिन्न-घटसदृशाभिन्नचन्द्राभिन्नैकत्वावच्छिन्नकरणकः, पौर्वापर्याभिन्नकरणकेन, अनद्यतन-भूतकालावच्छिन्नजलपातनरूपव्यापारसदृशेन अनद्यतनभूतकालावच्छिन्नसर्वतः प्रसरणरूपेण

व्यापारेण जन्या, कुसुमसदृशाभिन्नताराजन्यशबलत्वाश्रयाऽभिन्नोपवनसदृशाभिन्नाकाशाभिन्न-एकत्वावच्छिन्नकर्मनिष्ठाऽऽर्द्रतासदृशी व्याप्तिः- इत्यखण्डः शाब्दबोधः।

यदि नव्यवैयाकरणमतमाश्रीयते तदाऽयं फलविशेष्यकः शाब्दबोधः–

कन्यासदृशाभिन्नरात्र्यभिन्नबहुत्वावच्छिन्नकर्तृकः, जलसदृशाभिन्नचन्द्रिकाधिकरणाभिन्न-घटसदृशाभिन्नचन्द्राभिन्नैकत्वावच्छिन्नकरणकेन, अनद्यतनीतकालावच्छिन्न-जलपातनरूपव्यापारसदृशेन अनद्यतनभूतकालावच्छिन्नसर्वतःप्रसरणरूपेण व्यापारेण जन्या, कुसुमसदृशाभिन्नताराजन्यशबलत्वाश्रयाऽभिन्नोपवनसदृशाभिन्नाकाशाभिन्नएकत्वावच्छिन्नकर्मनिष्ठाऽऽर्द्रतासदृशी व्याप्तिः इत्यखण्डः शाब्दबोधः।

उपमानपदेन लक्षणयोपस्थितौ प्रकारो लक्ष्यतावच्छेदकं भवति, किन्तु शाब्दबोधे प्रकारो वाच्यतावच्छेदकं भवति, उपस्थितिशाब्दबोधयोः समानप्रकारकत्वस्य नियमो लक्षणातिरिक्तस्थले स्वीकार्य इति मतान्तरं विद्यते। अत्र मतेऽम्बुकुम्भादिपदैरुपस्थितौ प्रकारः सदृशत्वं विशेष्यं च सदृशं भवति, किन्तु शाब्दबोधे प्रकारो वाच्यतावच्छेदकं जलत्वकुम्भत्वादि भवति। एवमिह लक्ष्ये सादृश्याश्रये सादृश्यस्य स्थाने शाब्दबोधीयः प्रकारो जलत्वकुम्भत्वादि भवति। विषये व्यापारे सर्वतःप्रसरणे जलपातनत्वम्, फले चार्द्रतात्वं प्रकारो भवति। ततश्च "जलत्ववदभिन्ना चन्द्रिका, घटत्ववदभिन्नश्चन्द्रः, कुसुमत्ववदभिन्नाः ताराः, कन्यात्ववदभिन्ना रात्रयः, उद्यानत्ववदभिन्न आकाशः, जलादिपातनत्ववदभिन्नं सर्वतः प्रसरणम्, आर्द्रतात्ववदभिन्ना व्याप्तिः" इति सखण्डो लाक्षणिकः शाब्दबोधः। जलत्वादिवदित्यादि पदं योज्यम्। अखण्डस्तु-

"कन्यात्ववदभिन्नरात्र्यभिन्नबहुत्वावच्छिन्नकर्तृकः, जलत्ववदभिन्नचन्द्रिकाधिकरणाभिन्न-घटत्ववदभिन्नचन्द्राभिन्नैकत्वावच्छिन्नकरणकः, पौर्वापर्याभिन्नकरणकः, कुसुमत्ववदभिन्नताराजन्यशबलत्वाश्रयाऽ-भिन्नोपवनत्ववदभिन्नाकाशाभिन्नैकत्वा-वच्छिन्नकर्मनिष्ठव्याप्तिजनक आर्द्रताजनकोऽनद्यतनभूतकालावच्छिन्नजलपातनत्ववदभिन्नोऽनद्यतनभूतकालावच्छिन्नसर्वतःप्रसरणरूपो व्यापारः" इति शाब्दबोधः।

यदि नव्यवैयाकरणमतमाश्रीयते तदाऽयं फलविशेष्यकः शाब्दबोधः-

कन्यात्ववदभिन्नरात्र्यभिन्नबहुत्वावच्छिन्नकर्तृकेण, जलत्ववदभिन्नचन्द्रिकाधिकरणाभिन्नघटत्ववदभिन्न-चन्द्राभिन्नैकत्वावच्छिन्नकरणकेन, पौर्वापर्याभिन्नकरणकेन, अनद्यतनभूतकालावच्छिन्नजलपातनत्ववदभिन्नेन अनद्यतनभूतकालावच्छिन्नसर्वतःप्रसरणरूपेण व्यापारेण जन्या, कुसुमत्ववदभिन्नताराजन्य-शबलत्वाश्रयाऽभिन्नोपवनत्ववदभिन्नाकाशाभिन्न-एकत्वावच्छिन्नकर्मनिष्ठाऽऽर्द्रतात्ववदभिन्ना व्याप्तिः।

एवमेव लक्षणाप्रयोज्यः शाब्दबोधः। अप्पयदीक्षितेन रूपके लक्षणा न स्वीकृता। तन्मतानुसारेण

वाच्ययोरेवोपमानोपमेयपदार्थयोरभेदान्वयबोधः। उपमानपदार्थ उमेयपदार्थेऽभेदेन विशेषणं भवति। आहार्यज्ञानमिव शाब्दमपि ज्ञानं न बाध्यत इति तदीयः सिद्धान्तः। एवमिह मुख्यार्थबाधस्याभावेन न लक्षणाया अवसरः। ततोऽत्र **"कन्याभिन्नरात्र्यभिन्नबहुत्वावच्छिन्नकर्तृकः, जलाभिन्नचन्द्रिकाधिकरणाभिन्नघटाभिन्नचन्द्राभिन्नैकत्वावच्छिन्नकरणकः, पौर्वापर्याभिन्नकरणकः, कुसुमाभिन्नाताराजन्य शबलत्वाश्रयाऽभिन्नोपवनाभिन्नाकाशाभिन्नैकत्वावच्छिन्नकर्मनिष्ठाया आर्द्रताभिन्नाया व्याप्तेर्जनक आर्द्रताजनकानद्यतनभूतकालावच्छिन्नजलपातनाभिन्नोऽनद्यतन भूतकालावच्छिन्नः सर्वतः प्रसरणरूपो व्यापारः।"** इति।

"कन्याभिन्नरात्र्यभिन्नबहुत्वावच्छिन्नकर्तृकेण, जलाभिन्नचन्द्रिकाधिकरणाभिन्नघटाभिन्न चन्द्राभिन्नैकत्वावच्छिन्नकरणकेन, पौर्वापर्याभिन्नकरणकेन, आर्द्रताजनकाऽनद्यतनभूत कालावच्छिन्नजलपातनरूपव्यापाराऽभिन्नाऽनद्यतनभूतकालावच्छिन्नसर्वतःप्रसरणरूपेण व्यापारेण जन्या, कुसुमाभिन्नताराजन्यशबलत्वाश्रयाऽभिन्नोपवनाभिन्नाकाशाभिन्न-एकत्वावच्छिन्नकर्म निष्ठार्द्रताऽभिन्ना व्याप्तिः" इति फलविशेष्यकः शाब्दबोधः।

(ग) व्यञ्जनाप्रयोज्यः शाब्दबोधः

रूपके उपमानपदे या लक्षणा सा सप्रयोजना भवति। प्रयोजनं व्यञ्जनयैव बोध्यते। रूपके प्रयोजनं ताद्रूप्यस्य ज्ञानं मन्यते। ताद्रूप्यं द्विधा स्वीक्रियते-उपमानतावच्छेदकम् उपमानगतासाधारणगुणवत्त्वं च। अत्र व्यञ्जनयोपमानपदेन अम्बुना जलत्वस्य, कुम्भेन घटत्वस्य, कुसुमेन कुसुमत्वस्य, कन्यया कन्यात्वस्य, उद्यानेनोपवनत्वस्य, असिच्यतेत्यनेन जलपातनत्वस्य चोपस्थितिर्भवति। जलत्वादीनि लक्ष्ये सदृशे समवायेन विशेषणानि भवन्ति। समवायोऽत्र प्रातिभः (कविकल्पितो) ग्राह्यः। ततः "जलत्ववत्सदृशाभिन्ना चन्द्रिका, घटत्वत्सदृशाभिन्नश्चन्द्रः, कुसुमत्ववत्सदृशाभिन्नाः ताराः, कन्यात्ववत्सदृशाभिन्ना रात्रयः, उद्यानत्ववत्सदृशाभिन्न आकाशः जलपातनत्वत्सदृशाभिन्नं सर्वतः प्रसरणम्, आर्द्रतात्ववत्सदृशाभिन्ना व्याप्तिः" इति सखण्डो वैयञ्जनिकः शाब्दबोधः। अत्र यद्यपि जलत्वादेरुपमानतावच्छेदकस्य साक्षात् प्रतीतिर्लक्ष्ये जलादिसदृशे भवति, न तूपमेये चन्द्रिकादौ, तथापि जलादिसदृशानां चन्द्रिकादावभेदेनान्वयाच्चन्द्रादावपि जलत्वादेः प्रतीतिर्निर्बाधा मन्यते। एवं पर्यन्ते चन्द्रिकादावुपमेये जलत्वादेः प्रतीतिर्भवति। ततश्चोक्तश्लोकस्यायमखण्डो वैयञ्जनिकः शाब्दबोधः-

कन्यात्ववत्सदृशाभिन्नरात्र्यभिन्नबहुत्वाछिन्नकर्तृकेण, जलत्ववत्सदृशाभिन्नचन्द्रिकाधिकरणाभिन्न-घटत्ववत्सदृशाभिन्नचन्द्राभिन्नैकत्वावच्छिन्नकरणकेन, पौर्वापर्याभिन्नकरणकेन, आर्द्रताजनकानद्यतन-भूतकालावच्छिन्नजलपातनत्ववत्सदृशाभिन्नेन व्यापारेण जन्या, कुसुमत्ववत्सदृशाभिन्नताराजन्यश-बलत्वाश्रयाऽभिन्नोपवनत्ववत्सदृशाभिन्नाकाशाभिन्नैकत्वावच्छिन्नकर्मनिष्ठा आर्द्रतात्ववत्सदृशाभिन्ना व्याप्तिः- इत्यखण्डः शाब्दबोधः। मतान्तरे बोधोऽयं लक्षणयैव प्रयोज्य इति पूर्वमपि प्रदर्शितः।

यदि तूपमानगताऽऽसाधारणगुणवत्त्वं ताद्रूप्यं मन्यते तदा "जलगतशुक्लत्वादिमदभिन्ना चन्द्रिका घटगतवर्तुलत्वादिमदभिन्नश्चन्द्रः, कुसुमगतरमणीयत्वादिमदभिन्नाः ताराः, कन्यागतस्त्रीत्व-पवित्रत्व स्पृहणीयत्वादिमदभिन्ना बहुत्वावच्छिन्ना रात्रयः, उपवनगतरमणीयत्वसेव्यत्वादिमदभिन्न आकाशः जलपातनगत-सरसत्वसन्तापहारित्वादिमदभिन्नं सर्वतः प्रसरणम्, आर्द्रतागतसरसत्वशीतलत्वादिमदभिन्न व्याप्तिः" इति सखण्डो वैयञ्जनिकः शाब्दबोधः। अत्र मते वाच्यतावच्छेदकरूपेणैव लाक्षणिक शाब्दबोध इत्युपमानगताऽऽसाधारणगुणवत्त्वरूपं ताद्रूप्यं व्यञ्जनाजन्योपस्थितेर्विषयत्वेन स्वीकृतम् ततश्चोक्तश्लोकस्यायमखण्डो वैयञ्जनिकः शाब्दबोधः-

कन्यागतस्त्रीत्व-पवित्रत्व-स्पृहणीयत्वादिमदभिन्नरात्र्यभिन्नबहुत्वावच्छिन्नकर्तृकम्, जलगतशुक्लत्वादिमदभिन्नचन्द्रिकाऽधिकरणाभिन्नघटगतवर्तुलत्वादिमदभिन्नचन्द्राभिन्नैकत्वावच्छिन्नकरणकम्, पौर्वापर्याभिन्नकरणकम्, कुसुमगतरमणीयत्वादिमदभिन्नताराजन्यशबलत्वाश्रयाऽभिन्नोपवनगतरमणीयत्व-सेव्यत्वादिमदभिन्नाकाशाभिन्नैकत्वावच्छिन्नकर्मनिष्ठव्याप्तिजनकम् आर्द्रताजनकानद्यतनभूतकाला-वच्छिन्नजलपातनगतसरसत्वसन्तापहारित्वादिमदभिन्नं सर्वतः प्रसरणम्।

यदि नव्यवैयाकरणमतमाश्रीयते तदाऽयं फलविशेष्यकः शाब्दबोधः-

कन्यागतस्त्रीत्व-पवित्रत्व-स्पृहणीयत्वादिमदभिन्नरात्र्यभिन्नबहुत्वावच्छिन्नकर्तृकेण, जलगतशुक्लत्वादिमदभिन्न-चन्द्रिकाधिकरणाभिन्नघटगतवर्तुलत्वादिमदभिन्नचन्द्राभिन्नैकत्वावच्छिन्नकरणकेन, पौर्वापर्याभिन्नकरणकम्, आर्द्रताजनकानद्यतनभूतकाला-वच्छिन्नजलपातनगतसरसत्वसन्तापहारित्वादिमदभिन्नसर्वतःप्रसरणेन जन्या, कुसुमगतरमणीयत्वादिमदभिन्नताराजन्यशवलत्वाश्रयोपवनगतरमणीयत्वसेव्यत्वादिमदभिन्नाकाशाभिन्न-एकत्वावच्छिन्नकर्मनिष्ठा आर्द्रतागतसरसत्वशीतलत्वादिमदभिन्ना व्याप्तिः- इत्यखण्डः शाब्दबोधः।

एवमिह मुख्यरूपेण वैयाकरणमतमाश्रित्याखण्डस्य शाब्दबोधस्य प्रक्रियाया दिग् दर्शिता, भावनामुख्यविशेष्यकशाब्दबोधवादिनां मीमांसकानाम्, प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधवादिनां नैयायिकानाम्, क्रियायाः तिङर्थे कारके विशेषत्वं वदतां पण्डितराजादीनाम्, कर्तृत्वकर्मत्वादौ तृतीयादीनां शक्तिं वदतां चापि मतेन शाब्दबोधस्य प्रक्रियाऽत्र योजनीयेति दिक्।

साहित्यविभागाध्यक्षः
रा.सं.सं., जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

शाब्दबोधप्रक्रिया

प्रो. श्रीधरमिश्रः

शाब्दबोधो नाम शब्दजन्यो बोधः। जन्यत्वम् अण् प्रत्ययार्थः। बुध = अवगमने धातोः कर्मणि घञ् प्रत्ययः। बुध्यते अवगम्यते योऽसौ बोधः। ज्ञानम् इत्यर्थः। शब्दाद् आगतो वा बोधः शब्दबोधः। शब्दजन्यं ज्ञानम् इति यावत्। शब्दादपि बोधः अर्थं द्वारीकृत्य एव भवति, यतोहि कस्माचिदपि शब्दात् तस्यार्थोपस्थिति तावन्न जायते यावत् तदर्थनिरूपिता शक्तिस्तस्मिन् शब्दे गृहीता न भवेत्। अतः पूर्वं शक्तिग्रहः ततः पदार्थोपस्थितिः, ततः शाब्दबोध इत्यस्ति शाब्दबोधानां पौर्वापर्यक्रमः। तदुक्तम्–

पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः।
शाब्दबोधः फलं तत्र शक्ति धीः सहकारिणी।।इति।

इत्थं ज्ञायमानमेव पदं शाब्दबोधे कारणं भवति, न तु वर्तमान-कालिकश्रावणप्रत्यक्ष-विषयतावच्छेदकधर्मावच्छिन्नं शब्दबोधे कारणम्। तस्मात् कस्माच्चिदपि शब्दात् कस्याप्यर्थस्य बोधस्तावन्न भवति यावत् तदर्थोपस्थितिः तस्मात् शब्दान्न जायेत। तदुक्तं श्रीमता नागेशभट्टेन सिद्धान्तमञ्जूषायाम्–

तद्धर्मावच्छिन्नविषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपितवृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः" इति।

तथाहि– घटत्वधर्मावच्छिन्नघटविषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति घटत्वधर्मावच्छिन्नघटनिरूपित-वृत्तिविशिष्टज्ञानमेव हेतुः। अतो नागृहीतवृत्तिकस्य बोधः, नापि घटपदाश्रयत्वेनोपस्थितस्य आकाशस्य नापि जनकतयोपस्थितस्य चैत्रादेश्च बोधः। ज्ञाने वृत्तिवैशिष्ट्यं स्वविषयकोद्बुद्धसंस्कारसमानाधिकरणस्य स्वाश्रयविषयकत्वोभयसम्बन्धेन बोध्यम्।

अत एव यस्य पुरुषस्य घटपदस्य कस्मिन् पदार्थे शक्तिरस्ति एतादृशं ज्ञानं नास्ति तेन पुरुषेण श्रुतेऽपि घटशब्दे न तस्मिन् पुरुषे कम्बुग्रीवादिमतः पदार्थस्य ज्ञानं जायते। किञ्च येन पुरुषेण पूर्वं घटनिरूपिता शक्तिः गृहीता परमिदानीं विस्मृता स्यात् तस्यापि पुरुषस्य न बोधः। अतः तस्मिन् पुरुषे उद्बुद्धसंस्कारोऽप्यावश्यकः।

वृत्तिविशिष्टज्ञानस्यैव शाब्दबोधकारणत्वाद् 'गुडपदेन' गुडत्वप्रकारको गुडविशेष्यको बोधः। मधुरत्वं तु प्रामाणान्तरेण अनुमानेन प्रतीयते। गुडो मधुरः ऐक्षवत्वात्। यो य इक्षुविकारः स स मधुरः अयमपि तथा इति व्याप्तेः।

विशेष्यविशेषणभावव्यत्यासेन गृहीतशक्तिकस्य पुंसो घटपदाद् घटत्वविशिष्टघटबोधवारणाय तद्धर्मावच्छिन्न इति विशेषणम्।

वस्तुतस्तु 'सर्व वाक्यं क्रियया परिसमाप्यते' इति नियमात् क्रियामन्तरा कीदृशोऽपि निराकाङ्क्षः शाब्दबोधो भवितुं नार्हति अतः शाब्दबोधपदेन वाक्यबोध एव गृह्यते। वाक्ये भवन्त्यनेकानि पदानि, जायते च तेषां पारस्परिकोऽन्वयः। अतः शाब्दबोधस्य नामान्तरम् अन्वयबोधोऽप्यस्ति।

धातौ फलव्यापारयोः शक्तिः, आख्याते कर्तृकर्मणोः सङ्ख्याकालयोश्च शक्तिः। फलश्चात्र पारिभाषिकं विकिलत्यादिरूपम्, न तु यदुद्दिश्य क्रियायाप्रवृत्तिस्तत्फलम् इत्याख्यम्। व्यापारश्च क्रियारूपः। तदुक्तं भूषणसारे-फलजनकत्वेसतिधातुवाच्यत्वं व्यापारत्वम्। अयं च व्यापारः फूत्कारत्वाऽधः सन्तापनत्वयत्नत्वादितत्तद्रूपेण वाच्यः। पचतीत्यादौ तत्तत्प्रकारकबोधस्याऽनुभवसिद्धत्वात्।

व्यापाराश्रयः कर्ता, फलाश्रयः कर्म। फलव्यापारयोर्धातुलभ्यत्वेन आश्रयमात्रमाख्यातशक्यम् 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थ' इति नियमात्। आश्रयत्वं च शक्यतावच्छेदं तत्तच्छक्तिविशेषरूपमखण्डभूतम्।

कर्तृप्रत्ययविवक्षायां कर्ता व्यापारस्य विशेषणम्, कर्मप्रत्ययविवक्षायां कर्म फलस्य विशेषणम्, संख्या च यथाविवक्षं कर्तृकर्मणोः विशेषणम्। कालस्तु सर्वथा व्यापारस्यैव विशेषणम्। तदुक्तं वैयाकरण-भूषणसारे–

फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङः स्मृताः।
फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्।।इति।

प्राचीनवैयाकरणमते व्यापारः शाब्दबोधे मुख्यविशेष्यतां भजते। तथा च 'चैत्रस्तण्डुलं पचति' इत्यत्र कर्तृप्रत्ययस्थले तण्डुलाभिन्नाश्रयवृत्तिविक्लितिजनको वर्तमानकालिक एकत्व विशिष्टचैत्राभिन्नाश्रयवृत्तिर्व्यापार इति शाब्दबोधः।

'चैत्रेण तण्डुलः पच्यते' इत्यत्र कर्मप्रत्ययस्थलेऽपि एकत्वविशिष्टतण्डुलाभिन्नाश्रयवृत्तिजनको वर्तमानकालिक-एकत्वविशिष्टचैत्राभिन्नाश्रयवृत्तिव्यापार इति शाब्दबोधः जायते। 'भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि'' इति यास्कोक्तेः तिङन्तस्थले धात्वर्थस्यैव प्राधान्यम्। प्राचीनवैयाकरणमतेन कर्तृप्रत्ययस्थले कर्मप्रत्ययस्थले चोभयत्र धात्वर्थव्यापारस्य प्राधान्यम्, नव्यमते तु कर्मप्रत्ययस्थले धात्वर्थफलस्यैव प्राधान्यमिति विशेषः।

नव्यवैयाकरणास्तु 'सुप आत्मनः क्यच्' इति सूत्रभाष्यानुरोधेन धातोः फले व्यापारे च खण्डशः शक्तिस्वीकारेण विशेष्यविशेषणभावव्यत्यासेन शाब्दबोधे कर्तृप्रत्ययस्थले व्यापारस्य कर्मप्रत्ययस्थले च फलस्य प्राधान्यं स्वीकुर्वते। तथा च 'चैत्रेण तण्डुलः पच्यते' इत्यत्र एकत्वविशिष्टचैत्राभिन्नाश्रयवृत्ति-वर्तमानकालिकव्यापारजन्या-एकत्वविशिष्टतण्डुलाभिन्नाश्रयवृत्तिविक्लितिः इत्यादिरीत्या फलविशेष्यको बोधः।

अत्र नैयायिकाः – फलव्यापारौ धात्वर्थौ कृतिराख्यातार्थः। व्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वेन आख्यातस्य शक्तिस्वीकारेण अनन्तानां व्यापाराणां शक्यतावच्छेदकत्वम् इति गौरवम्। अतो लाघवात् यत्नत्वजातेरेव शक्यतावच्छेदकत्वं स्वीकार्यम्। किञ्च 'पचति' इत्यादौ 'पाकं करोति' इति विवरणेन पचधातुप्रतिपाद्यस्य पाकशब्देनाख्यातप्रतिपाद्यस्य यत्नार्थकेन करोतिना विवरणेन विक्रियमाणस्याप्याख्यातस्य यत्नार्थकत्वमावश्यकत्वम्। कर्तारं विना यत्नस्याभावात् समभिव्याहृतप्रथमान्तपदेन कर्तुः आक्षेपाद् अनन्यलभ्ययत्न एव शक्तिः। प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम् इति न्यायानुरोधेन प्रत्ययार्थे यत्ने प्रकृत्यर्थो व्यापारो विशेषणम्। प्रत्ययार्थो यत्नः संख्या च। आक्षेपादिलभ्ये प्रथमान्तार्थे कर्तृप्रत्ययस्थले कर्तरि विशेषणं कर्मप्रत्ययस्थले च कर्मणि विशेषणम्। तथा च 'चैत्रस्तण्डुलं पचति' इत्यादिवाक्यतः तण्डुलनिरूपिताधेयतावद्विक्लित्यनुकूलयत्नवानेकत्वविशिष्टश्चैत्रः इति प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यक ,एव बोध इत्याहुः। नैयायिकरीत्या प्रथमान्तमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधस्वीकारे 'पश्य मृगो धावति' इत्यादौ धावनाश्रयो यो मृगस्तत्कर्तृकं दर्शनमिति बोधे मृगस्य कर्मत्वात् ततो द्वितीयापत्तौ, मृगो धावति मृगं पश्य इत्येवं वाक्यद्वयापत्तिः स्यात्। परं वैयाकरणानुसारं पश्य मृगोधावति इति वाक्यस्य उत्कटधावनप्रतिपादनेच्छया शाब्दबोधे व्यापारस्य प्राधान्यत्वस्वीकारे मृगकर्तृकं यद्दर्शनं तत्कर्मकं दर्शनमित्येकवाक्यं भवति। यद्यपि अत्र धावनस्य दर्शनकर्मत्वं वर्तते तथापि तद्वाचकस्य धातोः सत्वात् ततश्च सुबादीनामभावान्न भवति द्वितीया।

एवं नैयायिकरीत्या आख्यातस्य कृतित्ववाचकत्वमपि न युक्तम् कृतिर्यत्नः। तस्य धातुनैव लभ्यत्वात् पुनः तिङस्तदंशे शक्तिकल्पने गौरवम् 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः' इति न्यायात्।

मीमांसकास्तु फलं मात्रं धात्वर्थः, आख्यातार्थो भावना। बहूनां धातूनां व्यापारे शक्तिकल्पनापेक्षयाऽल्पानां तिबादिप्रत्ययानां तत्र शक्तिकल्पने लाघवम्। किञ्च पचतीत्यस्य पाकं करोति इति विवरणात् फलं धातोः अर्थ इति, आख्यातस्य भावनार्थककृधातुना विवरणाच्च प्रत्ययस्यैव व्यापारार्थकत्वं युक्तम्। विव्रियमाणविवरणयोः समानार्थकस्य क्लृप्तत्वात् भावना च भवितुर्भवनानुकूलभावकव्यापारविशेषः स्यन्दयत्नसाधारणः। कृदर्थकर्त्त्राऽऽक्षिप्तभावना शाब्दबोधे भासते। तेन पचतीत्यत्र एकाश्रयिका वर्तमानकालिकी विक्लित्यनुकूला भावना इति, चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यत्र चैत्रकर्तृवृत्त्येकण्डुला भिन्नयिका या विक्लितिस्तदनुकूला भावनेति च शाब्दबोधो भवति।

शाब्दबोधे एकपदार्थेऽपरपदार्थस्य यः संसर्गः तस्य भानेऽपि मतद्वयम्-संसर्गतावादी प्रकारतावादी च। संसर्गतावादिनां मतेन शाब्दबोधे एकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः, संसर्गमर्यादया भासते इति सिद्धान्तः। न्यायशास्त्रे संसर्गमर्यादापदम् आकांक्षार्थे रूढम्। तेन एकपदार्थानुयोगितानिरूपकः अपरपदार्थनिष्ठप्रतियोगितानिरूपकः संसर्गः आकाङ्क्षाबलेन भासते इत्यर्थः। यस्य पदार्थस्य कुत्रापि अन्वयः स प्रतियोगी कथ्यते, यत्र च तस्यान्वयः स अनुयोगी कथ्यते। किञ्च यस्य अन्वयो जातः स

विशेषणम् यत्रान्वयः स विशेष्य इत्यपि व्यवहारः। एवं विशेषणे विशेषणता सन्धीया प्रतियोगिता तिष्ठति, विशेष्ये च विशेष्यता सम्बन्धीया अनुयोगिता तिष्ठति। इमाः प्रतियोगिता अनुयोगिताविशेष्यतादयो विषयतापदेनोच्यते। तत्र येन सम्बन्धेन विशेषणता भवति सैव सम्बन्धः। तथापि विशेषणनिष्ठोधर्मश्च तत्र वर्तमानाया विशेषणताया अवच्छेदको भवति, विशेषणतापि तत्सम्बन्धावच्छिन्नो तद्धर्मावच्छिन्ना चोच्यते। एषैव गतिः सर्वासां विषयतानां भवति संसर्गतावादिनां मते यस्य पदार्थस्य येन पदार्थेन सह यादृशान्वयस्य भवत्याकाङ्क्षा तादृशः सम्बन्धस्तत्राकाङ्क्षाबोधविषयो भवति तत्र च नास्ति कस्यापि तदस्य शक्तिः। मुखं चन्द्रः इत्यादौ मुखचन्द्रयोरभेदस्यैव आकाङ्क्षेति तत्र भासते अभेदः। राज्ञः पुरुषः इत्यादौ भेदस्यैवाकाङ्क्षा तत्र भेदो भासते मतमिदं संसर्गतावादपदेन उच्यते।

प्रकारतावादिनस्तु समानविभक्तिस्थले अभेद एव विशेषणविभक्तेरर्थः। विरुद्धविभक्तिस्थले राज्ञः पुरुषः इत्यादौ अभेदातिरिक्तः स्वत्वाधेयत्वादिकः सम्बन्धो विशेषणविभक्त्यर्थो भवति। स च सम्बन्धः प्रकृत्यर्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यताश्रयोऽपि स्वोत्तरनामार्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारताश्रयोऽपि भवतीति प्रकारतावादपदेनोच्यते।

नीलो घटः इत्यत्र नील पदार्थस्य अभेदसम्बन्धेन घटपदार्थे अन्वयः इति नीले विशेषणताख्या विषयता, घटे विशेष्यताख्या विषयता सम्बन्धश्च तयोरभेदः इति अभेदसम्बन्धावच्छिन्ननीलत्वावच्छिन्न-प्रकारतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नविशेष्यताकः शाब्दबोधः जायते।

एवं 'मुखं चन्द्रः' इत्यत्र चन्द्रपदस्य चन्द्रसादृश्ये लक्षणां विधाय तस्य मुखेन सहाभेदान्वये अभेदसम्बन्धावच्छिन्नचन्द्रसदृशत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितमुखत्वावच्छिन्नविशेष्यताकः शाब्दबोधः। यत्र द्वयोः पदयोः भिन्नविभक्तिकत्वं तत्र जायते भेदान्वयः यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजपदार्थस्य स्वत्वसम्बन्धो न पुरुषेऽन्वये कृते स्वत्वसम्बन्धावच्छिन्नराजत्वावच्छिन्नराजनिष्ठप्रकारतानिरूपितपुरुषत्वा-वच्छिन्नविशेष्यताकः शब्दबोधः।

शाब्दबोधे वृत्तिविशिष्टज्ञानस्य कारणं भवतीति प्रतिपादितमेव। शाब्दबोधे सहकारिकारणान्यप्यपेक्ष्यन्ते। तदुक्तं मुक्तावल्याम्–

आसक्तियोग्यताकाङ्क्षातात्पर्यज्ञानमिष्यते कारणम् इति। मञ्जूषादौ आकाङ्क्षा-योग्यतासक्तितात्पर्याणीति क्रमः।

आचार्यः, व्याकरणविभागः
रा.सं.सं., जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

अथ प्रामाण्यवादः

डॉ. विष्णुकान्तपाण्डेयः

प्रमाऽप्रमापदार्थः- यथार्थज्ञानं प्रमा भवति।[१] अर्थात् येन प्रकारेण यः पदार्थस्तस्य तेनैव प्रकारेण ग्रहणं प्रमा भवति। तथा च तद्भिन्नरूपेण ग्रहणमयथार्थज्ञानमप्रमा भवति। यथा- घटस्य घटरूपेण ज्ञानं प्रमा। रज्जोः रज्जुरूपेण ज्ञानं प्रमा। रज्जोः सर्परूपेण ज्ञानमप्रमा भवति। प्रमैव ज्ञानपदेन उपलब्धिपदेन च व्यवह्रियते।

प्रमाणपदार्थः- प्रोपसर्गपूर्वक-माधातोः 'करणाधिकरणयोश्च'[२] इति सूत्रेण ल्युट्प्रत्यये प्रमाण-शब्दो निष्पद्यते। अनया व्युत्पत्त्या ज्ञायते यत् प्रमायाः करणं प्रमाणमुच्यते। प्रत्यक्षादिभेदेन तद्धि नैकविधं भवति।

तथा हि -

१. **चार्वाकः** - केवलं प्रत्यक्षप्रमाणमेव मनुते।

२. **बौद्धः वैशेषिकश्च** - प्रत्यक्षम् अनुमानं च मन्येते।

३. **सांख्ययोगौ** - त्रीणि प्रमाणानि (प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दश्च) स्वीकुरुतः

४. **नैयायिकः** - प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं शब्दश्चेति चत्वारि प्रमाणानि स्वीकरोति।

५. **प्रभाकरः** - प्रत्यक्षादीनि चत्वारि तथा च अर्थापत्तिं पञ्चममाश्रित्य पञ्च प्रमाणानि स्वीकरोति।

६. **कुमारिलभट्टः वेदान्ती च** - प्रत्यक्षादीनि चत्वारि तथा अर्थापत्तिं पञ्चमम्, अभावं च षष्ठमाश्रित्य षट् प्रमाणानि स्वीकुरुतः।

प्रामाण्यम् - जलादेः ज्ञाने सति तस्य प्रामाण्यमवधार्य (प्रामाणिकतामवधार्य) कश्चिज्जलादौ प्रवर्तते। अर्थात् पूर्वमेव स्वकीयजलादिज्ञानस्य प्रामाण्यं (प्रामाणिकतां) निर्धार्य - (मत्वा) जलादौ प्रवर्तते।

कश्चित्तु सन्देहादेव प्रवृत्तः प्रवृत्त्युत्तरकाले जलादेः प्राप्तेरनन्तरं तस्य प्रामाण्यमवधारयति। अर्थात् पूर्वं प्रामाण्यज्ञानं नासीत्। प्राप्तेरनन्तरं प्रामाण्यज्ञानमभूदिति वस्तुस्थितिः। तच्च प्रामाण्यं द्विविधं भवति।

१. स्वतः प्रामाण्यम्[३] २. परतः प्रामाण्यम् च।[४]

१. स्वतः प्रामाण्यम् - मीमांसकमतमिदमस्ति। मीमांसकस्य मते ज्ञानस्य प्रामाण्यं सर्वदा स्वतो भवति। अप्रामाण्यञ्च परतो भवति। ज्ञानं तथा तद्गतं प्रामाण्यमित्युभयोर्ग्रहणं यत्र एकेनैव गृह्यते तत्र स्वतः प्रामाण्यं भवति। अर्थात् येनैव यज्ज्ञानं गृह्यते तेनैव तद्गतं प्रामाण्यमपि, न तु ज्ञानधर्मस्य प्रामाण्यस्य

प्रामाण्यस्येति स्पष्टमेव ज्ञानग्राहकादन्यद् ग्राहकं भवति। एतेन ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेक्षत्वमेव स्वतस्त्वं[5] प्रामाण्यस्येति स्पष्टमेव

ज्ञातता[6] - मीमांसकाः ज्ञाततामाश्रित्यैव प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं साधयन्ति। 'अयं घटः' इत्यस्मिन् ज्ञा घटो विषयोऽस्ति। इत्थं स्पष्टं 'यदयं घटः' इति ज्ञानस्य विषयः घटोऽस्ति। को ज्ञात इति प्रश्नस्योत्त भवति घटो ज्ञातः। एवं यथा मानवे मानवता भवति। विषये विषयता भवति। जडे जडता भवति। तथै ज्ञाते ज्ञातता भवति। एवम् 'अयं घटः' इति ज्ञाने विषयः घटोऽस्ति अतो विषयता घटे वर्तते। ज्ञात घटोऽस्ति अतः ज्ञातताऽपि घटे वर्तते। इत्थं स्पष्टं यद् 'अयं घटः' इति ज्ञानेन घटे ज्ञाततारूप एको धा उत्पद्यते। अयं च ज्ञाततारूपो धर्मः 'अयं घटः' इति ज्ञानात्पूर्वं नासीत्। स च ज्ञाततारूपो धर्मः 'अ घटः' इति ज्ञानात्परो जातः। एवम् 'अयं घटः' इति ज्ञानं ज्ञातताधर्मस्य जनकं कारणमस्ति। ज्ञातताधर्मश्च जन्यः = कार्यमस्ति।

ज्ञातताधर्मस्य प्रतीतिः 'ज्ञातो मया घटः' इति ज्ञानेन अथवा 'घटमहं जानामि' इति ज्ञानेन व भवति। अयं भावः - 'अयं घटः' इति ज्ञानानन्तरं ज्ञातो मया घटः, घटमहं जानामि वेति ज्ञानमुत्पद्यते अत्र ज्ञानद्वयमस्ति। एकम् 'अयं घट' इति ज्ञानम्, द्वितीयं च ज्ञातो मया घटः, घटमहं जानामि इति ज्ञानम्। अत्र 'अयं घटः' इति ज्ञानं कारणज्ञानमस्ति। ज्ञातो मया घटः 'घटमहं जानामि' इति ज्ञान कार्यज्ञानमस्ति। कार्यज्ञाने घटो ज्ञातः। अतः घटे ज्ञातताधर्मः प्रतीयते। एवं स्पष्टं यत् ज्ञातता धर्मस्य प्रतीतिः 'ज्ञातो मया घटः' इति ज्ञानेन 'घटमहं जानामि' इति ज्ञानेन वा भवति।

अर्थापत्तिः[7] – अनुपपद्यमानार्थं = अनुपन्नार्थं दृष्ट्वा तदुपपादकीभूतार्थस्य कल्पनम् अर्थापत्तिर्भवति। यथा - पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते इति दृष्टे श्रुते वा रात्रिभोजनं कल्प्यते। यो हि दिवा न भुङ्क्ते तस्य पीनत्वं रात्रिभोजनं विना नोपपद्यतेऽतः पीनत्वाऽन्यथानुपपत्तिप्रसूताऽर्थापत्तिरेव रात्रिभोजने प्रमाणम्।

यथा पीनत्वस्य अन्यथा = अन्येन प्रकारेण अनुपपत्तिरस्ति = असिद्धिर्भवति = सिद्धिर्न भवति। अतः पीनत्वस्य अन्यथाऽसिद्ध्या एव रात्रिभोजनमाक्षिप्यते। एवं पीनत्वाऽन्यथानुपपत्त्या प्रसूता = उत्पन्ना अर्थापत्तिरेव रात्रिभोजने प्रमाणम्। अर्थात् अर्थापत्त्या एव रात्रिभोजनं गम्यते। तेन पीनत्वस्योपपत्तिर्जायते।

एवं प्रकृते ज्ञाततायाः ('ज्ञातो मया घटः' इति कार्यज्ञानस्य) अन्यथा ('अयं घटः' इति कारणज्ञानं विना) अनुपपत्त्या प्रसूता = उत्पन्ना अर्थापत्तिरेव 'अयं घटः' इति ज्ञाने तद्गतप्रामाण्ये च प्रमाणम्। अर्थात् अर्थापत्त्या एव ज्ञानस्य तद्गतप्रामाण्यस्य च ग्रहणं भवति। अत एव मीमांसका वदन्ति ज्ञातताऽन्यथानुपपत्तिप्रसूतयाऽर्थापत्त्या ज्ञानं तद्गतं प्रामाण्यं च गृह्यते। इत्थं स्पष्टं यत् येनैव यज्ज्ञानं गृह्यते तेनैव तद्गतं प्रामाण्यमपि, न तु ज्ञानग्राहकादन्यज्ज्ञानधर्मस्य प्रामाण्यस्य ग्राहकम्। एतेन ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेक्षत्वमेव स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य भवति। अर्थापत्त्या एव ज्ञानं तद्गतं प्रामाण्यं गृह्यते इति भावः। मीमांसकाः ज्ञातताधमाश्रित्य स्वतः प्रामाण्यं साधयन्ति।

ज्ञातताधर्मस्य का आवश्यकता[9]– 'अयं घटः' इति ज्ञानस्य विषयः घटो भवति, न तु पटः। कथमस्य ज्ञानस्य विषयः पटो नास्तीति जिज्ञासायां नैयायिकाः तदुत्पत्तिसिद्धान्तमाश्रित्य समादधते। अयं भावः-ज्ञानं प्रति विषयोऽपि कारणं भवति। 'अयं घटः' इति ज्ञानं घटेन जन्यते, न तु पटेन। अतः 'अयं घटः' इति ज्ञानस्य विषयः घटो भवति न तु पटः इति नैयायिकाः वदन्ति। अयमेव तदुत्पत्तिसिद्धान्तः।" किन्तु अस्मिन् नैयायिकमतेऽयं दोषो भवति यत् घटज्ञानं प्रति यथा घटरूपविषयः कारणं भवति, तथैव आलोकोऽपि कारणं भवति। घटेन जन्यत्वात्यथा घटज्ञानस्य विषयः घटो भवति, तथा आलोकेनापि घटज्ञानं जन्यते। अतः घटज्ञानस्य विषयः आलोकोऽपि स्यात्। परन्तु न कोऽपि घटज्ञानस्य विषयत्वेन आलोकं स्वीकरोति। अतस्तदुत्पत्तिसिद्धान्तमाश्रित्य विषयनियमस्योपपादनं भवितुं न शक्यते।

अतः विषयनियमस्योपपादनं ज्ञातताधर्मेणैव भवितुं शक्यत इति मीमांसको वदति। अयं भावः- 'अयं घटः' इति ज्ञानेन 'ज्ञातो मया घटः' ज्ञानस्य प्रतीतिर्भवतीति पूर्वमेव मया प्रतिपादितम्। एवं घटज्ञानेन ('अयं घटः' इति ज्ञानेन) घटे ज्ञातारूपः कश्चन धर्मः प्रतीयते। स च ज्ञातता धर्मः घटे एवास्ति न तु पटे अत एव घटज्ञानस्य विषयो घट एव भवति, न तु पटः इति मीमांसको वदति। इत्थं स्पष्टं यत् ज्ञाततामाश्रित्यैव विषयनियमस्योपपादनं भवितुमर्हति। एवं विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्तिरेव ज्ञातताधर्मं प्रकल्पयति। तथा च ज्ञातता स्वकारणज्ञानम् ('अयं घटः' इति ज्ञानम्) अर्थापत्त्या एव (ज्ञातान्यथानुपपत्तिप्रसूतया अर्थापत्त्या एव) प्रकल्पयति। एवम् अर्थापत्त्यैव ज्ञानं तद्गतं प्रामाण्यं च गृह्यत इति मीमांसकस्य स्वतः प्रामाण्यवादः। मीमासकोऽप्रामाण्यं परत एव स्वीकरोति।

(२) परतः प्रामाण्यवादः[10]– नैयायिकमतमिदमस्ति। नैयायिकस्य मते ज्ञानस्य प्रामाण्यम् अप्रामाण्यञ्च सर्वदा परतो भवति। ज्ञानग्राहकातिरिक्तापेक्षत्वं परतस्त्वम्। ज्ञानं पृथक् सामाग्रीद्वारा ज्ञानस्य प्रामाण्यं च पृथक् सामग्रीद्वारा यत्र गृह्यते, तत्र परतः प्रामाण्यं भवति। नैयायिकस्य मते ज्ञानस्य ग्रहणम् अनुव्यवसायेन[11] भवति । ज्ञानस्य प्रामाण्यञ्च सफलप्रवृत्त्या भवति अर्थात् प्रवृत्तिसाफल्यमूलकानुमानेन भवति। अप्रामाण्यञ्च वैफल्यमूलकानुमानेन भवति।

अयं भावः- पूर्वं प्रमाणैः जलादिज्ञानं भवति। तदनन्तरं तस्य=जलादेः ग्रहणार्थं मनुष्याणां प्रवृत्तिर्भवति। प्रवृत्तिर्यदि सफला भवति (जलादेरुपलब्धिर्भवति) तर्हि ज्ञानस्य प्रामाण्यं भवति। यदि प्रवृत्तिर्विफला भवति (जलादेरुपलब्धिर्नभवति) तर्हि अप्रामाण्यं भवति। इत्थं स्पष्टं यत् सफलप्रवृत्त्या विफलप्रवृत्त्या ज्ञानस्य प्रामाण्यमप्रामाण्यं च भवति। अत्र प्रवृत्तिसाफल्यमूलकानुमानं प्रवृत्तिवैफल्यमूलकानुमानञ्च इत्थम्-

इदं मे जलज्ञानं प्रमाणं सफलप्रवृत्तिजनकत्वात् ।[12]

इदं मे जलज्ञानम् अप्रमाणं विफलप्रवृत्तिजनकत्वात्।

एवं नैयायिकमते प्रामाण्याप्रामाण्ययोर्ग्रहणं प्रवृत्तिसाफल्यमूलकानुमानेन प्रवृत्तिवैफल्यमूलकानुमानेन

भवति। किन्तु ज्ञानस्य ग्रहणम् अनुव्यवसायेन भवति। ज्ञानस्य ज्ञानम् अनुव्यवसायः। 'अयं घटः' इति ज्ञानं घटेन उत्पद्यते। अतोऽस्य ज्ञानस्य विषयः घटो भवति। इदं प्रथमं ज्ञानं ('अयं घटः' इति ज्ञानं) व्यवसायात्मकं ज्ञानं भवति। 'अयं घटः' इति व्यवसायात्मकज्ञानेन घटज्ञानवानहमिति ज्ञानं, घटमहं जानामि इति ज्ञानं वा जायते। अस्य द्वितीयज्ञानस्य विषयः घटो न भवति, अपितु घटज्ञानं भवति। इदमेव ज्ञानविषयकं ज्ञानम् अनुव्यवसायो भवति। अनेन अनुव्यवसायेन ज्ञानस्य ग्रहणं भवति। अर्थात् घटज्ञानवानहमिति ज्ञानेन घटमहं जानामीति ज्ञानेन वा 'अयं घटः' इति ज्ञानं गृह्यते। इत्थं स्पष्टं यत् नैयायिकस्य मते ज्ञानस्य ग्रहणम् अनुव्यवसायेन भवति। तथा ज्ञानगतस्य प्रामाण्यस्य च ग्रहणं प्रवृत्तिसाफल्यमूलकानुमानेन भवति अर्थात् पृथक् सामग्र्या ज्ञानस्य ग्रहणं पृथक् सामग्र्या च प्रामाण्यस्य ग्रहणमित्येव परतः प्रामाण्यं भवति।

मीमांसकस्य ज्ञातताया उत्पत्तिः 'अयं घटः' इति ज्ञानेन भवति। नैयायिकस्य अनुव्यवसायस्य चोत्पत्तिरपि 'अयं घटः' इति ज्ञानेन भवति। तयोर्मध्ये अयं भेदोऽस्ति यत् मीमांसकस्य ज्ञाततारूपो धर्मः घटे (विषये) भवति। नैयायिकस्य अनुव्यवसायश्च घटे न भवति किन्तु आत्मवृत्तिधर्मोऽस्ति।

मीमांसकः 'अयं घटः' इति ज्ञानस्य विषयः आलोकादिर्माभूदित्येतदर्थं (विषयविषयिभावोत्पादनार्थं) ज्ञाततां स्वीकरोति। नैयायिकस्य मते तु विषयविषयिभावः स्वाभाविकोऽस्ति। अर्थात् अर्थज्ञानयोरेतादृश एव स्वाभाविको विशेषो येन अनयोर्विषयविषयिभावः इति दिक्।

शोधसूची

१. तर्कसंग्रहे लक्षणमिदम् । तर्कभाषायां तु यथार्थानुभवः प्रमा।
२. पा०सू० ३-३-११७
३-६. तर्कभाषायां प्रामाण्यनिरूपणप्रसङ्गे
७. तर्कभाषायाम् अर्थापत्तिप्रमाणनिरूपणप्रसङ्गे
८-१०. तर्कभाषायाम् प्रामाण्यनिरूपणप्रसङ्गे
११. तर्कभाषायाम् न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां च
१२. तर्कभाषायाम् प्रामाण्यनिरूपणप्रसङ्गे

सन्दर्भग्रन्थः

१. तर्कभाषा

सहायकग्रन्थाः

१. तर्कसंग्रहः २. तर्कभाषा ३. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली

सहाचार्यः, व्याकरणविभागः, रा.सं.सं., जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

शाब्दबोधशिक्षणम्

डॉ. कुलदीपशर्मा

शब्दात् जातः इति शाब्दः। शब्दजन्यः इत्यर्थः। बोधो नाम ज्ञानम्। शब्दश्चासौ बोधश्च शाब्दबोधः। शब्दजन्यम् अर्थज्ञानम् इत्यर्थः। अत्र शब्दपदेन वाक्यं गृह्यते । वाक्यं नाम परस्परसाकाङ्क्षः क्रियान्वितः पदसमूहः। आकाङ्क्षा नाम एकपदार्थज्ञाने जाते अस्य अन्वयार्थः कः? इत्येवंरूपा जिज्ञासा। यथा कुम्भकारः घटम् आनयति इत्येकं वाक्यम्। अत्र कुम्भकारः इत्युक्तौ सः किं करोति? इति जिज्ञासा भवति । सा च आनयति इति क्रियापदेन निवर्तते। पुनश्च कम् आनयति? इत्याकाङ्क्षा घटम् इत्यनेन पूर्यते। एवम् घटम् इत्युक्तौ आनयति इत्युक्तौ च अन्यार्थयोराकाङ्क्षा जायते। यत्र जलम् इत्येकं पदं प्रयुज्यते तत्रापि देहि त्वम् इति अध्याहारः। अत एव पदसमूह एव वाक्यमित्युक्तम्। यत्र पचत इत्येकं पदं तत्र भोजनम् इति अध्याहारः। अत एव पदसमूहो वाक्यमित्युक्तम्। एवञ्च शाब्दबोधो नाम वाक्यार्थज्ञानमित्युक्तं भवति। परस्परं विशेष्यविशेषणभावमापन्नाः पदार्थाः शाब्दबोधे गोचरीभवन्ति।

शाब्दबोधस्य सहकारिकारणानि

शाब्दबोधे पदज्ञानमेव प्रमुखं कारणं स्वीक्रियते। यथोक्तं न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्लयाम् -

पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः।
शाब्द बोधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी।। श्लोकसंख्या 81

तत्र चत्वारि सहकारिकारणानि आकाङ्क्षा, योग्यता, आसत्ति, तात्पर्यमित्येतानि भवन्ति। आकाङ्क्षा अर्थात् अर्थान्तरजिज्ञासा वाक्यसमयग्राहिका वेति। योग्यता नाम परस्परान्वयप्रयोजकधर्मः। आसत्तिस्तु प्रकृतान्वयबोधानुकूलव्यवधानमिति सन्निधानाशयेन। तात्पर्यं तावत् एतत् वाक्यं पदं वा एतदर्थबोधकभावनयोक्तमिति प्रयोक्तुरिच्छा।

शाब्दबोधे क्रिया

वाक्ये तावत् क्रियायाः भवति किमपि विशिष्टं स्थानम्। क्रियां विना तदध्याहारं वा विना वाक्यार्थस्य उपस्थितिः नैव भवति। अत एव निरुक्तकारेणावोचि भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानीति। पचति इत्यत्र फूत्कारत्वादिसर्वव्यापारः धातोरेव अर्थे समाहितो भवति। यथोक्तं भूषणसारे-

गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनाम्।
बुद्ध्या प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते।।
व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया।
साध्यत्वेनाभिधीयमानो व्यापारविशेषः क्रिया

ननु कस्तावच्छाब्दबोध इति पदार्थ इत्युच्यते सारल्येन -
एकपदार्थे परपदार्थविषयकं ज्ञानं शाब्दबोधः। तत्र वैयाकरणानां मते अष्टप्रकारका: स्फोटा: स्वीक्रियन्ते

1. वर्णस्फोट:
2. पदस्फोट:
3. वाक्यस्फोट:
4. अखण्डपदस्फोट:
5. अखण्डवाक्यस्फोट:
6. वर्णजातिस्फोट:
7. पदजातिस्फोट:
8. वाक्यजातिस्फोट:

एतेषु स्फोटेषु वाक्यस्फोटो मुख्य:, तस्यैवार्थबोधकत्वाल्लोके तेनैवार्थसमाप्तेश्च । यद्यपि वाक्यस्फोटो मुख्यः वाक्येनैवार्थपरिसमाप्तिर्भवति तेनैवाकांक्षानिवृत्तेश्च तथापि प्रतिवाक्यं सङ्केतग्रहोऽसम्भवः तथा वाक्यस्य अन्वाख्यानं लघुना उपायेन कर्तुम् असौकर्यं वर्तते अतः वाक्ये पदानि विभज्य पदेष्वपि प्रकृतिप्रत्ययौ प्रविभज्य तत्तत्प्रकृतिप्रत्ययानाम् अर्थावबोधनद्वारा एव वाक्यस्यापि अर्थावबोधो जायते। मीमांसकाः वैयाकरणाश्च शाब्दबोधे आख्यातार्थस्य प्राधान्यमामन्वाते गौतमीयाश्च प्रथमान्तार्थस्य। शाब्दबोधस्येयं वार्ता अस्माभिः श्रीमता आचार्यकौण्डभट्टेन विरचितस्य वैयाकरणभूषणसार इति ग्रन्थस्य धात्वर्थप्रकरणस्य प्रथमकारिकाम् आश्रित्य प्रारभणीया। तत्राचार्येण लिखितम् -

फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङः स्मृताः।
फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम् ॥

1. धात्वर्थ:- फलव्यापारयोर्धातु:-

फलस्य व्यापारस्य च वाचकः धातुरिति भवति अर्थात् धातुना फलव्यापारावुच्येते ।

2. आख्यातार्थ:(तिङर्थ:) - आश्रये तु तिङः स्मृता:

फलाश्रयस्य (कर्मणः) तथा व्यापाराश्रयस्य (कर्तुः) वाचकाः तिङ्प्रत्यया भवन्ति अर्थात् तिङ्प्रत्ययैः कर्ता कर्म चोच्येते ।

3. शाब्दबोध:- फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् ।

फलं प्रति व्यापारस्य प्राधान्यं भवति अर्थात् धातोर्यद्यपि फलव्यापारौ वाच्यौ भवतस्तथापि व्यापारांशस्य प्राधान्यात् स प्रधानः। फलांशस्तत्र (व्यापारांशे) विशेषणमेव । तिङर्थाः (कर्तृ-कर्म-संख्या-कालाः) अपि तत्र विशेषणमेव ।

एवं रीत्या देवदत्तः ओदनं पचति इति वाक्येपचति इति पदे पच् ति इति प्रकृतिप्रत्ययौ स्तः। तत्र पच् इति प्रकृत्याम् विक्लतिः इति फलरुपः अधिश्रयणादिरुपो व्यापारश्च सन्निविष्टौ स्तः । एवं पच्

इत्यस्यार्थो भवति विक्लतिजनको व्यापारः।विक्लितेराश्रयात् ओदन इत्यस्य कर्मसंज्ञा तथा अधिश्रयणादिव्यापाराश्रयत्वात् देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा भवति । प्रत्ययभूतस्य ति इत्यस्यार्था सन्ति कर्तृ-कर्म-एकत्वद्वित्वबहुत्वादिसंख्या-भूतवर्तमानभविष्यत्कालाः। अत्र आख्यातार्थभूते कर्तरि देवदत्तोऽभेदसंसर्गेण आख्यातार्था संख्या च समवायसम्बन्धेन अन्वितः । आख्यातार्थभूतः कर्ता कर्तृत्वसम्बन्धेन आख्यातार्थः कालः स्वरूपसम्बन्धेन तथा ओदननिष्ठा विक्लितिः जनकत्वसम्बन्धेन व्यापारे विशेषणानि भवन्ति । संख्या कर्तृप्रत्यये कर्तरि कर्मप्रत्यये च कर्मणि विशेषणत्वेन अन्वितो भवति । कालश्च विशेषणत्वेन व्यापारे अन्वितो भवति ।

वैयाकरणास्तु धात्वर्थमुख्यविशेष्यकं शाब्दबोधम् उररीकुर्वन्ति ।

1. **देवदत्तः-देवदत्ताभिन्नैककर्तृकः**
2. **ओदनम् - ओदनकर्मकः**
3. **पचति- वर्तमानकालिकः विक्लितिजनकः व्यापारः ।**

प्राचीनाः फलविशिष्टव्यापारम् धात्वर्थमामन्वते अतस्तेषां नये कर्तृवाच्यं स्याद् वा कर्मवाच्यं उभयत्र प्राधान्यं व्यापारस्यैव । अत एव व्यापारमुख्यविशेष्यकशाब्दबोध एषां मते भवति ।

नव्याः वैयाकरणास्तु धातोः फले व्यापारे च खण्डशः शक्तिं स्वीकुर्वते । अतस्तेषां मते कर्तृवाच्यभूतायां क्रियायां व्यापारमुख्यविशेष्यको बोधः कर्मवाच्यभूतायां क्रियायां च फलमुख्यविशेष्यको बोधः भवति । तेन देवदत्तः ओदनं पचति - देवदत्ताभिन्नैककर्तृकः ओदनकर्मकः वर्तमानकालिकः विक्लत्यनुकूलो व्यापारः इति बोधस्तथा च देवदत्तेन ओदनः पच्यते इत्यत्र देवदत्तवृत्तिवर्तमानकालिकव्यापारजन्या ओदननिष्ठा विक्लितिः इति बोधश्च जायते ।

गौतमीयास्तत्रैवम् -

– धात्वर्थः- फलव्यापारौ

– आख्यातार्थः- कृतिः (यत्नः)

– शाब्दबोधः- प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः।

तेषाम्मते विक्लितिरूपं यत् फलं तदाश्रयत्वेन ओदने वर्तते । तदोदननिष्ठायाः विक्लितेर्जनको यो व्यापारः कृतिजन्यः । सा च कृतिः आश्रयत्वेन देवदत्तेन अन्वेति । एवं रीत्या देवदत्तः ओदनं पचति इति वाक्यस्य शाब्दबोध एवं जायते -

– ओदनकर्मक विक्लियत्यनुकूलव्यापारानुकूलकृतिमान् देवदत्तः

अत्र ओदनकर्मिका या विक्लितिः सा अनुकूलत्वसम्बन्धेन व्यापारे तथा च व्यापारः अनुकूलत्वसम्बन्धेन कृतौ कृतिश्चाश्रयत्वसम्बन्धेन देवदत्ते अन्विता भवति ।

प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः इति नैयायिकाः। कर्तृत्वं नाम कृतिः। कृतिः नाम यत्नः, न तु व्यापारः। धातोः तु फलं व्यापाराश्च अर्थः। तिङर्थस्य कृतेः आश्रयतासम्बन्धेन प्रथमान्तार्थे अन्वयः।

चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्र तण्डुलनिष्ठविक्लित्त्यनुकूलव्यापारसहितकृत्याश्रयः चैत्रः इति शाब्दबोध आहुः। कर्मणि प्रयोगे तु तिङर्थः कर्मत्वम् । कर्मत्वञ्च फलाश्रयत्वम् । फलस्य धातुलभ्यत्वे आश्रयत्वमेव तिङर्थः इति पर्यवस्यति । चैत्रेण पच्यते ओदनः इत्य चैत्रनिष्ठकृतिजन्यव्यापारजन्यविक्लित्त्याश्रयः ओदनः इति बोधः।

मीमांसकास्तत्रैवम्

भावनाविशेष्यकः शाब्दबोधः इति मीमांसकाः ।

1. धात्वर्थः- फलमेव
2. आख्यातार्थः- व्यापारः
3. शाब्दबोधः- व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः

देवदत्तः ओदनं पचति - देवदत्ताभिन्नैककर्तृकः ओदनकर्मकः वर्तमानकालिकः विक्लित्त्यनुकूलः व्यापारः। यद्यपि व्यापारस्यविशेष्यता एतेषाम्मतेऽपि अस्ति तथापि स व्यापारः प्रत्ययार्थभूतोऽस्ति न धात्वर्थभूतः। एवं शाब्दबोधप्रसङ्गे एते व्यापारविशेष्यतायां वैयाकरणैः सह साम्यं धात्वर्थविषये वैषम्यमावहन्ति।

सन्दर्भग्रन्थाः

1. वैयाकरणभूषणसारः
2. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली
3. निरुक्तम्
4. वाक्यपदीयम्
5. प्रौढनिबन्धसौरभम्

सहायकाचार्यः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्,
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

समावेशात्मकशिक्षाखण्डः

सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया सखा।
शान्तिः पत्नी क्षमा पुत्रः षडेते मम बान्धवाः।।

Truth *(satya)* is my mother, intellectuality *(jñāna)* is my father, faith *(dharma)* is my brother, Mercy *(dayā)* is my friend, Peace *(śānti)* is my wife and Pardon *(kṣamā)* is my son.

समावेशात्मकशिक्षायाः क्रियान्वितिः सम्भावनाश्च द्विदिवसीया राष्ट्रियसङ्गोष्ठी

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि।।

(ऋग्वेदः 10/191/02)

सर्वेषां मानवानां भावनात्मकैक्यविधायकस्यास्य वैदिकसंदेशस्य सामान्यार्थमतिरिच्य काचिच्छैक्षिकाख्याऽपि वर्तते। तद्यथा सर्वेषां मनांसि एकरूपाणि विधातुं शिक्षामन्तरा नास्ति कश्चिदन्यः उपायः। अन्यदपि अवहितम् उन्नयथ पुनः (ऋग्वेदः, 10/137/1) अर्थात् हीनः जनः पुनरपि उन्नेतव्यः इत्यस्माकमाचार्याणां सन्देशः उन्नयनार्थं शिक्षामेव साधनत्वेन सूचयति। दैवविधानात् ज्ञानज्योतिसंधारणे कश्चित् कर्पूरबुद्धिः कश्चित् काष्ठबुद्धिः कश्चि कदलीबुद्धिः भवति, किन्तु; सर्वेषां कृते शिक्षाव्यवस्थायाः सुनिश्चयनमास्माकीना संस्कृतिः विशेषतो विदधाति। तत्र पञ्चतन्त्रेऽपि विशेषसाहाय्यानां बालानां कृते दातव्यशिक्षायाः विधिः रोचकतयोपस्थापितोऽस्ति। एवं हि शिक्षायां भेदभावं निरस्य प्रत्येकमपि जनस्य अधिकारस्य संस्कृतवाङ्मये समर्थनं सुतरामवलोक्यते। यथा–

सर्वे प्रत्तेरधिकारिणो मता, शक्ता अशक्ता पदयोर्जत्प्रभोः।
नापेक्ष्यते तत्र कुलं बलं न वा न चाऽपि कालो न च शुद्धताऽपि।।

(वैष्णवमताब्जभास्करः, 4/50)

साम्प्रतमपि प्रशस्तमेव यत् विशेषयोग्यजनाय शिक्षा विशिष्टविद्यालयेष्वेव सीमिता नास्ति, अपितु तेभ्यः 'समावेशात्मकशिक्षा'माध्यमेन सामान्यविद्यालयेष्वपि शिक्षा प्रकल्प्यते। समावेशात्मकशिक्षा मानवतावादीयदर्शने अन्त्योदयविचारे च आध्रियते। मानवतावादानुसारेण शिक्षा मानवस्य मूलाधिकारेषु परिण्यते। स्थानम्, जातिः, धर्मः, संस्कृतिः, लिङ्गम्, वर्णः, दिव्याङ्गता इत्यादीनामाधारे कीदृशोऽपि भेदभावो नाङ्गीकार्यः। तत्र 1989 इत्यस्मिन् युगाब्दे संयुक्तराष्ट्रसङ्घे 'बालानाम् अधिकारः' (The United Nations Convention on the Rights of the Child) विषयेऽस्मिन् सम्मेलनमजायत, यत्र विशेषतः अयमेव निष्कर्षो लब्धो यत् बालैः सह कीदृशोऽपि भेदभावः अमानवीयोऽस्ति।

भारतस्य संविधानेऽपि 15,41,45 इत्येतेषु त्रिषु अनुच्छेदेषु भेदभावेन विना सर्वेषां शिक्षायाः

प्रावधानं विहितमस्ति। 1995 मिते वर्षे निश्शक्तव्यक्ति-अधिनियमस्य (Person with Disabili Act) प्रावधानेन शिक्षायां विशेषजनानामपि समानोऽधिकारः समारब्धः। 2001 तमे व सर्वशिक्षाऽऽभियानस्यायोजनकाले सर्वविधबालकानां शिक्षायां चिन्तनं कुर्वता भारतीयशासने समावेशात्मकशिक्षायां तदीयशिक्षकेषु तदीयप्रशिक्षणे च मूर्तरूपेण कार्यं विधातुमधोलिखितनिश्च विहिताः–

सर्वेऽपि बालाः युवानश्च अधिगन्तुं प्रभवन्ति, किन्तु तेभ्यः आलम्बनं (Support) अपेक्ष्यते

सर्वेऽपि बालाः येन केनापि प्रकारेण भिद्यन्ते, अतः तेषाम् अधिगमसम्बद्धावश्यकताः अ भिद्यन्ते। सैषा भिन्नतैव अस्मदर्थं मूल्यवती वर्तते।

पाठ्यक्रमे सर्वेषां सहभागिता अपेक्ष्यते।

सर्वविधरूपेण अभिवृत्तिषु, व्यवहारेषु, शिक्षणविधिषु, पाठ्यक्रमे पर्यावरणे च परिवर्तनं स्यात्

व्यक्तिगतसामर्थ्यं परिवर्ध्य अधिगमकर्तॄणां सशक्तीकरणे अवधानं विधातव्यम्।

भारते समाजकल्याणविभागपक्षतः 1974 तमे युगाब्दे प्रवर्तिता विकलाङ्गबालकानां कृते एकीकृ योजना (Integrated education for disabled children) 1982-83 मिते वर्षे शिक्षाविभाग हस्तान्तरिता। एतस्याः योजनायाः स्थाने 2009-10 तमे वर्षे माध्यमिकस्त निश्शक्तजनसमावेशात्मकशिक्षायोजना (Inclusive Education of the Disabled at Secondar Stage) इत्येषा योजना समारब्धा। ततः 2013 तमे वर्षे सैषा योजना राष्ट्रियमाध्यमिकशिक्षाऽभिया (RMSA) अन्तर्भाविता।

सर्वास्वप्यासु योजनासु बालानामधिकारं दृष्टिगतं निधाय लोकतन्त्रीयभावना समावेशात्मकशिक्षायै महत्त्वमाचर्य मतं यत् कस्मिंश्चिदपि आधारे कीदृशमपि बालकं समाजस मुख्यधारातः पृथक्करणस्य प्रयासः पूर्णतः अन्यायासक्तोऽस्ति। बालानां स्वाभाविकविकासाय सामाजि पर्यावरणम् अत्यन्तम् आवश्यकमस्ति, यत्र ते सामाजिकान्तःक्रियां विधाय आत्मनः पूर्णसामाजिकविका कृत्वा आत्मानं हीनभावेभ्यो वारयेयुः।

समावेशात्मकशिक्षायाः स्पष्टीकरणावसरे 2009 तमे वर्षे Policy Guidelines on Inclusion in Education इत्यस्मिन् नियामकग्रन्थे संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन कथितम्–

UNESCO – Inclusion is increasingly understood more broadly as a reform that supports and welcomes diversity amongst all learners.

2016 तमे वर्षे आयोजिते पञ्चदशे पैरालम्पिकक्रीडास्पर्धायां दिव्याङ्गानां प्रशंसनीयप्रदर्शनेन इ

स्पष्टीकृतं यत् यदि एतेषां कृते पर्याप्तसुविधाः प्रकल्प्येत, तर्हि एते केभ्यश्चिदपि हीनतराः न सन्तीति। साम्प्रतं शासनेनापि विषयेऽस्मिन् विशिष्टमवधानं प्रदीयते। अभिभावकैः, समाजशास्त्रिभिः, प्रशासकैः, शिक्षकैश्च सर्वैरपि विषयेऽस्मिन् विशेषो यत्नो विधातव्यः। तत्रापि शिक्षकस्य विशिष्टमुत्तरदायित्वमस्ति यतो हि छात्रेण सह प्रत्यक्षरूपेण सम्बद्धो भवति।

अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः ।
सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः ।।

A wise person should gather only important parts (gist) of knowledge from all ***śāstra*** - juts as a bee gathers (only) honey from all types of flowers.

समावेशात्मकशिक्षायाः नीतीनां समीक्षा

प्रो. सन्तोषमित्तल

सामान्यविद्यालयेषु एकस्यां कक्षायां प्रायः त्रिधा छात्राः भवन्ति कुशाग्र-सामान्य-मन्दबुद्धिभेदात्, किन्तु ये विशेषयोग्यजनाः दिव्याङ्गाश्च भवन्ति तेषाङ्कृते पृथक् विद्यालयानां व्यवस्थायाः परम्परा सम्पूर्णविश्वे प्रचलति स्म। यतोहि एतेषां शारीरिक-मानसिकसामर्थ्यानि, व्यक्तित्वं कार्याणि च सामान्येभ्यः भिन्नानि भवन्ति यथा-अन्धाः, बधिराः, मूकाः, मन्दमतयः, शारीरिकविकलाङ्गाश्च। वर्तमानकाले नीतिनिर्धारकाणां, शिक्षाशास्त्रिणां मनोवैज्ञानिकानाञ्च चिन्तने परिवर्तनं दृश्यते। ते स्वीकुर्वन्ति यत् विशेषयोग्यजनेभ्यः शिक्षा विशिष्टविद्यालये एव सीमिता न भवेत्, अपितु तेभ्यः सामान्यविद्यालयेष्वपि शिक्षा प्रदेया, येन तेषां सर्वाङ्गीणविकासो भवेत्। वैदिकसूक्तेष्वपि प्रतिपादितं वर्तते यत् समवेतचिन्तनं, गमनं, मन्त्रणं वा जनानां श्रेयसे भवति यथा–

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्,
देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानानाम् उपासते॥
समानो मन्त्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि॥[1]

यदि वयं वर्तमानस्थितेरवलोकनं कुर्मः तदा विशिष्ट-विद्यालायानां विकासस्य क्रमो वर्तते-

विशिष्टविद्यालयाः-एकीकृतविद्यालयाः-समावेशात्मकविद्यालयाः।

वस्तुतः विशिष्टविद्यालयाः समावेशात्मकविद्यालयाना मार्गे अवरोधकास्सन्ति यतोहि समावेशात्मकशिक्षा मानवतावादिदर्शनम् अवलम्बते। मानवतावादानुगुणं शिक्षा मानवस्य मूलाधिकारेषु परिगण्यते। जाति-धर्म-स्थान-संस्कृति-लिङ्ग-वर्ण-दिव्याङ्गतादीनामाधारेण बालकैः सह कीदृशोऽपि भेदभावपूर्णव्यवहारः नाङ्गीकार्यः इति समावेशात्मकशिक्षायाः प्रमुखमुद्देश्यमस्ति। यथा भविष्यपुराणेऽपि उल्लिखितमस्ति–

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभागभवेत्॥[2]

यदि सर्वेषां मनांसि हृदयानि संकल्पा च समानाः भवेयुः तदा कोऽपि जनः दुःखे अशान्तो वा न भवेत्।

विशेषयोग्यछात्राणां मुख्यशिक्षाधारायां प्रवेशाय वैयक्तिकावधानपूर्वकः क्रियमाणप्रयत्न एव समावेशात्मकशिक्षेति वक्तुं शक्यते। अतः परिवर्तितदृश्यमस्ति–

माइकेल एफ. जिआनग्रैकोमहाभागस्य अनुसारम्-

"सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः सामान्यः असमर्थ इति भावना विनैव कैश्चित् मूल्यैः सिद्धान्तैः, अनुष्ठानैश्च प्रभावतया सार्थकतया च शिक्षावकाशानां कल्पनमेव समावेशात्मकशिक्षा इत्युच्यते।"[3]

इत्थमेव यूनेस्को अन्ताराष्ट्रियशैक्षिकसम्मेलने समावेशात्मकशिक्षायाः स्वरूपं प्रतिभागिभिः प्रतिपादितम्- "समावेशात्मकशिक्षा अधिगमकर्तॄणां गुणात्मकशिक्षायाः मौलिकाधिकारेषु आधारिता अस्ति या आधारभूतशैक्षिकावश्यकतानां पूर्तिं कृत्वा तेषां विकासाय प्रयत्नशीला अस्ति। सर्वविधभेदान् समाप्य सामाजिकसङ्घटनस्य पोषिका च वर्तते।"[4]

प्रत्येकस्मिन् बालके अधिगमक्षमता भवति, अतः विशिष्टपरिस्थितिषु शैक्षिकगतिविधीन् आयोज्य, विशिष्टपाठ्यक्रमं निर्धार्य कौशलानां विकासस्य अवसरः समावेशात्मकशिक्षा माध्यमेन प्रदीयते। भारतदेशे प्रायशः चत्वारिंशत् लक्षं जनाः ऑटिज्म इत्यनेन प्रभावितास्सन्ति। विश्वे च एषा संख्या पञ्चदशकोटिमितास्ति। 3.12.2016 दिनाङ्के अन्ताराष्ट्रियदिव्याङ्गदिवसावसरे भारतदेशस्य 2011 इत्यस्य जनगणनाया आधारेण वर्तमानस्थितिः वर्तते[5]-

देशे 15,63,694 दिव्याङ्गजनाः सन्ति। तेषां वर्गीकरणमस्ति-

मूकाः - 69,484

अन्धाः- 3,14,618

बधिराः- 2,18,873

गमने काठिन्यमनुभूयमानाः - 4,27,364

मानसिकरोगिणः - 41,047

मन्दमतयः - 81,389

बहुविकलाङ्गतया ग्रसिताः - 2,11,223

अन्यदिव्याङ्गजनाः - 1,99,696

अतः एतेषां विकासाय अस्माभिः प्रयासः करणीयः। सर्वप्रथमं 1948 तमे वर्षे मानवाधिकारघोषणापत्रमाध्यमेन मानवाधिकाराणां घोषणा अभवत्, ततः परं सर्वेषां कृते शिक्षाव्यवस्था भवेत्, सन्दर्भेऽस्मिन् सर्वकारेण बहूनां नीतीनां निर्धारणं कृतम्। तासां नीतीनां स्वरूपं कीदृशमस्ति? तासां क्रियान्वितिः कथं प्रचलति? एतेषां प्रश्नानामुत्तराणि दातुं प्रयासः पत्रेऽस्मिन् क्रियते-

महत्त्वपूर्णनीतयः-

स्वयंसेविसंस्थानां सहयोगस्य नीतिः- सार्जेन्टप्रतिवेदनस्य तथा शिक्षाऽयोगस्य संस्तुतीनां परिणामत्वेन 1965 तमे वर्षे समाज-कल्याणमन्त्रालयेति नाम्ना नवविभागं संस्थाप्य तस्मै विशिष्ट शिक्षाया उत्तरदायित्वं प्रदत्तम्।

राष्ट्रियशिक्षानीतिः (1968)- शारीरिकमानसिकविकलाङ्गेभ्यः शैक्षिकावसराः वर्धनीयाः सामान्यविद्यालयेषु एतेषां छात्राणाम् अन्तर्भावाय यावच्छक्तिः प्रयत्नो करणीयः एते निर्णयाः गृहीताः।

असमर्थबालकानाङ्कृते एकीकृतशिक्षा (1974)- 1974-75 तमे वर्षे शासनेन विकलाङ्ग-एकीकृतशिक्षापरियोजना प्रारब्धा। योजनानुसारमिदं निश्चितं यत् पश्चतः चतुर्दशवर्षीयाः ये बालाः चिकित्सकीयपरीक्षणैः गम्भीरविकलाङ्गा न प्रतिपादिताः ते सामान्यविद्यालयेषु प्रवेशार्हाः सन्ति। अस्याः योजनायाः परिणामत्वेन एशियामहाद्वीपे विकलाङ्गानां सामान्यविद्यालयेषु एकीकरणस्य क्षेत्रे भारतस्य शीर्ष स्थानं वर्तते। अस्याः मुख्यमुद्देश्यमप्यासीत् असमर्थेभ्यः सामान्यविद्यालयेषु शैक्षिकावसराः कल्पनीयाः।

राष्ट्रियशिक्षानीतिः (1986)- शिक्षायां सर्वेभ्यः समानावसराः कल्पनीयाः। शारीरिक-मानसिकरूपेणाऽसमर्थानां सामान्यशिक्षाधारायाम् अन्तर्भाव एव शिक्षायाः प्रमुखं लक्ष्यम्। असमर्थानां प्रबन्धविषये अध्यापकेभ्यः प्रशिक्षणकार्यक्रमाः अभिनवपाठ्यक्रमाश्च सञ्चालनीयाः। एतेषां विकासाय कार्यरतसेवासंस्थाभ्यः, सर्वकारः सर्वविधसाहाय्यं कुर्यात्। व्यावसायिक प्रशिक्षणमपि भवेत्। 1987 तमे विकलाङ्ग एकीकृतशिक्षापरियोजना यूनिसेफसंस्थायाः सहयोगेन तीव्रगत्या प्रारब्धा।

नवशिक्षानीतिः 1992 - पूर्वप्रस्तावितनीतेः कार्यान्वयनाय अस्यां नवशिक्षानीतौ प्रयासाः कृताः।

भारतीयपुनरावासपरिषदोऽधिनियमः 1992

अस्याः परिषदः प्रमुखान्युद्देश्यानि वर्तन्ते-

1. असमर्थानां शिक्षाप्रशिक्षणादिकार्यक्रमेषु रतानां विविधजनानां शैक्षिकस्तरनिर्धारणम्।
2. असमर्थानां पुनरावासप्रशिक्षणनीतेः कार्यक्रमाणाञ्च नियन्त्रणम्।
3. पुनरावाससंस्थानां, पाठ्यक्रमाणाञ्च मान्यताप्रदानम्, सतत पुनरावासशिक्षायाः प्रोत्साहनम्।
4. पुनरावासविशिष्टशिक्षयोः क्षेत्रे अनुसन्धानाय प्रोत्साहनम्।

1994 तमे वर्षे 'द सलमानका स्टेटमेन्ट क्रियाया रूपरेखा च' निर्मिता। समेषां कृते शिक्षेति विषयवलम्ब्य आयोजिते सलमानका अधिवेशने पारिते प्रस्तावे भारतदेशेनापि हस्ताक्षरं कृतमासीत्। अस्मिन्नेव क्रमे असमर्थानामधिनियमः 1995 वर्षे संसत्सभायामनुमोदितः तत्रापि शिक्षाक्षेत्रे विभिन्नाः प्रस्तावाः प्रदत्ताः-

1. असमर्थेभ्यः विद्यालयं प्रति गमनागमनव्यवस्था विद्यालयेन करणीया
2. आवश्यकतानुगुणं पाठ्यक्रमे परीक्षाप्रणाल्याञ्च परिवर्तनानि करणीयानि।
3. तेभ्यः पुस्तकानि, इतराधिगमसाधनानि छात्रवृत्तिश्च विद्यालयः कल्पयेत।
4. असमर्थानां शिक्षायै औपचारिकशिक्षासंस्थानां प्रोत्साहनं कुर्यात्।
5. शिक्षकप्रशिक्षणसंस्था असमर्थछात्रान् बोधयितुं विशिष्टशिक्षणपद्धतीनां विषये सेवारतशिक्षकेभ्यः प्रशिक्षणकार्यक्रमान् सञ्चालयेयुः।

जनपद-प्राथमिकशिक्षाकार्यक्रमः 1997- इत्यस्मिन् कार्यक्रमेऽपि प्राथमिकस्तरादेव असमर्थेभ्यः शिक्षाव्यवस्था भवेत्, इदं चिन्तनं नीतिनिर्धारकैः कृतम्। अयं कार्यक्रमः इत्थं प्रचलति-

- सामाजिकानां सहयोगेन असमर्थबालकानाम् अभिज्ञानम्।
- भौतिक-मानवीयसंसाधनानां विकासः।
- शैक्षिकोपकरणानां विविधसहायकोपकरणानां वितरणम्।

राष्ट्रियन्यासोधिनियमः 1999-

1999 तमे वर्षे भारतीयसंसद् आत्मविमोह-मस्तिष्कपक्षाघातः, मानसिकमन्दता-बहुविकलाङ्गताभिश्च ग्रस्तजनानां कल्याणाय 'राष्ट्रियन्यास' इति नामकम् अधिनियमपारयत्। अस्य न्यासस्य प्रमुखान्युद्देश्यानि अधोलिखितानि सन्ति-

- समाजे समुदाये च समञ्जसितुं स्वतन्त्रत्वेन निवसितुं विकलाङ्गानां सशक्तीकरणं सामर्थ्यसम्पादनञ्च।
- स्वपरिवारे एव जीवितुं निवसितुञ्च अवलम्बनाय सौविध्यानां सशक्तीकरणम्।
- संरक्षकाणां निधने सति विकलाङ्गजनानां संरक्षणं शिक्षणञ्च।

सर्वशिक्षाभियानम् (2001)-

2001 तमे वर्षे सर्वशिक्षाभियानयोजना केन्द्रसर्वकारस्य राज्यस्तरीयाधिकारीणानाञ्च सहयोगेन सञ्चाल्यमाना प्राथमिकशिक्षायाः सार्वभौमीकरणस्य लक्ष्यप्राप्त्यै एका प्रमुखा राष्ट्रिययोजनाऽस्ति। सर्वशिक्षाभियानान्तर्गतं 2010 तमं वर्षं यावत् षड्वर्षीयादारभ्य चतुर्दशवर्षीयेभ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः प्रथमकक्षादारभ्य अष्टमीकक्षापर्यन्तं गुणवत्तापूर्णशिक्षाप्रदानाय प्रयासः क्रियते। अस्य प्रमुखमुद्देश्यमस्ति-सर्वेक्षणैर्निःशक्तबालकानाम् अभिज्ञानं तेभ्यः शिक्षायाः समुचितव्यवस्थाकरणम्।

राष्ट्रियपाठ्यचर्यारूपरेखा(2005)- अस्यां रूपरेखायामपि विशेषयोग्यजनेभ्यः समावेशात्मकशिक्षायै विशिष्टबलं प्रदत्तम्।

असमर्थजनानाङ्कृते राष्ट्रियनीतिः 2006-

असमर्थजनेभ्यः शिक्षायाः राष्ट्रियनीतिः फलप्रियासस्य वर्णितार्थे 2006 तमे वर्षे क्रियान्वि अस्याः नीतेः भागद्वयमस्ति-

(i) असमर्थजनेभ्यः राष्ट्रियनीतेः मौलिकताः

(ii) हस्तक्षेपस्य प्रमुखाणि क्षेत्राणि

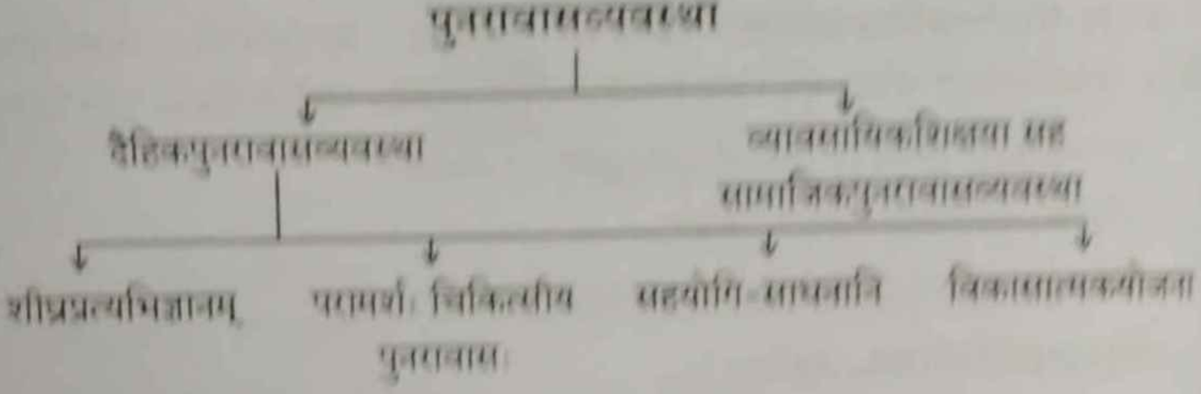

अस्याः नीतेः प्रमुखः बिन्दुरासीत् यत् भारतीयसंविधानं प्रत्येकस्मै भारतीयाय समानता स्वतन्त्रता-न्याय-सम्माननानि संरक्षति। अप्रत्यक्षत्वेन विकलाङ्गानां समावेशाय समन्वितसमाजाय च आदिशति।

असमर्थजनाधिकारविधेयकः 2012-

असमर्थजनेभ्यः संरक्षणं संवर्धनञ्च प्रदातुं शासनेन 2012 तमे वर्षे दिव्याङ्गजनानाम् अधिकारैः सम्बन्धितमेकं प्रारूपं निर्मितम्। विधेयकेऽस्मिन् जीवन-स्वतन्त्रता-न्याय-कर्तव्य-स्वास्थ्य-सुरक्षा-शिक्षा-वृत्ति-समानताद्यनेकक्षेत्रेषु दिव्याङ्गजनानां कृते उपलब्धविशेषाधिकाराणां विस्तृतव्याख्या अस्ति यथा-

- दिव्याङ्गेभ्यः समावेशितशिक्षाप्रबन्धम्।
- समावेशितशिक्षायै प्रोत्साहनं सर्वसुलभीकरणञ्च।
- दिव्याङ्गजनेभ्यः प्रौढशिक्षाव्यवस्थापनम्।

नीतिनामनुगुणं प्रयासाः-

प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदीमहाभागेन 2016 तमे वर्षे असमर्थजनानां सम्बोधने दिव्याङ्गजनाः इति शब्दोऽयं प्रयुक्तः। ते स्वीकुर्वन्ति यत् असमर्थजनानाम् अङ्गेषु दिव्यता भवति, प्रायः तेषां ज्ञानेन्द्रियाणि अतीव सक्रियाणि भवन्ति यथा-ये दृष्टिदोषेणग्रस्ताः सन्ति ते मधुरं गायन्ति। ये भाषणे असमर्थाः सन्ति ते हस्तकलासु प्रवीणाः भवन्ति। अतः तेषां विकासाय समाजे बहवः प्रयासाः प्रचलन्ति-

-अक्टूबरमासे 2016 तमे वर्षे इदं विज्ञापनमागतम्।[6]

मूकबधिरदिव्याङ्ग-मोटर-व्हीकल-एक्ट 1988 (अनुभागः84) अन्तर्गते मूकबधिरजना अपि चालकप्रमाणपत्रप्राप्तिकरणाय आवेदनं कर्तुं समर्थाः सन्ति। परिवहनविभागस्य अधिकारिणः तान् परीक्ष्य प्रमाणपत्रं दातुं शक्नुवन्ति। नैकेषु विकसितदेशेषु इयं प्रक्रिया पूर्वस्मादेव प्रचलति।

-नवम्बरमासे 2016 तमे वर्षे उच्चतमन्यायालयस्य[7] आदेशोऽयं समागतः यत् सार्वजनिकभवनानां कार्यालयानाञ्च प्रवेशमार्गाः दिव्याङ्गजनानाङ्कृते सुगमाः स्युः। भारतस्य राजधान्यां पञ्चाशतभवन-मार्गेषु दिव्याङ्गजनानाङ्कृते सौविध्यानुकूलत्वमुत्पादयितुं सर्वकारेण प्रयासः विधीयते। धार्मिकस्थलेष्वपि गमनागमनस्य समुचिता व्यवस्था भवेत् इदं चिन्तनमपि क्रियते।

अन्ताराष्ट्रियदिव्याङ्गदिवसावसरे[8] प्रकाशितसमाचारे उल्लिखितमस्ति यत् दिव्याङ्गजनाः स्व-अधिकारान् प्रति सजगाः सन्ति। 'असमर्थानाम् अधिनियमः 1995' यदा अस्य अधिनियमस्य क्रियान्वितिः अभवत् तदा ऑटिज्म-बहुदिव्याङ्गतादीनां स्थानम् अधिनियमेऽस्मिन् नासीत्, किन्तु 1999 तमे वर्षे ऑटिज्म बहुदिव्यांगादीनां स्थानम् अधिनियमे प्रदत्तम्।

भारतदेशे दृष्टिबाधितबालकेभ्यः 'टेनिसमैच'[9] इति क्रीडा प्रथमवारं 2016 तमे वर्षे आयोजिता। अस्याः क्रीडायाः कन्दुकं विशिष्टमस्ति यत् धरायां पतनकाले वायौ. भ्रमणकाले च ध्वनिं जनयति। ध्वनिं श्रुत्वा ते प्रतिक्रियां कुर्वन्ति क्रीडन्ति च।

समावेशात्मकशिक्षायाः कृते विश्वविद्यालयस्तरे, महाविद्यालयस्तरे च प्रायः दिव्याङ्गविद्यार्थीनाङ्कृते अनुवादकानामभावो वर्तते। अतः अनुवादकानां समुचिता व्यवस्था स्यात् प्रयासोऽयं प्रचलति।[10]

2007 तमे वर्षे तत्कालीनसामाजिकन्यायाधिकारिता च मन्त्री संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवान्, किन्तु तस्य क्रियान्वितये अपेक्षितविधेः निर्धारणं नैव अभवत्। नववर्षादनन्तरं 2016 तमे वर्षे मन्त्रिमण्डलद्वारा अधिनियमोऽयं स्वीकृतः। किन्तु अस्याः क्रियान्वित्या अभावे ऑटिज्म-बहुदिव्याङ्गजनाः स्वाधिकारेण वञ्चितास्सन्ति। व्यवसायाय 3 प्रतिशतारक्षणस्य प्रावधानं वर्तते, किन्तु अधिनियमे अस्पष्टतावशात् दिव्याङ्गजनाः अधिकारैः वञ्चितास्सन्ति।

भारते मूकबधिरबालकानाङ्कृते विद्यालयाः तु सन्ति, किन्तु तत्र शिक्षकाणामभावोऽस्ति यथा-जयपुरस्य मूकबधिर-सेठ-आनन्दीलालपोद्दारराजकीय-उच्चमाध्यमिकविद्यालये पञ्चाशतोत्तराष्टाशतसु (850) बालकेषु केवलं विंशतिः विशिष्टशिक्षकाः ईदृशास्सन्ति ये सांकेतिकभाषायामध्यापने समर्थाः सन्ति, तत्र चतुः पञ्चाशत शिक्षकाः अपि सेवारतास्सन्ति, किन्तु ते सांकेतिकभाषायामध्यापने असमर्थाः सन्ति। प्राचार्यमहोदयेन शिक्षकाणामभावस्य सूचनाऽपि शिक्षाविभागाय प्रेषिता तथापि स्थितिः यथावत् वर्तते।[11]

जनवरीमासे 2017 तमे वर्षे भारतीय-प्रौद्योगिक-संस्थान-मुम्बई द्वारा दृष्टिबाधितछात्राणाङ्कृते केन्द्रीयपुस्तकालये रीडिंगसॉफ्टवेयर-प्लेक्सटॉक-पॉकेटडेसीप्लेयर-रिकॉर्डर-पार्किंसस्मार्टब्रेलर-ब्रेले प्रिंटर-कुजवेल-ओपनबुकस्कैन-रीडसॉफ्टवेयर-आदीनां व्यवस्था स्यात् निर्णयोऽयं स्वीकृतः। अनेन दिव्याङ्गछात्राः लाभान्विताः भविष्यन्ति।[12]

केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्षापरिषदा आयोजितासु माध्यमिक-उच्चतरमाध्यमिक परीक्षासु दिव्याङ्गछात्राणाङ्कृते लेखकेन सह अतिरिक्त-समयोऽपि प्रदास्यते। निर्णयोऽयं राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज़ एक्ट 2016 इत्यस्मिन् सन्दर्भे कृतः। छात्रः स्वयमेव लेखकस्य चयनं कर्तुं शक्नोति तथा च परीक्षायाः एकदिवसात्पूर्वं तेन सह सम्पर्कमपि कर्तुं शक्नोति। आपात्कालीनपरिस्थित्यां पूर्वनिर्धारितलेखकस्थाने अन्यलेखकस्य उपयोगोऽपि कर्तुं शक्यते।

उक्तनिर्णयः फरवरीमासे 2017 तमे वर्षे केन्द्रीय-माध्यमिकशिक्षापरिषदा कृतः।[13]

वर्तमानकालेविशिष्टोपलब्धयः-

दिव्याङ्ग-**हाबेनगिरमा**महोदयया दिव्याङ्गजनैः सम्बद्धविधेः(Law) अध्ययनं कृतम्। वर्तमानकाले सा दिव्याङ्गशिक्षाधिनियमस्य सम्यग्रूपेण क्रियान्वित्यै सक्रिया वर्तते। सा अमेरीकादेशे अधिवक्त्री वर्तते।[14]

असीमयशः नामाकश्चित्बालकः जन्मतः दिव्याङ्गोऽस्ति। तस्य पादौ निर्बलौ स्तः। तेन 'फ्रीकॉलिंग एप' रचिता। इदं सर्वोत्तमं 'बिजनेस एप' इतिभारतसर्वकारेण 2016 तमे वर्षे स्वीकृतम्।[15]

दीपामलिकमहोदयया रियो पैरालम्पिकप्रतियोगितायां रजतपदकं विजितम्। 2016 तमे वर्षे नवम्बरमासे फिक्कीलेड़ीज़ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 'टर्न यॉर वीकनेसेज इनटू स्ट्रेंथ' विषये आयोजिते सत्रे तया सोत्साहने स्वानुभवाः प्रकटिताः जनाः प्रेरिताश्च।[16]

केन्द्रसर्वकारेण प्रकाशितेन दिव्याङ्गताप्रतिवेदनेन ज्ञायते यत् जयपुरनगरे पञ्चतः एकोनविंशतिवर्षीयात्मकाः 45.92 प्रतिशतविमन्दिताः बालकाः शिक्षणसंस्थासु प्रवेशं प्राप्नुवन्ति तथा राजस्थानप्रदेशे एतेषां प्रतिशतं 36 इति वर्तते। ते सामान्य-बालकानां सदृशं शैक्षिकगतिविधिष्वपि तथा च क्रीडायामपि कुशलाः सन्ति।

निष्कर्षतः समावेशात्मकशिक्षायाः व्यवस्था समीचीना भवेत् इत्यस्य कृते अस्माभिः सर्वदा प्रयासः करणीयः।

यथोक्तम्- मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥[17]

पादटिप्पणी-

1. ऋग्वेदः 10/191/1-2
2. भविष्यपुराणम् - 3/2/35/14
3. Inclusive Education is a set of values, Principles and Practices that seeks more effective and meaningful education for all students, regardless of whether they have exceptionally able or not.- Michael, F.G.
4. UNESCO - 'International Education Conference'
5. समाचारपत्रम् 'राजस्थानपत्रिका' केसरगढ़ जे.एल.एन.मार्ग, जयपुरम् 302004 दिनाङ्क 3.12.16
6. समाचारपत्रम् 'राजस्थानपत्रिका' केसरगढ़ जे.एल.एन.मार्ग, जयपुरम् 302004 दिनाङ्क 6.11.16
7. तत्रैव दिनाङ्कः 25.11.2016
8. तत्रैव दिनाङ्कः 3.12.2016
9. तत्रैव दिनाङ्कः 28.11.2016
10. तत्रैव दिनाङ्कः 4.1.2017
11. तत्रैव दिनाङ्कः 1.12.16
12. तत्रैव दिनाङ्कः 11.1.2017
13. तत्रैव दिनाङ्कः 6.2.2017
14. तत्रैव दिनाङ्कः 18.12.16
15. तत्रैव दिनाङ्कः 15.11.16
16. तत्रैव दिनाङ्कः 4.11.16
17. यजुर्वेदः 36/18

सन्दर्भग्रन्थः

1. विरक.के.जसवन्त एवं अरोड़ा अल्का - 'समावेशी शिक्षा के आधार' Twenty First Century Publications Patiala, Punjab, First Edition _ 2010
2. लाल रमन बिहारी एवं पलोड़ सुनीता - 'शिक्षानीति की रूपरेखा एवं कार्यक्रम' आर.लाल.बुक डिपो, मेरठ, संस्करण-2011
3. सिंह मदन - 'समावेशी शिक्षा' आर. लाल. बुक डिपो, मेरठ.संस्करण 2016
4. शर्मा अल्का - 'समावेशी शिक्षा' अमित प्रकाशन, जालन्धर संस्करण 2012
5. शर्मा प्रतिभा - 'राजस्थाने विशिष्टबालानां शिक्षाव्यवस्था एकं विश्लेषणात्मकमध्ययनम्' विद्यावारिधिशोधप्रबन्धः 2015 पृ. सं. 13-14

आचार्या

शिक्षाशास्त्रविभागः, रा.सं.संस्थानम्, जयपुरम्

भारते समावेशात्मकशिक्षायाः ऐतिहासिकपृष्ठभूमिः

(Historical Background of Inclusive Education in India)

डॉ. शीशराम

समावेशात्मकशिक्षा शिक्षायाः नूतनं चिन्तनं वर्तते। यस्य प्रमुखमुद्देश्यं वर्तते सर्वेषां कृते विभेदरहिता शिक्षा, येन छात्राः क्षेत्रीय-सांस्कृतिक-सामाजिक-राजनैतिक-आर्थिक परिवेशेन सह समावेशिताः (एकीकृताः) स्युः। भारतीयसंविधाने समता-स्वतन्त्रता-सामाजिक-न्यायैः, व्यक्ते गरिमादीनां मानवीयमूल्यानां निरूपणं कृतम्, यस्य साक्षात् सम्बन्धः समावेशात्मकशिक्षया सह वर्तते। अनया एव समाजे नैतिकमूल्यानां विकासः, सामुदायिक-भावनाञ्च विकासः भविष्यति इति प्राथमिकी संकल्पना शिक्षा आयोगेन (1964-66) कृता।

समावेशात्मकशिक्षया तात्पर्यं वर्तते विशेषशैक्षिकावश्यकतानां पूर्त्यर्थं सामान्यछात्रैः सह निःशक्तछात्राणां समानशैक्षिकावसराणां व्यवस्थापनम्। अस्माकं संविधाने जाति-वर्ग-धर्म-लिङ्ग-सम्प्रदायादीनाम् आधारे विभेदस्य निषेधः वर्तते, अनेन प्रकारेण एकस्य समावेशात्मकसमाजस्य स्थापनायादर्शं प्रस्तौति। समावेशात्मकशिक्षायां निःशक्तछात्राणां कृते सामान्यधारायां पठनस्यावसरः समानरूपेण प्रदीयते, निःशक्ततायां दृष्टिहीनता, अल्पदृष्टिः, कुष्ठरोगी, श्रवणदोषः, निःशक्तता, मंदबुद्धिता, मानसिकरुग्णता, प्रमस्तिष्कघातेन वाणीदोषः, अधिगम-निश्शक्ततादयः सम्मिलिताः सन्ति, यस्यां सर्वकारी-स्थानीयनिकाय-अनुदानितविद्यालयेषु अध्ययनरताः छात्रा आगच्छन्ति, विशेषतः निःशक्तबालिकानामुपरि विशेषावधानं दीयते, येन प्राथमिक-शिक्षातः माध्यमिकशिक्षापर्यन्तमध्ययनस्य, स्वकीयक्षमतानां विकासाय मार्गदर्शनं सुकरं स्यात्। समावेशात्मकशिक्षा एकीकृत-शिक्षा, समन्वित-शिक्षा, समेकितशिक्षा इति नाम्नाऽपि ज्ञायते।

समावेशात्मकशिक्षायाः सिद्धान्तस्य ऐतिहासिकपृष्ठभूमिः शिक्षाशास्त्रिणः कनाडा, अमेरिकादेशे च स्वीकुर्वन्ति, परं भारते समावेशात्मकशिक्षा केवलमेकं नूतनं चिन्तनं वर्तते, पृथक्तया किमपि नास्ति। यतोहि भारते निःशक्तछात्राणां कृते विशेषशिक्षायाः व्यवस्था पूर्वमेव आसीत्।

भारते समावेशात्मकशिक्षायाः चिन्तनस्याविर्भावः मुख्यतः शिक्षायाः अधिकारः, 2009 पश्चात् एव अभवत् तथापि अस्याः ऐतिहासिकी पृष्ठभूमिः अधोलिखितानुसारं ज्ञातुं शक्यते।

निःशुल्का अनिवार्यशिक्षायाः प्रथमप्रयासः परतन्त्रभारते स्वर्गीयगोपालकृष्णगोखलेमहोदयेन 18 मार्च 1910 तमे दिनाङ्के ब्रिटिशविधानपरिषदः समक्षं प्रस्तावितः यत् भारतीयानां कृते निःशुल्क-अनिवार्य प्राथमिकशिक्षा च' स्यात् परमयं प्रस्तावः निरस्तः।

स्वतन्त्रभारते डॉ. भीमराव अम्बेडकरमहोदयेन भारतीयसंविधाने मूलाधिकाराणां विषये संविधानस्य तृतीये भागे (भाग-III) उल्लेखः कृतः। ते अधिकाराः सन्ति- समानतायाः अधिकारः (अनुच्छेद 14 तः 18 पर्यन्तम्), स्वतन्त्रतायाः अधिकारः (अनुच्छेद 19-22), शोषणविरुद्धाधिकारः (अनुच्छेद 23-24), धार्मिकस्वतन्त्रतायाः अधिकारः (अनुच्छेद 25-28), सांस्कृतिक शैक्षिकाधिकारः (अनुच्छेद 29-30), संवैधानिकोपचाराणामधिकारः (अनुच्छेद 32) इत्यादयः।

भारतीयसंविधाने समन्वितशिक्षायाः क्रियान्वयनाय विभिन्नानां धाराणामुपधाराणाञ्च व्यवस्था प्रकल्पते, या केन्द्रीय-राज्यीय-शैक्षिकस्थित्याः अभिव्यक्तिं करोति। भारते शिक्षायाः अधोलिखितानि संवैधानिकप्रावधानानि प्रमुखानि सन्ति, ये समावेशात्मकशिक्षायाः व्यवस्थापनं कुर्वन्ति-

1. अनुच्छेदः 15-इत्यस्य खण्ड (3) एवं खण्ड (4) राज्यं क्रमशः स्त्रीणां, बालकानां, सामाजिकशैक्षिकदृष्ट्या अपवञ्चितजनानां, अनु.जाति जनजातिनाञ्च च कृते विशेषप्रावधानमस्ति।
2. अनुच्छेदः 26- इत्यस्मिन् मानवाधिकारणां घोषणापत्रे शिक्षायाः अधिकारः प्रदत्तः अस्ति।
3. अनुच्छेदः 29 (II) - इत्यनुसारं राज्यसर्वकारेण सम्बद्धिता अनुदानिता वा कापि शिक्षासंस्था धर्म-वंश-जाति-भाषा-क्षेत्र-लिङ्ग इत्यादीनामाधारेण कमपि नागरिकं संस्थाप्रवेशे वञ्चयितुं न शक्यते।
4. अनुच्छेदः 30 - इत्यनुसारं धर्म-भाषा-आधारित-सर्वेषामल्पसंख्यकवर्गाणां कृते स्वकीय रुच्यानुसारं शिक्षणसंस्थानां स्थापनास्य अधिकारः प्रदीयते।
5. अनुच्छेदः 45- इत्यनुसारं षड्वर्षात् चतुर्दशायुः पर्यन्तं बालक-बालिकानां कृते अनिवार्या निःशुल्क-शिक्षा च प्रदातव्या। अनुच्छेदोऽयं विद्यालयानां कृते अनुदानस्य मार्गं प्रस्तौति। अनुच्छेदोऽयं शिक्षायाः समानीकरणस्य व्यवस्थां करोति। अस्य उद्घोषणा वर्तते- 'शिक्षा सर्वेषां कृते'।
6. अनुच्छेद 46- इत्यनुसारं राज्यसर्वकारः अनु.जातिजनजातीनाञ्च कृते शिक्षायाः विशेषाधिकारं दत्त्वा तान् प्रेरयतु तेषां संरक्षणञ्च कारयतु।

2009-10 माध्यमिकस्तरे निःशक्तजनसमावेशात्मकयोजना (IEDSS) इयं योजना 2013 तः राष्ट्रियमाध्यमिकशिक्षा-अभियानान्तर्गते (RMSA) समायोजिता।

ECCE- (Early Child Care Education)

IEDC Scheme (Inclusive Education for Disabled Children)

2009-10 IEDSS (Inclusive Education to Disabled Children at Secondary Stage)

The National Action Plan for Inclusion in Education for Children and youth with Disabilities (IECYD) by MHRD- Nov. 2005

संवैधानिकप्रावधानानुसारं भारते शिक्षायाः महत्त्वपूर्णनीतयः सर्वकारेण अङ्गीकृताः-

1. स्वयंसेविसंस्थानां सहयोगस्य नीतिः - 1965
2. राष्ट्रियशिक्षानीतिः 1968
3. असमर्थबालकानां कृते एकीकृतशिक्षा-1974, विशेषविद्यालयानां स्थापना। यथ सेठ -पोद्दार-मूकबधिर-संस्थानम्, आशा का झरना, SOS ग्राम सेवा
4. राष्ट्रियशिक्षानीतिः-1986
5. संशोधित-राष्ट्रियशिक्षानीतैः क्रियान्वयनम् (POA) 1992
   आचार्य-राममूर्ति-समितिः (1990)
   जर्नादन रेड्डी समितिः (1992)
6. पुनर्वासपरिषदधिनियमः - 1992
   निःशुल्क-शिक्षा-एकीकृत-योजना - 1992
7. सलमानका स्टैटमेण्ट शिक्षायाः रूपरेखा- 1994
8. असमर्थजनानां कृते अधिनियमः- 1995
9. DPEP 1997, 1988 राष्ट्रियसाक्षरताभियानम्।
10. राष्ट्रियन्यासऽधिनियमः 1999
11. राष्ट्रियपाठ्यचर्यारूपरेखा-2000
12. सर्वशिक्षाभियानम् (शिक्षा सर्वेषां कृते)- 2000-2001 (अक्टूबर 1998 में प्रस्तावित)।
13. सततशिक्षाकार्यक्रमः - अप्रैल 2005
14. राष्ट्रियपाठ्यचर्यारूपरेखा-2005
15. असमर्थजनानां कृते राष्ट्रियशिक्षानीतिः 2006
   (ii) शिक्षायाः अधिकारः (2009, अप्रैल 2010 क्रियान्वयनम्)।
16. विकलांगव्यक्तीनामधिकार-अधिनियमः 2011
17. निःशक्तजनाधिकार-अधिनियमः 2012
   बाललैगिंक-अपराधनिषेधाधिनियम - 2012

उपर्युक्तनीतिनामाधारेण नूतनचिन्तनं जातम्, यत् निःशक्तछात्रैः सह सामान्यशिक्षायाः व्यवस्था स्यात्, येन निःशक्तछात्रा अपि मुख्यधारायां सम्मिलिताः स्युः, तेऽपि सामान्यशिक्षां प्राप्य

स्वकीयजीवनस्योन्नयनं सामान्यछात्रवत् कर्तुं शक्नुवन्ति। चिन्तनमनुकरणीयं वर्तते परं क्रियान्वयने काश्चन समस्याः सन्ति। यथा–

1. सर्वकारीय-उपेक्षा।
2. निःशक्तछात्राणां शिक्षणसामग्र्याः अभावः।
3. प्रशिक्षिताध्यापकानामभावः, ये सामान्यशिक्षां विशेष-शिक्षां च जानन्ति।
4. समावेशात्मकशिक्षायाः प्रशिक्षणसंस्थानामभावः। पृथक्प्रशिक्षणसंस्थानामभावः।
5. निदानात्मकमुपचारात्मकशिक्षणस्य व्यवस्थायाः अभावः।
6. असामान्यमनोविज्ञानस्य ज्ञातॄणामभावः।
7. चिकित्सकीय परामर्शस्य विद्यालयेऽभावः।
8. प्रायशः संस्थासु अध्यापकानामाभावः वर्तते, अतः दलशिक्षणस्य व्यवस्था कथं भवितुं शक्यते।
9. स्वतन्त्र/प्राकृतिकवातावरणस्याभावः।
10. मनोरञ्जनसाधनानामभावः।
11. समायोजने काठिन्यम्।

उपर्युक्तसमस्यानां निराकरणेन एव समावेशात्मकशिक्षायाः विकासस्य सम्भावना भवितुं शक्नोति अन्यथा केवलं नीतीनामाधारेण संवैधानिकाधिकाराणामाधारेण कर्गदेषु एव समावेशात्मकशिक्षा प्रचलिष्यति, तस्याः क्रियान्वयनं मुख्य धरातले न भविष्यति। यथा- विशिष्टविद्यालयानां, समान-विद्यालयप्रणाली, बहूद्देशीय-विद्यालय-प्रणाली एतावता सम्पूर्णभारते सर्वत्र न दरीदृश्यते। अतः समावेशात्मकशिक्षायाः आयोजनं भवेत् परं पूर्वं समानशिक्षाप्रणाल्याः अङ्गीकारः सर्वत्र भवेत्।

संदर्भ ग्रन्थः

1. मदन सिंह - समावेशी शिक्षा, आर. लाल. बुक डिपो, मेरठ।
2. जसवन्त बिर्क एवं आज्ञाजीत सिंहः समावेशी शिक्षा।
   Twenty First Centukry Publication, Patiala
3. डॉ. आर. शर्मा, समावेशी शिक्षा, अमित प्रकाशन, जालन्धर।
4. पी.डी. पाठक, भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
5. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मन्त्रालयः भारतसर्वकारस्य वेबपार्टल/वेबसाईट।
6. समाजकल्याण-मन्त्रालयः, राजस्थान-सर्वकारः।
7. मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयः भारत-सर्वकारस्य वेबपोर्टल।

समावेशात्मकशिक्षायां नवाचारिताभ्यासाः

डॉ. लीना तिवारी

आत्मसम्मानेन स्वावलम्बेन च जीवनं यापयितुं समेषां मनुष्याणाम् अधिकारो वर्तते। अयं अधिकारः शिक्षायां निहितो अस्ति। हीनजनानाम् उन्नयनार्थमपि शिक्षैव साधनत्वेन सूचयति। दैवविधानात् ज्ञानज्योतिसंधारणे ये दिव्याङ्गाः सन्ति तेषां कृतेऽपि गुणवत्तापूर्णशिक्षा सुनिश्चिता करणीया। एतेभ्यः बालेभ्यः समावेशात्मकशिक्षायां नवाचारिताभ्यासाः अत्यावश्यकाः। नवाचारितानां वर्गीकरणं द्विप्रकारेण कर्तुमर्हामः।

1. प्रथमं सहायकोपकरणम् (Assistive devices)
2. द्वितीयम् अवलम्बनोपकरणम् (Supportive device or facilities)

(1) सहायकोपकरणम् अर्थात् यैः उपकरणैः असमर्थः अधिगमकर्ता पाठ्यसामग्र्याः सङ्कलनं कर्तुमर्हति तानि सहायकोपकरणानि इत्युच्यन्ते। अपि एतैः उपकरणैः ते शिक्षणाधिगमावसरेषु लाभान्विताः भवन्ति। उदाहरणार्थं मन्ददृष्टि बालकानां कृते उपनेत्राणि, आवर्धनलैंस, बृहदक्षराणां पुस्तकानामावश्यकता भवति। दृष्टिहीनबालानां कृते ब्रेलपुस्तकानि, ब्रेलपट्टिका, वर्तिका, गणितं अवगन्तुं अबैकस (ABACUS) इत्यस्यावश्यकता वर्तते। तथा च श्रवणबाधित-बालकानां कृते ध्वनिवर्धकोपकरणानाम् आवश्यकता भवति। अस्थि बाधितबालेभ्यः कृत्रिमाङ्गानि महत्त्वपूर्णानि भवन्ति।

द्वितीयं वर्तते अवलम्बनोपकरणम्- असमर्थाधिगमकर्तुः गत्यात्मकक्रियां सौविध्यपूर्णा कर्तुं एतदुपकरणम् महत्त्वपूर्णं यदि अशक्तबालकस्य भौतिकवातावरणे सारल्यमागच्छति तर्हि सः शिक्षां प्राप्तुमर्हति। अभावस्य क्षतिपूर्तिं कर्तुं इदमुपकरणम् सहायकम्। एतानि क्रियात्मकसाधनानि अपि उच्यन्ते। विद्यालयेषु बाधितबालकानां गत्यात्मकक्रियां बाधारहितां कर्तुं केचन उपायाः कल्पनीयाः यथा-

1. पेयजलस्य समीपे उत शौचालयस्य समीपे दण्डिकायाः प्रावधानं स्यात्।
2. विद्यालयस्य मुख्यद्वारे लघुरेम्प भवेत्। उत्पीठिकासन्दानाम् आकार-प्रकारे संशोधनम्।
3. कक्षा-कक्षे स्थलमधिकं स्निग्धं न स्यात्। कटः प्रसारणीयः।
4. प्रयोगशालायाः वीथ्याः समीपे दृढा पंक्तिः स्यात्।

एतादृशानामवलम्बनोपकरणानां प्रयोगेण असमर्थाः बालाः गत्यामकक्रियां सरलीकर्तुमर्हन्ति। एतदतिरिच्य कक्षाशिक्षणस्य समस्यानां समाधानाय क्रियात्मकानुसन्धानस्य महत्त्वम्

अभिक्रमितानुदेशनस्योपयोगिता, दिव्याङ्गछात्राणाङ्कृते निर्देशनं, परामर्शः, शिक्षणस्य प्रतिमानम् कक्षाप्रबन्धने वातावरणस्य निर्माणं, शिक्षकस्य भूमिका इत्यादयः अपि महत्त्वपूर्णाः।

कक्षाशिक्षणस्य समस्यानां समाधानाय क्रियात्मकानुसन्धानस्य महती भूमिका वर्तते। विद्यालयस्य कार्यप्रणालीं परिष्कर्तुं अयं महत्त्वपूर्णविधिः वर्तते। क्रियात्मकानुसन्धानस्य प्रक्रिया समस्या-केन्द्रिता वर्तते। क्रियात्मकानुसन्धानस्य प्रयोगः न केवलं शिक्षायाः क्षेत्रे क्रियते अपितु सर्वविधसंस्थाने उपयुज्यते। जीवनस्य विभिन्नक्षेत्रेषु अभ्यासकर्त्रा स्वकीयायाः कार्यप्रणाल्याः समस्यानां अध्ययनाय क्रियात्मकानुसन्धानं प्रयुज्यते।

क्रियात्मकानुसन्धानस्योद्देश्यानि इमानि सन्ति-

1. विद्यालयस्य कार्यप्रणाल्यां परिष्कारः।
2. छात्रशिक्षकाणां सामाजिकगुणानां विकासः।
3. विद्यालयशिक्षकेषु कार्यकौशलानां विकासः।
4. छात्राणां निष्पत्तिस्तर-वर्धनम्।
5. विद्यालयस्य कार्यप्रणाल्यां प्रभावशीलतानयनम्।

अभिक्रमितानुदेशनमपि नवाचारिताभ्यासे अङ्गीकर्तुमर्हामः। अस्य विकासः अधिगमस्य प्रविधेः स्वरूपे अभवत्। इदन्तु अनुदेशनं सक्रियानुबन्धाधिगमस्य सिद्धान्ते आधारितो अस्ति। इदं स्किनरस्य शिक्षणप्रतिमानस्य एकं व्यावहारिकरूपं वर्तते। अभिक्रमिताधिगमः व्यक्तिगतानुदेशनस्य आव्यूहः वर्तते यस्मिन् छात्रः सक्रियो भूत्वा स्वगत्या अधिगच्छति तत्कालं पुनर्बलनं प्राप्नोति शिक्षकः केवलं मार्गदर्शकत्वेन कार्यं करोति। अभिक्रमितानुदेशनस्य आधारभूतनियमाः एवं सन्ति-

1. लघुपदानामध्ययनम्।
2. तत्पर-अनुक्रियायाः अधिनियमः।
3. तात्कालिक-अन्वेषणस्याधिनियमः।
4. स्वतः अध्ययनगत्याः अधिनियमः
5. छात्रालेखस्याधिनियमः।

दिव्याङ्गछात्राणाङ्कृते निर्देशनं परामर्शश्च अपि आवश्यकौ। निर्देशनप्रक्रियां सफलतापूर्वकं सञ्चालयितुं इदमावश्यकं वर्तते यत् निर्देशनसेवानां व्यवस्थितस्वरूपं स्यात्। जॉनसनमहोदयानुसारं निर्देशनं विद्यालयस्य कस्मिंश्चिदपि भागे केन्द्रितं स्यात्। यतो हि निर्देशप्रदानं विद्यालयस्य प्रत्येकं शिक्षकस्य कर्त्तव्यम् उत्तरदायित्वञ्च।

निर्देशनकार्यक्रमस्य विशेषताः–

1. निर्देशनकार्यक्रमाय प्रशिक्षणमावश्यकम्।
2. निर्देशनकार्यक्रमस्यान्तर्गते समस्तकार्याणि समस्तरूपेण क्रियन्ते।
3. समेषां समन्वितप्रयासैः निर्देशनकार्यक्रमः सफलो भवति।
4. निर्देशनकार्यक्रमाणां निर्धारणं शिक्षकाणां रुचेः आधारेण विद्यार्थीनामवश्यकतानामाधा भवितव्यम्।

अध्यापकस्य भूमिकायाः महती आवश्यकता वर्तते। सकारात्मकाध्यापकः छात्रान् प्रेरयं समावेशात्मकशिक्षायां सामान्याध्यापकस्य विशिष्टा भूमिका भवति। विशिष्टभूमिकायाम् एते वि समागच्छन्ति-

1. समानावसराः
2. विभिन्नतानां ज्ञानम्
3. सर्वाङ्गीणविकासः
4. सकारात्मकं चिन्तनम्
5. पाठ्यक्रमस्य विकासः
6. अभिप्रेरणा
7. मूल्याङ्कनम्
8. उद्देश्यनिर्माणम्।

विशिष्टाध्यापकानां भूमिका अपि अत्यावश्यकी–

1. बालकानां विशिष्टावश्यकतानां ध्यानम्।
2. बालकानाम् अभिभावकैः सह मेलनम्।
3. विशिष्टबालानामावश्यकतानुसारं शिक्षणम्।
4. बालानाम् अभिभावकैः सह मिलित्वा समस्याः प्रति समाधानं परामर्शश्च।
5. दृश्यश्रव्योपकरणानां प्रयोगः।
6. बालानां स्वास्थ्यं प्रति सचेतना।

अन्ततो गत्वा निष्कर्षत्वेन इदं वक्तुं शक्यते यत् समावेशात्मकशिक्षायाः विकासाय, तस्य गुणवत्तावर्धनाय नवाचारिताभ्यासः अत्यावश्यकः एभिः समावेशात्मकशिक्षायाः वास्तविकं स्वरू प्रस्फुटितं भवति। समावेशात्मकशिक्षायाः वर्धनेन एव समाजे संकीर्णता, हीनभावनाग्रस्त दुश्चिन्तनम्,ग्लानिः, द्वन्द्वेत्यादयः विकाराः समापयितुं शक्यन्ते इति शम्।

सहायकाचा
शिक्षा-शास्त्र विभा
रा.सं.सं. जयपुरः राजस्थान

समावेशात्मकशिक्षायाः आयोजनम्

डॉ. कुलदीपशर्मा

विद्यालयः समाजस्य लघुप्रतिदर्शः कथ्यते। समाजे खलु यत् वर्गवैभिन्यं भवति, तदेव विद्यालयस्यापि लक्षणमस्ति। तत्र भेदभावं विनैव शिक्षायाः समानावसराः भवन्त्विति विद्यालयीयशिक्षायां सर्वेषामधिकारो भवति। किन्तु, प्रकृतिप्रभावात् केषामपि बालक-बालिकानां शारीरिक-मानसिकदिव्याङ्गता भवतीत्यतः तेषामधिगमक्षमता विशेषपरिस्थितिमाकांक्षते। एषां विशिष्टबालानां शिक्षायै यथाकालं शिक्षाविद्भिः नीतिनिधारकैश्च भृशं चिन्तितम्। एतदर्थं साम्प्रतं समावेशितशिक्षायाः आयोजनं विधीयते। कस्यचिदपि बालकस्य शिक्षाक्षेत्रात् बहिष्कारो न भवेदिति समावेशितशिक्षायाः मूलभावना वर्तते। अस्यां संकल्पनायां मन्यते यत् अस्माकं शिक्षाप्रणाली तथा व्यापकरूपमवाप्नुयात् यत्र सामान्यविद्यालयीयवातावरणे विशिष्टबालानां कृतेऽपि स्थानं भवेत्। शिक्षायाः समावेशीकरणेन आशयोऽस्ति विशेषशैक्षणिकावश्यकतानां पूर्तये सामान्यछात्रेभ्यः दिव्याङ्गछात्रेभ्यश्च शिक्षाप्राप्त्यर्थं समानावसराः स्युरिति। आदौ समावेशितशिक्षायाः स्थापने विशेषशिक्षायाः कल्पना आसीत्। ततः समेकितशिक्षायाः (Integrated Education) विकासे समावेशितशिक्षायाः संकल्पना प्रकाशे आगता। राष्ट्रियपाठ्यचर्याप्रारूपम् (2005) इत्यनुसारेण समावेशितशिक्षायाः स्वरूपम् अधोलिखितरूपेण रेखांकितमस्ति- A policy of inclusion needs to be implemented in all schools and throughout our education system. The participation of all children needs to be ensured in all spheres of their life in and outside the school. Schools need to become centres that prepare children for life and ensure that all children, especially the differently abled, children from marginalised sections, and children in difficult circumstances get the maximum benefit of this critical area of education.

National Curriculum Framework, 2005, p.85

अस्यायमाशयः यत् समावेशनशब्दस्य अर्थः आत्मनि 'विशिष्टता'इति नास्ति। समावेशनं नाम वैचारिकरूपेण, दार्शनिकरूपेण, सामाजिकरूपेण शैक्षिकरूपेण च लोकतान्त्रिकाधिकाराणां कर्तव्यानां च कृते सामूहिकान्तःक्रियाः भवेयुरिति।

समावेशितशिक्षायाः उद्देश्यानि (Aims of Inclusive Education) :

समावेशितशिक्षायाः मुख्योद्देश्यानि अधोलिखितरूपेण भवितुमर्हन्ति–

1. बालकानां गणे विशिष्टबालानां प्रत्यभिज्ञानं विधाय तेषामसमर्थतां च विज्ञाय तत्परिहर्तुं प्रयासविधानम्।
2. विशिष्टबालान् आत्मनिर्भरान् सम्पाद्य समाजस्य मुख्यधारायां तेषां प्रवेशनम्।

3. लोकतान्त्रिकमूल्यानुसारेण शिक्षोद्देश्यानामर्जनम्।
4. बालकेषु आत्मनिर्भरतायाः भावनोत्पादनम्।
5. सर्वेषामपि बालकानां शिक्षाव्यवस्थादयः सुनिश्चयनीयाः।
6. दिव्याङ्गतायाः कारणात् मानसिकदौर्बल्यात् वा कश्चन अपि बालकः विद्यालयीयशिक्षापरिधेः बहिः न भवेदिति निर्धारणम्।
7. सामान्यविद्यालयेष्वेव सामान्यशिक्षकेभ्यः विशेषप्रशिक्षणप्रदानम्।
8. विशेषबालकानाम् आवश्यकतानुसारेण छात्रावासव्यवस्थाविधानम्।

समावेशितशिक्षायाः मुख्यतः त्रयः भागाः सन्ति–

1. शारीरिक-मानसिकदिव्यांगता (Physical Disability)
2. अधिगमे अशक्तता (Learning Disability)
3. सामाजिक-आर्थिकरूपेण वंचितवर्गीयता (Socially Economically Backward Class)

शारीरिक-मानसिकदिव्यांगता (Physical Disability)

तत्र शारीरिक-मानसिकदिव्याङ्गबालानां (Physical Disability) परिगणने निश्शक्तजनाधिनियमे (1995) एका निश्शक्तता, एकाधिकनिश्शक्तता वेति यथा - दृष्टिहीनता, न्यूनदृष्टिदोषः, उपचारितकुष्ठरोगः, न्यूनश्रवणतादोषः, गतिविषयकनिःशक्तता, मंदबुद्धिता, मानसिकरुग्णता, आत्मनः विमोहः, प्रमस्तिष्कघातात् वाग्विकलता इत्यादयः नाम्नङ्किताः सन्ति। एषां बालकानां समावेशितशिक्षायै प्रत्येकमपि राज्ये आदर्शसमावेशितविद्यालयानां स्थापनायै राष्ट्रीयन्यास-अधिनियमे (1999) प्रावधानानि सन्ति। अस्यां योजनयां शत-प्रतिशतं राशिः केन्द्रीयशासनपक्षतः प्रकल्प्यते। राज्यशासनानि एषां बालानां कृते 600/- रूप्यकाणि सहायतायै दद्युरित्यपि अपेक्षोपस्थापितास्ति।

अधिगमे अशक्तता (Learning Disability)

अधिगमे अशक्त-बालानां (Learning Disability) शारीरिक-मानसिकनिशक्तता महती न भवति। किन्तु, एषां पठने, लेखने अवगमने च मन्दगतिः भवति। समावेशात्मकशिक्षायाः सिद्धान्तानुसारेण विद्यालयप्रबन्धनममीषां बालानां कृते मैत्रीपूर्णवातावरणं सुनिश्चिनुयात्। समवयस्कसमूहे क्रीडाविधिना क्रियाकेन्द्रितस्य शिक्षणस्य आयोजनं भवेत्। सहैव एभ्यः स्वगत्या अध्ययनाय स्वातन्त्र्यं कल्पनीयम्। अनेन सहयोगस्य भावना वर्धते। एतदर्थमधोलिखितोपायाः आध्रियन्ते-

1. सामुदायिकभावनायाः समृद्ध्यर्थं क्रीडानामायोजनम्
2. समस्यासमाधानविधौ विद्यार्थिनां सक्रियभूमिकानिर्धारणम्
3. पुस्तकानां परस्परम् आदान-प्रदानम्
4. गीतागानादिना अभिव्यक्तये/अभिव्यक्त्यर्थम् वातावरणनिर्माणम्
5. कलादीनां क्रियाकलापानाम् आयोजनार्थं लघुकार्यदलनिर्माणम्

6. बालानां कृते लक्ष्यनिर्धारणं विधाय अभिप्रेरणम्
7. अभिभावकानां सहयोगस्वीकरणम्
8. विशेषप्रशिक्षितशिक्षकाणां सहयोगस्वीकरणम्

सामाजिक-आर्थिकरूपेण वंचितवर्गीयता

(Children from Socially Economically Backward Class)

प्रायशः एषां बालानां विद्यालये प्रवेशे संख्यागतदृष्ट्या न्यूनता परिदृश्यते। जात्याधारेण भौगोलिकविषमतया इमे बालाः सांस्कृतिकरूपेण भिन्नाः इति मत्वा हीनशैक्षणिकदृष्टिकारणात् शिक्षायाः मुख्यधारातः एते दूरे तिष्ठन्ति। प्रायशः इमे बालाः आर्थिकरूपेणापि समृद्धाः न भवन्ति। एषु वर्गेषु शिक्षायाः महत्त्वविषयेऽपि जागरूकता न भवति। तत्र सामाजिकरूपेण वंचितवर्गस्य बालानां कृते भारतीयसंविधानस्य 15 (4), 45 46 धारासु प्रावधानानि सन्ति। एषां बालानां समावेशितशिक्षायाः आयोजनार्थं सांवैधानिकाधिकाराणाम् आलोके व्यवस्था विधेया। आदौ एतेषां परिवारे शिक्षायाः महत्त्वं सम्यग्रीत्या प्रतिपाद्य बालानां नामांकनं वर्धापनीयम्। एतेषां सांवैधानिकाधिकाराणां शासकीयकल्याणयोजनानां च विषये एते प्रबोधनीयाः। विद्यालये सर्वसमभावशिक्षणस्य व्यवस्था विद्यालयप्रबन्धनेन सुनिश्चेतव्या ।

एवमेव आर्थिकरूपेण प्रभावितानां बालानां कृतेऽपि व्यवस्था विहितास्ति। तत्र शिक्षा प्रत्येकमपि बालकस्य मौलिकाधिकारः इति संविधानभावनां क्रोडीकृत्य शिक्षाधिकार-अधिनियमः (2009) इत्यस्यानुसारेण शिक्षा निश्शुल्करूपेण अनिवार्यरूपेण च भवतीति सुनिश्चीयते। निर्धनतायाः कारणतः विद्यालयसमस्यायाः उन्मूलनाय मध्याह्नभोजनस्य योजनापि प्रचाल्यते। एवमेव निश्शुल्करूपेण पुस्तकानां गणवेषाणां च व्यवस्था विधीयते। तत्र माध्यमिकस्तरे निश्शुल्कभोजनसमावेशीशिक्षायोजना (ईडीएसएस) 2009-10 तः आरब्धा। सैषा योजना 2013 तमे वर्षे राष्ट्रीयमाध्यमिकशिक्षाभियाने (आरएमएसए) समाहिताभवत्।

समावेशात्मकशिक्षायै शिक्षणव्यूहा:

समावेशात्मकशिक्षायाः आयोजनार्थम् अधोलिखितरूपेण शिक्षणव्यूहाः भवितुमर्हन्ति -

1. विद्यालये समावेशितवातावरणनिर्माणम् –

कस्यचिदपि स्तरस्य शिक्षणे विद्यालयीयवातावरणस्य अतीव महत्त्वं भवति। विद्यालये प्राप्तस्य अवान्तरज्ञानस्य स्रोतः एतद्वातावरणमेव भवति। अतः समावेशितशिक्षायै एतदावश्यकमस्ति यत् विद्यालयस्य वातावरणं सुखदं सर्वानुकूलकं च भवेदिति। एतदतिरिच्य् विद्यालये विशिष्टबालानां विशिष्टशैक्षिकावश्यकतानां पूर्त्यर्थम् आवश्यकानि संसाधनानि शैक्षिकसहायताश्च भवेयुरिति।

2. सर्वेषां कृते विद्यालयः –

समावेशितशिक्षायाः मूलभावनैव एषा अस्ति यत् विद्यालये सर्वेभ्यः बालकेभ्यः युगपद्रूपेण

ज्ञानदानं भवेत्, परन्तु सामान्यदृष्टौ आयाति यत् विशिष्टबालकस्य विशिष्टशैक्षिकावश्यकताः दृष्ट्वा विद्यालयप्रबन्धनम् आत्मनः असमर्थतां विज्ञाप्य विद्यालये प्रवेशमदत्त्वा कस्यचित् विशेषविद्यालयस्य नाम संस्तुवन्ति। समावेशितशिक्षायाः उद्देश्यानुगुणं विद्यालये प्रवेशनीतौ परिवर्तनं भवेत् । एतदर्थं शिक्षाधिकार-अधिनियमे (2009) प्रावधानानि अपि सन्ति, येषां पालनं सुनिश्चेतव्यम्।

3. बालकानामावश्यकतानुगुणं पाठ्यक्रमनिर्माणम् –

बालकान् शिक्षितान् कर्तुं सर्वाधिकं प्रभावकारकं विधानमस्ति क्रीडा। समावेशितशिक्षाव्यवस्थायै आवश्यकमस्ति यत् विद्यालयीयपाठ्यक्रमः बालानाम् अभिवृत्तिं, मनोवृत्तिम् आकांक्षां क्षमतां च मनसि निधाय रचनीयः इति। अयं हि पाठ्यक्रमः विविधतापूर्णः भवेत्, येन प्रत्येकमपि बालकस्य रुचितुष्टिः भवेदिति। अनेन पाठ्यक्रमेण बालकः सामाजिकजीवनाय सन्नद्धो भवतु। एतदर्थं मार्गदर्शनस्य निर्देशनस्य चापि व्यवस्था कारणीया। किशोरावस्थायाः शारीरिक-मानसिकपरिवर्तनानामपि पाठ्यक्रमे ध्यानं दातव्यम्।

4. प्राविधिकोपकरणानाम् उपयोगः–

अद्यत्वे प्रविधिप्रयोगेण वयं शिक्षायाः व्यापकप्रसारं चिरस्थायिरूपेण कर्तुं प्रभवामः। समावेशितशिक्षासन्दर्भे प्राविधिकोपकरणानां प्रयोगेण प्रत्येकमपि बालकः स्वगत्याध्ययनं कर्तुं शक्नोति। एषामुपकरणानामुपयोगेन बालकानां सामाजिकान्तःक्रियासु तीव्रतानयनं सुकरं भवति। अतः समावेशितशिक्षायै अनुकूलस्य वातावरणस्य निर्माणार्थं बालकेभ्यः, अभिभावकेभ्यः शिक्षकेभ्यश्च नवीनप्राविधिकोपकरणानां विधीनां प्रायोगिकपरिचयः सम्पादनीयः।

5. शिक्षकाणां पर्याप्त-प्रशिक्षणम् –

शिक्षक एव शिक्षातन्त्रस्य मध्यधुरिः भवति। शिक्षणे विद्यालयभवनम्, पाठ्यक्रमः, पाठ्यसहगामिक्रियाः, सहायकशिक्षणसामग्री इत्यादीनां महत्त्वं नूनमेव भवति, किन्तु शिक्षक एव तत्र प्राणशक्तिरूपेण शिक्षणाधिगमप्रक्रियां सजीवां करोति ।

6. सामान्ये नियमिते च विद्यालये भेदभावं विना सर्वेषां विद्यार्थिनां कृते उपायाः

- वैयक्तिकावधानम्
- छात्रैः सह वैयक्तिकसम्बन्धस्थापनम्
- लघुसमूहे अध्यापनम्
- क्रियात्मकशिक्षणविधीनां समुपयोगः
- सामुदायिकसहयोगपद्धत्याशिक्षणम्
- अभिभावकानां साहाय्यम्
- पुनर्बलनम्
- छात्रक्रियायां प्रतिक्रिया
- सकारात्मकचिन्तनस्य सर्जनम्

- समाजे विद्यालये च जागरूकतासम्पादनम्
- सामान्यविद्यार्थिनां कृतेऽपि विशिष्टशिक्षायाः ज्ञानप्रदानम्
- पाठ्यसहगामिक्रियाणां विशिष्टमायोजनम्

समावेशितशिक्षायाः आयोजनार्थम् उपयोक्तुं योग्यानि प्रतिमानानि

- मिश्रितप्रतिमानम् (Combined Model)
- सहयोगात्मकप्रतिमानम् (Cooperative Model)
- समूहप्रतिमानम् (Cluster Model)
- द्विशिक्षणप्रतिमानम् (Dual Teaching Model)

समावेशितशिक्षायाः आयोजनार्थं परामर्शाः

- सुदूरक्षेत्रेषु ग्रामीणक्षेत्रेषु च स्थानीयकार्यकर्तारः, सामुदायिकाधिकारिणः, प्रशिक्षितशिक्षकाः दायित्वं निर्वहेयुः।
- विशिष्टविद्यालयानां सामान्यविद्यालयानां च मध्ये सेतुबन्धनं भवेत्।
- प्रदर्शनाधारितं मूल्यांकनं भवेत्।
- अशासकीयसंघटनानां, शासकीयाभिकरणानां, विद्यालयानां च समन्वयनं भवेत्
- अन्तःकरणसेवाप्रशिक्षणम् अनिवार्यतः स्यात्।
- नीतिनिर्धारकजनानाम् अभिमुखीकरणप्रशिक्षणम् अवश्यं भवेत्।
- कस्यामपि स्थितौ विशिष्टबालकानां विद्यालयनिष्कासनं न भवेत्।
- दूरस्थमाध्यमेन विद्यार्थिनां साहाय्यं भवेत्।

सन्दर्भग्रन्थाः

1. Ainscow, M.; Booth. T; The Index for Inclusion: Developing learning and participation in Schools. Bristol: Center for Studies in Inclusive Education, 2003
2. Ahuja, -., Jangira, N.K.; Effective Teacher Training; Cooperative Learning Based -pproach: National Publishing House, New Delhi, 2002
3. Bernard H. W.; Psychological of Learning Teaching, McGraw Book Company
4. Jangira N.K. Mani, M.N.G., Integrated Education for Visually Handicapped, Gurgaon, Old Subjimandi, -cademic Press, 1990
5. Jha, M., Inclusive Education for all: Schools Without Walls, Chennai, Heinemann Educational publishers, Multivista Global Ltd., 2002
6. Sharma, P.L.; Teachers Handbook on IED- Helping children with special needs NCERT Publication, 1990

सहायकाचार्यः,
शिक्षाशास्त्रविभागः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

भारते समावेशात्मकविद्यालयः संसाधनानि उपलब्धता च

डॉ. प्रेमसिंहसिकरवा

समावेशात्मकशिक्षा छात्राणां जीवनबाधायाः निवृत्तये नूतनसौविध्यस्य परिकल्पनायै च समाजेऽस्मिन् प्रयतते। अयं हि विषयः भारते नूतनः, अध्ययनदृष्ट्या व्यावहारिकदृष्ट्या तु अत्यन्तम् उत्तमः आदरणीयः प्राचीनकालादेव। यतो हि एनं विषयं प्रायेण विद्यालये गुरुकुलेषु आश्रमेषु च अवलोकयामः एव। तत्र हि आरुणेरुदाहरणमादरणीयम्। को वा न जानाति महान्तं विद्वांसम् अष्टावक्रम् सः हि अनेकेषां पारम्परिकग्रन्थानां रचयिता जनकसभायां विजेता चासीत् इति। यत्र सर्वविधछात्राः समानवातावरणेऽध्ययनावसरं प्राप्नुयुः सा शिक्षा समावेशात्मकशिक्षा इति। सामान्यविद्यालये विश्वविद्यालयेषु वा दिव्याङ्गबालकानां समावेशो जायेत इत्येतदर्थम् अस्य विषयस्य समारम्भः। सामान्यतः सप्तविधाः दिव्याङ्गाः उच्यन्ते-

- शारीरिकरूपेणाक्षमाः।
- मानसिकरूपेणाक्षमाः।
- सांवेगिकरूपेणाक्षमाः।
- अधिगमे असमर्थाः।
- मिश्रितावस्था।
- निर्धनाः।
- गतिरहिताः अध्ययने व्यवहारे वा।

एतेषां सप्तविधानां बालानां सर्वविधविकासाय शिक्षणकौशलविकासः विद्यालयसामर्थ्यविकासश्च नितराम् अपेक्षितः, यतः एतेषां त्रयाणां वर्धनाय निरन्तरं भ्रमः शिक्षकेषु अपेक्षितोऽस्ति। दिव्याङ्गछात्राणां यथासाहाय्यम् उचितमार्गदर्शनं च भवेत् तदर्थं नियतप्रयत्नस्य आवश्यकता दरीदृश्यते तदर्थमेव विद्यालयाः अपि अपेक्षिताः एव। समावेशि-शिक्षायाः पूर्वपीठिकां चिन्तयामश्चेत् आदौ प्राथमिकस्तरस्य विशिष्टप्रशिक्षणम् अपेक्षितमस्ति। समावेशितशिक्षायाः व्यवहारे समावलम्बनाय समीपवर्तिनाम् अभिभावकानां मित्राणां शिक्षकाणां स्वीयस्य प्रेरणा चिन्तनपरिष्कारश्चापेक्षितो भवति। यतः एतेषामेव विकासद्वारा समाजस्य समग्रोऽपि विकासो भविता इति। समावेशितशिक्षायाः परिपालनाय समाजे व्यवहार-योजनायै च सम्पूर्णशिक्षाप्रणाली, सामाजिकीकरणप्रक्रिया, सामाजिकस्थितिश्चेत्यादीनां व्यवस्थितपरिज्ञानस्य आवश्यकता दरीदृश्यते। यावत्पर्यन्तं समाजे एतेषां सुस्पष्टतया परिज्ञानं न जायते तावत्पर्यन्तं रोगोपचारः परिवर्तनप्रक्रमः न

समारप्स्यते इति मनसि अवलम्बनीयमेव। तेनैव परिणामोऽपि स्थिरः उचितश्च भविष्यति। छात्राणामपि समाजानुकूलत्वं भविष्यति एव।

मानसिकरूपेण, शारीरिकरूपेण असमर्थानां विशेषसाहाय्यसम्पादनाय निरन्तरश्रमोऽपेक्षितः। अक्षमाः बालाः अपि सामान्यबालकैः सह अध्ययनावसरं प्राप्नुयुः तेन ते प्रगतिपथं शीघ्रतया आरुढाः स्युरिति।

समावेशात्मकविद्यालयः-

समावेशात्मकविद्यालयः कः कीदृशः च स्यात् इति महत्त्वपूर्णः प्रश्नः? तदा उत्तरे चिन्तिते सति यत्र सामान्यबालैः सह अक्षमबालाः दिव्याङ्गबालाश्च अपि सहजतया पठेयुः ते विद्यालयाः एव समावेशात्मकविद्यालयाः इति। सर्वेऽपि दिव्याङ्गबालाः सर्वेषु विद्यालयेषु न पठितुमर्हन्ति इति तु चिन्त्यः विषयः यतः न सर्वेऽपि आचार्याः सर्वान् विषयान् परिचिन्वन्ति जानन्ति वा। शिक्षकाणामपि काचित् मर्यादा भवति एव। केचन शिक्षकाः स्वीयं विषयदार्ढ्यं सन्धारयन्ति इति। अतः आंशिकरूपेण इति पदम् अत्र मनसि धारणीयमेव इति। अस्मिन् विषये क्रमशः विचार्यते चेत् समावेशात्मकविद्यालयाः द्विधाः अवलोक्यन्ते- 1. विशेषविद्यालयाः, 2. सामान्यविद्यालयाश्च।

विशेषविद्यालयाः-

विशेषविद्यालयाः अक्षमाणां बालानां निमित्तं भवन्ति यत्र आवासीया व्यवस्था बालेभ्यः प्रदीयते यतः सर्वेऽपि बालाः सामान्यपरिश्रमेणैव सर्वविधसौविध्यं सम्प्राप्य अध्ययनं कर्तुं प्रभवेयुः उदाहरणरूपेण बधिराणां कृते भिन्नविद्यालयाः, दृष्टिबाधितानां कृते भिन्नविद्यालयाः, मानसिक-विकारयुक्तानाञ्च कृते भिन्नविद्यालयाः। एतेषु सर्वेषु अपि विद्यालयेषु सर्वेषां छात्राणां कृते भिन्नभिन्नव्यवस्था भवति। प्रायेण दृश्यतेऽत्र धनव्ययो महान् भवति अतः निर्धनानां कृतेऽत्रापि कष्टं जायते इति।

सामान्यविद्यालयाः-

सामान्यविद्यालयाः अस्मान् परितः सर्वत्रापि विद्यन्ते एव तेषु विद्यालयेषु समानतया सर्वेऽपि छात्राः अधीयन्ते। किन्तु एतेषु विद्यालयेषु संसाधनानां प्रशिक्षितशिक्षकाणां च महान् अभावो भवति। दिव्याङ्गच्छात्राणामेतेषु विद्यालयेषु व्यवस्था न दृश्यते। एतेषु सामान्यविद्यालयेषु अक्षमच्छात्राणाम् अध्ययनव्यवस्था जायेत इति शिक्षाशास्त्रिणामभिप्रायः। अस्मिन् सन्दर्भे कोठारी शिक्षायोगेनापि चर्चा कृता।

येषां बालकानां बालिकानां वा शरीरस्य अङ्गेषु विकृतिर्जायते ते शारीरिकाक्षमाः इति उच्यन्ते। अत्र अन्धाः, बधिराः, मूकाः, खञ्जाः, हस्तविकारयुक्ताः अधिगमाक्षमाश्च अन्तर्भवन्ति। एतादृशानां बालकानां गृहस्य जनाः अपि क्वचित्स्वीयबालानामवहेलनां कुर्वन्ति इत्यस्यापि निवारणावश्यकता

दरीदृश्यते एव। तेषां कृते शिक्षायाः यथोचितव्यवस्थां न कल्पयन्ति। अक्षमबालानां सङ्ख्या अधिका न भवति अतः एतेषां कृते शिक्षायाः समानावसराः भवेयुः येनैतेषां जीवने परिवर्तनं सुखपूर्णं जायेत। उत्तमा शिक्षा एव जीवने परिवर्तनम् आनयति। उत्तमशिक्षया भूषितास्सन्तः एव जनाः सुयोग्याः नागरिकाः भवन्ति। कोठारीशिक्षायोगेन शारीरिकाक्षमाणां कृते शिक्षासन्दर्भे कार्यद्वयं प्रस्तावितम्-

1. सामान्यशिक्षाप्रणाल्यां शारीरिकाक्षमाणां शिक्षायै विशेषशिक्षायाः व्यवस्था।
2. विशिष्टविद्यालयेषु पृथक् रूपेण शिक्षाव्यवस्था।

1977-78 तमे वर्षे शारीरिकाक्षमाणां कृते समन्विताशिक्षायोजनायाः प्रारम्भः जातः। इतः तेषां निम्नङ्कितानि सौविध्यानि कल्पितानि।

- विद्यालयेषु अध्ययनशीलेभ्यः छात्रेभ्यः प्रतिमासं पञ्चविंशतिः रूप्यकाणां वाहनभत्तारूपेण प्रदानम्।
- वर्षे एकवारं पुस्तकेभ्यः लेखनसमग्रीभ्यश्च 250 रूप्यकाणाम् अनुदानरूपेण प्रदानम्।
- प्रत्येकं विद्यालयस्य सन्दर्भे मनोवैज्ञानिकपरीक्षणाय उपकरणानां व्यवस्थायै प्रतिछात्रं 500 रूप्यकाणां प्रदानम्।
- अन्धबालेभ्यः अन्धविद्यालायानां मूकबधिरेभ्यः मूकबधिरविद्यालयानां च स्थापना।
- केन्द्र सर्वकारेण देहरादूननगरे अन्धशिक्षायै राष्ट्रिय-केन्द्रस्य स्थापना कृता। अत्र ब्रेलप्रैस अन्धोपकराणानां निर्माणाय व्यवस्था अपि सम्पादिता तथा चाध्यापकप्रशिक्षणम् अपि प्रारब्धम्।

संसाधनानि-

1. मानवसंसाधनानि
2. भौतिकसंसाधनानि च

मानवसंसाधनानि-

1. शिक्षकाः प्रशिक्षिताः स्युः
2. अध्यापकाः मनोवैज्ञानिकप्रयोगकरणे दक्षाः स्युः।
3. सकारात्मकदृष्टियुक्ताः स्युः
4. संवेदनशीलाः शिक्षकाः स्युः।
5. कर्मचारिणां प्राचार्याणाञ्च प्रेरणात्मकस्वभावः स्यात्।
6. इतरे छात्राः सकारात्मकबुद्धियुताः स्युः।

शिक्षकाणां परितः स्थितानां मानवीयसंसाधनानां माध्यमेन छात्रेषु अकल्पनीयः आत्मविश्वासो वर्धिष्यते इति अभिप्रायः अतः समञ्जनपूर्णो व्यवहारः सर्वेष्वपि आनेतव्यः। येन समाजे काचित् नूतना क्रान्तिः आयास्यति। यतः दिव्याङ्गबालाः विशेषशक्तियुताः भविष्यन्ति इति निश्चितमेव।

भौतिकसंसाधनानि-

अक्षमछात्राणां पूर्णविकासाय भौतिक-संसाधनानां महती भूमिका दरीदृश्यते। भौतिक-संसाधनानामभावे छात्राणामुचितविकासो भवितुं नार्हति। भौतिकसाधनानि तेषां छात्राणां विकासाय सहायकानि भवन्ति। तत्र हि बाहुल्येन–

1. अन्धेभ्यः ब्रेललिपिसम्बद्धोपकरणानां व्यवस्था।
2. मूकेभ्यः दृश्यश्रव्योपकरणानामुचितव्यवस्था।
3. बधिरेभ्यः अभिव्यक्तेः प्रशिक्षणम्
4. हस्तविकारयुक्तेभ्यः कृत्रिमहस्तादीनां व्यवस्था, परीक्षाकाले अतिरिक्ततया लेखनसहायकस्य व्यवस्था करणीया।
5. पादविकारयुक्तेभ्यः यानपादीनामुचितव्यवस्था।
6. मानसिकरोगिणां कृते मनोवैज्ञानिकसमर्थशिक्षकाणां व्यवस्था।

यथोपेक्षितं छात्राणां विकासदृष्ट्या उपलब्धता-दृष्टिं मनसि निधाय समावेशितशिक्षायाः समारम्भो जातः इति स्पष्टमेव। छात्राणां पूर्णविकासः येन क्रमेण जायेत तस्य क्रमस्य समञ्जनायैव समावेशितशिक्षा समारब्धा इति प्रतीयते। भेदभावः अस्पृश्यता च समाप्येरन् सर्वेषां समानरूपेण आत्मगौरवरक्षणं भवेदिति विचारः वास्तविकरूपेण करणीयः इति।

उपलब्धता-

साम्प्रतं देशे सर्वत्रापि प्रायः विशेषव्यवस्था-समन्विताः विद्यालयाः सन्ति एव। तथापि सामान्यविद्यालयेष्वपि शारीरिकाक्षमेभ्यः विशेषव्यवस्था जायेत। यथा बाहुल्येन विशेषविद्यालयेषु महान् धनव्ययो भवति। गमनागमनेऽपि महान् व्ययो भवति। सामान्यविद्यालयेषु समुचितव्यवस्था भवति चेत् उद्योगावसराः आधिक्येन समुत्पत्स्यन्ते। छात्रेभ्यः छात्रवृत्तिः अध्ययनसौविध्यञ्च विशिष्य परिकल्पनीयम् अस्ति।

निष्कर्षः-

1. समावेशितशिक्षायाः मुख्यः आधारः वर्तते छात्राः स्वभाविक रूपेण अध्येतुं शक्नुयुः।
2. छात्राणां शिक्षणप्रविधौ वैविध्यं भवेत्।
3. सर्वेषामध्ययनाय वातावरणनिर्माणम्।
4. सर्वत्रापि अध्ययनवातावरणनिर्माणम्।
5. उचितव्यक्तिगतशक्तीनां विकासः।
6. व्यक्तिगतक्षमताभिस्सह समञ्जनस्थापनम्।

समावेशात्मकी-शिक्षा-बीजं व्याकृति-वाङ्मये यथा

1. **मङ्गलाचरणं चारु-**

गणेशं शारदां नत्वा नौमि साम्बं शिवं गुरुम्। परमगुरुमोंकारं नौम्याकाश-स्वरूपिणम्।
परमेष्टिगुरुं ज्योतिं वन्दे ब्रह्माण्डरूपिणम्। व्याकृति-दृष्टि-संवृद्ध्यै पूर्वपक्षसमीक्षणम्।
सम्प्रज्ञात-समाधौ या दिव्य-दर्शन-संगतिः। स्वतो मे संयमे जाते स्वानुभूती समन्तता।

2. **माङ्गलिकी परम्परा-**

आदौ मध्ये च अन्ते च माङ्गलिकी परम्परा। पातञ्जले महाभाष्ये समर्थिता हि राजते।
मङ्गलादीनि मध्यानि मङ्गलान्तानि सन्ति चेत्। प्रथन्ते सर्वशास्त्राणि श्रोतारो दीर्घजीविनः।
मङ्गलाचरणत्वाद्धि वक्तारः ख्यात-कीर्तयः। उदाहरणदानेन तत्थ्यमिदं हि सिद्ध्यति।
सर्वमङ्गल-मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते।
वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ-प्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ।
वर्णानामर्थ-संघानां रसानाञ्छन्दसामपि। मङ्गलानाञ्च कर्तारौ वन्दे वाणी-विनायकौ।

3. **विषय-प्रस्तुतिः श्रेष्ठा विशेषज्ञ-विमर्षिता।**

वैदिक-बौद्ध-जैनानां व्याकरणं हि संस्कृते। समावेशात्म-शिक्षायाः सम्भावनाः क्रियान्विते।
राष्ट्रियायां हि संगोष्ठ्यां विषयोऽयं समीक्ष्यते। विद्यासु हि सर्वासु व्याकरणं सहायकम्।
काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्। प्रदीपः सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते।
समावेशात्मकी शिक्षा पद-पदार्थ-चिन्तने। संश्लिष्ट-पद-विज्ञाने विश्लेषण-क्रियाविधौ॥
पदार्थ-परिभाषार्थ व्याकरणं प्रयुज्यते। समावेशात्मकी-शिक्षा-बीजं संस्कृत-वाङ्मये।
वैदिक-वाचि तत्र ऋग्वेदे हि समानता। मानवैक्य-विधानाय सर्व-हित विधानता।

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन मन्त्रेण हविषा जुहोमि॥

(ऋग्वेदे 10.191.02)

ऋग्वेदिकेऽत्र संदेशो भवनैक्यविधानता। समावेशित-शिक्षायै विशेषार्थं प्रतीयते।
मानवानां मनस्यैक्यं विधातुमुपायता। सर्वजनोपकाराय नास्ति शिक्षां विनापरा।
उन्नयथ पुनर्हीनमवहितं जनं सदा। (ऋग्वेदे 10.137.01)
उन्नेतव्यो जनो हीनः पतित-हितमिच्छुकैः। हितादृवञ्चित-दिव्याङ्गो समुन्नेयो हि शिक्षया।
सर्वे प्रत्तेरधिकारिणोमता, शक्ताः अशक्ताः पदयोर्जगत्प्रभोः।
नापेक्ष्यते तत्र कुलं बलं च वा न चापि कालो न च शुद्धतापि।

(वै.म.भा. 4.50)

वक्तुं सारबिन्दवः

समावेशित-शिक्षायाः अभावादेव कष्टदौ। शकुनिर्धृतराष्ट्रश्च दिव्यांगौ पाद-नेत्रयोः।

अष्टावक्रः महाज्ञानी समावेशित-शिक्षया। उन्नते शिखरं यातो जनकगुरुमानतः।

एकलव्यो महाधन्वी दक्षिणांगुष्ठदानतः। समावेशित-शिक्षायाः अभावादेव कष्टगः।

स्वज्ञातिषु मानभंगत्वात् कर्तनपुच्छमूषकः। समावेशित-शिक्षायाः अभावादेव कष्टगः।

1. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्।
2. सर्वेषां हि विकासाय, दिव्यांगानाञ्च शिक्षणम्। सर्वेषां सहयोगाय अशक्तानां प्रशिक्षणम्।

आचार्यः, व्याकरणविभागे
रा.सं.सं. (मा.वि.वि.) जयपुर परिसर

समावेशात्मकविद्यालयस्य निर्माणम्

डॉ. कैलाशचन्द्र...

मानवेषु काश्चन सार्वभौमिक-समानताः असमानताश्च विद्यमानाः भवन्ति। असमानता... व्यक्तिगत-विभिन्नता उच्यन्ते। एवमेव बालकेषु दैहिक-बौद्धिक असमानताश्च भवन्ति। तदाधारे... शिक्षाव्यवस्था कल्पनीया इति समावेशात्मकशिक्षायाः मुख्यमुद्देश्यं वर्तते।

बालकेषु शारीरिक-संवेगात्मक-शैक्षिक-सामाजिक-नैतिकदृष्ट्या च याः विभिन्नताः विद्यन्ते ता... विभिन्नतासु विशिष्टबालकानां बह्व्यः समस्याः जायमानाः सन्ति यथा-उत्पादकता-उपयोगिताया... समस्या, बाधारहितवातावरणस्य समस्या, भेदभावः, सामाजिक-उपेक्षा नकारात्मकचिन्तनम्, क्षमतान... उपेक्षयायोजनानां नियोजनस्य समस्या, पाठ्यक्रमस्य समस्या, सामाजिकअसुरक्षायाः समस्या, प्रशिक्षणस्य समस्या, प्रशिक्षणोपकरणानां समस्या पाठ्यसहगामिक्रियासु शिथिलता, संसाधनानामभावः, इत्यादीन... समस्यानाम् निवारणाय विभिन्नसंस्थाभिः केन्द्रसर्वकारद्वारा तथा च विभिन्नैः आयोगैः विकलाङ्गबालकानां सर्वाङ्गीणविकासाय प्रयत्नः विहितः। यथा-कोठारी-आयोगेन 1966 तमे वर्षे विशिष्टसमूहस्य शिक्षाव्यवस्थायै संस्तुतयः प्रदत्ताः।

1. बाधित-सामान्यबालकयोश्च परस्परम् अवगमनभावनासु अभिवृद्धिः।
2. पृथक्शिक्षाव्यवस्थायाः कृते अपव्ययस्य निवारणम्।
3. बाधितसामान्यबालकयोश्च मध्ये समायोजनसमस्यां निराकर्तुं समन्वितशिक्षाकार्यक्रमाणाम् आवश्यकता वर्तते इति।

भारतीयसंविधाने शिक्षायाः समानावसरस्य प्रावधानमस्ति। तत्र असमर्थ-अपङ्ग-बाधितबालकानां शिक्षाव्यवस्थायाः दायित्वं समाजकल्याणमन्त्रालयस्य आसीत्, परन्तु राष्ट्रियशिक्षानीतिः 1986 इत्यस्य क्रियान्वयनस्य प्रारूपं 1992 मध्ये प्राचीनसिद्धान्तानां नियोजनस्य प्रस्तावः प्रदत्तः तेन विशिष्टबालकानां कृते शिक्षायाः उत्तरदायित्वं शिक्षाविभागाय प्रदत्तम्। विशिष्ट बालकान् शिक्षायाः मुख्यधारायाम् आनेतुं दृढसंकल्पः कृतः। शारीरिक-मानसिकविकलाङ्गानां तथा च बाधितअसमर्थबालकानां शिक्षा सामान्यबालकैः सह भवितव्या।

शिक्षायाः सार्वभौमिकीकरणस्य सुनिश्चिततायै अन्तिमपङ्क्तौ स्थितानां बालकानां प्राथमिक्यां समन्वितशिक्षायाः व्यवस्था सामाजिकगौरवाय वर्तते। एतदर्थं ''सेन्टर फॉर सोशल इक्विटी एण्ड इन्क्लूजन'' (सी.एस.इ.आर.) ''नेशनल इक्विटी वर्किंग ग्रुप (न्यू-जी) ऑन एज्युकेशन ऑफ फॉ...

स्कूल'' इत्यादिभिः विद्यालय-अधिगमयोः विषये चिन्तनं विधाय विभिन्नस्तरेषु शिक्षा व्यवस्थायामवरोधकानां निवारणोपायाः संसूचिताः। पर्याप्तरूपेण संसाधनानां विकासाय वित्तीयव्यवस्था तत्र सुदृढा स्यात्तेन योजनानां नियोजनं सफलं भविष्यति।

समावेशात्मकशिक्षायाः औचित्यं संसाधयितुं सर्वशिक्षा-अभियानं भारते आरम्भे ''सर्वे पठन्तु अग्रे सरन्तु च'' इति ध्येयवाक्येन विभिन्नशैक्षिककार्यक्रमाणाम् आयोजनं व्यापकस्तरे समारब्धम्। अधिगमस्तरं संवर्धनाय . प्रशिक्षिताध्यापकानां नियुक्तिः, 'मॉडल विद्यालयानां स्थापना', विशेषावश्यकतानां बालकानां परिज्ञानं तेषामेव सामान्यविद्यालयेषु समाकलनं, समेकित शिक्षा, ब्रिजकोर्स, उपकरणेत्यादीनां व्यवस्था कल्पिता। सर्वविधविकलाङ्गबालानां सर्वाङ्गीणविकासाय सहशैक्षिकगतिविधीनाम् आयोजनं सामाजिक-स्तरे सकारात्मकं-दृष्टिकोणं निर्मातुं शैक्षिकसंगोष्ठीनां, कार्यशालानामायोजनम् विधाय विशेषविद्यालयेषु कार्यरत-अध्यापकानां कृते प्रशिक्षणं प्रदाय दृष्टि-बाधित-शारीरिक-असक्षम-मूकबधिर-मानसिकन्यूनतावतां बालकानां कृते समावेशित-विद्यालयस्य निर्माणम् इदानीं प्रवर्धमानं वर्तते।

सहायकाचार्यः(संविदा)
राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थानं
शिक्षा-विभागः, जयपुरपरिसरः

यदि सन्ति गुणाः पुंसां विकसन्त्येव ते स्वयम्।
न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते।।

If a person has good qualities, they spread by themselves (others get to know about his qualities automatically, he does not have to advertise them).

(As) aroma of musk does not need an oath (if proved by itself).

आधुनिकसन्दर्भे संस्कृतवाङ्मये समावेशितशिक्षायाः स्वरूपं प्रासङ्गिकता च

अभिनव उपाध्यायः

निखिलब्रह्माण्डे संस्कृतवाङ्मयम् एव सर्वविधज्ञानमार्तण्डरूपेण शोभते। ज्ञानराश्यर्णवेऽस्मिन् शिक्षायाः विविधबीजानि प्राप्यन्ते। समावेशात्मकशिक्षा एतादृश एव बीजबिन्दुः वर्तते यस्य प्रथमोल्लेखः ऋग्वेदे दशम-मण्डले संज्ञानसूक्ते प्राप्यते यथा-

''सङ्गच्छध्वं संवद्ध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानानामुपासते।।
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम्
समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वा हविषा जुहोमि
समानी व आकूतिः समानाहृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति।

इत्यादयः ऋचः समावेशात्मकशिक्षायाः उपरि प्रकाशनम् उत्क्षिपन्ति। समावेशात्मकशिक्षा नाम सा शिक्षा यस्यां सर्वेषां कृते शिक्षा प्रापणे स्थानं स्यात्। यस्यां सर्वे सम्भूय विना कैरपि भेदभावैः शिक्षां प्राप्नुवन्ति। मुख्यरूपेण यत्र विशिष्टक्षमतायुक्तबालैः सह अक्षमाः ये सन्ति तेषां कृते अपि सर्वविधं उपयुक्तं स्थानं भवति। सा समावेशात्मकशिक्षा राष्ट्रनिर्माणाय अत्यावश्यकी वर्तते। यस्याः बीजानि वयं विभिन्न पुरापरम्परासु प्राप्नुमः। पुरा भारते समावेशात्मक-शिक्षायाः एव प्रसारः आसीत्। गुरुकुलशिक्षापद्धत्यां गुरुकुलेषु सर्वेषां कृते समान-शिक्षा प्रदीयते स्म। समावेशात्मकशिक्षायाः उद्देश्यं भवति यत् विना भेदभावेन सर्वेषां कृते शिक्षायाः प्रावधानं भवेत्। अस्मिन्नेवक्रमे भारतीयसंविधाने अनु. 21A शिक्षा जनानां मूलअधिकाररूपेण आटंकिता। अनु. 15,41,45 त्रिषु अनुच्छेदेषु विना भेदभावेनेव सर्वेषां कृते शिक्षायाः प्रावधानं विहितम् अस्ति। 1995 तमे वर्षे निशक्तव्यक्ति-अधिनियमे विशेषजनानामपि शिक्षायां समानोऽधिकारः प्रारब्धः आसीत्। पुनः 2001 तमे सर्वशिक्षा-अभियानकाले भारतीयशासनेन समावेशात्मकशिक्षायाः विशेषाः नियमाः उल्लिखिताः सन्ति।

समावेशात्मकशिक्षायाः मुख्यमुद्देश्यं वर्तते यत् सर्वविधबालानां कृते समान शिक्षा भवेत्। एतस्य लक्ष्यपूर्त्यर्थमेव विशेषतः राजस्थाने मूकबधिर-बालानां कृते चत्वारः विद्यालयाः पुनश्च प्रतिभासम्पन्न-दिव्याङ्ग-छात्राणाङ्कृते द्वौ विशिष्ट-विद्यालयौ वर्तेते। शिक्षायाः उद्देश्यं भवति सन्नियोजनम्।

अत्र योज्य-योजकरूपेण समावेशात्मकशिक्षायाः क्रमः विद्वद्भिः एवमनुसर्यते। यथोक्तं

अमंत्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्
अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्रदुर्लभः।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुःखभाग् भवेत्।

किन्तु कर्गदेषु यत् दृश्यते तद्व्यावहारिकं भवेत्, तदेव समावेशात्मकशिक्षायाः आधारः भविष्यति। वस्तुतः संस्कृतभाषायाम् इत्युक्ते संस्कृतमाध्यमेन संचालितः विद्यालयः महाविद्यालयश्च न दृश्यते, यत्र विशिष्ट-अक्षमानाम्, अशक्तानां बालानां कृते शिक्षा प्रदीयते। संस्कृते सा शक्तिः वर्तते यथा वयं शृणुमः- वैदिकऋचानाम् उच्चारण-अनुच्चारणेन बहुविध-अक्षमतानां निवारणं भवति। सर्वोत्तमम् उदाहरणं एवं यत् महामृत्युञ्जयमन्त्रमाध्यमेन मृतप्रायः जनः पुनः जीवितुं शक्नोति। तर्हि कथं न कोऽपि अशक्तः सक्षमः शक्तः भवितुं नार्हति।

अतः एव समावेशात्मकशिक्षायां संस्कृतस्य उपस्थापना सङ्कल्पनीया तस्याः स्थापना अस्माभिरेव करणीया। यथा-

अक्षमाः हि क्षमाः सन्तु,
बालाः सन्तु च निर्भयाः।
अवशिष्टाः विशिष्टाः स्युः,
समावेशात्मकशिक्षणे।

शोधच्छात्रः

यस्य चित्तं निर्विषयं हृदयं यस्य शीतलम्।
यस्य मित्रं जगत्सर्वं तस्य मुक्तिः करस्थिता।।

He, whose mind is free objects of senses and whose heart is calm (free from passion, anger, greed etc.) entire world is whose friend, He is as good as liberated.

शिक्षकशिक्षायां समावेशात्मकशिक्षायाः पाठ्यक्रमः

सचिनकुमार

शिक्षा हि कस्यचिदपि देशस्य विकासस्य आधारशिला मन्यते। यस्यां समाजस्य सौख्य राष्ट्रस्योन्नतिः, एकता, अखण्डता च निहिता वर्तते। शिक्षेयं न केवलं व्यवसायं न च जीवनयापन यावदेव सीमिता, वस्तुतः शिक्षया बालकानां संज्ञानात्मक-संवेगात्मक-सर्जनात्मकविकासैस्सह तेषु सकारात्मकाभिवृत्तीनां, सहिष्णुतायाः, समतावादि-दृष्टिकोणस्य च विकासोत्पत्त्या सह शोषणरहितसमाजस्य निर्माणेऽपि लाभोऽवाप्यते। एतत् तदैव सम्भवति यदा शिक्षायाः मुख्यधारायां तेऽपि समाविष्टाः स्युः येषां शारीरिक-मानसिक-बौद्धिक-संवेगात्मकावश्यकताः सामान्यछात्रैर्भिन्नाः भवन्ति। समावेशात्मकशिक्षाप्रसंगेऽस्मिन् सतर्कतया क्रियमाणः आशापूर्णः प्रयासोऽस्ति, ''पुरी प्रभृतयः परिभाषयन्ति- Inclusive education is primarily attitude a value and a belief system...not merely a set of action....the word 'include' implies being a part of something, being embraced into the whole; (Puri & others: editors-2004 अर्थात् 'समावेशात्मक शिक्षा मौलिकरूपे एका अभिव्यक्ति मूल्य-विश्वासयोः काचित् प्रक्रिया, केवलं क्रियाणां व्यवस्थैव न वर्तते, अपितु 'समावेशनं नाम कस्यचिद् अंगिनः अंगीभूत्वा 'सम्पूर्णे' समावेशनम् इति।

समावेशात्मकशिक्षा 'शैक्षिक-एकीकरणप्रत्ययानाम् एकं रूपमस्ति। अस्याः साफल्याय सम्बद्धकार्यक्रमेषु परिवर्तनम् अपेक्षितं भवति। परिवर्तनमिदं शिक्षकेणैव कर्तुं शक्यते। शिक्षकः आधुनिकसमयेऽपि छात्रेषु विशेषप्रभावं स्थापयति। वस्तुतः शिक्षकः समावेशात्मकशिक्षायाः प्रकाशस्तम्भ एव, यश्च स्वकीय-संवेदनशीलता-अभिवृत्ति-व्यवहार-शिक्षण-पद्धत्यादिभिः प्रत्येकं छात्र तस्यावश्यकानुगुणं विकासस्य समुचितावसरान् प्रयच्छति। शिक्षकैः अन्तर्वैयक्तिक-सम्बन्धेषु तेषां क्रियात्मकरूपेण च, छात्रेभ्यः स्वीकृतिं समर्थनञ्च प्रदातुं तथा सहकारी-अधिगमाय कक्षान्तर्गतं कक्षातः बहिश्च समुपयुक्तवातावरणस्य निर्माणे कार्यं करणीयं भवति।

एतदर्थं सेवारतानां शिक्षणप्रशिक्षणार्थिनां च शिक्षकाणां प्रशिक्षणाय कार्यक्रमाणां विशदनिर्माणं क्रियान्वयनं चापेक्ष्यते। अतः शिक्षकप्रशिक्षणस्य प्रशासनिकसंस्थाभिः तेषां पाठ्यक्रमेषु समावेशात्मकशिक्षायाः पाठ्यक्रमस्याधारः निर्मीयते। स च पाठ्यक्रमः विविध-संस्था-नीति-कार्य योजनानां संस्तुतीनामाधारेण निर्मीयते।

अस्य पाठ्यक्रमस्य उद्देश्यं समावेशात्मकविद्यालयस्य निर्माणम् अभिज्ञानम् अवगमनञ्चावश्यकं भवति[1]। अयं पाठ्यक्रमः अशक्तता समावेशनम् इत्यनयोः मनोवैज्ञानिकसंरचनाधारेण परिभाषयितुं

शैक्षिकरूपरेखा इव कार्यं कुर्यात्। यतः अमुमाधारीकृत्यैव समस्तस्यपि समावेशनशिक्षायाः कार्यकरणस्य क्रियान्वयनं भवति। समावेशनक्षेत्रस्य विविधनीतीनां नवाचारित-कार्यक्रमाणां च विश्लेषणेन पाठ्यक्रमोऽयं शिक्षकैः पाठ्यमानानाम् अशक्तच्छात्राणां शिक्षार्जनाय आदर्शत्वं स्थाप्य नीतीनां क्रियान्वयनाय एकेन उत्तमाभ्यासेन पुनरीक्षणेन च अधिगम-प्रतिभागयोः अवरोधकानामभिज्ञानमपि (Identification of Barriers of Learning & Participations) भवति।

भारतसर्वकारस्य राष्ट्रियशिक्षानीति (1986) इत्यस्यानुसारं शिक्षकशिक्षायै समावेशात्मक-शिक्षायाः पाठ्यक्रमस्योद्देश्यं शारीरिक-मानसिकदिव्यांगानां समेकितरूपेण सामान्यजनैस्सह समानप्रतिभागी (Equal Partners) रूपेण जीवनयापनाय विकासाय च आत्मविश्वासस्य योग्यताप्रदानम् इत्यस्ति।

संयुक्तराष्ट्रद्वारा समावेशात्मकशिक्षासन्दर्भे समये समये अनेककार्यनीतीनां संगोष्ठीनां कार्यशालानाञ्च आयोजनं विधीयते 'यूनेस्को' (UNESCO) द्वारा आयोजितायाः अशक्तजनाधिकार-सम्बन्धितायाः कार्यशालायाः (2006) अनुसारं समावेशात्मकशिक्षायाः क्रियान्वयनाय सार्वभौमिक शिक्षायाः अपेक्षा भवति। तदनुसारं समावेशात्मकशिक्षा न केवलम् अशक्तानां कृते एव भवति, अपितु शिक्षया वंचितानां समेषां छात्राणां कृते वर्तते। अनेन प्रत्ययेनैव 'सर्वशिक्षा' 'Education for All' इत्यस्य प्रादुर्भावः सञ्जातः। भारतसर्वकासरस्य 'सर्वशिक्षाभियानम् (2000) इत्यपि अनेन प्रत्ययेनैव सम्बन्धितम्।

शिक्षकशिक्षायै निर्मितस्य पाठ्यक्रमस्यानुसारं छात्रेभ्यः समावेशिशिक्षा अधोलिखितोद्देश्यानां पूर्त्यै प्रदातव्या[2]

1. सर्वेषां बालकानां समुचितः अधिगमः विकासश्च भवेत्।
2. अशक्तानां कृते सकारात्मकसंवेदनशीलतायुक्त-व्यवहारः कर्त्तव्यः।
3. समावेशनाय उत्तमवातावरणं निर्मातव्यम्।
4. अधिगन्तॄणाम् आवश्यकतानुसारं प्रतिक्रियापरिवर्तनयोः सक्षम-शिक्षापद्धतेः विकासो भवेत।

समावेशात्मकशिक्षासम्बद्धपाठ्यक्रमः शिक्षकेषु केशाश्चन विशिष्टयोग्यतानां विकासं कुर्यात्। शिक्षकशिक्षायै समावेशात्मकशिक्षायापाठ्यक्रमस्य अधोलिखितानि उद्देश्यानि भारतस्य 'राष्ट्रियशिक्षकशिक्षापरिषदा' (NCTE) द्वारा निर्धारितानि[3]-

1. समावेशात्मकशिक्षायाः सम्प्राप्तिपरिप्रेक्ष्ये अवगमनस्य योग्यतायाः विकासः।
2. शिक्षायां समावेशीशिक्षायाः अवधारणायाः अन्वेषणाय शिक्षकेषु संवेदनशीलतायाः विकासः।
3. विशेषसंवर्गीयबालकानां शैक्षिकावश्यकतामवधार्य शैक्षणिक-हस्तक्षेपानां नवाचारितयुक्तीनां च अनुप्रयोगस्य कुशलतासम्पादनम्।

4. अशक्ततां निवारयितुं संचारप्रौद्योगिक्याः अवदानस्य प्रयोगस्य च अवबोधनम्।
5. राष्ट्रिय-अन्ताराष्ट्रियस्तरे विशेषशिक्षायाः सन्दर्भे प्रचलितानां विभिन्नानां कार्यक्रमाणां कार्यनीतीनाञ्चाभिज्ञानम्।

उपर्युक्तानामुद्देश्यानामनुसारं सर्वप्रथमं शिक्षक-शिक्षायाः पाठ्यक्रमे समावेशात्मकशिक्षाया अवधारणा, उद्देश्यं, महत्वं शिक्षणविधिश्च इत्यतेषां समावेशात्मकशिक्षायाः समस्यासमाधानयो अवबोधनसामग्री स्थाप्यते। विशिष्टच्छात्राणां शिक्षायै तत्सम्बद्धज्ञानमपि समाहितो भवति। तदनु शैक्षिक-इन्टरवेन्शन' इत्यनेन सामान्यविशिष्ट-छात्राणां शिक्षायाः एकीकरणस्य प्रक्रिया तत्र स्थापयितव्या येन शिक्षकाः तत्सम्बद्धज्ञानार्जने समर्थाः स्युः।

अस्मिन्नेव क्रमे अशक्तजनानामनुसारं कार्यात्मकयोग्यतानां आकलनं तथा अशक्तच्छात्राणां सहायको भूत्वा तेषां शिक्षाव्यवस्थायाः सञ्चालनस्य प्रशिक्षणमपेक्ष्यते। तदनु च अशक्तता सन्दर्भे पाठ्यक्रमानुशीलनम्, पाठ्यसहगामीक्रियाणां सञ्चालनम्, तत्र नवाचारस्य ज्ञानप्रयोग-क्षमतायाः विकासश्च शिक्षकेषु स्यात्। अन्ते च अशक्तछात्राणां शिक्षायै विविधसंस्थानां नीतीनाञ्च अवदानस्य अभिज्ञानमपि अपेक्षितं भवति। ताः नीतयः सन्ति यथा–

1. राष्ट्रिशिक्षानीतिः, 1986, संशोधितम् 1992।
2. राष्ट्रियपुनर्वासपरिषदः।
3. अशक्तजन अधिकार-अधिनियमः 1995।
4. राष्ट्रियपाठ्यचर्यायाः रूपरेखा 2005।
5. सर्वशिक्षाभियानम्-2001
6. अशक्तजनेभ्यः राष्ट्रियशिक्षानीतिः 2006।
7. शिक्षकशिक्षाराष्ट्रियपाठ्चर्यायाः रूपरेखा 2009
8. शिक्षाधिकार-अधिनियमः 2009-10
9. अशक्तजन-अधिकार-अधिनियमः (संशोधितम्) 2016

इत्थं शिक्षकशिक्षायै निर्मितपाठ्यक्रमे उपर्युक्त अंशाः समाविष्टाः भवन्ति। शिक्षक शिक्षायाः सन्दर्भः अनेन स्पष्टः भवति।

सन्दर्भाः-

1. Boothy & Ainscow, the Index for Inclusion, 2000.
2. Policy guidance on Inclusion in Education, UNESCO 2009
3. Two year B.Ed. Course (Revised), NCTE, New Delhi.

शोधच्छात्रः, रा.सं.सं. जयपुरपरिसरः

समावेशात्मकशिक्षायाः क्रियान्वितिः सम्भावना च

हेमेन्द्रकुमारगौतम

शिक्षायाः समावेशीकरणेन प्रतीयते यत् विशेषशैक्षणिकावश्यकतानां प्रतिपूर्त्यर्थम् एकं सामान्यं छात्रम् एकं दिव्याङ्गछात्रञ्च समानशिक्षाप्राप्तेरवसरेण पोषयेत्।

पूर्वं समावेशात्मक-शिक्षायाः परिकल्पना केवलं विशेषछात्राणां कृते कृता आसीत्। परं वर्तमानपरिप्रेक्ष्ये शिक्षकः अस्य सिद्धान्तस्य व्यापकदृष्टिकोणं स्वकक्षायां व्यवहारे च आनयेत्।

समावेशात्मक-शिक्षायाः एकीकरणस्य सिद्धान्तस्येतिहासिकोद्भवः कनाडा एवञ्च अमरीकादेशे अभवत्।

प्राचीनशिक्षापद्धतेरस्थाने नूतनशिक्षापद्धतीनां प्रयोगः आधुनिकसमये प्रचलितो वर्तते।

समावेशात्मकशिक्षाविशेषविद्यालयं कक्षां वा न स्वीकरोति निशक्तछात्रान् सामान्यछात्रैः प्रथक्करणं अपि नास्ति।

निशक्तछात्रान् अपि सामान्यछात्रैः सदृशः शैक्षिकगतिविधिषु भागग्रहणस्याधिकारः प्रारभत्।

समावेशात्मकशिक्षायाः प्रारम्भात् स्वीकरणार्थञ्च देशस्य विभिन्नप्रान्तानां निशक्तजनानां यथा– दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित-मूक-बधिर,-मन्द-बुद्धिजनानां पठनार्थं भिन्न-भिन्न शिक्षकाणां नियोजनं कृतम्। एतेषु प्रायः अधिकतरप्रान्तेषु न्यूनतमपारिश्रमिकं स्तरे दीयते एवञ्च अपर्याप्तप्रशिक्षणम्।

शिक्षायाः भूमण्डलीकरणेन शिक्षायाः अन्ताराष्ट्रियस्तरे व्यापकसमर्थनं प्राप्तम् आसीत्।

समावेशनस्याधारेण योजनानां लाभः वञ्चितवर्गाणां कृते समानरूपेण न प्राप्यते। भारतस्य वर्तमानशैक्षिकपरिदृश्ये समावेशात्मकशिक्षायाः साक्षात्काराः सर्वशिक्षाभियानस्य, राष्ट्रियमाध्यमिकशिक्षाभियानस्य, राष्ट्रिय-उच्चतरशिक्षाभियानस्य समीक्षा आवश्यकी वर्तते।

अनेन ज्ञायते यत् अभियानत्रयम् क्रमेण प्राथमिकशिक्षायाः माध्यमिकशिक्षायाः एवञ्च उच्चमाध्यमिकशिक्षायाश्च गति-प्रदानकरणस्योद्देश्येन प्रारब्धम्।

योग्य-प्रशिक्षिताध्यापकानाम् अभावः, विद्यालयानाम् अभावः, एवं विद्यालयेषु आधारभूतसंरचनानाम् अभावः, सर्वशिक्षाभियानस्य सफलतायाः समक्षे एकं विपरीत पथ्याह्वानं वर्तते।

उच्चन्यायालयस्य निर्देशानन्तरम् अपि अधिकारिणः, स्वात्मजानां नामाङ्कनं राजकीयविद्यालयेषु नैव कारयन्ति।

उपर्युक्त-उदाहरणेन स्पष्टं यत् अस्माकं विद्यालयः कियान् समावेशात्मकः वर्तते।

प्रायः समावेशात्मक-शिक्षायाः प्रथमपादः दिव्याङ्गानां शिक्षायाः रूपे प्रारब्धं सञ्चितया शिक्षया अपि अस्याः सम्बन्धः वर्तते।

समावेशात्मक-शिक्षायाः अभिप्रायः अद्य एतादृश्या शिक्षया वर्तते या एकस्मिन्नेव सर्वेभ्यः शिक्षा प्रदानं कारयेत्।

कस्यापि वर्गस्य, श्रेण्यायाः कृते च पृथग्रूपेण शिक्षा न प्रदेया।

मनोवैज्ञानिकाः शिक्षा-शास्त्रिणश्च मन्यन्ते यत् समावेशात्मकशिक्षा न केवलं राष्ट्रिय-सामा आवश्यकता वर्तते अपितु सर्वेषां, विद्यार्थिनां स्वाभाविकविकासाय आवश्यकी वर्तते।

अतः इदं कथनम् अनुचितं नास्ति यत् व्यक्तेः व्यक्तित्वस्य संतुलितं सर्वांगीणञ्च विकासं समावेशात्मकशिक्षा एव एकमात्रविकल्परूपेण वर्तते।

विद्यालयस्तरे विश्वविद्यालयस्तरे वा निजिसंस्थानां वृद्धेः, प्रभावश्च समावेशात्मक समावेशात्मकशिक्षायाः कृते समावेशात्मकविकासयोजनायै लाभकारी भवेत् विषयोऽयं संदेहास्पदो

दिशि शिक्षायाः समावेशात्मकरूपप्रदानाय इदानीं बहूनि कार्याणि प्रचलन्ति।

परिवर्तनस्य सम्भावना शिक्षायां समावेशीकरणाय वर्तते। समावेशात्मकशिक्षायां देशस्य उज्ज्वल भविष्यं भविष्यति।

सन्दर्भग्रन्थः

(i) York Barr (J)-2003
"Specials Educators as Teacher leaders, in Inclusive Schools

(ii) Schwartz Allen K (2000) The Excepotional Child 4 ed
"Inclusion in early childhood education."

(iii) "How to support special needs students."

(iv) Zelkowitz Alyssa
"Strategies for special Education and Inclusion Classrooms."

शिक्षकदृष्ट्या विद्यालय-प्रबन्धदृष्टया च समावेशात्मकशिक्षायाः आयोजनम्

श्रीमती इन्दुशर्मा

यथा हि सर्व-विदितम् अस्ति यत् प्राचीनसमये भारतवर्षः विश्वे जगद्गुरोः नाम्ना प्रसिद्धः आसीत्। अत्र शिक्षायाः मूल-स्वरूपम् अपि गुरुशिष्यपरम्परया एव आसीत्।

किन्तु; कालान्तरे समये समये विभिन्न-शिक्षायाः स्वरूपेऽपि समाजस्य आवश्यकतानुरूप-परिवर्तनानि जातानि। यथा पारम्परिक-शिक्षा, तकनीकी-शिक्षा, मान्टेसरी-शिक्षा, आदर्शात्मक-शिक्षा, प्रयोगात्मक-शिक्षा, प्रौढशिक्षा, मूल्य-शिक्षा, दूरस्थ-शिक्षा, इत्यादयः एताः सर्वाः अपि शिक्षाः परिवर्तित-स्वरूपं प्रदर्शयन्ति।

अनेन एव प्रकारेण शिक्षायाम् अपि समाजस्य आवश्यकतानुरूपं समावेशात्मकशिक्षायाः आवश्यकता उत्पन्ना। समाजोऽपि विभिन्न-चलचित्राणां माध्यमेन समावेशात्मकशिक्षां प्रदर्शितां कृतवान्। यथा-"तारे जमीं पर, पा, निल बटा सन्नाटा" थ्री ईडियट, ब्लैक आदि चलचित्राणि दर्शयन्ति यत् बालकस्य समीपे समावेशात्मक अभावात् अस्य दुष्परिणामाः के भवन्ति अस्य उपायाश्च के सन्ति।

अध्यापकः सम्पूर्णकक्षामध्यापयति। कक्षायां सर्वे बालाः समानाः न भवन्ति, ये बालाः सामान्यस्तरात् भिन्नाः भवन्ति। तेऽसाधारणबालकाः कथ्यन्ते। एते बालाः प्रतिभावन्तः, मन्दमतयः, मन्दितमतयः, समस्या-ग्रस्ताः, मूर्खाः, बधिराः, अन्धाः, मङ्गोलिजमाः, दिव्याङ्गाः, अपराधिणः, मनोरोगिणः, शिशवः भवन्ति।

प्रतिभावत्सु बालकेषु बुद्धिलब्धिः130, ततोऽधिका वा भवति।

स्किनर्महोदयानुसारम्- "एतेषां बालकानां कृते पाठ्यक्रमस्य निर्माणम् इत्थं भवेत् येन तेषां सामान्यमानसिकयोग्यतायाः, रचनात्मकशक्तेः, मौखिक-योग्यतायाः, तर्कशक्तेः, चिन्तनस्य च विकासो भवितुं शक्येत्।"

मन्दमति-बालकानां विशेषतः समाजविरोधिकार्येषु प्रवृत्तिः। व्यवहारसम्बन्धिसमस्यानामभिव्यक्तिः। एतेषां बुद्धिलब्धिः अपि 70-85 भवेत्। येषां बालानां स्वास्थ्यं दुर्बलं भवति तेषां कार्ये रुचिर्न भवति। एतेन कारणेन ते विद्यालयविषयेषु अन्यबालकेभ्यः क्षीणाध्ययनगतिकाः जायन्ते। एकस्यां कक्षायां पुनः पुनः अनुत्तीर्णाः भवन्ति। अधिगमक्रियायाः प्रेरणे अध्यापकः प्रमुखो भवति। यदि अध्यापके स्वविषयस्य पूर्वज्ञानं न भवति चेत् शिक्षणे रुचिर्न भविष्यति

शिक्षकदृष्ट्या विद्यालय-प्रबन्धदृष्टया च समावेशात्मकशिक्षायाः आयोजनम्

श्रीमती इन्दुशर्मा

यथा हि सर्व-विदितम् अस्ति यत् प्राचीनसमये भारतवर्षः विश्वे जगद्गुरोः नाम्ना प्रसिद्धः आसीत्। अत्र शिक्षायाः मूल-स्वरूपम् अपि गुरुशिष्यपरम्परया एव आसीत्।

किन्तु; कालान्तरे समये समये विभिन्न-शिक्षायाः स्वरूपेऽपि समाजस्य आवश्यकतानुरूप-परिवर्तनानि जातानि। यथा पारम्परिक-शिक्षा, तकनीकी-शिक्षा, मान्टेसरी-शिक्षा, आदर्शात्मक-शिक्षा, प्रयोगात्मक-शिक्षा, प्रौढशिक्षा, मूल्य-शिक्षा, दूरस्थ-शिक्षा, इत्यादयः एताः सर्वाः अपि शिक्षाः परिवर्तित-स्वरूपं प्रदर्शयन्ति।

अनेन एव प्रकारेण शिक्षायाम् अपि समाजस्य आवश्यकतानुरूपं समावेशात्मकशिक्षायाः आवश्यकता उत्पन्ना। समाजोऽपि विभिन्न-चलचित्राणां माध्यमेन समावेशात्मकशिक्षां प्रदर्शितां कृतवान्। यथा-"तारे जमीं पर, पा, निल बटा सन्नाटा" थ्री ईडियट, ब्लैक आदि चलचित्राणि दर्शयन्ति यत् बालकस्य समीपे समावेशात्मक अभावात् अस्य दुष्परिणामाः के भवन्ति अस्य उपायाश्च के सन्ति।

अध्यापकः सम्पूर्णकक्षामध्यापयति। कक्षायां सर्वे बालाः समानाः न भवन्ति, ये बालाः सामान्यस्तरात् भिन्नाः भवन्ति। तेऽसाधारणबालकाः कथ्यन्ते। एते बालाः प्रतिभावन्तः, मन्दमतयः, मन्दितमतयः, समस्या-ग्रस्ताः, मूर्खाः, बधिराः, अन्धाः, मङ्गोलिजमाः, दिव्याङ्गाः, अपराधिणः, मनोरोगिणः, शिशवः भवन्ति।

प्रतिभावत्सु बालकेषु बुद्धिलब्धिः130, ततोऽधिका वा भवति।

स्किनर्महोदयानुसारम्- "एतेषां बालकानां कृते पाठ्यक्रमस्य निर्माणम् इत्थं भवेत् येन तेषां सामान्यमानसिकयोग्यतायाः, रचनात्मकशक्तेः, मौखिक-योग्यतायाः, तर्कशक्तेः, चिन्तनस्य च विकासो भवितुं शक्येत्।"

मन्दमति-बालकानां विशेषतः समाजविरोधिकार्येषु प्रवृत्तिः। व्यवहारसम्बन्धिसमस्यानामभिव्यक्तिः। एतेषां बुद्धिलब्धिः अपि 70-85 भवेत्। येषां बालानां स्वास्थ्यं दुर्बलं भवति तेषां कार्ये रुचिर्न भवति। एतेन कारणेन ते विद्यालयविषयेषु अन्यबालकेभ्यः क्षीणाध्ययनगतिकाः जायन्ते। एकस्यां कक्षायां पुनः पुनः अनुत्तीर्णाः भवन्ति। अधिगमक्रियायाः प्रेरणे अध्यापकः प्रमुखो भवति। यदि अध्यापके स्वविषयस्य पूर्वज्ञानं न भवति चेत् शिक्षणे रुचिर्न भविष्यति

तर्हि सः बालकान् नवीनज्ञानस्य अधिगमाय प्रेरयितुं नार्हति। अध्यापकस्य भूमिका एतैः कार महत्त्वपूर्णा वर्तते।

भारतवर्षे बालकानां व्यवसायचयनेऽपि पारिवारिकाः आचारव्यवहाराः महत्त्वपूर्णाः भवन्ति बालकानां योग्यताः अभिवृत्तीश्च प्रति ध्यानं न दीयते। अभिभावकानां व्यवसायः बालकानां विद्याल प्रति दृष्टिकोणं निर्धारयति। भारते वर्गविशेषमाध्यमेन विद्यालयः चाल्यते। तत्र यदि अन्यवर्गीयः छात्र प्रविष्टः तर्हि अन्यैः छात्रैः प्रताडितो भवति। तदा मानसिकस्वास्थ्यमस्वस्थं भवति। एकस्थाना अन्यस्थानं प्रति स्थानान्तरणं भवति चेद् बालकानां कृते विद्यालये समायोजनस्य समस्या भवति मन्दमतीनां बालकानामन्वेषणं सामूहिकपरीक्षणेन, वैयक्तिकबुद्धिपरीक्षणेन निष्पत्तिपरीक्षणेन च क शक्यते।

मन्दितमतिबालानां बुद्धिलब्धिः 50 तः न्यूना भवति, ते शारीरिकरूपेण अन्येषु आश्रिता भवन्ति। एतेषां बालकानां शारीरिकावश्यकतानां पूर्तये परिवारजनानां सहयोगः अपेक्षितः। यथावश्यक परामर्शः दातव्यः। श्रेष्ठसामाजिकाभ्यासानां विकासः करणीयः। क्रीडासम्बन्धिसाधनानां व्यवस्था आवश्यकी। मन्तिमतिबालकानां समाजे समायोजनाय अस्माकं स्वदृष्टिकोणे परिवर्तनमपेक्षितम्। एता बालकान् प्रति सहानुभूतिपूर्ण-व्यवहारः करणीयः।

पाश्चात्यदेशेषु प्रारम्भिककक्ष्यासु मन्दितमतिबालकानां सामाजिकपरिपक्वतानुसारमेव उन्नतिः दीयते। एतस्यां प्रणाल्यां छात्रस्य स्वास्थ्यं शारीरिक-संवेगात्मक-सामाजिक-विकासे ध्यानं दीयते। सर्वे अध्यापकाः बालकस्य विषये विचारविमर्शं कुर्वन्ति तथा अग्रिमकक्षायां प्रवेशः दीयते।

मन्दितमतिभ्यः प्रतिभावद्भ्यः बालकेभ्यः शिक्षाप्रदानाय 'समान-समूह-विधिः' इत्यस्मिन् उप बलं दीयते। ''समानसमूहविधेः अर्थः एतादृशेन समूहेन वर्तते यस्य सर्वे जनाः एकं विषयं स्वीकुर्वन्ति।''

मन्दितमतिभ्यः बालकेभ्यः विद्यालयेषु विशेषपाठ्यक्रमस्य प्रबन्धः करणीयः, यस्याधार हस्तकला, उद्योगञ्च स्यात्। तेषां बालकानां सामान्यव्यवसायेषु प्रशिक्षणम् आवश्यकं वर्तते, येन ते आत्मनिर्भराः भवितुं शक्नुवन्ति।

समावेशात्मकशिक्षायाः महत्त्वं सम्भावनाश्च

संजयगोस्वामी

समावेशात्मकशिक्षायाः सिद्धान्तस्य प्रारम्भः कनाडासंयुक्तराज्यामेरिकातः अभवत्। प्राचीनशिक्षापद्धतेः स्थाने नवीनशिक्षानीतेः प्रयोगः आधुनिककाले दृश्यते। एतस्यां शिक्षायाम् निःशक्तबालकान् सामान्यबालकैः पृथक्करणम् अधुना न कर्तुं शक्यते।

सामान्यतथ्यानि समावेशात्मककक्षाणां कृते-

साधारणतः कक्षायां सर्वे छात्राः समानवयोमिताः: भवन्ति। शिक्षकाः सामान्यं दिव्याङ्गं च सर्वैः छात्रैः सह एकसदृशव्यवहारं कुर्वन्ति। अशक्तबालकानां मित्रता प्रायः सामान्यबालकैः सह कारयेत्। एवमेव समूहः समुदायश्च निर्मितो भवन्ति। अनेन परस्परं इदं दर्शयेत् यत् एकसामान्यसमूहः अपरदिव्याङ्गसमूहात् श्रेयस्करः न वर्तते। इत्थं व्यवहारेण सहयोगस्य भावना वर्धते।

कक्षायां सहयोगभावनां वर्धितुं शिक्षकाः अधोलिखितोपायान् कुर्वन्ति-

* समुदायभावनां वर्धितुं विभिन्नक्रीडानाम् आयोजनम्।
* विद्यार्थिनः समस्यासमाधाने संयोजिताः।
* पुस्तकानां गीतानाञ्च आदानप्रदानम्।
* सम्बन्धित-विचाराणाम् आदान-प्रदानम्।
* छात्रेषु समुदायस्य भावनां वर्धितुं कार्यक्रमाणाम् आयोजनम्।
* छात्रेभ्य शिक्षकस्य भूमिकानिष्पादनाय अवसरप्रदानम्।
* विभिन्नक्रियाकलापानां कृते छात्रसमूहस्य निर्माणम् ।
* समुचितवातावरणनिर्माणम्।
* लक्ष्यनिर्धारणम् ।
* अभिभावकानां सहयोगप्रापणम्।
* विशेषप्रशिक्षितशिक्षकाणां सहयोगप्राप्त्यर्थं प्रयासः।

इत्थं समावेशात्मकशिक्षा पारम्परिकशिक्षापद्धतिः वर्तते। येन सामान्यबालकेषु तथा दिव्याङ्गबालकेषु प्रेम, सौहार्दं च वर्धते। इयं पर्याप्ता सफलशिक्षणपद्धतिः विज्ञायते।

शिक्षाचार्यः, द्वितीयवर्षः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, जयपुर-परिसरः

समावेशात्मकशिक्षायां कक्षा-प्रबन्धनं, अध्यापकानां भूमिका प्रविधयश्च

कमलेशस्वामी

समावेशितशिक्षायाः तात्पर्यं वर्तते यत् प्रचलितशैक्षिकपद्धत्यां सामान्यबालकैः सह असक्षमबालकाः विकलाङ्गताकारणेन प्रचलितशिक्षापद्धत्यां पठितुं शक्यते अथवा वंचिताः भवन्ति। प्रत्येकं बालकः अस्माकं देशस्य भविष्यं वर्तते। समावेशात्मक-शिक्षा इदानीं विश्व-पटले महत्वपूर्णविषयः वर्तते।

एषा व्यक्तेः न अपितु सम्पूर्णसमाजाय आधारं प्रददाति। सर्वे अधिगमकर्तारः शिक्षायाः अधिकारं वाञ्छन्ति। अतः वक्तुं शक्यते समावेशात्मक शिक्षा सर्वेभ्यः समूहेभ्यः आश्वासनं प्रददाति। विशेषतः ध्यानकेन्द्रितं केनापि। यत् पूर्वे कस्मिन्नपि कारणेन शिक्षा न प्राप्ता। इदानीं समावेशात्मकशिक्षा सर्वेषां मानवानां कृते अपेक्षिता वर्तते।

कक्षा-प्रबन्धन-प्रविधयः

1. लयात्मकता मनोवैज्ञानिकानुक्रमश्च

इदम् अपेक्षितं वर्तते यत् कक्षायां लयात्मकता अस्ति चेत् तत्र घटनानां क्रमोऽपि सम्यग्रूपेण भविष्यति। शिक्षार्थिणः स्वस्य कृते असुरक्षितं न अनुभवन्ति। तथा च कक्षा-कक्षे प्रचलितक्रिया-कलापेषु शिक्षार्थिनः उत्सुकाः भविष्यन्ति। तथा क्रिया-कलापानां महत्त्वम्, आवश्यकता, उद्देश्यानि च शिक्षार्थिनां दृष्ट्या महत्त्वपूर्णानि भवन्ति।

2. कक्षासंस्कृतिः कक्षा-व्यवहारस्य च संहिताः-

कक्षासंस्कृतेः तात्पर्यं यत् विद्यार्थिना कक्षायां स्वस्य कृते सुरक्षितं स्थानम् अनुभूयते। इदम् अध्यापकस्य उत्तरदायित्वमस्ति। यत् सः परम्पराभिः, मूल्यैश्च कक्षासंस्कृतेः विकासो भवति। अध्यापकः विद्यार्थिनां कक्षासंस्कृतेः विकासे तस्य भूमिकायां सहायतां करोति। अतः अध्यापकस्य कृते अपेक्षितं वर्तते यत् विभिन्नानां क्षेत्राणां सहैक्यविकासः भवेत्।

3. कक्षायां सामाजिकं भावात्मकं च वातावरणम्-

कक्षायां अध्यापकः स्वस्य शाब्दिक-अन्तःप्रक्रियायाः माध्यमेन सामाजिकं भावात्मकं च वातावरणम् उत्पादयति। अध्यापकः मौखिकरूपेण कक्षायाः नियन्त्रणं करोति। तथा च छात्रेभ्यः निर्देशनमपि प्रददाति। केचन् अध्यापकाः कक्षा शिक्षणे स्वस्य प्रभूत्वस्थापनायै छात्रैः सह शक्तिप्रदर्शनम् कुर्वन्ति। अध्यापकः छात्रैः सह यावत् सहानुभूतिपूर्णं व्यवहारं न करोति तावत् छात्राः तस्मिन् विषये अधिकरुचिं न प्रकटयन्ति। अतः बाधितबालकानां कृत्ते अध्यापकस्य सहानुभूति अपेक्षिता वर्तते।

4. **स्व-प्रबन्धनं कक्षायाः वातावरणं च-**

कस्या अपि व्यक्ते व्यवहारः अन्यव्यक्तेः व्यवहारप्रतिक्रियायां आधारितो वर्तते। परन्तु एकस्यां शिक्षणसंस्थायाम् अध्यापकः एकं प्रभावपूर्णं व्यक्तित्त्वं वर्तते। सः शिक्षार्थिभ्यः आत्मनिर्भरतां प्रददाति। अध्यापकः छात्राणां मार्गदर्शनं करोति।

कक्षा-प्रबन्धने अध्यापकानां भूमिका

1. **अध्यापकरूपेण -**

अध्यापकः विद्यार्थिनां समाजस्य च कृते आदर्शो भवति। तस्मात् कारणात् अध्यापकसदृशः व्यवहारः करणीयः। अध्यापकस्य कृते अपेक्षितं वर्तते यत् स्वछात्राणां व्यावहारिक-सामाजिक-सांस्कृतिकपृष्ठभूमीनां ज्ञानम् अपेक्षितम्।

2. **दार्शनिकरूपेण -**

अध्यापकः दार्शनिकोऽपि भवति। अतः अध्यापकानां कृते आवश्यकम् अस्ति यत् स्वविषयस्य सम्पूर्णज्ञानं स्यात्, आत्मनः विकासाय नवीनतमविधीनां समावेशं कुर्यात्।

3. **मार्गदर्शकरूपेण -**

अध्यापकः एकः मार्गदर्शकोऽपि भवति। यश्च छात्राणां मार्गदर्शनं सम्यग्रीत्या करोति। अयं छात्रान् सन्मार्गे आनेतुं प्रयासं करोति। ये छात्राः पथभ्रष्टाः संजाता तेषां छात्राणां सन्मार्गोपरि आनेतुं प्रयासं करोति।

4. **अनुसन्धातृरूपेण -**

अध्यापकः एकः अनुसन्धानकर्ता अपि अस्ति। सः अनुसन्धानमाध्यमेन छात्रसमस्यानां निदानपूर्वकमुपचारं करोति। क्रियात्मकानुसन्धानमाध्यमेन अध्यापने समागतानां समस्यानां समाधानं करोति।

5. **प्रबन्धकरूपेण -**

अध्यापकः एकः प्रबन्धकोऽपि विद्यते। तस्मै प्रबन्धकस्य कार्याणां, अधिकाराणाम्, उत्तरदायित्वानां च ज्ञानम् अपेक्षितं वर्तते। प्रबन्धकस्य प्रमुखकार्याणि- नियोजनम्, संघटनम्, पर्यवेक्षणम् निर्देशनम्, संयोजनम्, मूल्याङ्कनं तथा च शिक्षणप्रक्रियानियंत्रणञ्चेत्यादीनि सन्ति।

6. **नेतृत्वगुणाः-**

अध्यापकस्य कृते नेतृत्वगुणानाम् आवश्यकता वर्तते। एकः अध्यापकः स्वकक्षायाः नेता (Leader) भवति। नेतृत्वक्षमताः अतिरिच्य शिक्षकः विचारशीलः सत्यनिष्ठः शिक्षणे रुचिः इत्यादिभिः गुणैः सम्पन्नो भवेत्।

शिक्षाचार्य छात्रः

शिक्षकशिक्षायां समावेशात्मकशिक्षायाः परिदृश्यम्

स्नेहलता

परमब्रह्मणा सृष्टमिदं ब्रह्माण्डम्। यत्र मानवसहितः प्रत्येकमपि विशिष्टव्यवहारोपेतः जीवः विशिष्टकार्याणां पूरणार्थं विधात्रा सृष्टः। किन्तु जीवेषु केचन् सर्वदा सुखम् अनुभवन्तः केचन् च नितरां दुःखमनुभवन्तः जीवनं यापयन्तः दृश्यन्ते। तत्र कारणं पूर्वजन्मनः फलमिति अस्माकं परम्परानिबद्धसिद्धान्तः। यद्यपि मानवः विधेः श्रेष्ठा रचना तस्मै च विशिष्टा बुद्धिः भगवता दत्ता एव तथापि कदाचित् नैकविधाः विकाराः मानवचिन्तने बुद्धौ शरीरे च अवलोक्यन्ते। नैकविधाः समस्याः च जीवने आयान्ति येन कश्चित् निर्धनः दुःखी वा भवति। यस्मात् च मानवः स्वस्थमानववत् अथवा धनिकवत् कार्यं कर्तुं अथवा चिन्तनं कर्तुं समर्थः न भवति। स्वस्थमानववत् व्यवहर्तुम् असमर्थः मानवः एव विकलाङ्गः विशिष्टः दिव्याङ्गः वा उच्यते सम्प्रति। यद्यपि भगवतः रचना एव इयमपि तथापि मनोवैज्ञानिककारणवशात् क्लेशः अनुभूयते दिव्याङ्गेन निर्धनेन वा। अतः मनसा पूर्णतया दृढोऽपि सः शरीरेण दिव्याङ्गः धनेन हीनश्च भवति चेत् तस्य शक्तौ महती न्यूनता एव अस्ति, सः किमपि कर्तुं चिन्तयितुं च न शक्नोति इति कथमपि अस्वीकार्यम्। अतः तेभ्यः अपि पूर्णः अधिकारः स्यादेव अत्र सगौरवं जीवितुम्। शिक्षाक्षेत्रे तादृशानाम् अपि दिव्याङ्गानां शिक्षा सामान्यस्तरे जीवनं यापयद्भिः सर्वैः सार्धमेव भवेत् इत्यस्याः संकल्पनायाः नाम एव समावेशात्मकशिक्षा। शिक्षकशिक्षायाम् इयं समावेशात्मकशिक्षा कथं स्वीयं स्थानम् अङ्गीकरोति इति अस्माभिः संविधानादारभ्य सम्यक्तया विश्लेषणीयम्।

सर्वे जनाः समानरूपेण शिक्षां प्राप्नुयुः, सर्वेषामपि शिक्षा अधिकारः समानरूपेण सुनिश्चितः स्यात् एतदर्थम् अस्माकं संविधाने "21" इत्यस्मिन् अनुच्छेदे जीवनस्य अधिकारः निरूपितः वर्तते। यस्मिन् प्रत्येकमपि मानवः स्वजीविकार्थं स्वसम्मानार्थं च सर्वकारात् साहाय्यं स्वीकर्तुं शक्नोति। तस्मिन् संविधाने एव "21क" इत्यस्मिन् अनुच्छेदे एव शिक्षायाः सर्वेषां समानाधिकारः अपि वर्णितः अस्ति। अतः विद्यालयस्तरे शिक्षायां समानाधिकारस्य प्रतिपूर्त्यर्थं सर्वादौ शिक्षकशिक्षायाम् अस्य पालनम् अत्यन्तम् अनिवार्यमेव। यतो हि इतः एव सर्वे अपि शिक्षकाः प्रशिक्षणं प्राप्य विद्यालयस्तरं यान्ति। तत्र समावेशात्मकशिक्षायाः अनुप्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति।

शिक्षा एव समजं समाजं करोति शिक्षामाध्यमेन मानवः स्वसमग्रं विकासं सम्पाद्य विशिष्टं सामर्थ्यं सम्पादयति। शिक्षामाध्यमेन विशिष्टत्वे प्राप्ते सत्यपि स्ववातावरणे मानवः जन्मजातशक्तीनां विकासं सम्पादयति। अतः सर्वेऽपि जनाः उत्तमे वातावरणे समानरूपेण भेदभावं विहाय सानन्दम्

अध्ययनं कुर्वन्ति चेत् अवश्यं सर्वेषां सर्वाङ्गीणविकासः जायेत, सर्वे च सौहार्देन निवसन्तः उत्तमस्य समाजस्य विकासं कर्तुं शक्ताः भवेयुः।

शिक्षकशिक्षायां समावेशात्मकशिक्षायाः सर्वादौ एव नियोजनं स्यात् येन एकः छात्राध्यापकः एतद्विषये प्रशिक्षितो भूत्वा कालान्तरे स्वीयविद्यालये समावेशात्मकशिक्षानिमित्तम् उत्तमं वातावरणं स्रष्टुं शक्ताः भवेयुः। समावेशात्मकशिक्षा नाम यत्र सामान्य दिव्याङ्गाः निर्धनाछात्राः सर्वे अपि समानरूपेण समवेताः भूय भेदभावं विना अध्ययनं कुर्युः। एतादृशे वातावरणे अध्यापनं यद्यपि महत्क्लिष्टकरम् अत एव अद्य आवश्यकता आपतिता यत् शिक्षकशिक्षायां एतादृशं प्रशिक्षणं छात्राध्यापकेभ्यः दीयेत येन ते सुमनसा सौहार्देन च एकस्मिन्काले एव सर्वान् अपि पाठयितुं शक्ता भवेयुः। तादृशं उत्तमवातावरणं निर्मातुं च शक्ताः भवेयुः।

शिक्षकशिक्षायां यद्यपि सम्प्रति मनोविज्ञाने विशिष्टशिक्षा इति एकः अतिरिक्तविषयः अध्याप्यते एव येन शिक्षकः विशिष्टबालकानां समस्याम् अधिगत्य तद्विषये ज्ञानं सम्प्राप्य पाठयितुं प्रयत्नं कुर्यात्। तथापि तादृशं परिवेशं निर्मातुं महान् क्लेशः भवति। छात्रेभ्यः विषयाध्यापनं तु अनेन शक्यते किन्तु विद्यालये सर्वविधे अपि क्रियाकलापे छात्राणां मनस्सु अस्याः समावेशीभावनायाः विकासार्थं महान् प्रयत्नः विधेयः भवति। एतदर्थं शिक्षकशिक्षायां समावेशात्मकशिक्षाप्रदानार्थं शिक्षकाणां विशेषप्रशिक्षणस्य आवश्यकता भवति। तदर्थं केचन कार्यक्रमाः उत्तमाः एव क्रियमाणाः सन्ति शिक्षकशिक्षायाम्। तद्यथा-

स्काउट एण्ड गाइडप्रशिक्षणम् (बालचरसंघप्रशिक्षणम्)-

अस्मिन् प्रशिक्षणे अयमंशः सुष्ठुः बोध्यते यत् कथञ्चिदपि सर्वैः मिलित्वा एव कार्यं क्रियेत। एकेन अपरस्य साहाय्यमाचरणीयम्। येन उत्तमस्य सौहार्दपूर्णवातावरणस्य निर्माणं कृत्वा उत्तमस्य छात्रस्य निर्माणद्वारा उत्तमस्य समाजस्य निर्माणं कर्तुं शक्यते।

संस्कृतक्षेत्रे आवासीयभाषाबोधनवर्गः-

अत्र यद्यपि भाषाबोधनं मुख्यं भवति तथापि आदिनं सार्धमेव स्थित्वा सौहार्दपूर्णं वातावरणं तत्र निर्मितं भवति।

सर्वकारेण अपि माध्यमिकस्तरे निःशक्तजनसमावेशात्मकशिक्षायोजना 2009-10 तमे वर्षे एव प्रारब्धा आसीत् तथापि अस्याः क्रियान्वयनं सम्प्रत्यपि दृढतया न जायमानमस्ति अतः महद्दायित्वं भवति शिक्षकशिक्षायां यत् शिक्षकेषु एतत्कौशलवर्धनं भवेत् येन सर्वेभ्यः शिक्षाव्यवस्थाः सुष्ठु कल्पयितुं शक्नुयाम।

यद्यपि शिक्षकशिक्षायां लिङ्गभेद-क्षेत्रभेद-निर्धनादिभेदान् दूरीकर्तुं महान्तः उपायाः साम्प्रतिकशिक्षकशिक्षायां विधीयमानाः सन्ति।

यद्यपि शिक्षकशिक्षायां समावेशात्मकशिक्षायाः निर्वहणार्थं सौविध्यानि तावन्मात्रायां न प्रकल्पितानि दृश्यन्ते। यथा एकः शिक्षकः एकस्यामेव कक्षायां दिव्याङ्गान् निर्धनान् सामान्यान् च कथं पाठयेत्? दिव्याङ्गाः कक्षायां विना क्लेशं शिक्षां प्राप्नुयुः। पाठनसामग्री अपि विशिष्टा निर्मिता स्यात् इत्यादिविषयेषु एतावता अवधानं न विहितमस्ति।

अतः एतान् सर्वान् अपि विषयान् आलोच्य शिक्षकशिक्षायामेव समावेशात्मकशिक्षानिमित्तम् अस्मिन् गुणवत्तासंवर्धनं क्रियते चेत् शीघ्रमेव वयम् उत्तमान् शिक्षकान् निर्माय उत्तमस्य समाजस्य निर्माणे शक्ताः भविष्यामः इति।

शोधच्छात्रा
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्
जयपुरपरिसरः, राजस्थानम्

सुखं शेते सत्यवक्ता सुखं शेते मितव्ययी।
हितभुक् मितभुक् चैव तथैव विजितेन्द्रियः।।

The one who speaks truth, one who spends less, One who eats nutritional food in limited quantity and the one who has conquered the senses, gets peaceful sleep.

कथं स्याद् समावेशात्मकशिक्षायाः स्वरूपम्

डॉ. मामराज शर्मा

अतिक्रान्तेषु वर्षेषु भारतवर्षे नितरामिदं चर्चाविषयताम् आपन्नं यत् कस्मिन् स्वरूपे स्याद् अस्माकिनी साम्प्रतिकी अदूरकालभाविनी च शिक्षेति। शिक्षैव कालं दिशति गतिमन्तं च करोति। पुरा वैदिकऋषिषु अयं बोधः सुव्यक्तः आसीत् येन तदानीं ज्ञानेनैव सर्वमहत् स्थानं प्राप्तमासीत्। वस्तुतः शिक्षैव अस्माकं वैयक्तिक-पारिवारिक-सामाजिक-राष्ट्रिय-वैश्विक-आध्यात्मिकदिशो दिशति आकारयति च। अतः शिक्षा एतादृशी स्याद् येन एतेषु विषयेषु हितकरत्वं साङ्गत्यं च उत्पद्यते।

सर्वस्मिन्नपि काले शिक्षणीय तत्त्वानि द्विधा विभज्यन्ते (क) चिरन्तनानि (ख) सामयिकानि च चिरन्तनानि तानि यानि समाहृत्य शिक्षास्वरूपं निरूपयन्ति। करालकालघर्षणेनापि यानि यथा स्थितिः अवतिष्ठन्ते। **"आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्" "सर्वे भवन्तु सुखिनः"** "सर्वा आशा **मम मित्रं भवन्तु**" इत्यादि सूक्तिवचसां निगूढाशयः शिक्षायाश्चिरन्तनतत्वानामेव निर्मथितोद्धृतः सारः। सामयिकानि पुनस्तानि यानितानि समयविशेषमपेक्ष्य तस्मिन् समयविशेषोत्पन्नामवश्यकतां पूरयितुं शिक्षायां समावेशन्ति। यथा अस्मिन् समये सङ्गणकयन्त्रज्ञानम्। यत्र यत्रानयोः पक्षयोः सामंजस्यं सम्पद्यते, भौतिक-आध्यात्मिकश्रीस्तत्र नितरां राजते। अतो मन्ये एतत्समयानु पातिनी भारतीयशिक्षाव्यवस्था एवंस्वरूपा एव हितवहा स्यात् -

1. शिक्षका यथा विषयज्ञानगरिष्ठा भवेयुस्तथैव नैतिक-आध्यात्मिक ज्ञान-वरिष्ठा अपि स्युः। वैदिकसंस्कृतौ श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा एव पुरुषाः शिक्षकत्वेन अभिमताः। यास्केनापि उक्तम् **"आचार्य कस्मात्? आचारं ग्राहयति, आचिनोति बुद्धिम्, आचिनोति अर्थमिति वा।"** अर्थात् यो ज्ञानं ज्ञानग्रहणसामर्थ्यं नैतिकताबोधश्च शिष्यान् प्रापयति स खलु भवति आचार्य-पदवाच्यः।
2. शिक्षा मातृभाषयैव प्रदीयेत। जनितशिक्षितया भाषया शिक्षाग्रहणे मनुजा यथा सहजा भवन्ति, न तथा आरोपितया।
3. शिक्षादाने भेदभावः न स्यात्। पुरातन-परम्परायां गुरुकुलेषु राज-रङ्कभेदविशेषनिर्विशेषं शिक्षा प्रदीयते स्म। अनेन बालमनांसि बाल्यत एव धनि-निर्धन, उच्च-नीचादि विनाशकरभेदभावनाभिः अस्पृष्टानि भवन्ति। येन वयस्कतां भजन्तस्ते बाला नागरिकाः सन्तः समाजं सुखशान्त्यादिभिः पूरयन्ति। साम्प्रतं "पब्लिक स्कूल" इत्याख्या विद्यालया राजकीयविद्यालयाश्च परस्परमनर्थकरं

भेदमुपजयन्त। क्रमशः शासकान् शोषितांश्च उत्पादयन्तो दृक्पथमायान्ति, नूनमेतत् मानवता विनाशाय इति आशंक्यते।

4. पाठ्यसामग्रीषु नैतिकता-आध्यात्मिकतयोः अनिवार्यतः समावेशः स्यात्। आयुषः प्रथमे प्रस्फुटितो नैतिकताबोधः आमरणाद् जीवनदिशो दिशति। उक्तं हि अपात्रपतितम् अमृत गरलायते। नैतिकताबोधरहिते अपि तत् ज्ञानं नूनं विनाशाय भवतीति पूर्वज्ञानपात्रपु ततस्तत्रार्पणीयं ज्ञानमिति सुमतिः। परीक्षापद्धतौ अनुकरणप्रवृत्तिः सर्वथा प्रतिरुध्यते। विषय ज्ञानपरीक्षया सार्धमेव नैतिकताबोधपरीक्षापि लिखितप्रायोगिकोभयविधिना उत्तरणीया भवेत्।

5. साम्प्रतिकं भारतं वृत्त्यभावभरेण नमितं दलितं जर्जरितञ्चावलोक्यते। अत आजीवि प्रदायकशिक्षायाः प्रसारः सर्वाधिको भवेत्। द्वादशकक्षां यावत् छात्रा एतादृशीं शिक्षाम् उपलभे येन स्ववृत्तिविषयकं निश्चयं कर्तुं क्षमेरन्, उपार्जनमनस्काश्च स्ववृत्तिं सुखमुपार्जयेयुः।

6. केवलम् उपाधिवितरणार्थम् उच्चशिक्षावतां सङ्ख्यां वा वर्धयितुं नोच्च-शिक्षा सुलभा भवेत्। यत हि अस्मिन् समाजे वृत्तिहीनानाम् उच्चशिक्षावतां यूनां सङ्ख्या यावद् अधिका भवति तावन्मात्रे तत्र आतङ्कवृत्तयो जायन्ते।

7. मानवानां निर्माणं मातृगर्भत एव भवति, मातृपितृभ्यां दीयमाना एव संस्काराः यथाकालं फलन्त शिशून् स्वानुरूपं नागरिकान् कुर्वन्ति। अतो नरनारीणां कृते प्राक् विवाहात् पश्चाच्च विवाहस्य शारीरिकमनोवैज्ञानिकसामाजिकदृष्टिभिः अनिवार्यप्रशिक्षणस्य व्यवस्था स्यात् मातापितरौ छात्राश्च ब्रह्मचर्यपालनादिसद्वृत्तिषु दृढं श्रद्धाभाजः भवेयुः येन जनसंख्याभारेण जर्जरितः समाज पुनस्तारुण्यमाप्नुयात्।

8. नेतृवर्गस्य कृते विशिष्टशिक्षायोग्यता निश्चीयेत, ये पुनः तत्र मन्त्रिणस्ते खलु स्व-स्वविषये सुदक्षा भवेयुः।

व्याख्यात

योगसूत्रेवर्णितचित्तम् - समावेशीशिक्षायाः सन्दर्भे

नवीन आर्यः

योग्यतालिङ्गधर्मजातिसमुदायार्थिकस्तरसंस्कृत्यादियाधारे प्रत्येकबालकरन्यैः बालकैः बालकेन वा पृथग् भवति। एतस्मात्कारणात् शिक्षाक्षेत्रे तेषां बालकानां प्रवृतिर्भिन्ना भवति। अतोऽस्माकं कृते एकैतादृशायाः शिक्षाया आवश्यकता अस्ति यस्यां बालकः स्वगतविभिन्नतानुरूपमेव शैक्षणिकवातावरणं प्राप्नोति एवञ्च शिक्षापर्यन्ता तस्य प्रवृत्तिरभिन्ना भवेत्, सन्दर्भेऽस्मिन् समावेशीशिक्षाया विकासो जातः।

समावेशीशिक्षा शिक्षणस्य एतादृशा पद्धतिरस्ति, यस्यां विशेषावश्यकतापूर्णबालान् सामान्यबालैः सह मुख्यधाराया विद्यालयेषु विद्यालयेषु च पठनपाठनस्य आत्मनिर्भरस्यावसरः प्राप्यते येन सर्वे सामान्यबालकाः समाजस्य मुख्यधारासु प्रवेशार्थं समर्थो भवेयुरिति।

अनेनातिरिक्तं विकलाङ्गबालकानां कृते बाधारहितविद्यालयीय वातावरणस्य निर्माणकार्यमपि सुनियोजितमस्ति। शिक्षणस्य अनया नवीनपद्धत्या मुख्यधारारहितपथे सन्ति ते बालका लाभान्विता भवन्ति, येषां कृते स्वदिनचर्यया पूर्णशिक्षापर्यन्तं विशेषावबोधनस्यावधानस्य च आवश्यकता भवति। विशेषावश्यकतासम्पन्नबालकाः सामान्यतो दृष्टिश्रवणास्थ्याधिगमाक्षमतया सह मानसिकमन्दतया ग्रसिताः सन्ति। एतादृशा बालकाः सामान्यबालकैः सह समायोजनार्थमाधिक्यं काठिन्यमनुभवन्ति एवञ्च ते समासेन व्यतिरिक्ताः सन्ति इत्यनुभवन्ति। परिणामतः ते विद्यालयीशिक्षां बहिरेव भवन्ति। अत एव एतादृशान् बालकान् शिक्षायां समावेशः करणीयोपेक्षितावश्यकश्चास्ति। समावेशीशब्दप्रचलनं नवतितमे दशके अवर्धत यदा 1994 तमे वर्षे स्पेनदेशे सलामांकासम्मेलनमायोजितं कृतम्। इदं सम्मेलने भागगृहीतवन्तो राष्ट्राः 'सलामांकां' इति वक्तव्ये पर हस्ताक्षरं कृत्वा शिक्षायां समविशननिति प्राप्तार्थं स्वमतं ज्ञापितम्। भारतमपि तेषु एकमासीत्। समावेशीशिक्षां डाकरसम्मेलने (2000 तमे वर्षे) पुनः पुनश्चरिता। अन्तराष्ट्रियस्तरे अन्यैः विकासक्रमैः एतादृशी स्थितिरभवत् यत् कोपि राष्ट्र समावेशीनितिं विना स्वविकास करणार्थं समर्थो नास्ति। अस्मिन् परिप्रेक्षे भारतमपि अग्रमासीत्। वस्तुतः समावेशीनीतिर्भारतस्य कृते तु आवश्यका अस्तिपरञ्च भारतं मुख्यधाराया विद्यालयेषु विशेषावश्यकतासम्पन्न बालकानां समावेशनस्य समर्थने चिरादेव। 'सार्जेन्ट रिपोर्ट' (1994 तमे वर्षे) 'कोठारीआयोग' (1966 तमे वर्षे) राष्ट्रिय शिक्षा नीतिः (1986 तमे वर्षे) वा 'निःशक्तव्यक्ति-अधिनियमः' (1955 तमे वर्षे) इत्येतेषामथवा 'सर्वशिक्षा-अभियान' इत्यस्य सर्वेषु नीतिर्निधारकः अधिकारिकपत्रेषु समावेशनवर्णनं अवश्यं शब्दाबद्धमस्ति। राष्ट्रीवशैक्षिकानुसन्धानएवंप्रशिक्षणपरिषदद्वारा राष्ट्रीयपाठ्यचर्यारूपरेखानां (2005 तमे वर्षे) अपि समावेशीशिक्षासम्बद्धतत्त्वं समाहितं कृतम्।

योगः समावेशीशिक्षा च

योगशब्दस्य सामान्यार्थोऽस्ति-योजनम्, मेलनम्, संयुक्तम्, एकत्रञ्च। योगशब्दस्योत्पत्तिः संस्कृतस्य युज् धातोः अभवत्। युजिर् योगे, युज् समाधौ, युज् संयमने धातुना योगशब्दस्य व्युत्पत्तिर्भवति। योगशब्दस्य व्यवहारिकार्थः अतिव्यापकोऽस्ति, अस्य क्षेत्रमपि विस्तृतम्। योगो विश्वस्य सर्वेषां धर्माणां, सम्प्रदायानां मत-मतान्तराणां पक्षापातेन तर्क-वितर्केण रहितं सार्वभौमिक शिक्षां प्रदानं करोति। पातञ्जलयोगसूत्रनुसारं योगस्य लक्षणमस्ति अस्ति– "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः"। अर्थात् चित्तवृत्तीनां निरोध एव योग उच्यते।

समावेशीशिक्षा लिङ्गभाषार्थिकस्तरसुरक्षास्तरस्वरूपजातिसमुदायेषु कस्यापि कारणेन जनितबालकानां पृथक्करणम् अस्वीकृतं करोति अथवा समावेशीशिक्षा सर्वान् बालकान् संयुज्य चलति। तत्रैव योगोऽपि प्रत्येकं बालकव्यक्तिसमाजसमुदायः, धर्मलिङ्गायुसंस्कृतिरित्यादि भेदभावम् अस्वीकृत्य सर्वेषां जनानां संयोजनस्य कार्यं करोति, समावेशनञ्च करोति। अथवा योगः सर्वेषां कृते अस्ति। यत्र समावेशीशिक्षा सर्वान् बालकान् शिक्षाया मुख्यधारायां संयोजयति। तत्रैव योगोऽपि समाज एकसूत्रे निबद्धनस्य कार्यं करोति। समावेशीशिक्षान्तर्गते विशिष्टावश्यकताधारका बालकाः सामान्यबालकाश्च परस्परं अन्तःक्रियाद्वारा परस्परस्य सहायताया योगस्य च शिक्षां ग्रहणं कुर्वन्ति। तत्रैव योगेन बालकेषु उत्तमगुणानां परस्परं सहयोगः, सौहार्दं चित्तप्रसादनम्, दयाभावनाया विकासं भवति।

समावेशीशिक्षा वैयक्तिकविभिन्नता कृते सकारात्मक अभिवृत्तेविकासकरणे सहायकमस्ति तत्रैव योगोऽपि स्वकीय मूल्यमीमांसाया आधारे सकारात्मकमभिवृत्तेः शिक्षां प्रददाति।

समावेशीशिक्षा विशिष्टबालकान् समाजस्य महत्त्वपूर्णाङ्गरूपे स्वीकरोति। तत्रैव योगोऽपि प्रत्येकं बालकं व्यक्तिञ्च योगाधिकारि कथयति एवञ्च कैवल्योपलब्धेः अभियोग्यता प्रदानं करोति। समावेशी शिक्षया बालकेषु सद्भावनाया विकासो भवति तत्रैव महर्षिपतञ्जलिना प्रतिपादितः अष्टाङ्गयोगेन अपि बालकेषु स्वस्थ भावनाया, विचाराणां, दुराचाररहितम् आचाराणां विकासो भवति। आत्मोत्थानाय योगः सर्वोत्तमं साधनं वर्तते। योगः पूर्णतः प्रायोगिकमनोविज्ञानं वर्तते। योग उत्तमजीवनयापनस्य कला शिक्ष्यते। चित्तवृत्तीनां निरोधं एव योगोऽस्ति। यावत् बालकस्य चित्तः अथवा अन्तःकरणं निर्मलं न भवति, तावत् बालकं व मानवं सम्यग्ज्ञानं विवेवख्यातिज्ञानं न भवितुं शक्यते।

विद्यालये विशिष्टबालक एवञ्च सामान्यबालकः अथवा सर्वाः बालकाः चित्तवृत्तियुक्ता भवन्ति तेषां चित्तवृत्तिर्भिन्ना-भिन्ना भवति। कोऽपि बालकः कार्यस्य सिद्धिः स्वकीय चित्तवृत्तिमाध्यमेन करोति। चित्तस्य भूमयाधारितं (क्षिप्तम्, मूढ़म् विक्षिप्तम् एकाग्रम्, निरूद्धञ्च) पुस्तकानां ज्ञानमार्जनं करोति। योगसूत्रे वर्णितचित्तस्य समावेशीशिक्षायाः सन्दर्भे किं भूमिका अस्ति? चित्तस्य कार्यं किम्? चित्तस्य

भूमयः किम्? चित्तस्य अवस्था कानि तेषां कार्याणि च? चित्तप्रसादनं कथं भवेत्? विद्यार्थिजनाः कथं परस्परं संवेदी भवेयुः? अस्मिन् सन्दर्भे अध्ययनमावश्यकं वर्तते।

चित्तम् - सांख्यस्य एवञ्च योगदर्शनस्य तत्त्वमीमांसा प्रायः एकमेव वर्तते। विद्वद्जनाः सांख्य योगं च एकमेव स्वीकुर्वन्ति। कथितमपि–

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः।
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्।।[2]

मनसः बुद्धेः एवञ्च अहंकारस्य संयोजनमेव चित्तमिति महर्षिपतञ्जलिना प्रतिपादितम्। मनस्य मुख्यकार्यं संकल्प विकल्पमस्ति। अध्यवसायः बुद्धेः कार्यम्। अभिमानभावस्य उद्दीपनमहंकारः। ऐतेषां त्रयाणां संयुज्यरूपमेव चित्तं भवति। चित्ते त्रिविधा गुणाः- सत्त्व, रजस्, तमस च विद्यन्ते।

चित्तवृत्तिः - महर्षि पतञ्जलिना प्रतिपादितम् - 'योगाश्चितवृत्तिनिरोधः'[3] अर्थात् चित्तवृत्तीनां निरोध एव योगः। अत्र चित्तवृत्तयः कानि? –

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाऽक्लिष्टाः[4]
प्रमाण-विपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः[5]

अर्थात् वृत्तयः पञ्चधा क्लिष्टः अक्लिष्टाश्च भेदेन। एवञ्च प्रमाणाम् विपर्ययः- विकल्पः, निद्रा, स्मृतिः पञ्चवृत्तयः सन्ति। एतेषां वृत्तीनां निरोध एव योग उच्यते।

यदा चितात् तमसः मलरूपावणं रजसः च विक्षेपरूपचञ्चलता निवृत्य सत्वस्य प्रकाशे एकाग्रवृत्तिर्भवति, तदा योगस्य स्थितिः उत्पद्यते। चित्तं, राग-द्वेष-काम-क्रोध-ईर्ष्या-भयादिभ्यो युक्तो भवति तथा च यथा वायोर्वेगेन जले तरङ्गा उद्गच्छन्ति तथैव इन्द्रियैबाह्यविषयैः आकर्षितं भूत्वा चित्तं उद्वेलितं भवति। एताः सर्वाः चित्तस्य वृत्तयः कथ्यन्ते, याः अनन्ताः सन्ति प्रतिक्षणञ्च उद्भवन्ति। वृत्तयः त्रिगुणकारणादुत्पद्यन्ते। चित्तं स्वत्वज्ञानस्वाभावेन युक्तं भवति, यदा तस्मिन् रजोगुणतमोगुणौ मिश्रितौ भवतः तदा तस्मै अनैश्वर्यं, अधर्मः, अज्ञानं, अवैराग्मिति विषया रोचन्ते। एषामेव त्रयाणां गुणानां प्रधानताया अप्राधानतायाश्च आधारे चित्तसय विभितावस्थाः प्रकटिताः भवन्ति। कोपि बालका मानवो वा व्यवहारं करोति। तत् एतेषांमेव त्रिगुणाणाम् परिणामो वर्तते।

बालकस्य मानवस्य वा व्यवहारः स्वकीय चितवृत्याधारितं भवति। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जे-बी-वाटसनमहोदयो मनसोः व्यवहारस्य (क्रियावाम्) अध्ययनधारे एव मनज्ञानं स्वीकृत्य अन्तः निरीक्षणपद्धतेः कृतं मनोविषयकाध्ययनं अस्वीकरोति।

अनेन मनोविज्ञानं कृते व्यक्तेर्मानसिकव्यवहाराणामेव अध्ययनमावश्यकम् किन्तु समस्तमानसिक अथवा मनोनियन्त्रितं शारीरिकव्यवहारं मनस एकांशे एव आधारितं भवति। अतः अनेन समग्रमनसो

ज्ञानप्राप्तिः भवेत्, इति असंभवः। अस्मात् कारणादेव डॉ- मैक्सवरदीमर, कर्टकौफका एवञ्च वुल्फगें कोहलर चेतनायाः पूर्णतायाः रूपे अध्ययनमावश्यकं मन्यन्ते। तेषामनुसारेण चेतना एक सम्पूर्ण इकाई भवति, मूलं प्रवृत्याणां अथवा प्रत्यक्षाणामध्ययनं चेतनाया अवयवाणामेव अध्ययनमस्ति, समग्रचेतनाया नैव। तेषामनुसारं चेतनाया मूलं मनसः अवस्थाः त्रिधा- चेतनम्- अचेतनम्, अवचेतनम् च।

पात्तञ्जलयोगसूत्रस्य भाष्यकारव्यासः 'प्रकाशक्रियास्थितिशीलम् भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्'[6] इति सूत्रस्य भाष्ये चित्तस्य चत्वारः अवस्थां प्रति संकेतं कृतम्। यं स्पष्ट करणार्थं योगवार्तिककारो विज्ञानभिक्षुः अपि जाग्रतास्वप्नसुषुप्ति एवञ्च तुरीयवृत्तिं स्वीकृतं कृतवान्।

(1) **जाग्रतावस्था–** जाग्रतावस्थाया चित्तस्य सम्बन्धो भौतिकजगति कार्यं कर्तारः स्थूलशरीरेण अस्ति। अस्यां समस्त स्थूल विषयः पृथक्-पृथक् सत्तावान् प्रतीतं भवति। स दिशायाः कालस्य च बन्धने पूर्णत आबद्ध भवति। अस्याम् अवस्थायां पुरुषः (आत्मा) अज्ञानवशात् स्वयमेव स्थूलशरीरम्, मन इन्द्रियादि अवबोधनं करोति।

एवञ्च स्वयमेव बाह्य विषयैः सम्बद्धं करोति। इत्थं प्रकारेण अज्ञानवशात् जाग्रतावस्थायाः सम्पूर्ण व्यवहारं प्रचलति। एतद् जाग्रतावस्था प्रायः सामान्यविशिष्टश्च बालकेषु समानरूपेण एव भवति तथा च प्रत्येकबालकः स्वकीय व्यवहारं करोति।

(2) **स्वप्नावस्था–** एतदावस्था रजोगुणप्रधानावस्था वर्तते। अस्यामावस्थायां स्थूलशरीरस्य व्यापारा निरूद्ध भवन्ति। इन्द्रियाणां बाह्यजगत्या व्यवहारो न भवति। चेतनमनस्य क्रियाकलापमपि शान्तमेव भवन्ति। आधुनिकवैज्ञानिकानुसारं स्वप्नावस्था अतृप्तवासनानां तृप्तेः साधनमस्ति। अस्यामवस्थायां प्रत्येकबालकः स्वचित्तवृत्यानुसारं अतृप्तवासनानां तृप्तिं करोति।

(3) **सुषुप्त्यावस्था–** सुषुप्ति तमोगुण प्रधानम्। एतदावस्था स्वप्नरहित निद्रायाः अवस्था वर्तते। अस्यामवस्थायां जाग्रत स्वप्नावस्थयोगो विषयाणामभावं भवति। विषयाणामभावात्दस्यामवस्थायां कोपि अनुभवं न भवति इत्थं नास्ति यतो हि सुषुप्तिना जाग्रतं भूत्वा यथा कोपि बालकः कथयति- 'अहं सुखपूर्वकं श्यनम् कृतवान्' इत्यादि स्मरणं करोति अतः अस्यामवस्थायां अनुभवं अश्वयमेव भवति। योगसूत्रे निद्राया लक्षण विषये कथितमस्ति यत् 'अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा'[7] अर्थात् निद्रायां जाग्रतस्वप्नावस्थयोः वृत्तीनां अभावस्य प्रतितीर्भवति।

(4) **तुरीयावस्था–** जाग्रतस्वप्नसुषुप्ति अवस्थायाः भिन्नं चित्तस्य चतुर्थावस्था तुरीयावस्था भवति। चित्तसय स्थितिस्वरूपोधारे अस्य अवस्थायाः कोपि संज्ञाविशेषः प्रचलितं नास्ति। अस्यावस्थायाः प्राप्तिः सर्वसामान्यं न भवति। एतदावस्था विषयविचाराद् रहितं विशुद्धचेतनावस्था भवति, यत् स्वयं आनन्दपूर्णवस्थायां प्रकाशितं भवति। अस्यामवस्थायां जीवब्रह्मणाभ्यां तादात्म्यं प्राप्त

करोति। अस्यामवस्थायां पुरुष (आत्मा) सम्बन्ध स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरेण भिन्नो भवति। सः पुरुषः विशुद्धस्वरूपे विद्यमानं भवति। अस्यामवस्थायामविद्यायाः पूर्णनिवृत्त्यं स्थूल सूक्ष्मकारणशरीरात् तादात्म्य समाप्तं भूत्वा स्वकीयस्वरूपे प्रतिष्ठितं भवति। सूत्रकारपतञ्जलिः भाष्यकारव्यासस्य एवञ्च वृत्तिकारस्य योगशब्देषु तुरीयावस्थां समाधिः।

चित्तभूमिः– चित्तस्य पूर्वोक्त जाग्रतस्वप्नादिअवस्थायाः अतिरिक्त क्षिप्तमूढविक्षिप्तएकाग्रनिरूद्धं" एते पञ्चभूमयोपि भाष्यकारव्यास स्वीकरोति चित्तस्य अवस्थायां एवञ्च चित्तभूमिषुः अन्तरमिदमस्ति यत् चित्तस्य जाग्रतादि अवस्थाः क्रियाजन्यः (वृत्तिजन्य) सन्ति यतो हि क्षिप्ताभूम्यादि अवस्थाः स्वभावजन्याः सन्ति।

(1) **क्षिप्तभूमिकचित्तम्–** अस्यां भूम्यां रजोगुणस्य प्राधान्यं भवति। तमोगुणः सत्त्वगुणश्च गौणरूपेण मन्दावस्थायां भवतः। अस्यां भूमौ धर्माधर्मम्, रागविरागम्, ज्ञानमज्ञानम्, ऐश्वर्यनैश्वर्यं च प्रति प्रवृत्तिर्भवति। इयं भूमिकचित्तः साधारणसांसारिकजनानां भवति। अस्मिन् चित्ते रजोगुणस्य आधिक्यात् चितं विचलितं भवति। विद्यालयेषु ये विद्यार्थिनः (बालकाः) किमपि निर्णितुं समर्थाः न भवन्ति। एवञ्च येषां बालकानां चित्तं चञ्चलं भवति, तेषां क्षिप्तभूमिकचित्तं भवति।

(2) **मूढभूमिकचितम्–** यदा रजोगुणस्य वेगः मन्द भूत्वा तमोगुणः प्रधानरूपेण विद्यमानो भवति तदा स मोहावरणमुद्भावयति। मूढ़भूमिकचित्त काम-क्रौध-लोभ-मोह-युक्तः भवति।

अस्मिन् चित्तयुक्तबालकस्य प्रवृत्तिः अज्ञान-अधर्म-राग-अनैश्वर्याणि प्रति भवति। अधिगमसमये कक्षा-कक्षे बालकेषु निद्रा आलस्येत्यादेरागमनम् अस्य मूढ़भूमिकचित्तस्यैव परिणामः।

(3) **विक्षिप्तभूमिकचित्तम्–** विक्षिप्तभूमिकचित्ते सत्त्वगुणस्य प्राधान्य भवति। रजोगुणः तमोगुणश्च गौणरूपेण भवतः। इदं चित्तः काम-क्रोध-राग-द्वेष-लोभ-मोह रहितं भवति। यदा चित्ते तमः शिथिलं जायते क्षीयते च तथा रजोगुण आशिकमात्रयां भवति तदा सत्त्वगुणस्य प्राधान्यं चितं निष्कलङ्कदर्पणवत् प्रकाशितं भूत्वा ज्ञान-धर्म-वैराग्य-ऐश्वर्याणि प्रति प्रवर्तते। क्षिप्तचित्तं चञ्चलताया विपरीतमिदं चित्तं स्थिरं भवति। विक्षिप्तावस्था श्रेष्ठ जिज्ञासुषु बालकेषु भवति। बाल्यकाले सिद्धार्थस्य (महात्माबुद्धस्य) विक्षिप्तभूमिकचित्तस्य दृष्टान्तं विद्वद्जना ज्ञातवन्ति।

(4) **एकाग्रभूमिकचित्तम्–** यदा चित्तमिन्द्रियविषयेभ्यो निवृत्तं भूत्वा केवलमध्यात्मचिन्तने संलग्नो भवति, तदा तदेकाग्रभूमिकचितं भवति। इयं चित्तस्य स्वभाविकी भूमिरस्ति। अस्मिन् चित्ते रजोगुणः तमोगुणश्च लेशमात्रमपि न भवतः। पूर्वानुभूतानां बाह्यविषयाणां संस्कारस्तु भवति, ते अकस्मात् प्रकटीभूयं एकाग्रभूमिकचित्ते विघ्नमुत्पादयन्ति एव परञ्च योगी निरन्तरमभ्यासं कुर्यात्। पात÷जलयोगसूत्रे चित्तस्य इयं भूमिः सम्प्रज्ञातसमाधिः अपि उच्यते।

(5) **निरूद्धभूमिकचितम्–** एकाग्रभूमिकचित्ते योगी आत्मनः चित्तस्य च भेदं साक्षात्करोति स ज्ञानं प्राप्नोति यत् प्राप्तविषयाणामनुरूपं चित्तस्य परिणामो भवति। परन्तु निरोधावस्थां प्राप्य चित्तस्य ईदृशी अवस्था सञ्जायते यत् संस्काराणां सद्भावेपि तानुद्भावयितुं तदक्षमं भवति। इदमेव निरूद्धभूमिकचित्तं भवति। अस्मिन् चित्ते सुखदुःखभोगादीनां समस्त संस्काराणां दग्धबीजं भवति। योगदर्शने इदमवस्था 'असम्प्रज्ञातसमाधिः' इति नाम्ना सम्बोधिता।

चित्तप्रसादनम्– योगसूत्रे महर्षिपतञ्जलिना प्रतिपादितम्– ''मैत्रीकरूणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्''[9] अर्थात् सर्वप्राणिषु सुखसम्भोगापन्नेषु मैत्री भावयेत्, दुःखितेषु करूणाम्, पुण्यात्मकेषु मुदिताम्, अपुण्यात्मकेषु उपेक्षाम्। एवमस्य भावयतः शक्लोधर्म उपजायते, ततश्च चितं प्रसीदति, प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिपदं लभते।

निष्कर्षतः समावेशीशिक्षान्तर्गतं विशेषावश्यकताधारका बालकाः सामान्यतः दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिताः अस्थिबाधिताः, अधिगमम् अक्षमः, मन्दबुद्धिबालका एवञ्च सामान्य बालक अध्ययनाधिगमं कुर्वन्ति।

इदं पूर्वोक्त सूत्रं परस्पर मैत्रीभावनयाः, परस्परं करूणाभावनयाः, परस्परं मुदितभावनया, सौहार्द्धतया, परस्परं सहयोग एव शिक्षां प्रददति, येन सर्वे छात्र (बालका) सद्गुणौ लाभान्वितं भवन्ति एवञ्च राष्ट्रस्य श्रेष्ठनागरिक निर्माणार्थं तत्परः भवन्ति। अष्टांगयोगे वर्णिता अहिंसा, सत्यम्, अस्तेयम्, ब्रह्मचर्यः, अपरिग्रह, शौचम्, सन्तोषः, तपः, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधानादिना बालकेषु सद्गुणानां विकास भवति। अष्टांगयोगे वर्णिता मूल्यारकतथ्याः समावेशी शिक्षाया लक्ष्ये महत्त्वपूर्णं भूमिकाया निर्वहन कुर्वन्ति। पातञ्जलयोगसूत्रस्य शिक्षा द्वारा चिन्तनस्य विकासं भवति। चिन्तनेन बालकेषु जाग्रति चेतनता, सजगता आयाति, येन स्वकृतकर्माणां येन स्व कृतकर्माणां विचाराणां च ज्ञानं भवति एवञ्च बालकः चेतनायुक्त, सज्जनमानवस्य सदृश जीवनयापनं करोति। योगः शारीरिकदृष्ट्या, मानसिकदृष्ट्या नैतिकदृष्ट्या, आध्यात्मिक दृष्ट्या सर्वान् दृष्ट्या छात्रणां (बालकानाम्) कृते आत्मावश्यको वर्तते पातञ्जलयोगसूत्रस्य शिक्षाया बालकेषु सकारात्मकदृष्टिकोणस्य उत्पत्तिर्भवति। अतः कथितुं शक्यते यत् समावेशीशिक्षासंवर्धने योगसूत्रस्य शैक्षिकतत्त्वानि मीलस्य पाषाणवत् सिद्धं भवन्ति।

सन्दर्भः

1. पातञ्जलयोग दर्शनम् 1.2
2. श्रीमद्भगवद्गीता, 5.4
3. पातञ्जलयोग दर्शनम् 1.2
4. पातञ्जलयोग दर्शनम् 1.5
5. पातञ्जलयोग दर्शनम् 1.6
6. पातञ्जलयोग दर्शनम् 2.18,
7. पातञ्जलयोग दर्शनम् 1.10
8. 'क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तम् एकाग्रं निरूद्धमिति चित्तभूमयः।', पातञ्जल योगदर्शनम्, 1.1, पृष्ठ-1 व्यासभाष्य

9. पातञ्जलयोग दर्शनम् 1.33

सन्दर्भग्रन्थाः

1. आयंगार बी.के.एस., सभी के लिए योग, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण - 2005
2. आरण्य, स्वामी हरिहरानन्द, पातञ्जलयोगदर्शन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, संस्करण- 1980
3. पाण्डेय, डॉ. कामता प्रसाद, नवीन शिक्षामनोविज्ञान, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण- 2013
4. मंगल, डॉ.एस.के., योग-शिक्षा, आर्य बुक डिपो, करोल बाग, दिल्ली, संस्करण-2005
5. शर्मा, मधुलिका, विशिष्ट बालक, कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रब्यूटर्स, दरियागंज, नई दिल्ली, संस्करण- 2012
6. संजीव, डॉ.कुमार, विशिष्टशिक्षा, जानकी प्रकाशन, पटना, संस्करण-2008
7. सिंह, अरूण कुमार, शिक्षा मनोविज्ञान, भारती भवन पब्लिसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स पटना, संस्करण- 2010

शोधच्छात्र, शिक्षाशास्त्रविभागः,

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्,

नवदेहली- 110016

मनसा चिन्तितं कर्म वचसा न प्रकाशयेत्।

अन्यलक्षितकार्यस्य यतः सिद्धिर्न जायते।।

If you are thinking of doing some work, don't tell it (to others). If others get to know it, it won't succeed. There are some people who talk a lot and don't do much. 'Do' rather than 'tell' your intentions to other.

शिक्षक एवं विद्यालय प्रबन्ध दृष्टि से समावेशात्मक शिक्षा

डॉ. रेखा गर्ग

समावेशी शिक्षा से हमारा तात्पर्य उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सभी विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के सीखने सिखाने के समान अवसर मिलें, परन्तु आज यह महसूस किया जा रहा है कि जो बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके साथ कक्षा में उचित व्यवहार नहीं किया जाता है। तथा ऐसे कमजोर बालक या तो विद्यालयों में प्रवेश लेना ही नहीं चाहते या फिर प्रवेश ले भी लेते हैं तो हीनभावना से ग्रस्त दिखाई पड़ते हैं। अतः आज आवश्यकता है कि शिक्षक एवं विद्यालय प्रबन्ध दोनों समावेशात्मक शिक्षा की ओर कदम बढ़ायें। शिक्षा व्यवस्था में किसी भी विद्यार्थी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाये।

सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, शक्ताः अशक्ता पदयोर्जगत्प्रभोः।
नापेक्ष्यते तत्र कुलं बलं न न चाऽपि कालो न च शुद्धताऽपि।।[1]

समावेशी शिक्षा में सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को एक साथ पढ़ाया जाता है। इसमें सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों का समावेश होने से ऐसे बालक सामान्य बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। समावेशी शिक्षा में समर्थ तथा असमर्थ दोनों प्रकार के बच्चों को एक साथ गतिविधियाँ करने का अवसर मिलता है। विशेष बच्चों का भाषायी विकास एवं मानसिक विकास आदि सामान्य बच्चों के साथ रहकर अच्छी प्रकार से होता है। समावेशात्मक शिक्षा हेतु वातावरण तैयार करने में शिक्षक की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक को समाज व राष्ट्र का निर्माता माना जाता है। एक सफल अध्यापक छात्रों की आदतों, कार्यों, चरित्र आदि के लिए सही मार्गदर्शन करके उन्हें ऊंचाइयों पर उठा देता है। आचार्य अथवा शिक्षक ज्ञान का अथाह सागर होता है जो अपने शिष्य को पृथ्वी से लेकर आकाश तक की गम्भीर और छिपी शक्तियों का ज्ञान कराने वाला अद्वितीय व्यक्तित्व होता है।

आचार्यस्ततक्ष नभसी उभे इमे।
उर्वी गम्भीरे पृथिवी दिवं च।।[2]

अतः शिक्षक की महत्ता स्वयमेव स्पष्ट हो जाती है। समावेशी शिक्षा में सामान्य बालकों के साथ-साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष अध्यापकों की आवश्यकता होती है। समावेशी कक्षा में सामान्य के साथ श्रवण बाधित, वाणी बाधित, दृष्टि बाधित, शारीरिक रूप से विकलांग, अधिगम असमर्थ व मन्दबुद्धि सब प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं। अतः ऐसे छात्रों को

पढ़ाते समय अध्यापक का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है तथा उसे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षक को कक्षा में सभी छात्रों को अधिगम व क्रिया करने के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को उचित मार्गदर्शन देना प्रत्येक अध्यापक की जिम्मेदारी है तथा उन्हें अन्य बच्चों के साथ मिलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इस दिशा में अध्यापक निम्नांकित कार्य कर सकता है-

1. कक्षा में सभी को समान अवसर प्रदान करने चाहिए।
2. अध्यापक छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नताओं से पूर्ण रूप से परिचित हो।
3. अध्यापक सभी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु तत्पर रहे।
4. शिक्षक सामान्य बालकों के साथ विशेष बालकों में भी सकारात्मक सोच विकसित करे। उन्हें प्रेरित करें कि वे भी किसी से कम नहीं हैं।
5. छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास करे।
6. छात्रों के अच्छे कार्यों व अच्छे योगदान के लिए उन्हें अभिप्रेरित करे।
7. विद्यार्थियों का निरन्तर मूल्यांकन करते रहना चाहिए।
8. बालकों की समस्याएँ अभिभावकों को बताकर उन्हें सहयोग के लिए तैयार करे।
9. शिक्षक कक्षा कार्यों के साथ-साथ छात्रों को अपने जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करने में भी मदद करे।
10. छात्रों को अच्छी प्रकार समझने या अधिगम को सरल बनाने के लिए नई-नई तकनीकों का निर्माण करके प्रयोग करते रहना चाहिए।
11. छात्रों के लिए समय-समय पर पाठ्यसहगामी क्रियाओं का आयोजन करते रहना चाहिए। तथा इन क्रियाओं का आयोजन इस प्रकार हो कि कक्षा में प्रत्येक बालक की सक्रिय भागीदारी रहे।
12. पढ़ाते समय अध्यापक को छात्रोपयोगी दृश्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए।
13. छात्र एक-दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर सकें, अध्यापक को कक्षा में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए तथा छात्रों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करनी चाहिए।
14. अध्यापक को समय-समय पर छात्रों को भावी जीवन के लिए परामर्श देते रहना चाहिए। विशेषकर बाधित बालकों को व्यावसायिक निर्देशन देते रहना चाहिए ताकि वे स्वयं अपनी आजीविका चला सकें तथा दूसरों पर आश्रित न बनें।

इस प्रकार के उपायों को अपनाकर शिक्षक समावेशित शिक्षा प्रदान कर सकता है तथा सभी विद्यार्थियों के कल्याण में प्रवृत्त हो सकता है। क्योंकि शिक्षक की महत्ता शिवत्व के कारण अर्थात् कल्याण के कारण ही अधिक है।

यो गुरुः स शिवः य शिवः स गुरुः स्मृतः।
उभयोरन्तरं नास्ति गुरोरपि शिवस्य च॥[3]

शिक्षक अपनी श्रेष्ठ भूमिका के द्वारा जहाँ समावेशात्मक शिक्षा हेतु उचित परिस्थितियाँ तैयार कर सकता है। वहीं शिक्षक के इन प्रयासों को विद्यालय प्रबन्धन सफल बना सकता है। विद्यालय बालक के शारीरिक, सांवेगिक, भावनात्मक व मानसिक विकास के लिए प्रयत्न करता है। विद्यालय में यदि बालकों के लिए अच्छी सुविधाएँ होंगी तो बालक का रुझान विद्यालय के प्रति होगा तथा वह विद्यालय में रहना पसन्द करेगा। बाधित बच्चों के लिए तो और अधिक सुविधाओं का होना आवश्यक होता है। जिन बच्चों को 6 घंटे के करीब स्कूल में रहना पड़ता है, उन के लिए आवश्यकतानुसार विद्यालयीय सुविधाओं का होना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार संसाधनों की पर्याप्तता के अतिरिक्त समावेशात्मक शिक्षा हेतु विद्यालय निम्नांकित कार्य कर सकता है :–

1. समर्पित समूह का निर्माण– समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए एक समर्पित समूह की आवश्यकता है। इस समूह का प्रधान विद्यालय का मुख्याध्यापक या प्राचार्य हो सकता है। इस समूह के अन्य सदस्यों में समुदाय के सदस्य, अध्यापक, माता-पिता तथा कुछ समझदार विद्यार्थियों को भी शामिल किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा के विकास की जिम्मेदारी इन सदस्यों पर होती है और सभी सदस्यों का दृष्टिकोण समान होना आवश्यक है।

2. दाखिला नीति– प्रत्येक स्कूल में एक प्रवेश नीति का होना आवश्यक है। दाखिला नीति सम्मिलित शिक्षा को व्यवस्थित करने में सहायक होती है। विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रवेश नीति अपनाई जाती है; कहीं सम्प्रदाय के आधार पर और कहीं आरक्षित श्रेणी के आधार पर। समावेशित शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु प्रवेश नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि सामान्य बालकों के साथ बाधित बालकों को भी प्रवेश मिल सके।

3. सम्मिलित पाठ्यक्रम– समावेशी शिक्षा में बच्चे की योग्यताएँ, रुचियाँ अलग-अलग होती हैं और प्रायः सभी छात्र अलग-अलग पारिवारिक वातावरण से आते हैं। राष्ट्रीय तथा राज्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ स्कूल पाठ्यक्रम का भी निर्माण करना चाहिए जो समावेशी शिक्षा के लिए उपयोगी हो। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय प्रबन्धन के सदस्यों, अध्यापकों, समुदाय व अभिभावकों की सलाह लेनी चाहिए। पाठ्यक्रम का उद्देश्य पाठ्यक्रम के गैर शैक्षणिक क्षेत्र जैसे-

कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षा आदि का भी विकास करने के लिए समावेशी शिक्षा के लिए ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए, जिसमें सभी विषयों को सम्मिलित किया जा सके। सामान्य तथा बाधित बच्चों के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम में छात्रों को स्वयं करके सीखने के सिद्धान्त को भी ध्यान में रखना चाहिए।

4. श्रेष्ठ शिक्षण विधियाँ– समावेशात्मक शिक्षा के विकास हेतु विद्यालय श्रेष्ठ शिक्षण विधियों को न केवल अपनाएँ अपितु उनको प्रयुक्त करने हेतु सभी आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराएँ। अच्छी शिक्षण विधियों के अभाव में पाठ्यक्रम अरुचिकर व गतिहीन हो जाता है। किन्तु श्रेष्ठ शिक्षण विधियों से प्रस्तुत किया गया अमनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम भी रुचिकर व सरल लगता है। समावेशी शिक्षा में अध्यापक द्वारा समूह अधिगम, क्रियाशीलता आधारित अधिगम, सहयोग अधिगम आदि विधियों का प्रयोग किया जा सकता है।

5. जनसहभागिता से विद्यालय का विकासः विद्यालय अपने स्तर पर तथा जो साधन स्वयं जुटाने में असमर्थ हो, उनके लिए जनसहभागिता से लाभ उठा सकता है। विशेष रूप से सरकारी विद्यालय जहाँ उपयुक्त संसाधनों का अभाव पाया जाता है ऐसी परिस्थिति में सरकार के मुखापेक्षी होने के बजाय विशेष सहायता समूह, क्षेत्र प्रमुख अथवा सहायता समूहों से संसाधनों की व्यवस्था करवा सकते हैं। विशिष्ट विद्यार्थियों की सहायतार्थ अनेक समूह भी कार्यरत हैं उनसे सभी विद्यालय सहायता एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अतः सक्रिय प्रधानाध्यापक जनसहभागिता से भी विद्यालय में समावेशात्मक शिक्षा हेतु अनुकूल वातावरण तैयार कर सकता है।

6. छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार प्रदान करः समावेशित शिक्षा हेतु विद्यालय में सामान्य छात्रों के साथ विशिष्ट बालक भी अध्ययन करें, इस हेतु विद्यालय विशिष्ट छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर सकते हैं। यदि विशिष्ट छात्र शैक्षिक प्रगति कर रहे हैं अथवा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रोत्साहन स्वरूप उन्हें विशेष पुरस्कार विद्यालय की ओर से प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से विशिष्ट छात्रों को विद्यालय में संरक्षण प्राप्त होगा तथा वे सहज अनुभव करेंगे।

7. मार्गदर्शन एवं समुपदेशन की व्यवस्थाः समावेशी शिक्षा पूर्णरूप से लागू नहीं हो पा रही है इसके पीछे एक मुख्य कारण विद्यालय में मार्गदर्शन एवं समुपदेशन की व्यवस्था का न होना। इसके अभाव में विद्यालय में समावेशी वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता है। अतः समावेशी शिक्षा देने के तरीकों में यह भी होना चाहिए कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों हेतु आदि से अंत तक प्रशिक्षित, योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

इस प्रकार विद्यालय प्रबन्ध दृष्टि से भी समावेशात्मक शिक्षा का विकास किया जा सकता है।

"समावेशन की नीति को हर स्कूल एवं सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। बच्चों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह स्कूल हो या बाहर सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। स्कूलों को ऐसे केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे खासकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को इससे सबसे ज्यादा फायदे मिल सके।"[4]

अतः विद्यालयी प्रणाली में शामिल प्रत्येक बच्चे को उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषायी, शारीरिक क्षमता, मानसिक सामर्थ्य एवं उसके अधिगम के तौर तरीकों के सन्दर्भ में समझना आवश्यक है। इसी समझ के आधार पर बच्चे की सीखने-सिखाने की आवश्यकता के उपादानों को पहचानने में मदद मिल सकेगी।

वास्तविक रूप से शिक्षक एवं विद्यालय दोनों ही समावेशात्मक शिक्षा में ऐसे आयाम है। जो अपनी सक्रिय भूमिका द्वारा समाज में सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान कर सकते हैं। इनकी उत्तम पहल समाज एवं परिवार में हीन माने जाने वाले बालक(विशिष्ट बालक) को जीवन जीने योग्य बना सकती है। इनके द्वारा दिया गया आत्मबल एवं वातावरण ऐसे बालकों के जीवन को नया मोड़ प्रदान कर सकता है।

सन्दर्भः

1. वैष्णवमताब्जभास्कर 4/50
2. अथर्ववेद 11/5/8
3. मनुस्मृति 1/108
4. एन.सी.एफ. 2005, पृष्ठ 96

सहायकाचार्य (शिक्षा)
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान
जयपुर परिसर

समावेशी शिक्षा की स्थिति

डॉ. नवप्रभाकर लाल गोस्वामी

भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से 'सभी को शिक्षा' 'सभी को काम' इत्यादि भावना से ओत-प्रोत परम्परा चली आ रही है। भारतीय संस्कृति के मूलाधार पर पुनः पुनः शिक्षा में परिवर्तन किये जाते रहे हैं। मूल भारतीय संस्कृति में

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिददुःखभाग्भवेत्।।

पर ही आधारित थी। इसी को आधार मानकर शिक्षा का विकास किया गया। उपनिषद् भी इसी समावेशित शिक्षा व व्यवहार को प्रदर्शित करता है-

सहनाववतु। सह नो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै।

इसी सिद्धान्त व उद्देश्यों को वेद भी अंगीकार करता है। ऋग्वेद के 90 प्रपाठक के 192/02 मंत्र में उल्लिखित है-

समानो मंत्र समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मंत्रमभिमंत्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि।।

भारत सर्वदा सभी मनुष्यों को शिक्षा मिले इसका समर्थन करता है। सभी समान रूप से शिक्षा प्राप्त करें इसका प्रयास करता है। यह वैदिक काल से मान्यता है। इसी को आधार मानकर भारतीय संविधान के भाग 3 एवं अनुच्छेद 12-18 तक भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 15,41,45 में भी बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसा उल्लिखित है। इसी क्रम में संविधान की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संसद ने 12 दिसम्बर 1995 को एक अधिनियम पारित किया जिसमें निर्धारित किया कि विकलांगों को सुविधाएँ, सेवाएँ प्रदान करने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकारें व स्थानीय निकायों को इस दायित्व का निर्धारण करना है कि वे उत्पादक और उपयोगी नागरिक के रूप में समान अवसर के लिए भागीदारी कर सके। इस हेतु सभी के लिए शिक्षा, जिसमें विकलांगों, जिन्हें आजकल दिव्यांग कहा जाता है, की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना है। इसके लिए NCTE ने भी पाठ्यक्रम 2014 में 'विद्यालयों में समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया। जिन्हें विशेष शिक्षा या योग्यजनों की शिक्षा भी कहा जाता है।

विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अन्तर

(अ) विशेष शिक्षा– विशेष शिक्षा का तात्पर्य है निःशक्तों को विशेष वातावरण में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा विशेष संरचित पाठ्यचर्या, विशिष्ट तकनीकों एवं विधियों तथा विशेष रूप से बनाई गई शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ाना। विशेष शिक्षा प्रायः अनुदेशनात्मक कार्यक्रम होता है। इसका मुख्य आधार है बच्चे की वर्तमान क्रियाशीलता जिसके आधार पर शिक्षण के लक्ष्य, शिक्षण सामग्री, शिक्षण निधि, शिक्षण तकनीक आदि निर्धारित होती है। यह बालकों में बौद्धिक विकास के साथ-साथ पाठ्यचर्या एवं इनपुट पर बल देती है।

(ब) समेकित शिक्षा– समेकित शिक्षा का तात्पर्य है अक्षमताग्रस्त बालकों को कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ अंतक्रिया का मौका देना। इसमें अक्षमतायुक्त बालक की एक ही कैम्पस में अलग कक्षा हो और उसे उपयुक्त सामाजिक व्यवहार सिखाकर फिर सामान्य कक्षा में भेजा जा सकता है। यह विशेष शिक्षा से बेहतर विकल्प है परन्तु वर्तमान मानवाधिकारों के दौर में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी बालक का अधिकार है।

(स) समावेशी शिक्षा– समावेशित शिक्षा कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की मनोवृत्ति है। जिसके अन्तर्गत विविध क्षमताओं वाले बालक सामान्य शिक्षा-प्रणाली में एक साथ अध्ययन करते हैं। समावेशित शिक्षा विभिन्न ज्ञानेन्द्रिय, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक आदि कारणों से उत्पन्न किसी बालकों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के बावजूद उन बालकों को भिन्न देखे जाने की अपेक्षा स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखती है।

यूनेस्को के अनुसार–

1. समावेशी शिक्षा यह विश्वास करती है कि सभी बालक सीखते हैं और सभी बालकों की अलग-अलग प्रकार की विशेष आवश्यकता होती है।
2. समावेशित शिक्षा औपचारिक शिक्षा से वृहत् अर्थ रखती है और घर-समुदाय व घर से बाहर शिक्षा के अन्य अवसरों पर भी बल देती है।
3. यह अभिवृत्तियों, व्यवहारों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम एवं वातावरण को परिवर्तित करने की वकालत करती है ताकि सभी बालकों की विशेष आवश्यकतादि पूरी हो सके।
4. एक स्थिर गति से चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है और समावेशी शिक्षा समुदाय को प्रोन्नत करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न तरीकों का एक भाग है।

भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के अनुसार समावेशी शिक्षा है-

1. शिक्षक प्रायः विशेष आवश्यकता वाले बालकों से भी अपेक्षाकृत ऊँची अपेक्षा रखते हैं।
2. सामान्य एवं विशेष शिक्षक बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों से समान उम्मीद रखते हैं।

3. समावेशी शिक्षा मे विशेष आवश्यकता वाले बालकों को हमउम्र और विकलांग बच्चों के साथ अन्तःक्रिया का मौका मिलता है जो विशेष विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है।
4. विशेष आवश्यकता वाले बालक अपने अविकलांग सहपाठियों से सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार सीखते हैं।
5. समावेशी शिक्षा के कारण यह संभावना बढ़ जाती है कि विशेष बालकों की सामाजिक भागीदारी बढ़ेगी और जीवन पर्यन्त रहेगी।

विकलांगों हेतु किये गये प्रयास–

1. स्वतंत्रतापूर्व 1944 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) में प्रकाशित 'सार्जेण्ट रिपोर्ट' में विकलांगों को शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है।
2. स्वतंत्र भारत में शिक्षा आयोग - 'कोठारी आयोग (1964-66) में विकलांगों की शिक्षा हेतु प्रावधान किये।
3. NCERT ने शिक्षा विभाग के लिए विशेष आवश्यकता समूह CWSH हेतु बैठक भी आयोजित की।
4. International Standard Classification of Education (ISCED-07) (UNESCO-1977) के अनुसार Special Needs Education (SNE) में कई देशों में निशक्त बच्चों को नियमित पद्धति से शिक्षण दिया जाता है।

   इसी को भारत के कई राज्यों में Special Education शब्द बडे पैमाने पर स्वीकार किया और पूर्ण रूप से Learner with Specific disable को Focus किया गया। इसी Draft को Inclusive Education Scheme में MHRD 2003 में स्वीकारा।
5. 1990 में Word Declaration of Education for all को माना गया।
6. 1993 में विशेष योग्यजनों हेतु निम्न कानून बनाये गये-

   A. The Rehabilitation Council of India Act 1992 (RCI)Act.

   B. The Person with Disabilities (Equal opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act 1995.

   C. National Trust for Welfare with Austim, Celebral Palsy, Mental REtardation and Multiple Disabilities ACt 1999
7. NCF 2005 में भी Inclusive Education को सम्मिलित किया।

प्राचार्य,
विद्यास्थली महिला शिक्षक-प्रशिक्षण
महाविद्यालय, जयपुर

समावेशात्मक शिक्षा का औचित्य

डॉ. बत्तीलाल मीणा

समावेशी शिक्षा का अर्थ-

समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक तथा सामान्य बालक एक साथ कक्षाओं में पूर्ण समय या अर्द्धकालीन समय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मिलना, समायोजन, सामाजिक या शैक्षिक अथवा दोनों को समन्वित करता है।

स्टीफन तथा ब्लैकहर्ट के अनुसार "शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक, मानवीयकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है।"

भारतीय संविधान में भी शिक्षा का समान अधिकार अथवा अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान रहा है। समय-समय पर इसके बारे में अनुच्छेदों के माध्यम से पुरजोर संस्तुतियां भी की गई है। असमर्थ-अपंग, दिव्यांग एवं बाधित बच्चों की शिक्षा का उत्तरदायित्व भारत के समाज कल्याण मंत्रालय को था किन्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन के प्रारूप ने प्राचीन सिद्धान्तों को अपनाने पर जोर दिया तथा बाधित बच्चों की शिक्षा का उत्तरदायित्व शिक्षा विभाग को दे दिया।

वस्तुतः समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशिष्ट बालकों की शिक्षा को मुख्यधारा के साथ जोड़ा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यह दृढ़तापूर्ण कहा गया है कि जहाँ तक सम्भव हो शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग, बाधित एवं अन्य असमर्थ बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ ही होनी चाहिए। गम्भीर रूप से बाधित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं में प्रवेश दिया जाना चाहिये। समावेशी अथवा समावेशी शिक्षा में चार मुख्य प्रक्रियाएँ महत्त्वपूर्ण है-

1. मानकीकरण-

यह वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों को जहां तक सम्भव हो, कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करे।

2. संस्थारहित शिक्षा-

यह ऐसी संस्थारहित शिक्षा प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों तथा युवक छात्रों की सीमाओं को समाप्त करती है जो आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान करते हैं।

3. शिक्षा की मुख्य धारा-

शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ दिन-प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में सम्बन्ध रखती है।

4. समावेश-

समावेश वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों को प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा-कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए लाती है। समन्वित पृथक्करण के विपरीत।

समावेशी शिक्षा की विशेषताएं-

1. समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अन्तर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ-साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बच्चों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्कीकरण के विरोधी व्यवहारिक समाधान है।
2. समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। कभी-कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा संस्था में प्रवेश कराया जा सकता है। गम्भीर रूप से अपंग बालक को जो विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कराया जा सकता है। गम्भीर रूप से अपंग बालक को जो विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं, सम्प्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात् वे सम्बन्धित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं।
3. इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे अपंग बालक को शिक्षा में समान अवसर प्राप्त हो तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकें।
4. यह अपंग बालकों को कम प्रतिबन्धित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवनयापन कर सकें।
5. यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं।
6. यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है।
7. समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों, तथा माता-पिताओं के सामूहिक प्रयास पर आधारित है।

समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं-

कुछ शिक्षाविद् विशिष्ट शिक्षा के पक्षधर नहीं हैं। उनके अनुसार यह शिक्षा के अवसरों के समान नहीं है तथा बालकों के विचारों में भिन्नता पंदा होती है। सामान्य कक्षाएँ अपंग बालकों में हीन भावना उत्पन्न करती है। कुछ ही समय पहले, मनोवैज्ञानिकों ने विचार दिया है कि समावेशी शिक्षा हमारे सामान्य

विद्यालयों में दी जाये, जिससे सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर मिलें। शिक्षाविद् भी इस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर हैं–

1. सामान्य मानसिक विकास सम्भव है।
2. सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है।
3. समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है।
4. समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण सम्भव है।
5. शैक्षिक एकीकरण सम्भव है।
6. समानता के सिद्धान्त का अनुपालन करना है।

समावेशी शिक्षा की अवस्थाएं-

शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा के सात प्रकार के स्तर उल्लेखनीय हैं-

1. एकीकरण की प्रथम श्रेणी सामान्य शिक्षा पूर्णकालिक एकीकरण संस्था है। पूरे दिन अध्यापक अपंग बालकों को शिक्षा देता है। छात्र आवश्यकता के समय शिक्षाविदों की सहायता प्राप्त करते हैं।
2. ऐसे बालक द्वितीय श्रेणी में सामान्य कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं। लेकिन कुछ कक्षाएँ विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था के कारण निलंबित कर दी जाती है।
3. तृतीय श्रेणी विशिष्ट कक्षा में अपंग बालकों की शिक्षा को सम्मिलित करती है। लेकिन छात्रों को सामान्य कक्षाओं में उपस्थिति देनी होती है। इस प्रकार उन्हें सामान्य शिक्षा संस्था के कार्यकलापों में अपने आपको व्यस्त रखना पड़ता है।
4. समावेशी की चतुर्थ श्रेणी आवासीय शिक्षण संस्थाओं को सम्मिलित करती है जिसमें पास के सामान्य विद्यालय के कुछ पाठ भी होते हैं।
5. पंचम श्रेणी स्तर एकीकरण को सम्मिलित करती है। इस स्थिति में सामान्य बालकों को काफी अधिक संख्या में अपंग बालकों के साथ रखा जाता है। जिससे उन सबका शैक्षणिक तथा अन्य प्रकार के कार्यक्षेत्र में आपसी सामंजस्य तथा सहयोग सुनिश्चित किया जा सके।
6. सामान्य कक्षाओं में शिक्षण के साथ आवासीय स्थान पर शिक्षण तथा घरेलू कार्यक्रम को एकीकरण की छठी श्रेणी में रखा गया है।
7. एकीकरण की सातवीं श्रेणी के अन्तर्गत चिकित्सालय या अन्य कार्यस्थल आदि में लघुकालिक शिक्षण की व्यवस्था करना है।

समावेशी शिक्षा का कार्यक्षेत्र-

समावेशी शिक्षा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को अनेक प्रकार की शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

1. अस्थिबाधित बालक
2. श्रवण बाधित बालक
3. दृष्टिबाधित अथवा एक आंख वाले बालक
4. मानसिक मन्दित बालक जो शिक्षा के योग्य हो
5. अधिगम असमर्थी बालक
6. अन्धे छात्र जिन्होंने 'ब्रेल' में पढ़ने और लिखने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
7. बधिर बालक जिन्होंने सम्प्रेषण में निपुणता तथा पढ़ना सीख लिया है।

समावेशी शिक्षा, शिक्षा का एक वैकल्पिक रूप है जिसके अन्तर्गत शिक्षा के उन सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाता है, जो बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से बाधित होते हैं। उन सभी के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान होता है। पुनः समावेशी शिक्षा से अभिप्रेत समावेशी अनुदेशन का प्रारूप तथा कार्यक्रम विकसित करना है जो असामान्य बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके।

शिक्षाशास्त्रविभाग

शिक्षाशास्त्रविभाग

रा.सं.सं., जयपुरपरिसर, जयपुर

उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः।
तथैव ज्ञानकर्माभ्यां जायते परमं पदम्।।

Just as the bird can fly high with the help of it's two wings, in the same way with the help knowledge (*dhyāna*) and duly performance of one's own duties (*karma*) – one can attain the supreme reality.

समावेशी शिक्षा, समस्या एवं समाधान

डॉ. दरयाव सि...

भूमिका-

समावेशी शिक्षा एक ऐसी मूलभूत प्रक्रिया अथवा व्यवस्था है, जिसको सामान्यतया कि... चीज का अंग होना या सम्पूर्ण में समाविष्ट होना कहा जाता है। अर्थात् इसे शिक्षा का एक वैकल्पि... रूप भी कह सकते है। जिसके अन्तर्गत शिक्षा के उन सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाता है जो बच्चे शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से बाधित होते हैं, उन सभी के लिए ही समावेशी शिक्षा का प्रावधान होता हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा से अभिप्राय समावेशी अनुदेशन का प्रारूप तथा कार्यक्रम विकसित करना जो असामान्य बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके क्योंकि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक एक साथ कक्षाओं में पूरे अथवा अर्द्धकालीन समय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वे बालक सामान्य बालक के समान ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्कूलों में छात्रों को व्यक्तित्व के आधार पर सभी पक्षों में समान नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनमें आपस में कई प्रकार की विभिन्नताएँ होती हैं। यथा-कोई शारीरिक रूप से तो कोई मानसिक रूप से परस्पर भिन्न होते हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा में उन अशक्त बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करते हुए समय-समय पर प्रयास किए गए जिसमें सामान्य बालक भी शामिल है तथा यह सत्य है कि अशक्त बालक किसी न किसी रूप में शारीरिक या मानसिक रूप से पिछड़े हुए है और इनका शैक्षिक अलगाव भी सामान्यतया देखने में आता है। इसीलिए **सर्वशिक्षा अभियान**, विशेष शिक्षा अथवा **'शिक्षा का अधिकार'** के रूप में समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इन अशक्त अथवा विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मौलिक अधिकार, गुणात्मक शिक्षा एवं शैक्षिक एकीकरण के आधार पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशन प्रक्रिया द्वारा मुख्यधारा में जोडने के अभियान चलाए जा रहे है। ताकि सभी बालकों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य पूरा हो। वैसे तो भारतीय संविधान में पहले से ही प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया जो कि बिना किसी भेद भाव के प्रदान करने का उत्तरदायित्व तत्कालीन राज्य सरकारों के लिए निश्चित किया हुआ है फिर भी समावेशी शिक्षा के अर्थ के विषय में कोठारी आयोग (1964-66) ने प्राथमिक शिक्षा की व्यापकता पर बच्चों के विशिष्ट अथवा समावेशी समूह की शिक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से महत्व देते हुए विशिष्ट बच्चों की शिक्षा को मुख्यधारा में

सम्मिलित करने की संस्तुति की है। इसी प्रकार (राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में भी यह महत्वपूर्ण कहा गया है कि जहाँ तक सम्भव हो शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग, बाधित एवं असमर्थ बच्चों की शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए तथा गम्भीर रूप से बाधित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं में प्रवेश दिया जाना चाहिए।

परिभाषा-

"समावेशी शिक्षा को परिभाषित करते हुए **स्टीफन एवं ब्लेकहर्ट** का कहना है कि शिक्षा की मुख्यधारा का अर्थ बाधित (पूर्ण रूप से अपंग नहीं) बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानसिक और अधिगम को बढ़ावा देती है।

Definition :

Mainstreaming is the education of mildly handicapped children in the regular classroom. It is based on the philosophy of "equal opportunity" that implemented through individual planning to promote appropriate learning achievement & social normalization." –Stephen & Blackhurt.

इस प्रकार कहने का अभिप्रायः यह है कि समावेशी शिक्षा अपने मूलभूत रूप में एक अभिवृति है अर्थात् समावेशी प्रत्यय से अभिप्राय किसी चीज का भंग होना अथवा सम्पूर्ण में समाविष्ट करना है एवं समावेशन अथवा समावेशी शिक्षा पृथक्करण अथवा अलगाव (जिसका अर्थ होता है बाहर रखना, मना करना अथवा निष्कासन) का विपरीतार्थक है। इसलिए समावेशी शिक्षा, सबको साथ लेकर अर्थात् सभी प्रकार के बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को मध्य नजर रखते हुए उनके बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सृजनात्मक विकास के अतिरिक्त परस्पर सीखने तथा अभियोजन की एक बहुत ही अनोखी कोशिश, जो हमें कठिन तो दिखाई देती है परन्तु यह असम्भव कदापि नहीं हो सकती क्योंकि अमेरिका जैसे विकसित देशों में वर्जित एवं सीमान्त सामाजिक स्तर के समूहों से सम्बन्धित भिन्न क्षमता वाले तथा जाहिल कहे जाने वाले बालकों की विशिष्ट शिक्षा के लिए वांछित विशेष प्रावधान सामान्य शिक्षा पद्धति में ही सफलता से चलाए जा रहे हैं लेकिन भारत में विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के अधिगमकर्ताओं के लिए किए गए प्रयास दुर्वहनीय ही सिद्ध हुए हैं क्योंकि काफी परिश्रम एवं धन का प्रयोग करने के उपरान्त भी उत्साहवर्धक परिणाम नहीं मिल रहे हैं। हमारे देश के शिक्षाविदों तथा व्यवस्थापकों का शैक्षिक दृष्टिकोण समयानुसार कभी विशेष शिक्षा प्रणाली तो कभी समन्वित शिक्षा व्यवस्था की ओर लगा रहता है। फिर भी कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक राष्ट्र इस समावेशी शिक्षा प्रणाली को अनुपयोग में लाने के लिए भरसक प्रयत्नशील हैं ताकि बहिष्कृत, असमर्थ एवं उपवर्जित बालक भी दूसरे बालकों

के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें तथा उनके साथ रहना और अर्न्तक्रिया करना सीखे जिससे उनका सभी के साथ सर्वांगीण विकास हो सके। उनमें हीन भावना उत्पन्न न हो तथा उनका मनोबल न गिरने पाए। इसलिए उपरोक्त आधार पर छात्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है या सामान्य और विशिष्ट (Normal & Exceptional) विशिष्ट बालक उनको कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार सम्बन्धी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत अथवा असामान्य बालकों से बहुत भिन्न होते हैं जो अन्य छात्रों की तुलना में अपनी विशिष्टता रखते हैं जिनके कारण उनकी गणना उच्च कोटि अथवा निम्न कोटि के छात्रों में होती है। ऐसे विद्यार्थी मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से या तो बहुत पिछड़े हुए होते हैं या फिर बहुत आगे निकल जाते हैं। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में इनका समायोजन कठिन हो जाता है। अतः इनके समायोजन के लिए अथवा इनके विद्यमान अन्तर्निहित शक्तियों के उचित प्रयोग के लिए उन्हें विशेष शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक, बाल अपराधी तथा प्रतिभावान बालक इत्यादि सम्मिलित होते हैं तथा प्रत्येक प्रकार के विद्यार्थियों की अपनी अलग 2 विशेषताएँ, कठिनाइयाँ और शिक्षा के साधन होते है। जिनका अध्ययन करना प्रत्येक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है परन्तु यह बहुत कठिन एवं श्रमयुक्त कार्य है। इसलिए हमें कक्षा में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों की पहचान के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना पड़ता है।

समस्याएँ-

जैसा कि सभी जानते हैं कि विशिष्ट बालक की कुछ विशेषताएं होती है उन्हीं को आधार अथवा कसौटी मानकर इनकी पहचान की जा सकती है यथा-

1. पिछड़े बालकों की पहचान- कक्षा मे पिछड़ेपन का पता लगाना हो तो सभी बच्चों को सामूहिक परीक्षा देकर उनकी बुद्धिलब्धि I.Q. देखी जा सकती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणामों के आधार पर अथवा व्यक्तिगत परीक्षा द्वारा भी उनके बुद्धिस्तर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

2. इसी प्रकार मानसिक रूप से पिछड़े छात्रों में अमूर्त चिन्तन का अभाव, सीखने की गति, सीमित रूचियाँ, मौलिकता का अभाव होता है।

3. शारीरिक रूप से पिछड़े हुए बालकों में दोषपूर्ण शब्दावली संवेगात्मक रूप से अस्थिर सामान्यीकरण करने में अयोग्य इत्यादि विशेषताओं को कसौटी मानकर पहचाना जा सकता है।

4. बाल-अपराधी बालकों का व्यवहार सदैव अर्पित अथवा सीखा हुआ होता है तथा ये बालक सामाजिक सिद्धान्तों और आदर्शों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, उनकी कुछ इच्छाएँ आशाएँ, आवश्यकताएँ, अथवा भावनाएँ दब कर रह जाती है जिन्हें समझना भी बहुत आवश्यक होता है।

5. प्रतिभावान वालों की पहचान बुद्धि परीक्षा, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षाएँ तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से सूचनाओं के द्वारा की जा सकती है क्योंकि ऐसे बालक प्रायः आसानी से सीखने वाले इनका चिन्तन स्पष्ट, सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग, रटने की बजाय समझने में विश्वास, मौलिक चिन्तन तथा कठिन कार्यों को आसानी से करने वाले होते हैं।

6. इसी प्रकार सर्जनात्मक बालकों की पहचान उनके व्यवहार से प्रेक्षण, संचित अभिलेख, स्याही धब्बा परीक्षण तथा शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षणों द्वारा की जा सकती है।

समाधान-

इस प्रकार उपरोक्त बालकों की समायोजन सम्बन्धी समस्याओं के निवारण हेतु समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत निम्न विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था द्वारा काफी कुछ समाधान किया जा सकता है। यथा-

1. पिछड़े बालकों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये बालक सामान्य बालकों से बहुत पीछे रह जाते हैं और अध्यापक द्वारा प्रदत्त सामूहिक निर्देशन समझ नहीं पाते हैं। अतः इनको व्यक्तिगत ध्यान देकर पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाई जा सकती है अर्थात् इनकी शिक्षा की योजना को कोई निाश्चित समय प्रदान किया जा सकता है। अध्यापक उनके माता-पिता के साथ सम्पर्क करके भी उनके मानसिक तनावों को दूर कर उनका समायोजन करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूलों या कक्षाओं की व्यवस्था से भी इस समस्या पर नियन्त्रण पाया जा सकता है। इसके लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, विशेष प्रकार के प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति तथा हस्त उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। स्कूलों से छात्रों के भागने की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण करके उन्हें उचित राह पर लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पाठ्यान्तर क्रियाओं की व्यवस्था करके उनकी अन्य योग्यताओं का विकास किया जा सकता है। अनुभवी शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सेवाएं भी ऐसे बालकों और उनके माता-पिता को उचित राय देकर उन्हें पिछड़ेपन से मुक्ति दिला सकते हैं। स्कूलों मे निर्देशन सेवाओं का संगठन भी बहुत लाभकारी और प्रभावपूर्ण कदम हो सकता है। इन सेवाओं से बालक अपनी शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने सामान्य बालकों की पंक्ति में शामिल हो सकता है। इसी प्रकार छात्र के सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक, संवेगात्मक वातावरणों में आवश्यक सुधार करके भी उनके विकास के लिए अच्छे अवसरों की रचना की जा सकती है, परन्तु अध्यापक के साथ उसके माता-पिता एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग भी अपेक्षित होना चाहिए।

2. इसी प्रकार मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समावेशी शिक्षा हेतु स्कूल, माता-पिता

तथा समाज द्वारा इनकी समस्याओं पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। ऐसे बच्चों को स्नेह, सहानुभूति तथा उचित वातावरण मिलना चाहिए। विशेष शिक्षा विधियों का प्रयोग भी लाभदायक हो सकता है। सामान्य पाठ्यक्रम इनकी मानसिक योग्यताओं के अनुकूल नहीं होता है। अतः विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था करके समस्याओं पर अधिक बल देना चाहिए। बाल अपराधियों हेतु सुधार स्कूल होने चाहिए। घर एवं स्कूल के वातावरण में भी सुधार होना चाहिए। इनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की ओर भी ध्यान देकर सुधारात्मक प्रयास होने चाहिए। स्कूलों में खेलकूद तथा मनोरंजन के साधनों से भी उनकी संवेगात्मक विकास किया जा सकता है। स्कूलों में उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। अध्यापक द्वारा उचित व्यवहार (सहानुभूतिपूर्ण रवैया) तथा शिक्षण विधियां अपनाकर बाल-अपराध तथा स्कूलों से भागने पर नियन्त्रण हो सकता है। समाज के वातावरण में सुधार के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाएं बहुत योगदान दे सकती है। बालकों को समाज विरोधी तत्वों से दूर रखने का प्रबन्ध होना चाहिए। शारीरिक रूप से पिछड़े बालकों के शारीरिक दोषों का ध्यान रखते हुए इस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए कि जिससे उनमें आत्म-विश्वास की भावना विकसित हो सके। उन्हें शिक्षा द्वारा मानसिक विकास के लिए पूर्ण अवसर देने चाहिए। सामान्य छात्रों की तरह प्रतिभावान बालकों को भी रुचि, योग्यताओं अथवा प्रतिभाओं को विकसित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। प्रतिभावान बालक पाठ्यक्रम को समझने में सामान्य बालकों से कम ही समय लेते है। अतः समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास पर केन्द्रित होनी चाहिए। उन्हें घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी प्रतिभा का उचित प्रयोग कर सकें। इससे उन्हें मानसिक रूप से सन्तोष भी मिलेगा तथा अपनी प्रतिभा के उपयोग हेतु अवसर मिलेंगें। उन्हें पुस्तकालय द्वारा उच्च स्तर भी रूचिकर पुस्तकें भी प्रदान करनी चाहिए। उन्हें अन्य कार्यों का नेतृत्व भी प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार भिन्न क्षमता वाले छात्रों को भी रुचिकर कार्यों में लगा सकते हैं। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा द्वारा सभी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थः

1. समावेशी शिक्षा - मदनसिंह आर एल बुक डिपो, मेरठ
2. Inclusive Education _ Dr. Asha Sharma Bahadurgarh
3. समावेशी शिक्षा के आधार - डॉ. श्रीमती जसवन्त के. वी.के. एवं अलका अरोडा, 21वीं सदी, प्रिंटिंग प्रेस, पटियाला, पंजाब

सहायक आचार्य (शिक्षा)
रा.सं.सं., जयपुर

समावेशी शिक्षा ग्रन्थालय : दिव्यांग जनों के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. श्यामसुन्दर पाण्डेय*

सुनीता पाण्डेय**

सारांश -

प्रस्तुत शोध पत्र में समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत दिव्यांग ग्रन्थालय, दिव्यांग ग्रन्थालयों के उद्देश्य दिव्यांगता के प्रकार, विशेष ग्रन्थालयों के प्रकार, दिव्यांग जनों से सम्बन्धित भारतवर्ष के प्रमुख संस्थाएं, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही है तथा उनके ग्रन्थालयों की विभिन्न प्रकार की सेवाओं का परिचय दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकाशित ज्ञान के स्रोत के रूप में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं की सूची भी निर्मित की गयी है। साथ में प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को यथावत अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है।

प्रमुख शब्द : समावेशी शिक्षा, विशेष ग्रन्थालय, दिव्यांग, दिव्यांग ग्रन्थालयों की सेवाएं।

समावेशी शिक्षा-

विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए जिस कारण दोनों छात्र संस्थाओं में एक साथ अधिकतर समय व्यतीत कर सकें। पूर्व में समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन समयानुसार कालक्रम के आधार पर हर शिक्षक को इस सिद्धान्त को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए।[1]

अर्थात् यह वैसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सभी विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के सीखने-सिखाने के समान अवसर मिले जिसमें क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश और विस्तृत सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं दोनों के ही सन्दर्भ में निहित है।

समावेशी शिक्षा का आशय दिव्यांग विद्यार्थियों (जिनमें आजकल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी कहा जाता है) के सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाने से है ताकि ये दोनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव न रह सके तथा दोनों आपसी समझ से पठन-पाठन कार्य को गति दे सकें और तत्पश्चात् सामाजिक जीवन में अध्ययन काल के व्यवहारिक पहलुओं को ध्यान में रखकर एक साथ जीवन जीना सीखें।

समावेशी शिक्षा के प्रोत्साहित करने का अपना एक राजनीतिक अर्थशास्त्र है जो भूमण्डलीकरण या उपरीकरण की प्रक्रियाओं से प्रेरित है।

दिव्यांगता-

विभिन्न डिक्शनरी में दिव्यांगता का इंगलिश **Disability** दिया हुआ है। इसकी व्यापकता का क्षेत्र बड़ा है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, ऐन्द्रिक, बौद्धिक विकास में किसी प्रकार की कमी को इंगित करता है इसके लिए अशक्तता, निशक्तता, अपंगता, विकलांग, इत्यादि शब्द मिलते हैं। इस सन्दर्भों में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा इस क्षेत्र के लिए विशेष शब्द दिव्यांग सम्बोधित किया गया। इसमें पूर्व में निर्धारित प्रकार की दिव्यांगता को बढ़ाकर 21 प्रकार के लोगों को सम्मिलित किया गया है।[2]

प्रकार-

शारीरिक निर्योग्यता

दृष्टिक्षीणता

घ्राण एवं रस संवेदी असमर्थता

ऐन्द्रिक निर्योग्यता

काय एन्द्रिक असमर्थता

संतुलन निर्योग्यता

बौद्धिक असमर्थता

मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक निर्योग्यता

विकासात्मक निर्योग्यता

अदृश्य निर्योग्यता[3]

शैक्षणिक विभागों के स्वरूप के आधार पर भारतवर्ष के अधिकांश विश्वविद्यालयों में जहाँ पर विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं, वहां पर-

दृष्टिबाधित शिक्षा

श्रवणबाधित शिक्षा

मानसिक शिक्षा

संकेत भाषा एवं बधिर शिक्षा।[4]

विशेष ग्रन्थालय : दिव्यांगजनों के सन्दर्भ में-

अपने विशेष उपयोगकर्ताओं Readers/Users को विशेष सूचना स्रोत अथवा सेवाएं विशेष

रूप से विषय के आधार पर उपलब्ध कराना विशेष ग्रन्थालय कहलाता है। सामान्य अर्थों में यदि कहा जाय तो ज्ञान के सभी अवयव (सभी सन्दर्भों में) को एकत्र करना, व्यवस्थित करना तथा उनका प्रसारण करना ग्रन्थालय कहलाता है।

दिव्यांग जनों के सन्दर्भों में ये वे ग्रन्थालय होते हैं जो एक सामान्य ग्रन्थालयों में ही एक अनुभाग के रूप में व्यवस्थित किए जाते हैं। जहां पर विशेष छात्रों (दिव्यांग छात्रों, दिव्यांग ACF के अन्तर्गत 21 प्रकार के दिव्यांग) उनकी आवश्यकतानुसार सेवाएं प्रदान करते हैं तथा उनकी सेवाओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार के प्रलेख तथा तकनीकी सम्बन्धी उपकरण उनका माध्यम बनते हैं।

शोध पत्र का उद्देश्य-

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य यह है कि दिव्यांग जनों की वांछित सूचना सामग्री को समावेशी उद्देश्यों के साथ व्यवस्थित किया जाय एवं उनका आदान-प्रदान इत्यादि वांछित हो इसके साथ अतिरिक्त उद्देश्य निम्नवत है।

- दिव्यांग के लिए सूचना को पहचानना।
- दिव्यांग के सूचना के प्रकार को पहचानना एवं उनको विभिन्न संस्थाओं में खोजना।
- दिव्यांग हेतु विभिन्न प्रकार की पुस्तकालयीय सेवा प्रदान करना।
- दिव्यांग की पुस्तकालयीय समस्या एवं बाधाओं को पहचानना।
- टेक्नोलाजी हार्डवेयर, साफ्टवेयर को पहचानना।

विभिन्न संस्थाएँ-

- अलीयवार जंग नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैन्डीकैप्ड
- नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ इम्पावरमेन्ट ऑफ पर्सन विथि मल्टीपल डिजाण्डीय
- नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रिहइबलेशन एण्ड डिस्एबिलिटी स्टडीज
- नेशनली इन्स्टीट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग
- नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्थोपेडिकली हैन्डीकैप्ड
- नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अनविजुअली हैन्डीकैप्ड, देहरादून
- नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेन्टली हैण्डीकैप्ड, सिकन्दराबाद
- शकुन्तला मिश्रा रिहाइब्लेशन यूनिवर्सिटी
- जगद्गुरु रामानन्दाचार्य विकलांग वि.वि.
- अम्बा डालमियां स्रोत केन्द्र ग्रन्थालय
- दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ग्रन्थालय

- ब्रेल ग्रन्थालय वि.वि.
- हेमेन केलर ग्रन्थालय ज.को.वि.वि.
- रामनाथ बन्ना टाकिंग बुक ग्रन्थालय
- आल इण्डिया फेडरेशन ऑफ डीफ
- दौलतराम पुस्तकालय
- आल इण्डिया डीफ एवं डम्ब सोसायटी
- जाकिर हुसैन ग्रन्थालय जामिया मिलया इस्लामिया।

इन संस्थाओं की ग्रन्थालयों के अतिरिक्त देशभर में अनेक संस्थाओं के ग्रन्थालय दिव्यांगों हेतु ग्रन्थालयीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

दिव्यांगों की आवश्यकतानुसार ग्रन्थालयों ने विभिन्न प्रकार की सेवाओं को निरूपित किया है।

1. Electronic:

- Audio Books on CDS/DVDS
- Cassettes/Taps
- Daisy Books (Digital Asscessible for system)
- Electronic Text
- Internet
- Digitilized catalogue
- Electronic Indeys
- Databased DTBs (Digital talking Books)
- Web Braille System
- On line Reference work
- Library websites/webpages

2. Information:

- Audio CDs/DVDS
- Audio/Cassetes Taps
- Electronic Text
- Braille Collections
- Internet Service
- Computer Training
- Computer with Assistive equipment
- Photocopy Assistance

- Resource
- Provide Ipad/USB Player
- Specialized reference services
- Transcription services
- Catalogue with Screen reader
- Braille Tranlations
- Talking Dictionaries
- Audio Books recording Studio
- Braille Production Press
- Large Print Production Services
- Specialized Orientation Tours.

3. Published Resourse

- Annual Report
- Brochure
- Library website
- Training shops
- Routine mailing

4. Information Communication Technology

- PCs with Library Software with Internet Connectivity
- Scanner with OCR (Optical Character Recognition) Computer with voice output
- Screen Reader
- Screen Megnification

4.(A) Internet Facility

- Broadband
- Dial up
- Wi fi
- VSAT Technology
- Transcription Services (i.e. TExt Transcripts of the audio or captions in a video)
- Specialized Orientation Tours.
- Sign language Interpretation Services.

Accommodation made to create the accessible environment

- Use of signaze for locating info. resources
- setting up visual alert/warning system
- clear large print signage in bold text with good digiting.

- Arrangement of Assistive listening device amplification.
- Assissible self service circulation stations
- Individual Orientation session for the hearing impired users.
- Sign Language interpreter at the reference desk.

various Assistive Technology Facility

- TTY emulator software
- Dragon Dictate (Connect speech to text)
- Big mac (Picture Software)
- Cheap Talker (Picture software)
- I. Communicator
- Captioning Software

Accommodation

- Wider/doorway/Automatic doorways
- levators/lifts
- Special computers for use only by vision impaired users
- Individual Orientation Sessions for Blilnd/vision/impaired users
- speech lifts

Assisitive Software

- SAFA
- JAWS
- WINDOW-Eeys
- Zoom text magnifier/Reader
- Kurzweil
- Multilingual/Bilingual OCR
- Doc Reader
- Duxbury
- Screen Enlargement Software
- Shruti Screen Reader/Lekha/Spardha for Hindi and Sanskrit translation
- Talkling typer, math flash software, fine Reader

Assisitive Hardware

- Scanner/Reader
- Talking Calculator
- Voice reader/CD Player
- Braille Printer/Embosser

- Speech Synthesizer
- Megnifying Glasses

(Tactile Image Enhancer, Single Handed Keyboard)

विभिन्न सूचनाएं एवं facility

- Internet
- Computer Training Service

प्रमुख पत्रिका (Journals)

- Journal of Communication Disorders.
- Journal ofFluency Disorders
- Journal of Voice
- Research Development Disabilities
- Infer. Journal of Audiology
- Infer. Journal of Speech Language Pathology
- Assistive Technology
- Seminar in hearing
- Seminar in Speechand Language
- Journal of learning disabilities

इन पत्रिकाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख पत्रिकाएं

- American Journal of Speech Language Pathooogy
- Asia Pacific Journal ofSpeech Language and Hearing
- Applied Acoustics
- Audiology Neurology
- Brain and Language
- British Journal of Audiology
- Ear and Hearing
- ENT News
- Hearing Aid
- Hearing Journal
- Journal of Child Language
- Journal of Communication

उपसंहार-

समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में ग्रन्थालयों ने आज समावेशी ग्रन्थालय सेवाओं को प्रदान करने हेतु अपने यहाँ (जहाँ जहाँ दिव्यांग शिक्षा के पाठ्यक्रम चलाते हैं अथवा जहाँ दिव्यांग छात्र

अध्ययनरत हैं) विशेष अनुभाग बनाने की कोशिश की है। भारतवर्ष में स्थापित अनेक विश्वविद्यासलय एवं संस्थाओं ने दिव्यांग जनों हेतु सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए समावेशी स्वरूप को स्वीकारा है। आवश्यकता है संस्थाओं को ग्रन्थालयों की माँग के अनुसार अथवा समावेशी शिक्षा के आधार पर उनकी प्रकृतिगुण आदि के अनुसार बजट तथा व्यावसायिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, जिससे विश्वस्तर पर भारतीय ग्रन्थालय उनके साथ कदम से कदम मिला सकें।

पादटिप्पणी:

1. York-Barr, J(2005), "Special Education as teacher leaders in inclusive school. Impact: Teacture issue on revisiting inclusive K-12 Education 16(1) Minneo Pulis, MM : Institute on Community
2. www.Parliament.gov.FJ/..
3. www.wikipedia.org.
4. www.dsmru.nic.in

सन्दर्भ:

www.lib.Jnu.ac.in
www.disability affairs.gov.in
www.Jrhu.ac.in
www.drsmru.nic.in
www.nish.ac.in
www.indiastudycenter.com
www.niohkol.nic.in
www.nivh.gov.iln
www.du.ac.in
www.dr.du.ac.in
www.Jmi.ac.in/zhlibrary

*स. ग्रन्थालयाध्यक्ष
रा.सं.सं., जयपुर
**स. ग्रन्थालयाध्यक्ष
केन्द्रीय ग्रन्थालय,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी

समावेशी शिक्षा में अनुदेशन-अनुकूलन आव्यूह तकनीकी

(Strategy Technology Adaptinor construction in inclusion education)

डॉ. हरिओम शर्मा

वस्तुतः स्वतंत्रतापूर्व तथा स्वतंत्रता पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न आयोग-नीति का गठन-संगठन-पुर्नगठन होता रहा है। इन सभी का पर्यालोचन करने पर 'आधुनिक भारतीय शिक्षा का आधार' **नई शिक्षा/राष्ट्रीयशिक्षानीति** 1986 ही रही है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग** (1948-49) तथा **माध्यमिक शिक्षा आयोग** (1952-53) नियुक्त किए लेकिन ये शिक्षा के विशेषस्तर तक सीमित रहकर अपनी इतिश्री कर लिए। इसी को ध्यान में रखकर 1964 ई. में कोठारी आयोग नियुक्त किया। इस आयोग के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की व्यापकता पर संस्तुति की, एवं बच्चों के विशिष्ट अथवा समावेशी समूह की शिक्षाव्यवस्था को विशेष रूप से महत्व प्रदान किया है। भारत के संविधान में भी शिक्षा का सभी को समान अधिकार अथवा अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान रहा है। समय-समय पर इसके बारे में अनुच्छेदों के माध्यम से पुरजोर से संस्तुतियाँ भी की गई है। असमर्थी-अपंगी/दिव्यांग, एवं बाधित बच्चों की शिक्षा का उत्तरदायित्व भारत के समाज कल्याण मंत्रालय का था किन्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन के प्रारूप ने प्राचीन सिद्धान्तों को अपनाने पर जोर दिया तथा बाधित बच्चों की शिक्षा का उत्तरदायित्व शिक्षा विभाग को दे दिया। वस्तुतः समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशिष्ट बालकों की शिक्षा को मुख्यधारा के साथ जोड़ा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यह दृढतापूर्ण कहा गया है कि जहाँ तक सम्भव हो शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग, बाधित एवं अन्य असमर्थ बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ ही होनी चाहिए। गम्भीर रूप से बाधित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं में प्रवेश दिया जाना चाहिये।

"**समावेशी शिक्षा**, शिक्षा का एक वैकल्पिक रूप है, जिसके अन्तर्गत शिक्षा के उन सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाता है, जो बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से बाधित होते हैं। उन सभी के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान होता है, पुनः समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) से अभिप्रेत समावेशी अनुदेशन का प्रारूप तथा कार्यक्रम विकसित करना है जो असामान्य बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके।"[1]

वस्तुतः प्रस्तुत शोधपत्र वाचन में समावेशी शिक्षा में अनुदेशन-अनुकूलन की आव्यूह तकनीकी व्यवस्था को उपस्थापित किया गया है। जैसा कि शब्दगत अर्थ में समावेशी शिक्षा का आन्दोलन सभी नागरिकों को समानता का अधिकार पहचानने और सभी बालकों को समावेशी

आवश्यकताओं के साथ-साथ शिक्षा के समान अवसर के रूप में उपस्थापित करता है। पुनः कि कार्य अथवा भाव का समायोजन अथवा अनुकूलन की प्रकृति बाधित के स्तर पर अवस्थित हो है। जहाँ शिक्षा अपनी परिभाषा के विस्तार से अनुकूलन का भी कार्य करती है। विज्ञान में जीव के अनुकूलन सिद्धान्त शिक्षा की परिभाषा के रूप में अभिव्यक्त होती है। पादपों-जीवों व मानवों के अनुकूलन सिद्धान्त कार्य करता है।

वस्तुतः सरकार एक ऐसी समावेशी समाज की परिकल्पना करती है जिसमें विकलांगों के उत्पादक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, उनके प्रगति और विकास हेतु समान अवसर और सुगमता प्रदान की जाती है। इस दृष्टि को मूर्त रूप देने के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सुगम्य भारत अभियान का शुभारं किया है। वैसे भी अनुदेशन क्रिया शिक्षण के विस्तृत सम्प्रत्यय का एह छोटा रूप मात्र है, यह शिक्षा के साथ उच्चस्तर तक नहीं पहुँच सकता। अनुदेशन में प्रतिभागिता (Participation) तथा उनके सक्रियता(Activeness) सम्मिलित हो, आवश्यक नहीं, जबकि शिक्षण में दोनों की अति आवश्यकता होती है। लेकिन जब रेडियो, टेपरिकार्डर, टेलीविजन, कम्प्यूटर इत्यादि का प्रयोग अनुदेशन को इंगि करता हुआ शिक्षण का आवश्यक अंग बन जाता है जो कि प्रतिपादन इन्डोक्ट्रीनेशन (Indoctrination) रूप में प्रतिपादित होते हुए शिक्षण के सर्वोच्चस्तर को प्राप्त कर लेता है। इस स्तर पर अधि बुद्धि एवं विवेक की पूर्ण आशा की जाती है। सभी महान् पुरुष, राजनीतिज्ञ नेता, महान् दार्शनिक विद्वान आदि दूसरे व्यक्तियों पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ते हैं।

इस प्रकार अनुबन्धन (Conditioning), प्रशिक्षण (Training), अनुदेशन (Instruction) और प्रतिपादन (Indoctrination) सम्पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। इस प्रक्रिया में प्रारम्भिक स्तर प 'एकीकरण शिक्षा' अमेरिका में शिक्षा की मुख्यधारा आन्दोलन का प्रभावरूप फल है। जिसमें अ तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को अन्य सामान्य बालकों के साथ सामान्य स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सम्मिलित किया और बाधित बालकों की विशिष्ट प्रविधियों द्वारा सहायता की व्यवस्था है। इसे शिक्षा की मुख्यधारा में जोडने का श्रेय 'सैम्युअल ग्रिडले होवे' नामक अमेरिक विद्वान् को जाता है जिसने अपने कार्यों में दृष्टि व श्रवण रूप से बाधित बालकों के शिक्षण में उत्सुकता से रुचि ली व अन्धे बालकों की शिक्षा को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने पर बल दिया क्योंकि इसमें सामाजिक समायोजन के अवसर प्रस्तुत हो सकते हैं। पुनः इस एकीकरण के प्र आयामों को विशिष्ट बालकों की व्यक्तिगत अवस्था आवश्यकता के साथ एक से अधिक क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। जैसे शारीरिक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण, शैक्षिक एकीकरण इत्यादि का प्रभाव पूर्व में ही **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)** ने शिक्षा के क्षेत्र में समानता के आधार पर प्राथमिक रूप से प्रस्तुत कर दिया। पुनः 19वीं शताब्दी के अन्तिम दशक से समाज सुधारक

दार्शनिक-महापुरुषों आदि ने एक साथ शिक्षा ''शिक्षा में समानता के अवसर'' रूप में प्रस्तुत कर दिए। जिस शिक्षा की मुख्यधारा को 1975 में अमेरिका में प्रारम्भ किया, उसका बीजारोपण पूर्व में ही भारत में हो चुका था, लेकिन शिक्षा की स्वतन्त्रतापूर्व व बाद की स्थितियों में यह विचारधारा समर्थों के यहाँ व्याधि रूप में आने पर सरकार को असली जामा पहनाने के लिए कृतसंकल्प कर दिया। जबकि संविधान के 15वें अनुच्छेद में पुनः 45वें अनुच्छेद में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा (6-14 वर्ष के बालक/बालिकाओं) व 1 अप्रैल 2010 (R.T.E.) एक्ट के तहत होने पर 2013 से अपनी नूतन विचारधारा के साथ समाज में Social-Physical-Academic कार्यक्रमों की Intgegration (एकीकृत) रूप को उपस्थापित कर रही है। वस्तुतः विश्व विकलांगता दिवस की शुरूआत 3 दिसम्बर 1991 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। जहाँ भारत विकलांगों के अधिकार पर हुए संयुक्त राष्ट्र के समझौते में शामिल प्रथम देशों में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके तहत हमें अपने कानूनों में बदलाव लाकर विकलांगों को जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार दिलाना जरूरी है। इसके लिए दया नहीं अधिकार दिलाने की पहल हमारे द्वारा दिलानी है। विशेषज्ञों का कहना है कि विकलांगों को समान अवसर दिलाकर GDP (सकल घरेलू उत्पाद) को 7% तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही सामाजिक व आर्थिक विकास को नियन्त्रण के साथ ही सन्तुलित किया जा सकता है।

मैं आप सभी की इजाजत से लेख की शुरूआत करने से पहले एक Exercise (अभ्यास) करता हूँ। आप सभी आंख बंद कर पढ़ने की कोशिश करें या एक पैर से दूसरी जगह जाने की कोशिश करें, यह स्वरूप ही हमें विकलांगता के गूढ़ स्वरूप की ओर अग्रसर कर देता है। वहाँ कामयाबी का एक मंत्र याद आता है-मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में उडान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौंसलों से बाजी जीती जाती है। ऐसे हौंसले वाले जिन्होंने बाधाओं को चुनचौती रूप में स्वीकार किया, जिसमें **अल्बर्ट आइंस्टीइन** को सीखने की क्षमता कम थी, फिर भी **'सापेक्षता का सिद्धान्त'** विकसित कर देखने और समझने के लिए विविध तरीकों/तकनीकी का विकास किया। 'इसका वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म 'स्वयं' **(मैसिव ओपन ऑनलाइन कौर्सेज)** पोर्टल से अब सरकारी व निजी यूनिवर्सिटीज करिकुलम बनाने के लिए कोर्स कंटेट ले सकेगी। सरकार ने (AICTE) इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर इसकी शुरूआत की है। काउंसिल का मानना है कि इससे करिकुलम की क्वालिटी सुधर सकेगी। यद्यपि इस पोर्टल पर I.I.T., I.I.M. (आई आई टी, आई आई एम्स व D.U. की टॉप फैकल्टी पूर्व से ही सम्मिलित है। इस पर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेज के 200 से ज्यादा कोर्स व करिकुलम मौजूद है। यूनिवर्सिटीज को कोर्स कंटेंट लेने पर इसके क्रेडिट्स सभी स्वीकार करने होंगें। जिसे स्टूडेंट्स के पास

ऑन किया जा सकेगा। साथ ही MHRD का लक्ष्य है कि अगले पाँच वर्ष में देश-विदेश के... संस्थाओं से 10 हजार से ज्यादा कोर्सेज को मुहैया कराया जाए। पोर्टल के जरिए आठवीं से... ड्रॉप आउट, यूजी और पीजी लेवल तक के स्टूडेण्टस् अपनी नॉलेज और स्किल्स बढ़ा सकेंगे। साथ ही अपने मौजूदा कोर्स के साथ एडिशनल कोर्स कर क्रेडिट अचीव कर सकेंगे।[2]

थॉमस अल्वा एडिसन ऊँचा सुनते थे, लेकिन जिस आधुनिक दुनिया में चकाचौंध हो रही है, ऐसा आविष्कार बिजली का योगदान किसी से कम नहीं है।

लुई ब्रेल देख नहीं सकते थे किंतु उनके वही नाम से प्रसिद्ध उनकी रचना ब्रेल ने दुनिया भर के नेत्रहीन लोगों को पढ़ने और लिखने की क्षमता दी, इनके अलावा न जाने कितने लोग आज तक अपनी पहचान विविध क्षेत्रों में बनाते आ रहे हैं। जिसमें इन लोगों ने सिद्ध किया कि किसी की अक्षमता नहीं बल्कि क्षमता महत्त्वपूर्ण होती है। इसी में अरुणिमा सिन्हा जो 11 अप्रैल 2011 को रेलयात्रा के दौरान दोनो पैर गँवा चुकी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाडी ने अपने हिम्म्त, जज्बे के बल पर दो साल बाद 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट पर नकली पैर के सहारे पहुँचने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बन गयी। अतः आज आधुनिक विज्ञान ने विकलांगता को अब ऐसी चिकित्सीय समस्या माना है, जिसका इलाज हो सकता है। एक समय था, जब शारीरिक और मानसिक विकलांगता को विकलांग व्यक्ति के परिवार व स्वयं उस व्यक्ति के लिए अभिशाप माना जाता था, जिसमें पूर्व जन्म के पाप व भगवान का दंड रूप स्वीकार था। इस विज्ञान के कारण ही विकलांगजनों के साथ अब समाज से बहिष्कृतों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है, इन्होंने कुछ उपकरण दिए-ब्रेल,जयपुर फुट (जिसमें भी अत्याधुनिक ब्रेल-ऑप्टिकल केरेस्टर रीडर (ओ सी आर) इस तकनीक का मुख्य आधार है। इसमें मौजूद तकनीकी का (इंटेलिजेंट मटेरियल) का उपयोग कर कोई भी पुस्तक, पाठ्यसामग्री को सीधे तौर पर ब्रेल में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में उदाहरण सहित बताया कि विकलांग लोगों के अंदर भी बहुत संभावना है, साथ ही इनके पास एक अंग भले ही न हो, लेकिन उनके अन्दर एक विशिष्ट क्षमता विकसित हो जाती है। अतः ये दिव्यांग रूप में संबोधित है। इससे पूर्व भारत में विकलांगों के प्रति जागरूकता कितनी कम है, उसका पता इसी बात से चलता है कि विकलांगों का आंकड़ा 2001 की जनगणना में पहली बार सम्मिलित किया गया। जो 2001 में 219 लाख (75% ग्रामीण क्षेत्रों + 25% शहरी क्षेत्र) से बढ़कर 2011 में 268 करोड़ हो गयी। साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 68% जनसंख्या गाँवों में रहती है। जहाँ। गाँवों में 51% विकलांग साक्षर नहीं है। 26% प्राथमिक शिक्षा ही ले रहे हैं। 6% को मिडिल की शिक्षा मिली व 13% ने माध्यमिक स्तर व उच्च शिक्षा प्राप्त की है।[3]

वस्तुतः विकलांगता पर जितने आंकड़े वर्तमान में बताते हैं, उससे अधिक छिपाते हैं क्योंकि

विकलांगता की पहचान के लिए विशेष आवश्यकताएँ (सूक्ष्म बौद्धिक एवं संवेदन संबंधी विकलांगता) पहचानने वाले कौशल की आवश्यकता है। इन्हें कानूनी स्तर पर भी कई प्रावधान किए गए है। इनमें विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, में ऐसे लोगों को शिक्षा, रोजगार, अवरोधमुक्त वातावरण का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि का प्रावधान है। विकलांगजनों का अशक्तता के आधार पर कई श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है-दृष्टि विकलांग, अस्थि विकलांग (लोकोमोर-विकलांगता), श्रवण विकलांग (बधिर और मूक) तथा उपचारित कुष्ठ रोग है। इसके अनुरूप ऑर्टिजन, सेरीब्रलपॉल्सी, मानसिक मंदबुद्धि व बहुविकलांगता के लिए **राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट अधिनियम 1999** में वर्गों के कानूनी सुरक्षा तथा उनके स्वतंत्र जीवन हेतु हर संभव वातावरण के निर्माण का प्रावधान है। यहाँ बात आती है यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बालकोष) दुनियाभर के बच्चों की स्थिति में अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश कर विकलांगता समझौता विश्व मंच पर उपस्थापित करती है जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने दिस. 2006 में विकलांगता समझौते के रूप में उपस्थापित किया है। यह सभी मानव अधिकारों में विकलांगजनों की पूर्ण और प्रभावकारी सहभागिता की संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता एक अंतर्राष्ट्रीय नीति संरचना प्रदान करती है। भारत ने 30 मार्च 2007 को संयुक्त राष्ट्र समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सरकार विकलांगजनों सहित सभी के लिए पूरी सहभागिता, अधिकारों की रक्षा और समान अवसर देने के प्रति वचनबद्ध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 में भी विकलांगजनों के समग्र विकास पर जोर दिया गया है।[4]

समस्याग्रस्त लोगों के हितों में सरकार का रवैया ठीक रहता है। सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 को लागू करना, विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति का निर्माण (2006)- इत्यादि कदम अलग तरह से सक्षम इन लोगों को सम्मान और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं क्योंकि **WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन** ने वर्ष 2011 में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनियाभर में 15.3 फीसदी लोग किसी न किसी तरह से विकलांगता से प्रभावित है। हमारे यहाँ इसका निर्धारण PWD 40% पर्सन विद डिसएबिलिटी, 40% सम PWD पायर विद डामर = सड़क, मेडिकल बोर्ड (चिकित्सक) से प्रभावित विकलांग व्यक्तिओं की जो कि समाज में सर्वाधिक गरीब होने के साथ सबसे वंचित वर्ग में समाविष्ट हो गया, इसे समाज की मुख्यधारा के साथ जोडना। इसके लिए अनुदेशन तकनीकियों की आव्यूह संरचना प्राथमिक शिक्षा से ही सामाजिक परिवेश में संवाद के रूप में उपस्थापित की जाए, साथ ही पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। जिसमें दूरदृष्टि का पूर्ण समावेश हो-

1. विभिन्न प्रकार की विकलांगता (देखने में, सुनने में, बोलने में, गतिशीलता में, मानसिक विक्षिप्तता में, मानसिक कमजोरी, अन्य/एकाभिक विकलांगता), उनकी जरूरतों के अनुसार

कार्य व सामग्री का परिवर्तित रूप उपस्थिति करना, जिससे संवेदीकरण जागरूकता कार्यक्रम समाविष्ट रहें।

2. चिकित्सा पेशेवरों, अध्यापकों, सिविल सेवकों, वकीलों, नियोक्ताओं, स्थानीय समुदायों के हितधारकों हेतु अतिरिक्त मार्गदर्शन का आभास व विकलांगों के साथ काम करने के दौरान कौशल विकसित करने और विकलांगों के प्रति उनके नजरिए को बदलने के लिए सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था।
3. शिक्षकों के बी.एड. व एम.एड. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए विकलांगता और शिक्षण के अध्यापन पर अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाने की जरूरत है।
4. सामान्य नागरिकों के साथ ही विकलांगों की जरूरतों को भी सभी मुख्यधारा की नीतियों को बनाते समय शीघ्रता से शामिल करें।
5. विकलांगों में सरकार के समर्थन व सेवाओं के प्रति मनोभावों को बदलने की आवश्यकता व साथ ही समुचित संवाद उपस्थापित करना।
6. वैक्ल्पिक कार्य चुनाव कर अनुदेशात्मक-अनुकूल प्रविधि से विद्यार्थी की कार्यक्षमता में प्रगति न हो तो अधिगम कार्य में परिवर्तन कर, विकल्प रूप में अन्य कार्य करने चाहिए।
7. बाधामुक्त और समावेशी परिवेश के लिए सार्वभौमिक प्रारूप अपनाने की जरूरत है। जिसमें अध्यापक को बालकों की समस्या, प्रकृति व बालक की बाधिता के परिणाम को ध्यान में रखते हुए आव्यूहों को चुनना है।[5]
8. The most important application of any technology is to make life easy, and whoness this more then the people with disabilities\ There are millions of people in the developing world, who require special and improvises communication technology.

अतः सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के एकीकृतरूप से समावेशितशिक्षा में अनुकूल आव्यूह तकनीकी का प्रयोग करते हुए आगामी लक्ष्य की ओर प्रवाहित हो सकते हैं।

पादटिप्पणी:

1. सिंह, मदनः समावेशी शिक्षाः पृ. सं. 1-2
2. पाकाटलस, एक लेख 27.2/17, मुख्य पृष्ठ ।
3. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्ययन, एशिया तथा प्रशांत क्षेत्रः बैंकाक, आई.एल.ओ. 2011
4. एक लेखः विकलांग जन, योजना, 2016
5. सिंह, मदनः समावेशी शिक्षाः पृ.सं. 355, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ ।

असिस्टेंट प्रोफेसर (सं.), रा.सं.सं. जयपुर परिसर

समावेशी शिक्षा की संकल्पना

डॉ. विनी शर्मा

समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धान्त की ऐतिहासिक जड़ें कनाड़ा और अमेरिका से सम्बन्धित है। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सभी शिक्षार्थियों को बिना किसी भेदभाव के सीखने सिखाने के समान अवसर मिले।

वस्तुतः समावेशी शिक्षा की परिकल्पना इस संकल्पना पर आधारित है कि सभी बच्चों को विद्यालयी शिक्षा में समावेशन व उसकी प्रक्रियाओं की व्यापक समझ की इस प्रकार आवश्यकता है कि उन्हें क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश और विस्तृत सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं दोनों में ही संदर्भित करके समझा जाए। क्योंकि भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्य मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है जिसका सम्बन्ध समावेशी शिक्षा से है। भारतीय संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद निषेध करता है और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का उत्तम आदर्श प्रस्तुत करता है जिसके परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रकृति के विद्यालयों में विद्यार्थी के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके।

समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने का अपना एक राजनीतिक अर्थशास्त्र भी है जो वैश्वीकरण या उदारीकरण की प्रकियाओं से प्रेरित है। समावेशी शिक्षा को धरातलीय स्तर पर प्रारम्भ करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के विकलांगों की मुख्य श्रेणियों - दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, मूक बधिर, मन्दबुद्धि तथा स्वलीनता से ग्रसित लोगों को पढ़ाने के लिए अलग-अलग नामों से अंशकालिक शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ रखे जाते हैं। इन्हें अधिकतर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन दिया जाता है तथा अपर्याप्त प्रशिक्षण। समावेशी शिक्षा, वैश्वीकरण की देन है, इसलिए इसे अन्तर्राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भी व्यापक स्तर पर समर्थन हासिल है। इस अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन की भी अपनी एक राजनीति, गणित और विज्ञान है। अतः समावेशी शिक्षा का समूचा मॉडल शिक्षा की पहुँच और शिक्षा की गुणवत्ता से बहुत दूर है।

विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अधिनियम 2009,

1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। इस अधिनियम में विकलांग बालकों सहित सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा, और पूर्ण भागीदारी) 1995 में और स्वलीनता, मस्तिष्क पक्षाघात, मंदबुद्धि और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में उल्लेख है, ये विकलांगताएं हैं - अंधता, कम दृष्टि, उपचारित कुष्ठ रोग, बहरापन, लोकोमोटर विकलांगता, मंदबुद्धि, मानसिक रोग, स्वलीनता, मस्तिष्क पक्षाघात। अधिनियम में इसके साथ-साथ बोलने में अक्षमता और सीखने में अक्षमता आदि की परेशानियों वाले 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए भी निकट स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था है। सर्वशिक्षा अभियान यह सुनिश्चित करता है कि विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह किसी प्रकार की विकलांगता से प्रभावित हो, उद्देश्यपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। इसलिए इस अभियान के अंतर्गत किसी को भी शिक्षा देने से इन्कार करने का कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात् विशेष आवश्यकताओं वाले किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए और उनका अध्ययन ऐसे वातावरण में होना चाहिए जो उसकी सीख सकने की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

समावेशी शिक्षा के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत जिन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है वे हैं - बच्चों की पहचान, शिक्षा संबंधी औपचारिक मूल्यांकन, आवश्यकता के अनुरूप उचित शिक्षा की व्यवस्था, व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित शिक्षा योजना तैयार करना, सहायक और अन्य उपकरणों की व्यवस्था, शिक्षक प्रशिक्षण, बाहरी शिक्षक की सहायता, वस्तु संबंधी अवरोधों को हटाना, अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन तथा विशिष्ट आवश्यकताओं वाली लड़कियों पर विशेष ध्यान। योजना के अंतर्गत लड़कियों की क्षमता का विकास करने के लिए उन्हें आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन भी दिया जाता है।

समावेशी शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता-

1. समावेशित शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है।
2. प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है।
3. समावेशित शिक्षा अन्य बालकों, अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग करती है।
4. समावेशित शिक्षा सम्मान और अपनेपन की विद्यालय संस्कृति के साथ-साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान करती है।

5. समावेशित शिक्षा बालक को अन्य बालकों के समान कक्षा गतिविधियों में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है।
6. समावेशित शिक्षा बालकों की शिक्षा गतिविधियों में उनके माता-पिता को भी सम्मिलित करने की वकालत करती है।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है। समावेशित शिक्षा का सही अर्थ है - शिक्षा का अधिकार जैसे शब्दों का रूपान्तरित रूप है जिसके विभिन्न लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है विशिष्ट, शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को एक समतामूलक शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना।

समावेशित शिक्षा हेतु प्रमुख प्रावधान-

समावेशित शिक्षा हेतु कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हो सकते हैं-

1. समावेशित शिक्षा के लिए विद्यालय का वातावरण सुखद और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होना चाहिये। जैसे - आवश्यक शैक्षिक साज-सामान, उपकरण, संसाधन, भवन आदि।
2. समावेशित शिक्षा प्रणाली में सभी के लिए एक समान विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं अपनाया जाये। वस्तुतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक प्रभावी कदम रहा है परन्तु धरातल पर इसकी वास्तविकता सन्देहास्पद है।
3. समावेशित शिक्षा प्रणाली में विद्यालयों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम बालकों की अभिवृत्तियों, मनोवृत्तियों, आकांक्षाओं तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिये। साथ ही पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिये। ताकि उसे बालकों की क्षमताओं, आवश्यकताओं, रुचि के अनुसार बनाया जा सके और उन्हें समाज में अपनी एक पहचान बनाने का अवसर प्रदान हो।
4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा जीवन पर्यन्त चलती है अतः इसमें नियमित शिक्षक, अभिभावक के द्वारा मार्गदर्शन व निर्देशन की व्यवस्था भी शामिल होनी चाहिए।
5. समावेशित शिक्षा पद्धति में बदलते समय में सफलता प्राप्त करने के लिए नवीन तकनीकी उपकरणों का उपयोग भी अवश्य होना चाहिये। उदाहरणार्थ- टी.वी. कार्यक्रमों, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, सहायक शिक्षा व तकनीकी उपकरणों का प्रयोग बच्चों की शिक्षा, सामाजिक अन्तःक्रिया, मनोरंजन आदि में प्रभावी भूमिका अदा कर सकते हैं।

6. विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है कि उनके लिये समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराई जाये। उनके लिये विद्यालयों को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाये जिससे बालकों की सामुदायिक भावना बलवती हो सके। इसके लिए समय-समय पर विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद-विवाद प्रतियोगितायें, खेलकूद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

7. समावेशित शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों का उत्तरदायित्व और भी अधिक होता है क्योंकि इस प्रणाली में शिक्षक शिक्षण के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों का कक्षा में उचित ढंग से समायोजन और सामंजस्य का निर्माण भी करता है। अतः शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्णतः निपुण, सक्षम, विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक प्रवृत्तियों को रखने वाला हो। अतः बालकों के मनोविज्ञान को भी समझता हो।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समावेशन की नीति को प्रत्येक विद्यालय और सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली में व्यापक रूप से समाहित किया जाना चाहिये। विद्यालयों को इस प्रकार केन्द्र बनाया जाये जिसमें सभी बच्चों को जीवन की तैयारी के साथ-साथ यह सुनिश्चित कराया जाये कि सभी बच्चे विशेषतः शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त बच्चों, समाज के हाशिये पर जीवन बसर करने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सके।

सन्दर्भ सूची-

1. https://hi.m.wikipedia.org
2. www.teachersofindia.org
3. https://educationandenderblog.
4. mhrd.gov.in
5. www.rachanakar.org
6. www.open.edu
7. www.tetsuccesskey.com
8. www.ctet.org.in

सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)
रा.सं.सं., जयपुर परिसर

समावेशात्मक शिक्षा का स्वरूप

डॉ. कृष्णा शर्मा

शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार आधुनिक युग में इसका प्रयोग होने लगा है।

साधारणतः एक कक्षा में आयु के अनुसार समान आयु वाले छात्रों को रखा जाता है। चाहे उनका अकादमिक स्तर ऊँचा या नीचा ही क्यों न हो। शिक्षक सामान्य और विकलांग सभी बच्चों से एक जैसा बर्ताव करते हैं। सामान्य बालकों से अशक्त बच्चों की मित्रता कराई जाती है। जिससे कि मिला जुला समुदाय बने और यह बताया जाता है कि एक समूह दूसरे समूह से भिन्न नहीं है और न ही श्रेष्ठ। अतः ऐसे बर्ताव से सहयोग की भावना बढ़ती है।

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षक कक्षा में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिये कुछ तरीकों का उपयोग भी करते हैं, वे हैं-

- समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन।
- विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने के लिये प्रेरित करना।
- पुस्तकों व गीतों का आदान-प्रदान करना।
- अन्य विषयगत विचारों का कक्षा में आदान-प्रदान करना।
- समुदाय व समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कार्यक्रम करवाना।
- छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करना।
- अच्छे व प्रिय वातावरण या अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
- बालकों के लिये लक्ष्य निर्धारण करना।
- अभिभावकों का सहयोग लेना।
- विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेना।

वस्तुतः समावेशी शिक्षा की परिकल्पना इस संकल्पना पर आधारित है कि सभी बच्चों के विद्यालयी शिक्षा में समावेशन व उसकी प्रतिक्रियाओं की व्यापक समझ की इस कदर आवश्यकता है कि उन्हें क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश और विस्तृत सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक प्रक्रियाओं दोनों में ही संदर्भित करके समझा जाये। क्योंकि भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्य मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है। जिसका इशारा समावेशी शिक्षा की ओर ही है।

हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है और इस प्रकार एक समावेशी समाज व शिक्षा की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत होता है। जिसके परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने की बजाय एक स्वतन्त्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है जिससे लोकतांत्रिक स्कूल में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके और इसका पूर्ण लाभ प्रत्येक बालक को समान रूप से प्राप्त हो सके।

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान
जयपुर परिसर

एकतः क्रतवः सर्वे सहस्रवरदक्षिणा।
अन्यतो रोगभीतानां प्राणिनां प्राणरक्षणम्।।

On one side is an act of performing *yajña* and donating generously for the same and on the other side is an act of giving an helping hand to the poor/needy and curing the diseased ones. Both these acts will earn for you the same *puṇya*

समावेशित शिक्षा आवश्यकता, संभावना एवं क्रियान्वयन

डॉ. डी.बी. पाठक

शिक्षा के मूलभूत उद्देश्यों में समंजन व समायोजन के कौशल को बढ़ाना भी एक अन्यतम उद्देश्य है। वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांतों के अन्तर्गत क्षमताओं का बहु-आयामी होना स्वाभाविक है। प्रत्येक इकाई स्वयं में पूर्ण नहीं हो सकती, परन्तु किसी भी प्रबुद्ध समाज में प्रत्येक इकाई को सकारात्मक रूप में समायोजित करने की क्षमता होती है। शिक्षा में समावेशीकरण यह निर्धारित करता है कि **शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान रूप से शिक्षा प्राप्ति का अधिकार मिलना चाहिए।**

आज समय है जब शिक्षा में एकरूपात्मकता हो। दिव्यांगों के लिए अलग कक्षा-कक्ष अथवा अलग विद्यालयों का सम्प्रत्यय अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बालकों की तरह शैक्षणिक प्रक्रम में सोत्साह प्रतिभागिता का अधिकार है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब समावेशित शिक्षा पर चर्चा की जाती है तब यह विषय और भी विशिष्ट हो जाता है क्योंकि मुनि अष्टावक्र, सूरदास, एकलव्य, शकुनि, धृतराष्ट्र, शुक्राचार्य जैसे अनेकों उदाहरण हैं जो शारीरिक क्षमताओं मे अलग रूप से योग्य (Differentiable) होते हुए भी अपने क्षेत्रों में प्रख्यात हुए। यह समावेशी समायोजन तत्कालीन आश्रम व्यवस्था का दूरगामी परिणाम था। आज नई शिक्षा नीतियों के आधार पर विद्यालयीय व्यवस्था एक अत्यन्त औपचारिक व्यवस्था की ओर अग्रसर है। इस व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का दायित्व है कि सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करे जिसमें-

- छात्र एवं छात्राएँ दोनों समाहित हों।
- भाषाई और जनजातीय अल्पसंख्यक समाहित हों।
- HIV व अन्य रोगों से पीड़ित बच्चे समाहित हों जिन्हें शिक्षित किया जा सके।
- अधिगम सम्बन्धी दुर्बलता वाले बालक भी समाहित हों।

समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उस वातावरण से है जिसमें रंग, जाति, लिंग, वर्ग, अधिगम प्रकार व भाषा के भेद को परे रखकर अधिगमकर्ता का शैक्षिक एवं व्यावसायिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। (NCS NET, 1997, South Africa)

समावेशी शिक्षा के उद्देश्य

- सभी के लिए शिक्षा।
- अधिकारों का संरक्षण।
- कौशलों की पहचान।
- सामाजिक चेतना का विकास।
- नवीन चुनौतियों के लिए तैयार करना।
- भाई-चारे की भावना का विकास।
- शिक्षा की गुणवत्ता का विकास।

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता

शैक्षिक परिप्रेक्ष्य

- योग्यता, दुर्बलता, सामाजिक-आर्थिक स्तर, सांस्कृतिक विभेद से परे कक्षा व विद्यालय की स्थापना।
- सभी छात्रों को उनकी आवश्यकतानुसार जीवन के लिए तैयार करना।
- अध्यापकों को व्यावसायिक कौशल विकास।
- सामाजिक मूल्यों की स्थापना।
- चेतना का संचार, सामाजिक सोच व निर्णयन के सन्दर्भ में।

सामाजिक परिप्रेक्ष्य

- समाज को ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता है जहाँ मूल्यों की सामाजिक स्वीकृति हो यथा-सहयोग, शान्ति एवं समभाव आदि।
- अलग-अलग कर शिक्षा देने से छात्रों में भय, अज्ञान एवं अभिमत विकसित होते हैं अतः समावेशित सहभागिता अनिवार्य है।
- इससे मित्रता, सम्मान एवं आपसी समझ को प्रोत्साहन मिलता है।

आर्थिक परिप्रेक्ष्य

- विश्व के 70 करोड़ दुर्बल/दिव्यांग व्यक्तियों में 10% केवल भारत में हैं।
- समावेशी शिक्षा द्वारा शिक्षा को मितव्ययी बनाया जा सकता है।

मानवतावादी दृष्टिकोण

- इसके द्वारा समावेशित छात्रों में आत्मविश्वास, अभिप्रेरणा व उपलब्धि आधारित सकारात्मक दृष्टिकोण व समाज में उसकी स्वीकृति आदि भावों का पोषण किया जा सकता है।

लोकतांत्रिक दृष्टिकोण

- लोकतंत्र में समानता का मूल्य सर्वोच्च है।
- विभेदीकरण को कम किया जा सकता है।

समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में मुख्य प्रावधान

अनुच्छेद 45

- 14 वर्ष तक के सभी छात्रों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा।

Article 21A

- शिक्षा का अधिकार (RTE)2009 के अनुसार 6-14 वर्ष तक के बालकों को मुफ्त, समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

सर्वशिक्षा अभियान

- इससे शिक्षा को बृहद् दृष्टिकोण मिला है जिसमें स्त्री शिक्षा एवं जीवन पर्यन्त शिक्षा के परे शिक्षा की बात की गई है।
- समाज से कटे हुए विशाल जन-समूह को जो सीमान्त या हाशिए पर है उसे शिक्षा हेतु समाहित किया गया है।

National Education Policy 1986 and Programme of Action 1992

- इसमें प्रावधान किया गया है कि शैक्षिक अवसरों की असमानता को दूर करके शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराये जाएं।

The Salamanca Conference, UNESCO, 1994

शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई व अन्य परिस्थितियों को दरकिनार कर विद्यालय में सभी छात्रों को प्रवेश दिया जाए जिसमें-

- दिव्यांग बालक
- प्रतिभाशाली बालक
- गलियों में कार्य करने वाले बालक

- सुदूर क्षेत्रों के सीमांत बालक
- भाषायी, सांस्कृतिक व जनजातीय अल्पसंख्यक बालक
- सुविधावंचित समूह के बालक

उपर्युक्त सभी प्रकार के बालक समावेशित किये जाएं।

Persons with Disability Act (Equal Opportunities, Protection of Rights and full participation)1995 इस एक्ट का मुख्य ध्येय दिव्यांगों बालकों एवं युवाओं को समस्त उपलब्ध शैक्षिक व्यवस्थाओं में समावेशित करना है जिसके लिए अधिगम वातावरण उपलब्ध कराया जाए जो सुगम हो, पहुँच में हो एवं समुचित हो।

National Curriculum Framework 2005

इसमें कहा गया है कि विद्यालयों को एक संसाधन के रूप में विकसित करना है जो छात्रों को जीवन के लिए तैयार करे और मुख्यतः दिव्यांग, वंचित वर्ग एवं कठिन परिस्थितियों वाले बालकों को शिक्षा द्वारा लाभान्वित करना है।

National Policy for Persons with Disabilities 2006

इसमें यह पहचान की गई है कि दिव्यांगों के बहुत बड़े वर्ग को अच्छा जीवन जीने योग्य बनाया जा सकता है यदि उन्हें समान अवसर एवं प्रभावी पुनर्वास का मौका दिया जाए।

Inclusive Education of the Disables at Secondary Stage (IEDSS) 2009-10

इस योजना के अनुसार दिव्यांगों को 8 वर्ष की प्रारंभिक विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करने के बाद आगे की 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा समावेशी एवं सहयोगी वातावरण में पूर्ण करने को प्रोत्साहित किया जाए।

RTE-SSA's Policy on Inclusion (2011-12)

- सर्व शिक्षा अभियान में शून्य रिजैक्शन नीति को अंगीकृत किया गया है।
- प्रत्येक विशिष्ट बालक को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा तथा उसकी आवश्यकतानुसार अच्छा शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रत्येक विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को पड़ोस के विद्यालय में, अपेक्षित सहयोगी सुविधाओं के साथ स्थान दिया जाय।
- प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्ति हेतु अपेक्षित कौशल भी सिखाए जाए जिससे वे प्रारंभिक शिक्षा तक पहुँच बना सकें।

छात्रों की समस्यायें/अवरोध

- आत्मविश्वास की कमी
- समझ की कमी
- एकलता (Isolation)
- विभाजन (Segregation)
- पिछड़ना (Leg Behind)
- अतिरिक्त भार
- असुरक्षा
- अभिव्यक्ति का अभाव
- अन्तर्मुखी स्वभाव
- नकारात्मक दृष्टिकोण
- शर्मीला स्वभाव
- भौतिक/ढ़ाँचागत सुविधाओं का अभाव
- धन का अभाव
- सामाजिक विभेदन
- सांवेगिक एवं शैक्षिक समस्यायें
- प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव

संभावनाएँ एवं सुझाव

- लचीले शिक्षण एवं अधिगम विधियों का प्रयोग।
- सहायक सामग्री का नवाचारी प्रयोग।
- आधुनिक ICT तकनीकी का प्रयोग।
- सहयोगी (Collaborative) एवं सहपाठी (Peer) शिक्षण।
- बालक सहायक वातावरण का निर्माण।
- अधिगम का गुणात्मक आंकलन।
- अभिभावकों एवं समुदाय की सहभागिता।

- शैक्षिक विषयों की अधिकता के स्थान पर व्यक्तिगत विभिन्नता आधारित पाठ्यक्रम।
- अध्यापकों को बहुभाषा, बहु संस्कृति एवं बहु विशिष्टता के विषय में प्रभावी प्रशिक्षण
- सर्वांगीण विकास केन्द्रित पाठ्यक्रम का विकास।
- बहुभाषा उपागम का प्रयोग।
- ज्ञान के लिए अधिगम (Learning to know), कार्य करने के लिए अधिगम (Learning to do), साथ रहकर अधिगम (Learning to Live together), होने के लिए अधिगम (Learning to be) उपागम का प्रयोग।
- क्रिया, कौशल, कार्यशाला का अधिकाधिक प्रयोग।
- सीमित छात्र-शिक्षक अनुपात।
- सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति।
- दूरस्थ शिक्षा का अनुप्रयोग।
- पर्याप्त संसाधन एवं धन की उपलब्धता।
- समुचित निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली का विकास।
- Inducing the Attitude among teachers, students & staff.
- Multi Sensory teaching
- Play way learning
- Providing learning Material

निष्कर्ष-

उपर्युक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि शिक्षा में समावेशीकरण यह निर्धारित करता है कि सामान्य छात्रों व अशक्त छात्रों की समान रूप से शैक्षिक प्रक्रिया में सहभागिता हो। विद्यालय शिक्षक व समाज यह सुनिश्चित करें कि वे क्या तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा सामान्य व अशक्त में एक समुचित समुदाय की भावना को बढ़ाया जा सके। भारत जैसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र में जहाँ संविधान सैद्धान्तिक रूप से यह निर्धारित करता है कि राष्ट्र की प्रत्येक इकाई समान रूप से महत्वपूर्ण है।

इस सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि को व्यावहारिक परिदृश्य प्रदान करने का कार्य समावेशित शिक्षा कर सकती है।

भारत में समावेशात्मक शिक्षा

डॉ. दिनेश कुमार यादव

भूमिका-

वैविध्य प्रकृति एवं सृष्टि की असाधारण सुन्दरता का आधार है। फिर चाहे प्राकृतिक रचनाओं में हो अथवा प्रकृति की गोद में संरक्षित अपना सर्वविध विकास करने की कामना करने वाले मनुष्य में, या अन्यत्र, सभी जगह ये विविधतायें दृष्टिगोचर होती हैं। वस्तुतः सृष्टि की कोई भी कल्पना वैविध्य से अछूती नहीं है।

विश्व के किसी कोने में लालिमा से युक्त सूर्य ऊष्ण प्रकाश से ऊर्जा का संचार कर रहा होता है, उसी पल चन्द्रमा दूसरे किसी छोर पर अपने शीतलतायुक्त मनोहारी प्रकाश से धरती को सजाता है। कहीं पर्वतों की चोटियां आसमां को चूमती दिखाई देती है तो कहीं झीलें, नदियां व समुद्र अपनी उपस्थिति से पृथ्वी का शृंगार करते प्रतीत होते हैं।

श्रीमद्भागवतमहापुराण के दशम अध्याय में इस वैविध्य का सुन्दर प्रतिपादन प्राप्त होता है-

नद्यस्तथा तदुपधार्य मुकुन्दगीतमावर्तलक्षितमनोभवभग्नवेगाः।
आलिङ्गनस्थगितमूर्तिभुजर्मुरारेर्गृहणन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः।।

- श्रीमद्भागवतमहापुराणम् 10.21.16

भारतीय सन्दर्भ में तो यह विविधता षट् ऋतुओं से आरम्भ होकर सर्वत्र ही दिखाई देती है। जहां हिम से आच्छादित हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है, वहीं माँ भारती की चरण वन्दना करता समुद्र हमें रामेश्वरम में दिखाई देता है। जहाँ पाँच नदियों का प्रदेश पंजाब नैसर्गिक हरितिमा युक्त सौन्दर्य से विभूषित है, वहीं रेतीले धीरों को शृंगारित, महाराणा प्रताप जैसे वीरों की वीरता से अलंकृत राजस्थान का मरूस्थल अनायास ही सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

उपर्युक्त प्राकृतिक विविधताओं के साथ ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में पंच महाभूतों से बना मानव भी इस विविधता से अछूता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में प्रतिपादित किया है-

क्षिति जल पावक गगर समीरा।
पंच रचित यह अधम शरीरा।।

इनके आधिक्य या न्यूनयता से प्रभावित होकर मनुष्य सत्त्व, रज व तमोगुण के आधार पर

एक दूसरे से भिन्न बना है। कोई भी मनुष्य एक समान नहीं है, फिर चाहे एक ही माँ की कोख से कुछ ही क्षण के अन्तराल से जन्म जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हों, उनमें भी शारीरिक गठन, बुद्धि, वर्ण, संवेगात्मक स्थिति, चिंतन एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर जैसे अन्तर सरलता से देखे जा सकते हैं।

जब ये विविधता इतनी अधिक हो जाती है कि इन लोगों को सामान्य कार्य करने के लिए भी सहायता की आवश्यकता होती है तो इसे हम 'विशेष समूह' या 'विशिष्ट बालकों के रूप में पहचानते हैं जिनको अपंग, विकलांग, शारीरिक अक्षम, मानसिक असंतुलित जैसे शब्दों से जाना जाता है। वर्तमान में इनके लिए एक नये शब्द का प्रयोग 'दिव्यांग' के रूप में किया जाने लगा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार इन दिव्यांगों की गणना व दिव्यांगता की विभिन्नता के सन्दर्भ में समय-समय पर आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनको शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित कर अलग-अलग रूप से अध्ययन किया जाता है। विश्व के विभिन्न हिस्सों मे इनके कारणों, इनके सामने आने वाली समस्याओं, इनको प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में अनेक अनुसन्धान हो रहे हैं, जिनके आधार पर इन विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है-

शारीरिक भिन्नता
- श्रवण बाधित
- दृष्टि बाधित
- अन्य शारीरिक बाधायुक्त बाधित

मानसिक भिन्नता
- मंदबुद्धि
- पिछड़े
- प्रतिभाशाली
- सृजनात्मक

मनोसामाजिक भिन्नता
- समस्यात्मक
- अपराधी
- कुसमायोजित

समावेशी शिक्षा-

इन दिव्यांगों को भी विशेष सुविधायें देकर सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान करने का प्रकल्प है– समावेशी शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी का अर्थ है विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही जहाँ तक सम्भव हो सामान्य कक्षा में ही पढ़ाना। इनको विशिष्ट सुविधायें प्रदान करने के साथ ही विद्यालय की गतिविधियों में शामिल करने का प्रयास करना, जिससे अक्षम बालकों को यह एहसास हो सके कि वह भी इसी विद्यालय का हिस्सा है। समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे

को लोकतांत्रिक भागीदारी हेतु सक्षम बनाने के साथ ही यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतन्त्र को बनाये रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना एवं अन्तःक्रिया करना भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है।

(एन.सी.एफ. 2005, पृ. सं. 96)

परिभाषा-

"समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिससे सभी वर्ग, जाति, धर्म व क्षेत्र के बच्चे बिना किसी बाधा के स्वतन्त्र एवं अधिकार से विद्यालय में प्रवेश पा सके तथा अपनी शिक्षा अनवरत रूप से पूर्ण कर शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं भाषा की परवाह किये बिना अपने आपको शामिल कर सके जिसमें निःशक्त, विकलांग, दिव्याग बच्चे भी शामिल हैं।" - डॉ. अमिताभ शर्मा

भारतीय सन्दर्भ में समावेशी शिक्षा-

जिस समावेशी शिक्षा को अमेरिका या अन्य पाश्चात्य देशों का अनुकरण करते हुए उसे भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में नवीन अवधारणा के रूप में गिना जा रहा है उसकी प्रामाणिकता विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में अंगीकृत हमारे वैदिक साहित्य में समाविष्ट है-

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि॥

(ऋग्वेद 10/191/02)

सर्वे प्रयत्तेरधिकारिणो मता, शक्ता अशक्ता पदयोर्जगत्प्रभोः।
नापेक्ष्यते तत्र कुलं बलं न वा न चाऽपि कालो न च शुद्धताऽपि॥

(वै.म.भा. 4/50)

इत्यादि ऋचाओं में शैक्षिक समावेशिता का उल्लेख प्राप्त होता है। भारतीय इतिहास में महान विद्वान् अष्टावक्र जी समावेशी शिक्षा के एक अनुपम उदाहरण हैं जिन्होंने अनेकों पारम्परिक ग्रन्थों की रचना की।

कालान्तर में आक्रमणकारियों आतंकवादियों के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को दूषित कर उसे नष्ट करने के प्रयास किये गये जिससे हमारी प्राचीनतम समावेशात्मक शिक्षा भी प्रभावित हुई।

स्वतन्त्रता के साथ ही भारतीय संविधान में शैक्षिक समावेशिता को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 21ए में शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया। इसके साथ ही

अनुच्छेद 15, 41 व 45 में बिना किसी शारीरिक-जातिगत-धार्मिक-सामाजिक वं व्यक्तिगत विभे के सबके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया जिसके लिए 'सर्वशिक्षा अभियान' जैसे महत्वपूर्ण अभियान चलाये गये। यह तथ्य अलग है कि स्वतन्त्रता के साथ निर्धारित इन लक्ष्यों की पूर्ति आज 70 वर्ष बीत जाने पर भी नहीं हो पाई है। मेरे हिन्दुस्तान की आत्मास्वरूप गांवों में आज भी 30 प्रतिशत से अधिक बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा में नहीं आ पाये हैं। जो आये हैं उन्हें आज भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, विकलांगता के आधार पर तिरस्कार का दंश झेलते हुए अपमान के घूंट पीने पड़ रहे हैं।

भारतीय संविधान में समावेशात्मक शिक्षा के प्रावधान-

अनुच्छेद 45- 14 वर्ष तक के सभी छात्रों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा।

अनुच्छेद 21ए- शिक्षा का अधिकार (RTE) 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को मुफ्त, समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया।

सर्वशिक्षा अभियान- शिक्षा से किसी भी कारण से वंचित वर्ग को शिक्षा हेतु समाहित किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986- शैक्षिक अवसरों की असमानता को दूर करके शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005- विद्यालयों को एक संसाधन के रूप में विकसित करने का विचार यहां प्रमुखता से लिया गया है, जो छात्रों को जीवन के लिए तैयार करे और मुख्यतः दिव्यांग, वंचित वर्ग एवं कठिन परिस्थितियों वाले बालकों को शिक्षा द्वारा लाभान्वित करना है।

दिव्यांगों हेतु राष्ट्रीय नीति 2006- इसमें यह चिह्नित किया गया कि दिव्यांगों के बहुत बड़े वर्ग को अच्छा जीवन जीने योग्य बनाया जा सकता है यदि उन्हें समान अवसर एवं प्रभावी पुनर्वास का मौका दिया जाए।

अक्षमों व दिव्यांगों के लिये संवैधानिक प्रावधानों का साथ ही सरकार की ओर से विशिष्ट विद्यालयों व संस्थानों की स्थापना भी की गई-

1. राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, देहरादून।
2. राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान, कोलकाता।
3. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद।
4. राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान संस्थान, कटक।

5. अलीयावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, मुम्बई।
6. शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली।
7. ईण्डियन स्पाईनल इंजरी सेण्टर, नई दिल्ली।

इसके अतिरिक्त NCERT द्वारा मानव संसाधन विकास मन्त्रालय और UNICEF के सहयोग से एक और नयी योजना शारीरिक व बौद्धिक विसंगतियों वाले सभी छात्रों की शिक्षा के लिए तैयार की गई है।

भारत में समावेशात्मक शिक्षा की सफलता-

वर्तमान भारतीय परिस्थितियों में केवल सर्वकारीय योजना बना देने या संस्था खोल देने मात्र से समावेशात्मक शिक्षा की सफलता सम्भव होती प्रतीत नहीं होती। सरकार के द्वारा आर्थिक व जातिगत रूप से अक्षम, गरीब लोगों के बच्चों को भी सभी विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने (फिर चाहे वो लाखों रूपये शुल्क के रूप में लेने वाले निजी विद्यालय ही क्यों ना हों) के उद्देश्य से RTE (शिक्षा का अधिकार) लागू किया गया। परन्तु RTE की हकीकत RTI समाचार पत्रों व मीडिया चैनल्स के माध्यम से जान सकते हैं। भारत में समावेशात्मक शिक्षा की सफलता के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक व सामाजिक स्तर पर जागृति व प्रयास की आवश्यकता है-

अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्।
अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः।।

समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका-

किसी महान दार्शनिक ने कहा है-

"एक बेहतरीन शिक्षक के साथ गुजारा हुआ एक दिन
दिल लगाकर पढ़े हुए हजार दिनों से भी बेहतर है।"

एक शिक्षक में वह शक्ति है जो कमजोर से कमजोर बालक को भी अपने व्यक्तिगत प्रयासों से शक्तिशाली बना सकता है-

गुरु कुम्हार शिशु कुम्भ, घड़ घड़ काढ़ै खोट।
भीतर हाथ पसार दे, बाहर बाहे चोट।।

भारतीय इतिहास ऐसे असंख्य उदाहरणों से भरा पड़ा है। वर्तमान भारतीय सिनेमा जगत के चलचित्रों में भी ऐसे उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। विद्यालय स्तर पर समावेशी शिक्षा के अनुपम उदाहरण के रूप में 'तारे जमीं पर' प्रमुख है।

समावेशी शिक्षा के विकास हेतु उपाय-

1. विद्यालय वातावरण को समावेशानुकूल बनाना।
2. सहायक सामग्री का नवाचारी प्रयोग।
3. प्रायोगिक विधियों का प्रयोग।
4. अभिभावकों एवं समुदाय की सहभागिता।
5. रूचिपूर्ण पाठ्यक्रम का निर्माण।
6. आधुनिक सूचना सम्प्रेषण तकनीकी का प्रयोग।
7. समावेशात्मक दृष्टि से सर्वांगीण विकास केन्द्रित पाठ्यक्रम की क्रियान्विति।
8. लचीले शिक्षण एवं अधिगम विधियों का प्रयोग।
9. अध्यापकों को बहुभाषा,बहुसंस्कृति एवं बहु वैशिष्ट्य के विषय में प्रभावी प्रशिक्षण।

इस प्रकार से शिक्षक के व्यक्तिगत, विद्यालयीय, सामाजिक एवं सामुदायिक प्रयासों से सम... के किसी भी रूप से अक्षम लोगों का शिक्षा में समावेश करते हुए सामाजिक स्तर को उन्नत क... एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है-

अक्षमाः हि क्षमाः सन्तु, बालाः सन्तु च निर्भयाः।
अवशिष्टाः विशिष्टाः स्युः, समावेशात्मकशिक्षणे ॥

सन्दर्भः

1. श्रीमद्भागवतपुराण 10.21.16
2. ऋग्वेद 10.191.02
3. वैष्णवमताब्जभास्कर 4/50
4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, पृ.सं. 96
5. गोस्वामी तुलसीदासकृत रामायण
6. अग्रवाल जे.सी., ''भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास''
7. डॉ. ए.बी. भटनागर ''समावेशी शिक्षा''

सहायकाचार्य (सं.शि.
राष्ट्रिय संस्कृत संस्था...
जयपुर परि...

भारत में समावेशात्मक शिक्षा की समस्या और सम्भावना

सुरेन्द्र सिंह राजावत

भारतीय संस्कृति और दर्शन में ''शिक्षा'' ज्ञान प्राप्ति का श्रेष्ठतम और पवित्रतम साधन माना गया है। शिक्षा द्वारा ही मानवीय शिशु शारीरिक-मानसिक-नैतिक-आध्यात्मिक रूप से विकसित होकर समाज में उचित स्थान प्राप्त करता है। इस शिक्षा प्रक्रिया से वह 'मनुष्य' इस संज्ञा से विभूषित होता है तथा उसके चरित्र का निर्माण व सामाजिकीकरण भी शिक्षा द्वारा ही होता है। समाज में सहस्र वर्षों से अर्जित अनुभवजन्य ज्ञान व रीति-परम्परा आदि के हस्तान्तरण के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है।

शिक्षा जीवन की पूर्णता के लिए अनिवार्य तत्व है अतः श्रीमद्भगवद् गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है **''नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।''** इसी प्रकार महाभारत में भी कहा गया है– **''नास्ति विद्यासमं चक्षुः।''** स्वामी विवेकानन्द ने भी प्रतिपादित किया है कि– **मानव में अन्तर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है।**

व्यक्ति जन्म के समय असहाय होता है और वह दूसरों की सहायता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे-जैसे वह विकसित होता है, वैसे-वैसे वह उनको पूरा करने और अपने वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है। इन कार्यों में शिक्षा उसे विशेष योगदान देती है। शिक्षा न केवल उसे अपने वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देती है वरन् उसके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करके मनुष्य को समाजोपयोगी बनाती है।

मानवीय जीवन की पूर्णता के लिये शिक्षा समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान किया गया जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद-21 प्रत्येक भारतीय नागरिक को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद-45 प्रत्येक लोक-कल्याणकारी राज्य को अपने नागरिकों के लिए प्राथमिक शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान करने का नीति-निर्देशक तत्त्व के रूप में निर्देशित करता है।

संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद समाज के कुछ वर्ग आज तक प्राथमिक शिक्षा के मौलिाक अधिकार से वंचित है तथा समाज की मुख्य धारा से अलग थलग है जिनमें विशेष रूप से पिछड़े बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक (CWSN) शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बालक व दलित समुदाय से सम्बन्ध रखने वाले बालक। इन सभी बालकों के सर्वाङ्गीण विकास के लिए व समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिक्षा का एक नया स्वरूप व सम्प्रत्यय **''समावेशी**

शिक्षा'' विकसित हुआ है। शिक्षा का वह स्वरूप भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग को शैक्षिक दृष्टि से पुष्ट करता है।

समावेशी शिक्षा की अवधारणा-

समावेशी शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वाङ्गीण विकास पर बल देती है। सभी प्रकार के बच्चों प्रतिभाशाली, पिछड़े-बालक, शारीरिक व मानसिक विकलांग बालकों को अपनी शक्तियों के विकास के लिए स्वसामर्थ्यनुसार अवसर प्रदान करती है। तथा ऐसे बालकों के साथ मानवतापूर्ण व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार पर बल प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा की निम्न अवधारणा है-

- सामान्य(नियमित) विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों के लिए बिना किसी भेदभाव के शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करना।
- समावेशी शिक्षा सभी के लिए विद्यालयों में समान शिक्षा।
- एक समावेशी विद्यालय-शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किये बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है।
- निःशक्त बालकों के लिए समावेशी शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य नियमित विद्यालयों में शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करना।
- एक समावेशी कक्षा वह है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा अलाभान्वित बालक जो सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से पिछड़े समुदाय से आते हैं, उनके लिए है। हमारे देश में अधिकतर दलित व आदिवासी समुदाय से आने वाले व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालकों को अलाभान्वित विद्यार्थी की श्रेणी में रखा जाता है। समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत ऐसे बालकों को लाभान्वित समुदाय के विद्यार्थियों के साथ जो शैक्षिक-सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित है, को शिक्षा प्रदान करने का समुचित अवसर उपलब्ध करवाना है।

समावेशी शिक्षा, शिक्षा जगत् में एक नया उपागम है जिसके द्वारा एक ही छत के नीचे सामान्य बालकों के साथ विकलांग व अधिगम अशक्तता से युक्त बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। यह उपागम विशेष आवश्यकता वाले बालकों को खोजने का प्रयास करता है तथा विशेष रूप से उन बालकों पर अवधान केन्द्रित करता है जो समाज के हाशिये पर हैं, व सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल है तथा समाज की मुख्यधारा से बहिष्कृत है। समावेशन न केवल एक प्रयोग या उपागम है। बल्कि आत्मसात करने योग्य सामाजिक मूल्य है।

वे बालक जो किसी प्रकार की अशक्तता से ग्रसित है तथा शैक्षिक अवसरों की समानता से वंचित है, यह हमारा दुर्भाग्य है कि आगामी समय में वे देश के नागरिक होंगे, राष्ट्र निर्माण में ऐसे नागरिकों का योगदान एक प्रश्न उपस्थित करता है।

समावेशी शिक्षा का सिद्धान्त World Conference on Spedcialneeds Education Access and Quality (Salamanca Spain 1994) से ग्रहण किया गया तथा इसकी पुनर्घोषणा World Education Fourm (Sanegal 2001) में की गई। समावेशन के सिद्धान्त का समर्थन बाद में United Nations के मानक नियम अशक्त व्यक्तियों के लिए समाज में अवसरों की समानता व सहभागिता के रूप में किया गया। हाल ही में भारतीय बुद्धिजीवियों शिक्षाशास्त्रियों में यह आम सहमति प्रकट हुई है कि मुख्य धारा से सम्बन्धित विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को अंगीकार करना चाहिए।

विशेष शिक्षा v/s समावेशी शिक्षा

''विशेष आवश्यकता की शिक्षा'' पद का प्रयोग ''विशेष शिक्षा'' के स्थान पर हुआ है जो यह स्पष्ट करता है कि वह शिक्षा का स्वरूप जिसके द्वारा वे सभी बालक और युवा अधिगम अवरोधों के पार जा सकते हैं। बाल केन्द्रित शिक्षा की आवश्यकता वाले बालकों तक नियमित विद्यालयों की पहुँच अथवा उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त विशेष आवश्यकता की शिक्षा की अवधारणा में विभिन्न श्रेणियों के विकलांग बालक जो व्यापक रूप से विद्यालयों की पहुँच से दूर है जिससे उनका विकास बाधित है। उनके लिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था द्वारा अतिरिक्त सहायता जैसे अनुकूल पाठ्यचर्चा का निर्माण, अतिरिक्त मानवीय और भौतिक संसाधनों को उपलब्ध करवाकर उन्हें प्रोत्साहित करना व प्रभावशाली अधिगम हेतु दक्ष बनाना।

किन्तु ऐसे विद्यार्थियों की सामाजिक उपेक्षा ने उन्हें मुख्य धारा से दूर रखा जिससे ऐसे बालकों एवं अभिभावकों में हीन भावना उत्पन्न हुई है। अतः समावेशी शिक्षा की अवधारणा में मुख्यधारा के विद्यालयों द्वारा सामान्य बालकों के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों का समन्वित विकास करना है, तथा विशेष शिक्षा की पाठ्यचर्या को सामान्य शिक्षकों के शिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए भारतीय पुर्नवास परिषद् (RCI) व राष्ट्रिय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के मध्य एक ऐतिहासिक अनुबन्ध हुआ है।

समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में भारतीय परिदृश्य-

भारत में सन् 2000 तक 4-16 आयुवर्ग के लगभग 40 मिलियन शारीरिक व मानसिक रूप से अशक्त बालक मुख्यधारा के विद्यालयों की पहुंच से दूर थे। उनमें से ज्यादातर घुमक्कड़ समुदाय के बालक थे और इसका प्रमुख कारण कठोर विद्यालय प्रबंधन व सामाजिक न्याय की

असमानता है। इस कारण ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बालक मुख्यधारा के विद्यालयों में प्रवेश से वंचित रहे। सामाजिक न्याय व समानता भारतीय संविधान के मुख्य घटक है, जो मांग करते हैं, 35 मिलियन शारीरिक व 5 मिलियन मानसिक विकलांग बालकों को प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों तक पहुंचाने के लिए अवसर प्रदान करें।

अशक्त बालकों के लिए विशेष शिक्षा जो कि मुख्यधारा की शिक्षा से भिन्न शिक्षा पद्धति है, का विकास भारत में 1880 ई. के बाद हुआ। बधिर बालकों के लिए प्रथम विद्यालय मुंबई में सन् 1883 ई. मे स्थापित हुआ तथा दृष्टिबाधित बालकों के लिए प्रथम विद्यालय अमृतसर में सन् 1887 ई. में स्थापित हुआ। यह विशेष शिक्षा का त्वरित गति से विकास का द्योतक है। 2016 तक लगभग 4000 विद्यालय विशेष शिक्षा हेतु स्थापित किये जा चुके हैं। यद्यपि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित व दक्ष शिक्षकों की उपलब्धता एक बड़ा प्रश्न है। जिसका कारण विभिन्न पाठ्यक्रमों में एकरूपता का अभाव, प्रवेश अर्हता मानक भिन्न भिन्न होना तथा विशेष शिक्षा से सम्बन्धित साहित्य व शिक्षक प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता है। इसके लिए भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने 1980 में यह स्वीकार किया कि अशक्त बालकों का विद्यालयों में पुनर्वास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इसके लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए।

संवैधानिक प्रावधान व नीतियां-

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को स्वयं के विकास हेतु अवसरों की समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 द्वारा रोजगार शिक्षा, लोक सहायता का अशक्त व्यक्तियों के लिए अधिकार प्रदान किया गया।

अनुच्छेद-45 भारत के 6-14 आयुवर्ग के बालकों के अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करता है। इसी आधार पर सन् 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6-14 आयु वर्ग के बालकों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। बाद में 93वां संविधान संशोधन सन् 2001 द्वारा All Children of Age of 6-14 का प्रावधान किया गया जिसमें "All" शब्द स्पष्ट करता है कि वे बालक जो शारीरिक व मानसिक अशक्तता से ग्रसित है, उनको भी यह अधिकार प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति 1986 तथा शिक्षा पर कार्य योजना (POA) 1992 द्वारा सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों के समावेश पर बल दिया गया है व कहा गया है कि सामान्य बालकों के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से अशक्त बालकों को समान सहभागी के रूप में समन्वित करना तथा सामान्य रूप से विकसित होने के लिए तैयार करना एवं जीवन को साहस व विश्वास के साथ जीने का भाव जागृत करना चाहिए।

सन् 1998 ई. में समावेशी शिक्षा की अवधारणा को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) में सम्मिलित किया गया। (DPEP) द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि सामान्य शिक्षा की उपलब्धता के लिए पाठ्यचर्या में कौन कौन से परिवर्तन अपेक्षित है, जिससे उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अधिगम हेतु अवसर प्रदान किये जा सके। इस कार्यक्रम का प्रारम्भ इस मूल उद्देश्य से किया गया कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विद्यालयों में प्रभावी अधिगम हेतु परिवेश का निर्माण व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है।

राष्ट्रिय शिक्षा-नीति 1986 द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि दूरस्थ शिक्षा व मुक्त अधिगम पद्धति द्वारा दूरस्थ शिक्षा व मुक्त अधिगम पद्धति द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है, के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए। भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि दूरस्थ शिक्षा व मुक्त अधिगम पद्धति द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है, के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए। भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक शिक्षक का उक्त परिषद् द्वारा अनिवार्य रूप से पंजीकरण आवश्यक है। The Person with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Right and Full Participation) Act 1995 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिगम अशक्त बालकों को निःशुल्क शिक्षा व समुचित वातावरण प्रदान किया जाए।

इसी प्रकार National Trust Act (National Trust of the Welfare of Person With Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardlation and Multiple Disabilities) 1999 पारित किया गया जिसका उद्देश्य समाज में बालकों को सम्मानजनक जीवनयापन हेतु अवसर प्रदान करता है।

सेलभंका घोषणा (स्पेन) ने 1994 में विशेष शिक्षा पर एक कॉन्फ्रेन्स का आयोजन किया गया जिसमें 92 देशों के प्रतिनिधियों और विशेष शिक्षा से जुड़े 25 संगठनों ने सहभागिता की व गहन विचार-विमर्श द्वारा यह निष्कर्ष दिया कि सभी बालकों की शारीरिक-बौद्धिक-सामाजिक-संवेगिक क्षमताओं की परवाह किये बिना विद्यालयों को उनके अनुकूल बनाना चाहिए और विशेष शिक्षा को नियमित विद्यालय तक पहुंचाना चाहिए तथा उनको सक्षम बनाना चाहिए कि वे विद्यालय ऐसे बालकों की चुनौतियों का सामना कर सके। भारत ने भी इस घोषणा पर हस्ताक्षर किये तथा इसी परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्य सभा में एक प्रस्ताव पेश किया तथा समावेशी शिक्षा पर एक व्यापक कार्ययोजना का प्रारूप तैयार किया जिसमें उल्लेख किया कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा का प्रबंध सरकार PWD Act 1995 के अनुसार मुख्य धारा

से जुड़े विद्यालयों द्वारा होगा तथा 2020 तक देश के सभी विद्यालयों को अशक्त बालकों की शिक्षा के अनुकूल बना दिया जायेगा। इसके लिए 10 बिलियन रूपये स्वीकृत किये तथा एक योजना IECYD(Inclusive Education of Children and youth with disabilities)14-18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रारम्भ की। 2005-06 में इस योजना का अनुमोदन करके 187 करोड़ 80 लाख रूपये की राशि योजना के विभिन्न घटकों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्गत की तथा इस योजना के तहत देश में कुल 20 लाख 14 हजार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हित किया गया। भारत सरकार की प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की प्रतिबद्धता तब तक पूरी नहीं होगी जब तक विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले शारीरिक व मानसिक विकलांग बच्चों की शिक्षा के समुचित प्रबन्ध न किये जाय। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु MHRD द्वारा एक कार्ययोजना का क्रियान्वयन किया गया जिसके मुख्य बिन्दु निम्न है-

– मुख्य धारा की शिक्षण पद्धति में विशेष आवश्यकता वाले बालकों का ठहराव सुनिश्चित करना (0-14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार/ 0-18 वर्ष तक के बालकों के लिए भारत सरकार के PWD Act के अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।)
– सभी शिक्षण संस्थाओं में वर्तमान में विद्यमान आरक्षण नियमानुसार विशेष आवश्यकता वाले बालकों को उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक में प्रविष्ट करना तथा शिक्षण संस्थाओं में उनके लिए निर्बाध अधिगम परिवेश का निर्माण करना।
– समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा समुदाय में जाग्रति उत्पन्न करना।
– वर्तमान में समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों की पुनर्समीक्षा करना, नियमित विद्यालयों में छात्र नामांकन व ठहराव के उद्देश्यों की सफलता व असफलता के कारणों को चिन्हित करना।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 और समावेशी शिक्षा-

राष्ट्रिय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में समावेशी शिक्षा पर पूर्ण रूप से बल दिया गया है तथा कहा गया है कि सभी विद्यालयों में भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुगुण समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन की नीतियों में एकरूपता होनी चाहिए। विद्यालय के बाहर और अन्दर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी बालकों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तैयार करने हेतु विद्यालय एक केन्द्र के रूप में कार्य करे। विद्यालय समावेशी शिक्षा प्रदाता के रूप में मुख्य अभिकरण है और इससे सबसे अधिक वो विद्यार्थी लाभान्वित होंगें जो समाज के हाशिये पर स्थित है अर्थात् मुख्य धारा से वंचित है। समावेशी विद्यालयों में बालकों की प्रतिभा को

सहपाठी बालकों के मध्य प्रदर्शित करने के उपाय करने चाहिए क्योंकि यह अभिप्रेरणा को पुष्ट करने का सशक्त साधन है। इससे सामान्य व विशिष्ट बालकों की परस्पर सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। हमारे विद्यालयों में कुछ विद्यार्थियों को जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, को ही अवसरों से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिससे अन्य बालक निराशा व कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं। यह समावेशी शिक्षा के लिए घातक है। उत्कृष्टता व योग्यता प्रोत्साहन से भिन्न है लेकिन एक ही समय में सभी बालकों को अवसरों की समानता उनकी विशिष्ट योग्यताओं की पहचान के लिए प्रदान की जानी है तथा साथ में प्रोत्साहित भी करना चाहिए। समावेशी शिक्षा की धारणा है कि ऐसे विशिष्ट बालकों को अतिरिक्त सहायता व समय की आवश्यकता होती है जिससे वे उन्हें दिये गये कार्य को पूर्ण कर सके। शिक्षक, शैक्षिक गतिविधियों के उचित क्रियान्वयन के लिए कक्षा के सभी बालकों के साथ विचार विमर्श करे तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बालक को अपना योगदान देने के लिए अवसर दिया गया है। योजना के क्रियान्वयन के समय शिक्षक को ध्यान रखना है कि सभी बालक समान रूप से भाग ले रहे हैं। विद्यालय बालकों को अंकों के आधार पर श्रेणी जैसे उत्कृष्ट औसत, औसत से कम करके छात्रों की विविध क्षमताओं को कमजोर कर देते हैं जिससे उनमें मानसिक संकीर्णता का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार यह समावेशी शिक्षा के विकास में घातक कारक है।

समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में सह-शिक्षा का विचार आज से 5 दशक पहले ''कोठारी'' आयोग द्वारा प्रतिपादित किया गया, सह-शिक्षा के विद्यालय ऐसे मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने में सफल हुए जो विद्यार्थियों में सदाचार का भाव जागृत करते हैं। विद्यालय प्रबंधनकर्ता व शिक्षकों ने स्वयं यह अनुभव किया है कि भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा भिन्न भिन्न योग्यताओं के बालक-बालिका एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं।

सर्वशिक्षा अभियान (SSA) में समावेशी शिक्षा-

सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु प्रारम्भ किया गया। इसमें विभिन्न योजनाएं व शैक्षिक कार्यक्रमों को अभिकेन्द्रित किया गया है। एस एस ए के तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं-1. सभी बालकों की विद्यालयों तक निर्बाध पहुंच। 2. नामांकन 3. विद्यालयों में ठहराव। एस एस ए में Zero Rejection Policy का अनुसरण किया गया। Zero REjection Policy यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बालक को उसकी अशक्तता के प्रकार श्रेणी परिणाम आदि की परवाह किये बिना सार्थक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यह विशेष आवश्यकता वाले बालकों (cwsm) की शिक्षा के लिए निम्न कारकों को बल प्रदान करती है। यथा-CWSN बालकों की खोज व पहचान कार्यात्मक, मूल्यांकन, उपचार

और उपाय, सहायता शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधनों की विद्यालय में उपलब्धता अभिभावक जागृति, सामाजिक, गतिशीलता, समावेशी विद्यालयों का संवर्धन समावेशी शिक्षा के विकास में बाधक अवरोधों को दूर करना, अनुसंधान, पर्यवेक्षण मूल्यांकन आदि।

विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की पहचान के लिए हाल ही में सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा व्यापक स्तर पर एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें कुल 30 लाख 40 हजार CWSN बालकों को चिन्हित किया गया और इसमें से 70 प्रतिशत बालक विद्यालयों में नामांकित है।

विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए राजस्थान, आंध्रप्रदेश व उत्तरप्रदेश राज्यों द्वारा एक आवासीय ब्रिज कोर्स का संचालन किया जा सकता है। तथा इन राज्यों द्वारा एक रोडमेप बनाया गया है। जिससे ऐसे बालकों को सफलतापूर्वक नियमित विद्यालयों में समावेशित किया जा सके।

सारांश व निष्कर्ष-

समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों को एक साथ नियमित विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने का एक नूतन उपागम है। वर्तमान में बुद्धिजीवियों और शिक्षाशास्त्रियों में मुख्य धारा के विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन पर आम सहमति प्रकट हुई है। समावेशी शिक्षा का यह दर्शन विशेष आवश्यकता वाले बालकों का समन्वित विकास करना। साथ ही विशेष शिक्षा की पाठ्यचर्या विकसितस करके सामान्य शिक्षक द्वारा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इसी प्रकार का एक अनुबंध विशेष आवश्यकता वाले बालकों के समुचित विकास के लिए अग्रसर भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) और राष्ट्रिय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के मध्य जनवरी 2005 में हुआ।

नियमित विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा प्रदान करने के अन्ताराष्ट्रिय प्रयासों के फलस्वरूप भारत में योजना आयोग द्वारा सन् 1971 में "समन्वित शिक्षा कार्यक्रम" प्रवर्तित किया गया। भारत सरकार ने दिसम्बर 1974 में Integrated EDucation for Disabled Children (IEDC) कार्यक्रम का प्रवर्तन केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में किया जिसका उद्देश्य समावेशी शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना। विशेष आवश्यकता वाले बालकों तक नियमित विद्यालयों की पहुँच को सुगम बनाने के लिए SSA द्वारा 4 लाख 45 हजार विद्यालयों में रेम्प का निर्माण किया गया तथा अशक्त बालाकों के अनुरूप खेल उपकरणों व खेल मैदानों को निर्मित किया।

एस एस ए के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल में निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षित किया जाता है यथा-समावेशी शिक्षा की

अवधारणा, समावेशी शिक्षा हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता, शिक्षकों की संवेदनशीलता, अशक्तता की श्रेणी, मात्रा, शिक्षण तकनीकी विशेष आवश्यकता वाले बालकों को उपलब्ध करवायी जाने वाली सुविधाएं समावेशी शिक्षा के नियम बालक की विशेष आवश्यकताएं आदि। वर्तमान में समावेशी शिक्षा से सम्बद्ध सभी कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की ओर अग्रसर है।

समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के मापन हेतु न केवल एक युक्ति है अपितु यह ऐसे बालकों के सर्वांगीण विकास का एक वैज्ञानिक विचार और सुव्यवस्थित व्यूह रचना है। नियमित विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों का वैविध्यपूर्ण नवाचारों के साथ शिक्षण ही समावेशी शिक्षा के रूप में प्रसिद्ध है किन्तु अभी तक 90 प्रतिशत विशेष आवश्यक्ता वाले बालक नियमित विद्यालयों से दूर है। किन्तु सुखद तथ्य यह है कि समावेशी शिक्षा के महत्व को सभी ने स्वीकार किया है और समाज भी इस दिशा में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होकर प्रयासरत है।

सन्दर्भः-

1. श्रीमद्भगवद्गीता
2. महाभारत
3. प्रगत शिक्षा मनोविज्ञान, डॉ. हंसराज पाल
4. शिक्षा मनोविज्ञान, डॉ. अरूण कुमार सिंह
5. शिक्षा मनोविज्ञान, पी.डी.पाठक
6. Annual Report 2010&11 Department of Education & Literary Department, Ministry of HRD, Government of India
7. Chatterjee G (2003) the Movement of oInclusive Education
8. MHRD (2005) Action Plan for Inclusive Education of Children and Youth with Disabilities
9. NCERT (2006) Assessment of Needs for Inclusive Education.

शोधछात्र

भारत में समावेशी शिक्षा की समस्याएं एवं सम्भावनाएं

डॉ. रोहिताश्व यादव
श्रीमती माया पाठक

शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी का अर्थ है विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ जहाँ तक संभव हो, सामान्य कक्षा में ही पढ़ाना। उनको सामान्य बालकों के साथ विशेष सेवाएं प्रदान करना, विद्यालय की गतिविधियों में शामिल करने का प्रयास करना, जिससे असमर्थ बालक को यह एहसास हो सके कि वह भी इसी विद्यालय का हिस्सा है। समावेशन शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक, दार्शनिक, सामाजिक और शैक्षिक ढांचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है। समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अर्न्तक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। (एन.सी.एफ. 2005 पृष्ठ 96)

भारत के सन्दर्भ में समावेशी शिक्षा व्यापक समावेशन की मांग करती है। भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा (Dignity of Person) को प्राप्य मूल्यों के रूप में निरुपित किया गया है जहां समाज के सभी वर्गों अनु.जा., अनु. जनजाति, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यकों महिलाओं, अभिवंचितों, दलितों एवं भौगोलिक, क्षेत्रीय एवं जेंडर विषमताओं की खाई को पार करते हुए विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालयों की कक्षा में समावेशित कर शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने से है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा की उपलब्धि क्या रही है यदि इस ओर ध्यान दे तो सम्भवतः हमें कुछ आंकड़े नजर आते हैं। आज भारत की विद्यालय शिक्षा व्यवस्था चीन के पश्चात् विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है जहां तकरीबन 10 लाख स्कूलों में 2025 लाख बच्चों को पढ़ाने का काम लगभग 55 लाख शिक्षक कर रहे हैं। 82 प्रतिशत रिहायशी इलाकों में 3 कि.मी. के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक पाठशाला है। माध्यमिक स्तर की परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों में कम से कम 50 प्रतिशत बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। इन सब के पश्चात् भी वर्तमान में लाखों बालक शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं। इसके बावजूद आज हमारे विद्यालय ऐसे बालकों के लिए साधनहीन नजर आते है। जिनके विभिन्न ज्ञानेन्द्रियाँ बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों के कारण कुछ विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं हैं।

वर्तमान में विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए शिक्षा की दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, एक वे जिन्हें हम विशेष विद्यालय कहते है। जो ज्यादातर शहरों में स्थित आवासीय है। जिनका उद्देश्य केवल एक प्रकार के विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है और दूसरा तरीका है कि उन्हें अन्य सभी बालकों के साथ आसपडोस के सामान्य विद्यालयों में भेजा जाए और वहीं उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था की जाये। यदि बालक इस प्रकार के विद्यालय में जाता है तो वह अपने अन्य भाई बहनों के समान अपने माँ बाप के साथ रह सकता है।. इस प्रकार के विद्यालयों में सभी बालक एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। इससे बालक को बाद में अपने आप को सामाजिक वातावरण में समायोजित करने में सहायता मिलती है क्योंकि बालक को रहना तो उसी समाज वातावरण में है जिसका कि वो हिस्सा है इसलिए बच्चे को प्रारम्भ से ही उस माहौल में रखा जाय जहाँ उसे विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् रहना है? इसलिए शुरू से ही बालक को मुख्यधारा वाले ऐसे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने भेजा जाये जहां अन्य बालक भी जाते हैं। इस अवधारणा के साथ ही समावेशित शिक्षा प्रणाली का प्रारम्भ हुआ। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें प्रत्येक बालक को चाहे वह सामान्य हो या विशिष्ट, उनमें बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में सभी तकनीकी एवं सामग्रियों का समान रूप से प्रयोग करते हुए सिखाने की जरूरतों को पूरा किया जाये। समावेशी शिक्षा के संवैधानिक एवं सरकारी संरक्षण एवं प्रयास के साथ-साथ विद्यालय और शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। समान विद्यालय की अवधारणा में शिक्षक का संवेदनशील होना अति आवश्यक है। आज शिक्षक को विषय का ज्ञान के साथ-साथ बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। विशिष्ट बच्चों की पहचान और उसकी अलग-अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा-कक्षों का निर्माण करना आवश्यक है। समान विद्यालय में दल शिक्षण (Group Teaching) सबसे कारगर है। दल बनाते समय शिक्षक को ध्यान देना कि वह समावेशी हो।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में उल्लेख है''ज्यादा अच्छा होगा यदि शिक्षक ऐसी गतिविधियों की योजना बनाते समय कक्षा के बच्चों से चर्चा करें और यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक बच्चा उसमें अपना योगदान दे पाये। इसलिए योजना बनाते समय शिक्षकों को सभी की भागीदारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह उसके प्रभावी शिक्षक बनने का सूचक बनेगा।'' समानता ही समावेशी शिक्षा की प्रथम सीढ़ी है। लोकतंत्र की भी हमारे मन में यह धारणा बन गई है कि बच्चों की प्रकृति की विविधता अधिगम की गुणवत्ता प्रभावित होते विशिष्ट बच्चों को विशेष कक्षा की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रीय परीचर्या 2005 में इसका समाधान किया गया है। ''स्कूल प्रशासकों एवं शिक्षकों को यह समझना चाहिए जब भिन्न भिन्न सामाजिक, आर्थिक पृष्ठ भूमि वाले, भिन्न क्षमता वाले लड़के-लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं तब कक्षा का वातावरण और भी समृद्ध एवं प्रेरक हो जाता है।''

समावेशित शिक्षा के दर्शन के अन्तर्गत प्रत्येक बालक अलग-अलग प्रकार का होता है। वह अपने सहपाठियों की भांति समझ विकसित करने के लिए कक्षा में विविध प्रकार की आवश्यकता महसूस करता है। यदि बालक कक्षा में पिछड़ जाता है तो उसे दोषी नहीं समझा जा सकता बल्कि उन्हें कक्षा में भली प्रकार समाहित न कर पाने की समस्त जिम्मेदारी अध्यापक की होती है। जिस प्रकार हमारा संविधान किसी भी आधार पर किये जाने वाले भेद-भाव का निषेध करता है। उसी प्रकार समावेशित शिक्षा विभिन्न ज्ञानेन्द्रिय, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, आदि कारणों से उत्पन्न विविधताओं के उपरान्त स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखती है। समावेशित शिक्षा सम्मान और अपनेपन विद्यालय संस्कृति के साथ-साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान करती है। समावेशित शिक्षा बालकों की शिक्षा गतिविधियों में उनके माता-पिता को भी सम्मिलित करने की वकालत करती है। समावेशित शिक्षा सही मायनों में शिक्षा का अधिकार जैसे नियम का शब्दों का रूपान्तरित रूप है। जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों को एक समान शिक्षा की व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्रदान करना।

राष्ट्रीय परिचर्या 2005 की रूपरेखा के अन्तर्गत कहा गया है कि "कभी-कभी बच्चों को अपंग/असमर्थ/अक्षम आदि रूपों से सम्बोधित करते हैं। इसमें एक प्रकार की कुंठा और असहायता की भावना घर कर जाती है। शिक्षा में समावेश समाज में समावेश का ही एक घटक है। इसलिए विद्यालय का यह दायित्व बनता है कि वे ऐसी उदार पाठ्यचर्या को अपनाएँ जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो इस पाठ्यचर्या में उचित चुनौती और पर्याप्त अवसर हो ताकि वे अध्ययन में सफलता पा सके और अपनी सम्भावनाओं का पूर्ण विकास कर सके।

समावेशित शिक्षा की समस्याएँ इस प्रकार हो सकती हैं-

1. व्यवहारात्मक समस्याएँ- इसमें विशिष्ट बालक सदैव ही विचित्र प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे स्वयं को अन्य बालकों से नीचा समझना, बात-बात पर चिल्लाना, प्रतिभाशाली बालकों के द्वारा अपने को अन्य सभी बालकों से ऊँचा समझना। ये समस्याएँ प्रत्येक विशिष्ट बालक में अलग-अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, अस्थि विकृत एवं मानसिक समस्या के बालक भी व्यवहारात्मक समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं।

2. सामाजिक समस्याएँ- मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज के सम्पर्क में रहता है। अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना है। परन्तु जब कोई बालक विचित्रता लिए जन्म लेता है तो यह समाज उसे ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है जिससे बालकों में हीनता आ जाती है तथा समावेशी शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई आती है।

3. शैक्षिक व्यवधान- विशिष्ट बालकों को अनेक प्रकार के शैक्षिक व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। यह शैक्षिक व्यवधान बालक की विशिष्टता के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बालकों को यदि सामान्य बालकों की कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाये तो ये बालक अवसादग्रस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार विशिष्ट को सामान्य बालकों की कक्षा में बैठा दिया जाये तो वह भी अपना व्यवहार सामान्य रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं।

4. समावेशित विद्यालय वातावरण- विद्यालय के वातावरण से कुछ बातें बालकों को स्वतः ही प्राप्त होती है। इस प्रकार विद्यालयों का वातावरण सुखद और स्वीकार्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु आवश्यक साज-सामान, शैक्षिक सहायताओं, उपकरणों, भवन आदि का समुचित प्रबन्ध आवश्यक है। इन साधनों के बिना समावेशित माहौल बनाने में कठिनाई हो सकती है।

5. सभी के लिए विद्यालय- समावेशित शिक्षा के उद्देश्यों को सभी बालकों तक पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में दाखिले की नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के इस सन्दर्भ में एक प्रभावी कदम उठाया गया। लेकिन धरातल पर इसकी वास्तविकता अभी संदेहपूर्ण है। कई बार विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी असमर्थता दर्शाते हुए विद्यालय में प्रवेश देने से मना कर दिया जाता है या किसी विशेष विद्यालय में सम्बन्धित बालक को दाखिले के लिए कहा जाता है।

6. बालकों के अनुरुप पाठ्यक्रम- समावेशित शिक्षा व्यवस्था के लिये आवश्यक है कि विद्यालय-पाठ्यक्रम बालकों की अभिवृत्तियाँ, मनोवृत्तियों, आकांक्षाओं तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में विविधता तथा पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए। ताकि उसे प्रत्येक बालक की क्षमताओं तथा रुचि के अनुसार अनुकूल बनाया जा सके। बालक मे विभिन्न योग्यताओं व क्षभताओं का विकास हो सके व उसे विद्यालय से बाहर सामाजिक जीवन से जोडा जा सके।

7. मार्गदर्शन व निर्देशन की व्यवस्था- विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नियमित शिक्षक विशेष शिक्षक अभिभावक और परिवार सामुदायिक अभिकरणों के साथ विद्यालय कर्मचारियों के बीच सहयोग और सहकारिता शामिल है। समावेशित शिक्षा व्यवस्था में घर से विद्यालय जाते समय बालक को आरम्भ में नये परिवेश में अपने आपको समायोजित करने में कुछ असुविधा हो जाती है। जैसे शुरूआत में कक्षा के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होना, दोस्तों का अभाव, नाम आदि के कारण बालक के आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक

परिवर्तनों के कठिनाई के दौर में मार्गदर्शन एवं निर्देशन से बालक को इस समय में काफी सहायता मिलती है।

8. शिक्षकों का प्रशिक्षण- शिक्षक ही वह शक्ति है जो बालकों में अधिगम प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है। समावेशित शिक्षा व्यवस्था में सबसे अधिक जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों का कक्षा में उचित ढंग से समायोजन करना, विशिष्ट शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना, बालकों को मिलने वाले आर्थिक सुविधाओं का विवरण करना आदि कार्यों को करना पड़ता है अतः शिक्षक को पूर्णतः निपुण होना चाहिए।

9. सहायक तकनीकी उपकरणों का उपयोग- समावेशित शिक्षा की सफलता के लिये और उसके प्रचार-प्रसार के लिए शिक्षा व्यवस्था में तकनीक का उपयोग किये जाने की जरूरत है। समावेशित शिक्षा वातावरण हेतु बालकों, अभिभावकों, शिक्षकों को इसकी नवीन तकनीकी विधियों से परिचित करवाया जाये। बच्चे के समाजीकरण की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के समावेशन का द्वार परिवार तंत्र में उसके समुचित समावेशन से होकर गुजरता है। परिवार में निर्णयों में सहभागिता है परिवार में सभी को अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के समान अवसर है। तब समावेशन के बारे में बच्चे के मजबूत सकारात्मक अनुभव होंगें। समावेशन की नीति को हर स्कूल एवं सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किये जाने की जरूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में चाहे वह स्कूल में हो या बाहर सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की जरूरत है। स्कूलों को ऐसे केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों को जीवन के लिये तैयार किया जाये और खास शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों को समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को अधिक लाभ मिल सके।

शोधार्थी

शिक्षा शास्त्र विभाग, ज.रा.रा.सं. विश्वविद्यालय, जयपुर

शिक्षा शास्त्र विभाग, म.द. विश्वविद्यालय, अजमेर

समावेशात्मकशिक्षा के विषय में शोध समीक्षा

बोलतीराम मीना

प्रस्तावना-

ये सम्पूर्ण जगत विविधता से युक्त है। यह विविधता ही सृष्टि की सुन्दरता का आधार है। ये विविधतायें प्रकृति की हर रचना में देखने को मिलती है व मनुष्य भी इससे अछूता नहीं है। कोई भी दो मनुष्य इससे अछूता नहीं है। कोई भी मनुष्य एकदम समान नहीं है, यहां तक की जुड़वा बच्चों में भी कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य देखने को मिलती है, इसी प्रकार शारीरिक रचना, बुद्धि, सामाजिक-आर्थिक स्तर, संवेगात्मक स्थिति सभी में भिन्नता होती है पर जब यह भिन्नता इतनी अधिक हो जाती है कि इन लोगों को सामान्य कार्य करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। तो उन्हें हम 'विशेष समूह' या 'विशेष बालक के समूह' को असाधारण शब्द से ग्स्थापित कर देते है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 10 प्रतिशत भाग किसी न किसी रूप में विकलांग है। वर्ष 1991 के एन.एस.एस.ओ. के नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देखने, सुनने, बोलने और चलने-फिरने में बाधित लोगों की संख्या, कुल जनसंख्या का 1.9 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक दिव्यांगता एक हजार लोगों में 20 के अनुपात से और शहरी क्षेत्रों में 16 व्यक्ति प्रति हजार पायी गयी है और 14 वर्ष की आयु तक कम मानसिक वाले व्यक्ति लगभग तीन प्रतिशत पाये गये। कार्य योजना 1992 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के इस प्रकार है।

5-14 वर्षों के आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों की अनुमानित संख्या	3.9 मिलियन
लोकोमीटर का प्रयोग करने वाला दिव्यांग -	1.48 मिलियन
कान से विकलांग	0.65 मिलियन
मूक बधिर	0.91 मिलियन
नेत्रहीन बच्चे	0.15 मिलियन
5-14 वर्षों के आयु वर्ग के मानसिक रूप से कमजोर बच्चे	3.60 मिलियन
16.18 वर्षों के आयु वर्ग के कमजोर दिमाग के बच्चे	2.20 मिलियन

विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण

शारीरिक रूप से भिन्न बच्चे Physically different children	बौद्धिक या मानसिक आधार पर Mentally different children	मनोसामाजिक आधार पर Psyco-Sociaty different children
1. श्रवण क्षति युक्त	1. प्रतिभाशाली बालक	1. समस्यात्मक बालक
2. दृष्टि क्षति युक्त	2. पिछडे बालक	2. अपराधी बालक
3. शारीरिक दिव्यांगता	3. मंदबुद्धि बालक	3. कुसमायोजित बालक
	4. सृजनात्मक बालक	

मेडिकल साइंस के अनुसार दिव्यांग बालकों का वर्गीकरण

1. हाथ पैर से दिव्यांग बालक (लूले-लंगड़े, हथकटे) (Missing Shortened Limbed)
2. लकवाग्रस्त (Paralysisis)
3. पांवफिरा (Club Foot)
4. मेरूदण्ड का वक्र (Curvature of the spine)
5. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (Cerebral Palsy)
6. विकृत (Malformed hips)
7. मेरूदण्डीय द्विशाखी (Spinabifida)
8. मांसपेशीय डायस्ट्राफी
9. श्रवण क्षतियुक्त बालक
10. वाकदोष बालक
11. बहुल दिव्यांग बालक
12. भाषा दिव्यांग बालक

दिव्यांग बालक सामान्य बालकों से भिन्न होता है। तथापि उसे उचित प्रयासों द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा में ऐसे बालकों को शिक्षित करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान करना और कुछ विशेष सुविधाएँ देना अनिवार्य है, ये प्रावधान और सुविधाएँ अक्षमता तथा बीमारी के अनुसार भिन्न हो सकती है। शैक्षिक अवसरों की समानता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विकलांग बालकों के लिए अन्य बालकों के समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुलभ बनायी जानी चाहिए।

कार्ययोजना 1992 के अनुसार विकलांग बालकों के लिए पाठ्यक्रम का लचीला होना विशेष महत्वपूर्ण है। यदि बालकेन्द्रित शिक्षा का प्रचलन हो तो इन बालकों की विशेष जरूरतें पूरी होगी। पाठ्यक्रम का समायोजन किया जायेगा, शिक्षण-पद्धतियों तथा सामग्रियों को अनुकूल बनाया जायेगा तथा प्रयोक्ताओं को चयनित क्षेत्र प्रदान किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों के कल्याण हेतु उपाय

Measures for the Welfare of Handicapped by Indian Government

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांग लोगों के कल्याण की सभी नीतियों/मामलों के बारे में प्रमुख मंत्रालय है। यह मंत्रालय दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वयं सेवी कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देने की योजना को अमल में ला रहा है। इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को हाथ में लेने वास्ते गैर सरकारी संगठनों को मदद दे रहा है। इनके कल्याण के कार्यक्रम निम्नांकित हैं-

1. विद्यालयों की स्थापना।
2. रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।
3. समुदाय-आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों का संचालन।

इस योजना के तहत 350 से अधिक विशेष विद्यालयों में और 140 रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र चलाये गये। विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन एजेन्सियों जैसे- स्वयं सेवी संगठनों, मंत्रालय के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय संस्थान, आर्टीफीशियल लिम्बस, मैन्यूफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया, जिला पंचायतें तथा डी.आर.डी.ए. आदि को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है।

विकलांग व्यक्ति को समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता अधिनियम, 1995 नामक व्यापक कानून को फरवरी 1996 में लागू किया गया। इस कानून के तहत केन्द्र और राष्ट्र स्तर पर विकलांगों के पुनर्वास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम जैसे-शिक्षा रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, बाधारहित परिवेश का निर्माण, विकलांगों के लिए पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान, संस्थागत सेवाएँ और बेरोजगार भत्ता तथा शिकायतों का निदान जैसे सहायक सामाजिक सुरक्षा के उपाय करना आदि बातों पर ध्यान दिया गया है। विकलांगों की विविध समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विकलांगता के प्रमुख क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थानों/उच्च स्तरीय संस्थानों की स्थापसना की गयी है जो निम्न प्रकार है-

1. राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून।

2. राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान, कोलकात्ता।
3. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद।
4. राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कटक।
5. अलीयावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान,मुम्बई।
6. शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली।
7. इण्डियन स्पाईनल इंजरी सेण्टर, नई दिल्ली।

इस केन्द्र की स्थापना इटली सरकार के सहयोग से की गयी। यह केन्द्र उन रोगियों को उपचार, पुनर्वास सेवाएँ, रोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण और परामर्श आदि उपलब्ध कराता है, जो रीढ़ की हड्डियों की होने वाली क्षतिग्रस्त बीमारियों के शिकार होते हैं। इस केन्द्र पर अनुसंधान सम्बन्धी कार्य भी होते हैं। एशिया में अपने किस्म का यह पहला केन्द्र है।

आर्टीफिशियल लिम्बस् मेन्यूफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया

कानपुर में कृत्रिम अंगों का निर्माण करने वाला यह निगम 25 नवम्बर, 1972 को सरकारी कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इस निगम द्वारा निर्मित उत्पादों पर आई.एस.आई. का चिन्ह (मार्क) अंकित होता है। यहाँ निर्मित उत्पादों को कोलकात्ता, चेन्नई, भुवनेश्वर तथा दिल्ली स्थित क्षेत्रीय मार्केटिंग केन्द्रों के माध्यम से बेचा जाता है।

शिक्षा आयोग तथा विकलांग बच्चों की शिक्षा

Education Commission and Education of Handicapped

शिक्षा आयोग के अनुसार, विकलांगों की शिक्षा केवल मानवतावादी आधारों पर ही नहीं उपयोगिता के आधार पर भी गठित करनी होगी। समुचित शिक्षा उनको एक उपयोगी नागरिक बनाने में समर्थ होगी। सामाजिक न्याय का भी यही तकाजा है। अनिवार्य शिक्षा पर संवैधानिक निर्देश मे विकलांग बच्चे भी शामिल हैं। अतः इनके लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है। विकलांग बच्चे के लिए शिक्षा का पहला कार्य यह है कि वह सामान्य बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बसाये गये सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में समायोजन के लिए उसे तैयार करे। इसलिए यह आवश्यक है कि विकलांग बालकों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का ही एक अविच्छेद अंग हो। अन्तर केवल बालकों को पढ़ाने की विधि और बालक द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनाये गये साधनों में होगा। विधितंत्र में इन अन्तरों का शिक्षा को सुविधा की दृष्टि से विशेष शिक्षा (Special Education) कहा जा सकता है। हमारे देश में निम्नलिखित वर्गों की कुल जनसंख्या लगभग 25 लाख है।

(अ) अन्धे : स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वावधान में हाल में किये गये एक सर्वेक्षण में ऐसा मालूम होता है कि अन्धों की संख्या ही 40 लाख के करीब है। रॉयल कॉमन वेल्थ सोसायटी फॉर द ब्लाइण्ड लंदन का भी यही अनुमान है। इनमें से स्कूल जाने लायक उम्र के बालकों की संख्या चार लाख है।

(ब) बधिर : बहरेपन के शिकार व्यक्तियों का कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं हुआ है। कुछ नमूनो के सर्वेक्षण के आधार पर किये गये अनुमानों से प्रतीत होता है कि देश में बहरों की संख्या दस लाख और पन्द्रह लाख के बीच होगी। इनमें से स्कूल जाने लायक आयु के बालकों की संख्या करीब 3 लाख होने की संभावना है।

(स) अंग विकृति वाले दिव्यांग बालक : दिव्यांग बालकों के इस वर्ग का भी कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इनके सम्बन्धों में भी किये गये कुछ नमूने के सर्वेक्षणों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी संख्या इस देश में अन्धों की संख्या के बराबर होगी।

(द) मंद बुद्धि : मंद बुद्धिता एक जटिल अवधारणा है जो बहुत हद तक सांस्कृतिक कारणों से प्रभावित है और उसका पता लगाने के लिए परिष्कृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पड़ते हैं। इसलिए देश में मंद बुद्धि बालकों की संख्या का पता लगाना कठिन है, फिर भी कुछ अपर्याप्त नमूने के सर्वेक्षणों के आधार पर किये गये अनुमानों से प्रतीत होता है कि देश में मंद बुद्धि बालकों की संख्या 14 लाख तथा 18 लाख के बीच होगी। सम्पूर्ण स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है।

क्र. सं.	वर्ग	बालकों की संख्या
1.	अन्धे	4 लाख
2.	बधिर	3 लाख
3.	अंग विकृति से ग्रस्त	4 लाख
4.	मंद बुद्धि	14 लाख
	कुल	25 लाख

शिक्षा आयोग ने दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए दो कार्यक्रम पर बल दिया है।

(अ) विशेष शिक्षा,

(ब) समावेशी शिक्षा

(अ) विशेष शिक्षाः इसमें दिव्यांग बालक सामान्य बालकों से अलग कर विशेष संस्थाओं

में रखे जाते हैं। परन्तु शिक्षा की दृष्टि से उन्नत देशों में अब विकलांग बालकों को नियमित स्कूल कार्यक्रमों में ही समावेश करने पर बल दिया जाता है।

(ब) समावेशी शिक्षाः इसके बहुत से लाभ हैं जिनमें से दो मुख्य है -पहला - खर्चे में कमी, दूसरा - दिव्यांग और सामान्य बालकों में परस्पर एक दूसरे को समझने और सद्भाव की वृद्धि।

समावेशात्मकशिक्षा दिव्यांगकृते
(समावेशी शिक्षा दिव्यांगों के लिए)

समावेशी शिक्षा की अवधारणा एक ऐसे विविधतापूर्ण समाज की समग्र आवश्यकताओं पर आधारित है, जिसमें विभिन्न जातियों, धर्मों, आकांक्षाओं, व्यवसायों तथा अक्षमताओं वाले लोग समाज के विकास तथा निर्माण में भागीदार बनते हैं और अपना योगदान करते हैं। इस शिक्षा में शारीरिक अक्षमताओं वाले लोगों या दिव्यांगों की शिक्षा को भी सामान्य शिक्षा का ही एक विभिन्न अंग माना गया है। सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को भी महत्व प्रदान किया गया। अतः समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है-सामान्य बालकों तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की जरूरतों के बीच तालमेल कायम करना जिसमें सामान्य स्कूलों में दोनों प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सके।

समावेशी शिक्षा के पीछे मूल सोच यह है कि दिव्यांग और सामान्य बालकों सामान्य स्कूलों में साथ-साथ पढ़ने का मौका मिले ताकि शुरू से ही दोनों तरह के बच्चे समाज में एक समान भागीदारी निभाने में सक्षम हो सकें। इस तरह की शिक्षा से दिव्यांग के मन मे विश्वास भी उत्पन्न होगा और वे औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल होने में सक्षम होंगें।

समावेशी शिक्षा में निम्नांकित लाभ प्राप्त हो सकेंगें।

1. बाधाग्रस्त बालक (बच्चे) सामान्य शिक्षा प्रणाली से पृथक् नहीं हो सकेंगें।
2. यह शिक्षा 'सबके लिए शिक्षा' के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है।
3. इस शिक्षा से बाधित बच्चों को अपने पैरों पर खडे होने तथा आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलती है।

भारत सरकार ने दिव्यांग बालकों के लिए समावेशी शिक्षा योजना 1974 में प्रारम्भ की। इसका उद्देश्य दिव्यांग बालकों को सामान्य विद्यालय प्रणाली के तहत सुविधाएँ प्रदान कराना था ताकि वे बीच में ही पढ़ाई न छोड़े और अन्ततः सामान्य शिक्षा प्रणाली में ही समायोजित हो जायें। इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए शत-प्रतिशत सहायता की जाती है। इस

सहायता पठन सामग्री, स्कूल यूनिफार्म, परिवहन भत्ता नेत्रहीन बच्चों के लिए पाठन भत्ता, चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग बालकों के लिए सहायक भत्ता तथा छात्रावासों मे रहने वाले दिव्यांग बालकों के लिए आवास तथा भोजन शुल्क शामिल है। इसके अलावा संसाधन कक्षों की स्थापना तथा उन्हें सहायक यंत्रों व उपकरणों से सुसज्जित करने दिव्यांग बालकों की दिव्यांगता के मूल्यांकन हेतु सर्वेक्षण करने तथा उनके अध्यापकों के प्रशिक्षण/पुनश्चर्या का खर्च शामिल है।

केन्द्र सरकार की समावेशी शिक्षा योजना के साथ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा योजना में भी दिव्यांग बालकों की मदद करने के लिए व्यवस्था की गयी है। 1991 में कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार 90 प्रतिशत दिव्यांग बालक ग्रामीण इलाकों में पाये गये जबकि अधिकतर विशेष स्कूल, दिव्यांगों को यंत्र उपकरण उपलब्ध कराने वाले पुनर्वास केन्द्र तथा स्वास्थ्य केन्द्र शहरी इलाकों में स्थित थे। आज जब सामान्य शिक्षा प्रणाली के तहत सबके लिए शिक्षा पर बल दिया जा रहा है तो दिव्यांगों के लिए शिक्षा की सुविधा उनकी कुल जनसंख्या के सिर्फ 10 प्रतिशत के लिए उपलब्ध रह जाती है। मानव-संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ग्राम विकास खण्ड तथा जिला स्तर पर समावेशी शिक्षा योजना को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

वर्तमान में दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल करने और मुख्य धारा में लाने के प्रति विश्वभर में जागरूकता बढ़ी है। 1995 में सामाजिक विकास के बारे में कोपनहेगन में इस विश्व सम्मेलन में कहा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय विकलांग व्यक्तियों का है। जिन्हें गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक अलगाव की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दुनिया में दस में से एक व्यक्ति दिव्यांग है।

कोपनहेगन घोषणा वास्तव में अपंग व्यक्तियों को सामाजिक गतिविधियों की मुख्य धारा में लाने और उन्हें समाज से जोड़ने के बारे में की गयी व्यापक घोषणाओं में से एक थी।

एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में 1993-2002 के दशक में विकलांग दशक के रूप में मनाया गया है। इस दौरान समाज के इस सर्वाधिक अलग-थलग समुदाय को सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों की मुख्य धारा में लाने पर बल दिया गया है। अपंगों के लिए संचार और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने को विशेष महत्व दिया गया है। कार्यसूची में अपंग व्यक्तियों को निर्णय करने की प्रक्रिया में भागीदार बनाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता उजागर की गयी है।

अपंगों के लिए एशिया और प्रशान्त दशक शुरू करने के अवसर पर बीजिंग में एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों को पूर्ण भागीदारी और सम्मान देने सम्बन्धी सम्मेलन का आयोजन

किया गया था। भारत ने इस सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पर हस्ताक्षर किये थे। घोषणा के अनुपालन में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 पी.डब्ल्यू.टी. एक्ट बनाया और यह 2 फरवरी 1996 से लागू है। इस कानून में अपंग व्यक्तियों के लिए निवारक और प्रोत्साहन दोनों ही पहलुओं को शामिल किया गया है।

अधिनियम के अनुसार विकलांगता वाले प्रत्येक बालक को 18 साल की उम्र तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। इस अधिनियम में अक्षमता की निम्न स्थितियों का उल्लेख किया गया है।

1. अन्धापन।
2. कम नजर आना।
3. कुष्ठ रोग से मुक्ति पाये लोग।
4. श्रवण विकलांगता।
5. मानसिक बीमारी तथा मानसिक अल्प विकास।
6. अस्थि विकलांगता वाले बालक
   - पोलिया ग्रस्त बच्चे।
   - मांसपेशियों के काम न करने के कारण विकलांगता वाले बालक।
   - रीढ़ की हड्डी से ग्रस्त उत्पन्न विकलांगता वाले बालक।
   - रिकेटस नामक बीमारी से अस्थि विकलांगता बालक।
   - क्लबफुट बालक।
   - जोड़ों से ग्रस्त बालक।
   - कुष्ठ रोग से ग्रस्त बालक।
   - तपैदिक के कारण शरीर के निचले हिस्से के काम न करने लाचार बालक।

पिछडे छात्रों की शिक्षा

(Education of the Backward Children)

शैक्षिक सुविधाओं के शीघ्र विस्तार के साथ-साथ स्कूलों में पिछड़े छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। शैक्षिक स्तर तक पहुंचने की असमर्थता के कारण या अपनी आवश्यकताओं एवं रुचि से मुख्यतः असम्बद्ध शैक्षिक कार्यक्रम के प्रति उकताहट या कुण्ठा के कारण इनमें से अधिकांश छात्र एक या दूसरे स्तर पर स्कूल छोड़ देते हैं।

पिछड़ेपन के प्रकार

1. मानसिक अवरोध अल्पबुद्धि जो वंशानुगत जन्मजात कारणों या रोग या चोट से पैदा होते हैं।
2. बहुधा भावात्मक अन्तर्द्वन्द्व अभिप्रेरणा का अभाव, अध्ययन की अच्छी आदतों का न होना, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कठिनाई के कारण अपेक्षा से कम विद्यार्जन अथवा अपनी बुद्धि के अनुरूप निष्पादन में समर्थता, विशेषतः सुसम्पन्न बुद्धि वाले व्यक्तियों में-

पिछड़े बालकों के लिए शिक्षा

1. वैयक्तिक ध्यान रखा जाये।
2. विशेष उपचारी सहायता।
3. उनकी अध्ययन गति के अनुकूल एक संशोधित पाठ्यचयर्चा।
4. बड़े शहरों में विशेष स्कूल की स्थापना।
5. सामान्य विद्यालय में विशेष कक्षाओं की व्यवस्था।
6. जहाँ तक सम्भव हो, वैयक्तिक ट्यूशन की व्यवस्था।

उपर्युक्त प्रकार के उपचार उनके उपयुक्त भावात्मक तथा सामाजिक विकास में भी लाभकारी हो सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. अग्रवाल, जे.सी. 'भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास', आर.एस.इन्टरनेशनल, आगरा-2
2. गुप्ता, एस.पी, (2006) 'उच्चतर मनोविज्ञान', शारदा पुस्तक भवन,
3. www. education.in
4. www.google.com integrated Education

भारत में समावेशी शिक्षा समस्या

सुमनलता यादव

समावेशी शिक्षा की परिकल्पना इस संकल्पना पर आधारित है कि सभी बच्चों के विद्यालयी शिक्षा में समावेशन व उसकी प्रक्रियाओं की व्यापक समझ की इस कदर आवश्यकता है कि उन्हें क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश और विस्तृत सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं दोनों में ही संदर्भित करके समझा जाये। क्योंकि भारतीय संविधान में समता स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्त मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है जिसका इशारा समावेशी शिक्षा की तरफ ही है।

हमारा संविधान जाति, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है जिसके परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय लैंगिक, शारीरिक, मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है जिससे लोकतांत्रिक स्कूल में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोडने की बात का समर्थन करती है।

समावेशी समाज का विकास उसमें निहित सम्पूर्ण मानवीय क्षमता के कुशलतापूर्वक उपयोग पर निर्भर करता है।

इस कार्य के लिये समाज के सभी वर्गों के सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना सहयोग के समावेशी समाज का विकास संभव नहीं हो सकता है। अतः शिक्षा समावेशन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उपकरण है। शिक्षा के माध्यम से ही एक बच्चा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका के लिए तैयारी करता है वहीं दूसरी ओर समावेशन की प्रक्रिया में उसे बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

बच्चों का समाजीकरण एक समान प्रक्रियाओं से होकर नहीं गुजरता, अतः समावेशन की प्रक्रिया एक समान नहीं होती है।

बच्चे को समाज में जो अनुभव संस्कृति या मूल्य प्राप्त होते हैं वह कहीं न कहीं भारतीय

विद्यालयों में भी परिलक्षित होते हैं। समाज में विद्यमान असमानताएँ हमारी शिक्षण प्रक्रिया को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

इस प्रकार समावेशन की प्रक्रिया में पारिवारिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक आदि आयाम बाधा उत्पन्न करते हैं।

सामान्य स्कूलों में विशिष्ट बच्चों का समावेश वर्तमान समय की माँग है। विशिष्ट बच्चे भारत के सभी क्षेत्रों में भारी संख्या में देखने को मिलते हैं। समावेशन की नीति को अपनाये बिना हम 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित करने के अभियान को सफल नहीं बना सकते।

भारत में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में अनेक समस्यायें सामने आती हैं। समावेशित शिक्षा के पर्यावरण में काम करने के लिए कक्षा अध्यापकों, विषय अध्यापकों तथा विद्यालय के अन्य व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल एवं अनुकूल मनोवृत्तियों से सुसज्जित न होता।

क्षतियुक्त बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन्हें निर्देशन एवं परामर्श देने के लिये समावेशित पर्यावरण में कार्यरत अध्यापकों का अभाव।

विद्यार्थियों में बहुत विविधता पायी जाती है तथा समावेशित कक्षा पर्यावरण में विभिन्न विषय वर्ग देखने में आते हैं। अतः उपयुक्त उचित पाठ्यक्रम निर्माण की कमी।

भारत में समावेशी शिक्षा में एक समस्या अपवर्जन की भी है। अपवर्जन का कोई भी आधार चाहे वह सामाजिक, आर्थिक या विशिष्टता पर आधारित हो समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में बाधक हो सकता है।

भारतीय विद्यालयों में विविध भाषाओं और संस्कृति के विद्यार्थी होते हैं अध्यापक सभी संस्कृतियों एवं भाषाओं का ज्ञान नहीं रख सकते। अतः भाषायी विविधता भी समावेशी शिक्षा में समस्या उत्पन्न करती है।

जातीय एवं सामाजिक विविधताएं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जातीय एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक, विस्थापित मजदूर, शहरी गरीब खानाबदोश आदि वर्गों के बालक नामांकन करवा लेते हैं लेकिन समय से पहले शाला त्याग देते हैं।

वर्तमान दशक में बहुत से शोधार्थियों ने अध्ययन में पाया कि सामाजिक दृष्टि से वंचित समुदाय के बच्चों को विद्यालय तथा कक्षा कक्ष में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भेदभाव और अपमान बर्दाश्त करना पड़ता है जिसके कारण उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को ठेस पहुँचती है।

अतः भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियाँ भी समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है।

संदर्भ ग्रंथः

1. भारतीय संविधान
2. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
3. ठाकुर यतींद्र (2016/17) समावेशी शिक्षा अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
4. नारंग एम के, अग्रवाल जे.सी. (2011) समावेशी शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।

शिक्षक प्रशिक्षक

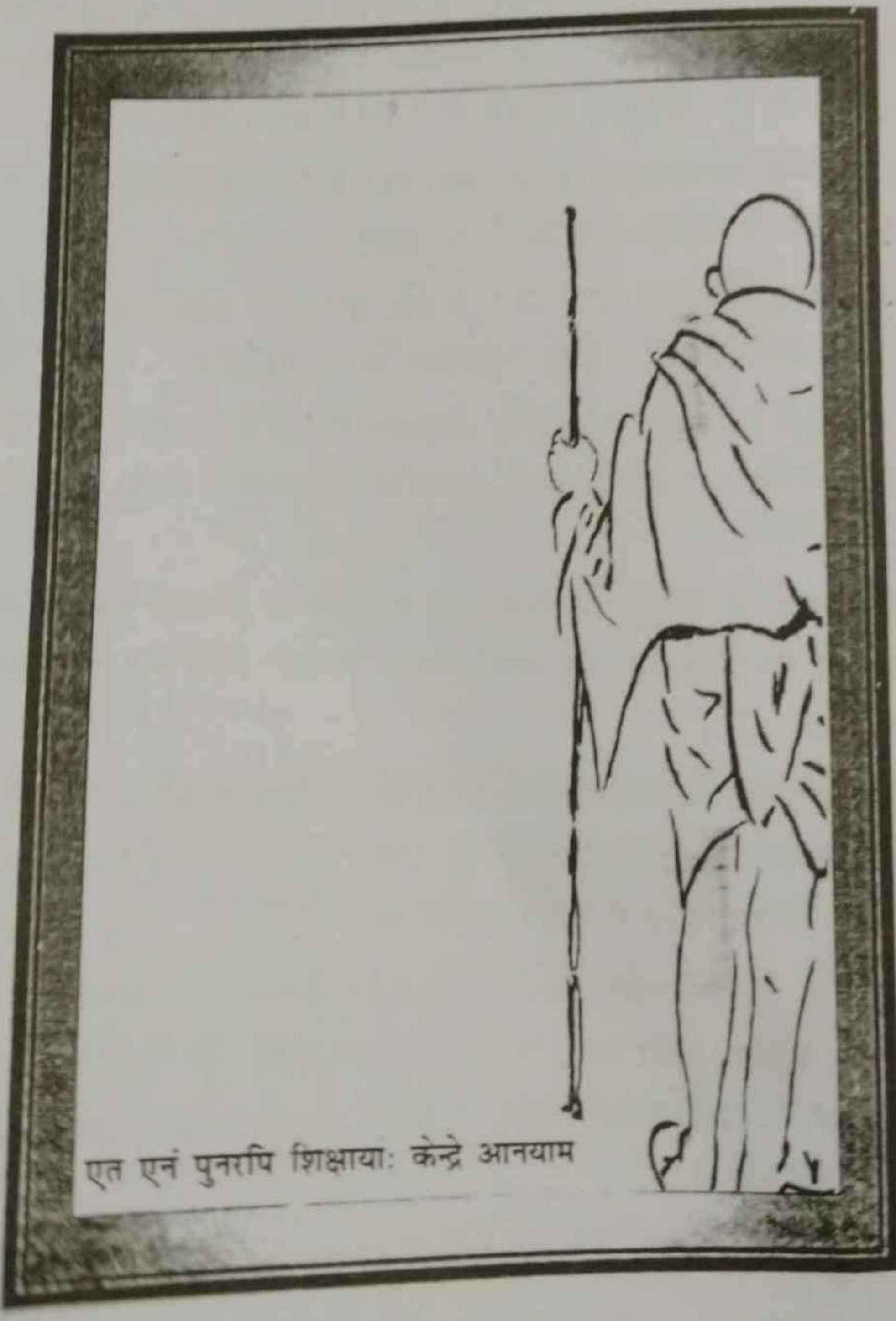

समावेशी शिक्षा मे समस्याएँ और समाधान

भुवनेश भारद्वाज

भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्य मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है। हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है। लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए हमारे संवैधानिक मूल्य स्पष्ट दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है जिसमें लोकतांत्रिक समाज में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु वातावरण का सृजन किया जा सके। समावेशन की ठोस प्रक्रिया प्रतीकात्मक लोकतंत्र से भागीदारी आधारित लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करती है। बच्चों का सामाजिकीकरण एक समान प्रक्रियाओं से होकर नहीं गुजरता, अतः समावेशन की प्रक्रिया भी एक समान नहीं रहती है। जिससे बच्चे के लिए वर्ण, जाति, लिंग, न्याय एवं लोकतंत्र के नजरिए प्रभावित होते हैं। जब इस प्रकार के नजरिए को कई दृष्टियों से बल मिलता है तो ये मूल्यों में बदल जाते हैं। ये मूल्य संस्कृति में तत्पश्चात् विचारधाराओं में बदलने की प्रक्रिया इसी क्रम की अगली शृंखला होती है। यह दुश्चक्र बार-बार के अनुभवों के पुर्नबलन से मजबूत होता जाता है। अतः इस दुश्चक्र को तोड़ने के लिए बच्चे के अनुभवों में बदलाव लाना आवश्यक होता है। साथ ही यह भी जरूरी है कि बदलाव लाने वाला अनुभव बहुत सशक्त होना चाहिए जिसमें पुराने अनुभवों को परिवर्तित करने/बदलने में मदद मिल सके। इस प्रकार बच्चे को परिवार, विद्यालय एवं समाज से ऐसे समावेशी अनुभवों, समावेशी व्यवहार, समावेशी विश्वास एवं समावेशी संस्कृति उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिसमें वह एक ऐसे लोकतांत्रिक नागरिक के रूप में विकसित हो सके जो समावेशन के मूल्यों में दृढ़ आस्था रखता है।

इस प्रकार समावेशन की प्रक्रिया के पारिवारिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयाम हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा सरोकार बच्चे के समावेशन की दो महत्वपूर्ण एजेन्सियों परिवार एवं विद्यालय से है, अतः इस आलेख में इन्हीं दो पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया गया है। बच्चा परिवार के बाद जिस लघु समाज से परिचित होता है, वह उसका विद्यालय समाज से होता है। अपने परिवार से कुछ न कुछ सकारात्मक या नकारात्मक मूल्य लेकर विद्यालय में आता है। यहाँ पर विद्यालय/शिक्षा तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि बच्चा समावेशन के बारे में जो भी

नकारात्मक अनुभव, संस्कृति एवं मूल्य को लेकर विद्यालय आता है, उनका परिमार्जन करने के उपयुक्त वातावरण निर्मित करे। विद्यालय में निश्चित रूप से कुछ बच्चे समावेशन के बारे में सकारात्मक अनुभव विश्वास, संस्कृति एवं मूल्य लेकर भी आते हैं, इनको फलने, फूलने एवं अन्य बच्चों के साथ साझा करने के लिए वातावरण उपलब्ध कराएँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सभी विद्यालयों को एक ऐसे रूप में परिलक्षित कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे की विभिन्नताओं(शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक) के होते हुए भी उन्हें सभी के साथ मिलकर ज्ञान सृजन करने के समान अवसर मिल सके। उनकी वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें कक्षा-कक्ष में उचित वातावरण मिल सके ताकि वे आत्म विश्वास, आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच, प्रभावी सम्प्रेषण आदि गुणों को स्वयं विकसित करते हुए सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास की ओर अग्रसर हो सके।

व्याख्याता

श्री रघुनाथ शिक्षाशास्त्री शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, दांतारामगढ़, जिला सीकर

अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते।
न च कृत्यं परित्याज्यम् एष धर्मः सनातनः।।

The work which is not to be done (because it is bad) should not be done even if you have to loose your life. And the work which has to be done (because it is your duty) – should be continued to be done even if it costs your own life! This is the sanatana Dharma.

सर्वशिक्षा अभियान के तहत समावेशित शिक्षा हेतु प्रयास

डॉ. कैलाश चन्द मीना

सर्व शिक्षा अभियान-

भारत सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए सर्वशिक्षा अभियान प्रारम्भ किया जिसके तहत मुख्य-मुख्य कार्यक्रम निम्नानुसार है-

- सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए ''गुणवत्तायुक्त प्रारम्भिक शिक्षा'' की आवश्यकता एवं माँग की आपूर्ति करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा बुनियादी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर उपलब्ध कराना।
- पूरे देश में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के मध्य सहयोग करना।
- पंचायतीराज संस्थाओं, शाला विकास एवं प्रबन्धन समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों, शहरी कच्ची बस्तियों की शिक्षा समितियों, छात्र अभिभावक परिषद, मातृ अभिभावक परिषद, जनजातीय स्वायत्त परिषदों तथा अन्य जमीन से जुड़ी संस्थाओं का विद्यालय प्रबंधन में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास।
- सरकारी साधनों का प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपयोग करना।

समावेशित शिक्षा-

समावेशित शिक्षा का अर्थ है नियमित विद्यालयों में निःशक्त व सशक्त सभी बच्चों की एक साथ शिक्षा। यह एक दृष्टिकोण है जिसमें सभी बच्चों को उन स्कूलों में प्रवेश मिले जिनमें सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाल-केन्द्रित शिक्षण हो। उनके सामर्थ्य या कमजोरियों की परवाह किए बिना एक विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को स्कूली समुदाय का अंग माना जाए। उन्हें दूसरे विद्यार्थियों, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों से अपनत्व का अनुभव हो। जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उन्हीं विद्यालयों में शिक्षा पाते हैं जहाँ सक्षम/सशक्त बच्चे जाते हैं, जहाँ सफल होने के लिए उन्हें आवश्यक सहयोग मिलता है, तब ऐसे समाज को समावेशित समाज कहते हैं।

शिक्षा में समावेशितता-

इसका अर्थ यह है कि एक ही शाला के सारे बच्चे भले ही किसी क्षेत्र में विशेष सामर्थ्यवान

या कमजोर ही हों, शाला के अभिन्न अंग होते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों के साथ अपनत्व के साथ सम्मिलित किया जाता है। किसी नियमित विद्यालय में की विशेष आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश की जाती है। सभी बच्चे स्कूली जीवन के आयाम में भाग लेते हैं, भले ही इनमें कोई निशक्तता हो। अतः सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्य धारा में कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। लक्ष्य है, शैक्षिक कक्षा में ही समायोजनकारी और वैयक्तिकृत शिक्षा सबको प्रदान करना। इस प्रकार हो या न हो, पड़ोसी विद्यालयों में उन्हें अपनी उम्र के उपयुक्त कक्षाओं में शिक्षा की शिक्षार्थी/बच्चों को समान अवसर देना जिससे कि वे प्रभावशाली शैक्षिक सेवाएँ पा सकें वांछित पूरक व सहायक सामग्री व सेवाएं मिल सकें इसे सही समावेशित शिक्षा कहेंगे।

विशिष्ट बालक-

सामान्यतः विशिष्ट बालक या असाधारण बालक उन बालकों को कहा जाता है जो तरह के शील गुणों में सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। परिणामस्वरूप शिक्षकों को इन्हें विशेष (Special Education) का प्रबंध करना पड़ता है। हेवार्ड व औरलैन्सकी[1] ने अपनी 'एक्सेपशनल चिल्ड्रेन' में इस प्रकार परिभाषित किया है-''विशिष्ट एक ऐसा अन्तर्वेशित पद clusive Term) है जिसका तात्पर्य कोई भी वैसे बालक से होता है जिसका निष्पादन मानक से ऊपर या नीचे इस हद तक विचलित होता है कि उसके लिए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम की होती है।''

अतः उक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि विशिष्ट बालक या असाधारण बालक वैसे होते हैं जो सामान्य या औसत बालक से ऊपर या नीचे की ओर विचलित (deviate) होते हैं। श्रेणी में प्रतिभाशाली बच्चे, सर्जनात्मक बच्चे, मानसिक रूप से मन्द बच्चे, शारीरिक रूप से बच्चे, समस्यात्मक बालक और बाल अपराधी बालक या जिन्हें अपवादात्मक बालक भी कहा है। ऐसे बच्चे अधिकतम क्षमताओं को विकसित कर सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि उनके लिए विशेष शिक्षा का कार्यक्रम चलाएँ।

समावेशितता का सिद्धांत-

पर्याप्त प्रशिक्षण व सहयोग सेवाएँ पाने पर शिक्षकों में संभावित क्षमता होगी कि वे बच्चों की व्यक्तिगत असाधारण आवश्यकताओं की पूर्ति सहभागी ढांचे के अन्तर्गत कर सकें।

विद्यार्थियों पर निःशक्तता का प्रभाव भिन्न होता है। अतः समेकितता का अर्थ भी भिन्न है।

हर बच्चे को यह अवसर मिलना चाहिए कि वह अर्थपूर्ण चुनौतियों का सामना करे,

करे व जिम्मेदारी ले, दूसरों के साथ सहभागिता के साथ अन्तःक्रिया करे व शैक्षिक प्रक्रिया का सभी विकासशील शैक्षिक व अशैक्षिक, आंतरिक व अन्तर्वैयक्तिक गतिविधियों में भाग ले।

इन सिद्धांतों का क्रियान्वयन, समुदाय के सतत सहयोग, व्यापक योजना, प्रशिक्षण व मूल्यांकन पर निर्भर है। हर निशक्त बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनुकूलित शाला वातावरण की आवश्यकता होगी। समावेशितता को उसके सही रूप में परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित को ध्यान में रखना होगा–

– सभी बच्चे एक स्कूल से मिलकर सीख रहे हैं।

– स्कूल सभी के लिए है।

– उपयुक्त सहायक सेवाएँ।

– कोई भेदभाव नहीं।

– विविधता के महत्व को समझना।

समावेशित शिक्षा के लाभ-

अभिभावक- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता व उनके लिए उपलब्ध सेवाओं के प्रति जागरूकता।

शिक्षक- हर बच्चे में वृद्धि की संभावना देखना, व्यवसाय कौशल में वृद्धि, सहपाठियों की संवेदनशीलता बढ़ाना।

बच्चे- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को आत्मनिर्भरता से जीने के लिए तैयार करता है। उनके आत्म-विश्वास व सम्मान को बढ़ाता है।

समावेशित शिक्षा हेतु प्रयास-

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नवाचारी वैकल्पिक शिक्षा अथवा समावेशित शिक्षा के अंतर्गत समाज एवं शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। उनके लिए छात्रावास सुविधा एवं शैक्षणिक आवासीय शिविरों तथा विद्यालयों में रैंप, शौचालय, सहायक शिक्षण सामग्री उनकी पहुँच के अनुरूप हों, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में सर्वशिक्षा अभियान के अन्य प्रयास निम्नलिखित हैं-

- मेडिकल असेसमेन्ट कैम्पों का आयोजन।
- अंग व उपकरण (Aids & Appliance) वितरण।
- विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु 3 माही प्रेरणादायी आवासीय शिविर आयोजन।

- विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु 9 माही शिविरों का आयोजन।
- बी आर सी एफ/ सी आर सी एफ क्षमता विकास कार्ययोजनाओं का आयोजन।
- स्लो लर्नर्स हेतु उपचारात्मक शिविरों का आयोजन।
- समावेशित शिक्षा के अंतर्गत 45 दिवसीय प्रशिक्षण।
- समावेशित शिक्षा के अंतर्गत संदर्भ शिक्षकों की व्यवस्था।
- होमबेस्ड एज्यूकेशन कार्यक्रम।
- ब्रेल-बुक्स उपलब्ध कराना।
- विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु अवरोधमुक्त वातावरण।
- विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के संबलन हेतु संदर्भ कक्ष का विकास।
- एज्यूकेशन वाउचर योजना।
- ब्लॉक एवं जिलास्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु टूर्नामेन्ट्स का आयोजन।
- राजकीय विशेष विद्यालयों हेतु संकलन।

वर्तमान में समावेशित शिक्षा-

भारत सरकार ने पिछले वर्ष 'राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसऐबिलिटी एक्ट 2016' के नोटिफिकेशन में 21 डिसएबिलिटीज की लिस्ट देते हुए इन कैंडीडेट्स की सुविधाएँ बढ़ाने की सिफारिशें की गई थी। इसी के साथ ही सीबीएसई ने भी ऐसे बच्चों हेतु 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन में फिजीकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स को सुविधाएँ बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि स्पैस्टिक, विजुअली इम्पेयर्ड, फिजीकली हैंडिकैप्ड स्टूडेंट्स के अलावा डिस्लेकिसमा, आटिज्म समेत डिसएबिलिटीज एक्ट में मौजूद बीमारियों से पीड़ित स्टूडेंट्स को कई और छूट दी जाएगी। जिनमें फीस, एक्स्ट्रा टाइम सहित स्पेशल सेंटर्स शामिल हैं। एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसे निःशक्त बच्चों को दिव्यांग बच्चे का नाम भी दिया है।

निष्कर्ष-

अन्ततोगत्वा समावेशित शिक्षा (Inclusive Education) एक साथ शिक्षित करने व कराने का वातावरण निर्माण करती है जिससे निःशक्त व सशक्त बच्चे के बीच बनी खाई को यह पाट देती है जिससे शिक्षार्थी, अभिभावक, समुदाय, शिक्षक, प्रशासक व नीति निर्माता सभी विविधता को सहजता से तथा समस्या को चुनौती के रूप में देखने में सक्षम हो जाते हैं।

पाद टिप्पणी-

1. हैवार्ड औरलैन्सकी, एक्सेपशनल चिल्ड्रेन 1980, पृष्ठ-3

सहायक ग्रन्थ-

1. अरुण कुमार सिंह, शिक्षा मनोविज्ञान, भारती भवन, पटना, 2009,
2. राजस्थान पत्रिका, जयपुर 6 फरवरी 2017
3. राजस्थान शिक्षण बोर्ड, अजमेर खण्ड-55 अंक 3 से 4, 2012
4. परिपत्र वार्षिक कार्ययोजना 2006-07, राज. प्रा. शि. परि. जयपुर
5. प्रयास, परिचायिका, जयपुर 2015
6. पत्रिका प्लस, राजस्थान पत्रिका, जयपुर, 06-02-2017, पृ. 19

पूर्व शोधच्छात्रा शिक्षकश्च
राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थान
जयपुर परिसर, जयपुर

साक्षराः विपरीताश्चेद्राक्षसाः एव केवलम्।
सरसो विपरीतश्चेत् सरसत्वं न मुञ्चति।।

If ***sākṣarā:*** (literate) is inverted, it becomes ***rākṣasā:*** (devil).
But if ***sarasa:*** (Juicy) is inverted, it remains ***sarasa:***.
This meaning is apparent if we play word game.

समावेशी शिक्षा एवं कक्षा-कक्ष प्रबन्धन

नरेश कुमार

समावेशी शिक्षा से अभिप्राय-

समावेशी शिक्षा वह है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है।

समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग में विशेष महत्व है। शिक्षाशास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर काफी मतभेद रहे हैं कि बालकों को विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में दी जाये या फिर इनको भी सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाये। अतः यह निर्णय लिया गया जहाँ तक सम्भव हो इस प्रकार के बालकों को सामान्य विद्यालयों मे ही पढ़ाया जाये।

विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं । जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, वे आसानी से पहचाने जाते हैं। लेकिन जो बालक मानसिक रूप से बाधित होते हैं, उनकी पहचान करना काफी मुश्किल कार्य है। जो बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अन्यथा सक्षम होते हैं, वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के बच्चों में छिपी हुई योग्यता को उभारन. है ताकि उसकी योग्यता का उपयोग देश हित में किया जा सके।

आज समय की यह आवश्यकता है कि केवल प्रतिभावान बालकों की तरफ ध्यान न दिया जाए बल्कि जो बालक सामान्य से कम है उनकी तरफ भी उचित ध्यान दिया जाए ताकि वे भी देश की मुख्य धारा में आकर अपनी योग्यता का देश की उन्नति में योगदान कर सके।

समावेशी शिक्षा के उद्देश्य-

1. सभी के लिए शिक्षा
2. अशक्त एवं बाधित भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है।
3. अधिकारों की रक्षा।
4. संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन-
   - (i) अशक्त बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा योजना, 1974
   - (ii) शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए DPEP प्रोग्राम, 1985

(iii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) 1986

(iv) Autism एवम् मानसिक मन्दता तथा बहुपक्षीय अशक्तता के संबंध में राष्ट्रीय स्तरीय ट्रस्ट 1999 जो समावेशी शिक्षा का अनुमोदन करता है।

(v) सर्वशिक्षा अभियान 2002

(vi) समावेशी शिक्षा के लिए वृहद, क्रियात्मक योजना, मार्च 21,2005 आदि प्रमुख है।

5. सामाजिक चेतना का उद्‌गम

6. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

(i) आवश्यकता आधारित शिक्षा

(ii) पाठ्यचर्या का लचीलापन

(iii) अधिगम में बच्चों की सक्रिय भागीदारी एवम् अधिगम में प्राथमिक अनुभवों का प्रावधान

7. कौशल की पहचान

8. अशक्तता एवं असामर्थ्य को शक्ति एवं क्षमता में परिणित करना।

9. मातृत्व की भावना का विकास

10. आत्म-विश्वास एवं आत्म सम्मान की भावना का विकास

11. नई चुनौतियों के लिए तैयारी।

समावेशी शिक्षा हेतु कक्षा-कक्ष प्रबन्धन-

कक्षा प्रबन्धन वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के सम्बन्धों और अन्तः सम्बन्धों के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया सम्पादित होती है तथा कक्षा में कार्य तथा क्रियाकलापों से अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं।

समावेशी शिक्षा हेतु कक्षा-कक्ष प्रबन्ध की आवश्यकता अत्यधिक मानी गई है क्योंकि समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत वह बालक आते हैं जो कि विशिष्टता लिए हुए होते हैं, अतः इन विशिष्ट बालकों हेतु कक्षा कक्ष प्रबन्धन भी उसी अनुसार किया जाता है।

पिछड़े बालकों हेतु कक्षा-कक्ष प्रबन्धन-

1. विशेष कक्षाएं- ,पिछड़े बालकों का सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना सही नहीं होता है। निरन्तर असफलता से ये बालक मनोवैज्ञानिक हीनता के शिकार हो जाते हैं। अतः पिछड़े बालकों के लिए अलग कक्षा की व्यवस्था सामान्य विद्यालयों में ही कर देनी चाहिए।

2. विशेष विद्यालय
3. विशिष्ट विद्यालय
4. शिक्षण-विधियाँ -स्थूल सामग्री एवम् प्रत्यक्ष अनुभवों की सहायता लेकर तथा विषय-वस्तु को छोटी छोटी ईकाइयों में बांट कर सरल तरीके से पढ़ाना चाहिए।
5. विशेष अध्यापक

कक्षा-कक्ष पद्धतियाँ-

समावेशी कक्षा के अन्तर्गत आने वाली अच्छी कक्षा-कक्ष पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं-

1. सहभागी शिक्षण अथवा सह शिक्षण
2. सम्पूर्ण कक्षा शिक्षण
3. गतिविधि आधारित शिक्षण
4. सहभागिता अधिगम
5. बहुस्तरीय अनुदेशन
6. समूह के बीच प्रतियोगिता

संदर्भ ग्रन्थ-

1. समावेशी शिक्षा के आधार - जसवन्त विर्क, अलका अरोडा
2. समावेशी शिक्षा - एम.के.नारंग, जे.सी. अग्रवाल

शोधच्छात्र
ज.रा.रा.सं.वि.,
मदाऊ

भारत में समावेशात्मक शिक्षा की समस्या और सम्भावना

पूरणमल सुमन

भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जिसके संविधान में एक लोकतंत्रात्मक समाज की स्थापना के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दिये हैं और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बच्चों को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने की आवश्यकता है जिससे लोकतांत्रिक समाज में बच्चों के समुचित समावेशन हेतु वातावरण का सृजन किया जा सके।

इसी उत्कृष्ट सोच की परिणति समावेशी शिक्षा के रूप में होती है, समावेशी शिक्षा के द्वारा न केवल लोकतंत्र की भागीदारी हेतु बच्चे को सक्षम बनाया जा सकता है बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाती है।

हर एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी की समस्या और उसके सीखने का तरीका भिन्न हो सकता है, इन भिन्नताओं के बाद भी उन्हें सबके साथ सामान्य वातावरण में शिक्षा देना चाहिए जिससे वो जीवन मार्ग में सफल हो पायें, यही सही मायने में समावेशी शिक्षा है। शिक्षा में समावेशन का विचार एक आदर्श दार्शनिक विचार है जो साधारण व विशेष बालक को साथ लेकर बढ़ता है। बच्चों का सामाजीकरण एक समान प्रक्रियाओं से होकर नहीं गुजरता, अतः समावेशन की प्रक्रिया भी एक समान नहीं रहती, जिसमें बच्चों के लिए वर्ण, जाति, लिंग, न्याय एवं लोकतंत्र के नजरिए प्रभावित होते हैं।

पिछले दो-तीन दशकों में दुनिया भर की सरकारों ने भारत सहित शिक्षा के सभी क्षेत्र में लिंग सम्बन्धी, सामाजिक पक्षपातों व असमानताओं को संशोधित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है तथा इस दिशा में भारत ने कदम भी बढ़ायें हैं व समावेशी शिक्षा जैसी उत्कृष्ट सोच को आत्मसात् करके समतापूर्वक राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा तैयार करने का प्रयत्न कर रहा है।

समावेशात्मक शिक्षा की समस्या-

समावेशात्मक शिक्षा में कई समस्यायें उभर कर सामने आयी हैं। जैसे-

1. समाज की सोच दिव्यांगों के प्रति कभी-कभी असंवेदनशील प्रतीत होती है, लोग उन्हें हीन भावना से देखते हैं। उनकी दिव्यांगता का परिहास करते हैं जिससे उनका मनोबल गिरता है और स्वयं को अलग-अलग समझते हैं।

2. शिक्षकों का रवैया समावेशी शिक्षा को सीधा प्रभावित करता है। चूंकि यहाँ दिव्यांग व साधारण छात्र के साथ शिक्षा की बात होती है अतः यह शिक्षक के ऊपर निर्भर है कि वह दोनों में कैसे सामंजस्य स्थापित करे। इसके साथ ही शिक्षकों की असंवेदनशीलता भी एक बड़ी समस्या है।
3. उचित आधारभूत संरचना का अभाव।
4. नवाचार का अभाव - समावेशी शिक्षा एक नया विचार है जिसमें प्रगति अपेक्षित है। इसमें नवाचारों का निरन्तर अभाव है, ये विचार लघु स्तर पर ही कार्यान्वित हो पा रहा है।
5. विद्यालय तक सभी की पहुँच न होना तथा विद्यालय का घर से दूर होना एक और बड़ी समस्या है। ये समस्या गाँव व शहर के स्तर पर और भेदात्मक है।
6. अभिभावकों में इच्छा शक्ति की कमी।
7. शिक्षा विकास का एक सशक्त माध्यम है ऐसा मानकर ही इसे संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया। इस प्रकार केन्द्र व राज्य का कर्त्तव्य है कि वह इस सम्बन्ध में नीतियाँ बनाये, समावेशी शिक्षा हेतु सरकारी प्रयासों में भी कमी है। नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर पर प्रशासनिक उदासीनता की समस्या समावेशी शिक्षा की राह का एक रोडा है।
8. विशेषज्ञों की सेवाओं का अभाव तथा समुचित पाठ्यक्रम का अभाव शिक्षा के समावेश में समस्या है।

संभावना-

इस प्रकार समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कई समस्यायें विद्यमान हैं। इनके होते हुए भी इसमें संभावनाओं के द्वार खुले हैं। बस हमें दृढ़ इच्छाशक्ति के एक सकारात्मक बदलाव को ग्रहण करने हेतु आगे बढ़ना होगा।

समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति है जिसके अन्तर्गत विविध क्षमताओं वाले बालक सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ अध्ययन करते हैं। विविधता न केवल जीवन में दिलचस्पी लाती है बल्कि जटिल और परिवर्तनशील विश्व में अनेक समाधान व संभावना भी लाती है। कुछ उपायों पर चर्चा करके हम समावेशन को संभव बना सकते हैं। जैसे-

1. दृष्टिकोण में परिवर्तन- प्राचार्य, शिक्षक, गैर सरकारी संगठन विशेष योग्यता वाले बालकों के अभिभावकों, आदि के एकमत होकर उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन करना।
2. विद्यालय में बाधारहित वातावरण के द्वारा।
3. प्रवेश नीति में परिवर्तन द्वारा।

पाठ्यक्रम का निर्धारण करके।

4. नई तकनीकी जैसे ई-बुक, ऑडियोबुक, रीडिंग सोफ्टवेयरयुक्त कम्प्यूटर आदि का प्रयोग करके।
5. निशक्तजनों को सरकारी नौकरी में आरक्षण के माध्यम से।
6. शारीरिक समस्या से युक्त बच्चों के लिए कृत्रिम अंग लगाकर।
7. अध्यापन में विविधता लाकर।
8.

महात्मा गाँधी जी ने कहा था ''हमें समाज के अन्तिम आदमी तक शिक्षा पहुँचाने का प्रयास करना होगा। दूरदराज के गाँव में रहने वाले दलित परिवार की बेटी तक शिक्षा को पहुँचाना होगा।'' हमें गाँधीजी के सपनो को पूरा करने तथा एक सफल समाज व लोकतंत्र के पुष्प को पल्लवित करने हेतु एक कदम बढाकर इस शिक्षा को अन्तिम विकलांग बच्चे तक पहुँचाना होगा।

संदर्भ -

CBSC मुक्त पाठ्य सामग्री हिन्दी शिक्षा में समावेशन चुनौती एवं समाधान– डॉ. केवलानन्द।

www. wikipidea.com.

www. Toper Learning.com

शिक्षाचार्य छात्र

द्वितीय वर्ष, रा.सं.सं. जयपुर

अश्वस्य भूषणं वेगो, मत्तं स्याद् गजभूषणम्।

चातुर्यं भूषणं नार्या, उद्योगो नरभूषणम्।।

Speed is the glory of horse. The majestic walk is the glory of elephant. Being wise is an asset to women and always being engaged in some work suits the man.

समावेशी स्कूल प्रबन्धन में कक्षा अधिगम

सुरेश गुर्जर

प्रबन्धन का अर्थ एवं परिभाषा- एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये नियोजन, निर्देशन एवं समन्वित करने को प्रबन्धन कहते हैं।

"प्रबन्धन मानवीय एवं भौतिक साधनों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है।"

कक्षा अधिगम परिस्थितियों का अनुकूलन-

1. भौतिक वातावरण की व्यवस्था।
2. अनुदेशनात्मक वातावरण का संगठन।
3. शिक्षा की तकनीकी का प्रयोग।
4. समय तथा अन्य संसाधनों की प्रबन्धन प्रवृत्ति।

1. कक्षा के भौतिक वातावरण की व्यवस्था-

(i) कक्षा में फर्श, डेस्क तथा उपकरणों पर बिखरी वस्तुओं को हटाकर तथा कार्य में अवरोधकों को दूर करके कक्षा में सुरक्षित तथा बाधारहित वातावरण का निर्माण।

(ii) कक्षा में तापमान, प्रकाश, ध्वनि स्तर, वायु प्रवाह, आकर्षक साज सज्जा का अनुकूलन समन्वय जिससे कक्षा में विद्यार्थियों को अनुकूल कार्य दशाएँ प्राप्त हों अर्थात् वे कक्षा कार्य में रूचि ले सकें।

2. कक्षा के अनुदेशनात्मक का संगठन- कक्षा के अनुदेशनात्मक वातावरण के अन्तर्गत प्रक्रिया सामग्री को सम्मिलित किया जाता है। अध्यापक पाठ्यक्रम तैयार करता है, विद्यार्थियों का समूह बनाता है। विद्यार्थियों में कौशल निपूणता तथा सूचनाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु व्यवस्था करता है। इस ढाँचे का सीधा प्रभाव शैक्षिक क्रियाओं तथा विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर पड़ता है।

(i) पाठ्यक्रम कौशल, निपुणता, सूचनाओं का संगठन, क्रिया-कलापों आदि का रुचि के अनुरूप संगठन।

(ii) अनुदेशन हेतु बाधिताओं के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाना, इसमें परिवर्तन करना।

(iii) अवलोकन की व्यवस्था करता है। अनुदेशनात्मक सामग्री प्रदान करता है। इस अनुदेशनात्मक सामग्री में स्वतः संशोधन सामग्री अनुदेशनात्मक कार्यक्रम तथा वैचारिक अनुदेशन आदि सम्मिलित रहते हैं। इन अनुदेशनों से बालकों को पृष्ठ-पोषण मिलता है।

(iv) अध्यापक विद्यार्थियों के अभिलेख रखता है। ये अभिलेख विद्यार्थियों की योग्यता के अनुरूप होते हैं तथा विद्यार्थियों के बार-बार निरीक्षण के आधार पर तैयार किये जाते है।

शिक्षण की तकनीक का प्रयोग- शिक्षा की आधुनिक तकनीक में व्यवस्थित अनुदेशनात्मक प्रविधियाँ प्रक्रियाओं का व्यवहार में परिवर्तन, उपकरणों की उच्च तकनीक, माध्यम तथा अधिगम साधन सम्मिलित हैं। विद्युत तकनीक जैसे- दूरदर्शन, रेडियो, श्रव्य और दृश्य टेप तथा कम्प्यूटर ने शिक्षा की उत्पादकता, गुणवत्ता तथा उपलब्धता के क्षेत्र में क्रान्ति ला दी है।

समय तथा अन्य संसाधनों का प्रबन्धन- समस्त अधिगम वातावरण का प्रबन्धक होने के नाते अध्यापक आवश्यक अधिगम साधनों के स्थान संगठन तथा प्रयोग का पर्यवेक्षण करता है।

(अ) **अनुदेशन का समय -** अध्यापक को कक्षा में नियमित कार्यक्रम को छोटे-2 खण्ड़ों में बाँट देना चाहिये तथा विद्यार्थियों को बता देना चाहिए कि किस समय कौन सा किया।

(ब) **अनुदेशनात्मक सामग्री-** विद्यार्थियों के अधिगम सहायक हेतु अनुदेशनात्मक सामग्री का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अनुदेशनात्मक सामग्री कब तक कार्य करेगी, इसे कब कितने विद्यार्थी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी बनावट कैसी है।

(स) **कठिनाइयों के निवारण हेतु कार्यक्रम-** यदि अध्यापक को समस्त अनुदेशनों को प्रयुक्त करने में कठिनाई हो तो वह अपने साथी अध्यापकों तथा कार्यकर्त्ताओं की सहायता ले सकता है। साथ ही उसे छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं में रुचि लेनी चाहिये तथा उन्हें हल करने में पूरी गम्भीरता दिखानी चाहिये।

विद्यालय में समावेशी शिक्षा का विकास

रेणु गोयल

1. समावेशी शिक्षा का अभिप्राय-

समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशे शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र के सा विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए ही की गई थी लेकिन आधुनिक काल में हर विद्यालय में शिक्षक को इस सिद्धान्त को अप कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा का आशय विकलांग विद्यार्थियों (जिन्हें आजकल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी कहा जाता है) को सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर सामान्य रूप से पढ़ाना है, जिससे सामान्य बालकों एवम् विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों में कोई भेदभाव न रहे तथा दोनों तर के विद्यार्थी एक-दूसरे को ठीक ढंग से समझते हुए आपसी सहयोग से पठन-पाठन के कार्य को क सके।

समावेशी शिक्षा के एकीकरण के सिद्धान्त की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हैं। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नयी शिक्षानीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बालकों को सामान्य बालकों से अलग न करके उन्हें समान रूप से शिक्षा प्रदान करता है।

2. समावेशी शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता-

समावेशी शिक्षा का महत्व एवम् आवश्यकता निम्नलिखित है-

1. समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ, उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है।
2. समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है।
3. समावेशी शिक्षा बालकों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में और उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता-पिता को भी शामिल करने की सिफारिश करती है।

4. समावेशी शिक्षा सम्मान एवम् अपनेपन की विद्यालय संस्कृति के साथ-2 व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है।
5. समावेशी शिक्षा अन्य बच्चों, स्वयं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ प्रत्येक का एक व्यापक विविधता के साथ दोस्ती का विकास करने की क्षमता विकसित करती है।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है। वेदों में भी कहा गया है-

"संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवाभागंयथापूर्वे सञ्जानानामुपासते॥"

3. **विद्यालय में समावेशी शिक्षा का विकास-**

विद्यालय में समावेशी शिक्षा के विकास में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यालय में समावेशी शिक्षा के विकास के लिये निम्नलिखित बिन्दु हैं।-

1. **प्रवेश प्रक्रिया में सुधार-** विद्यालय में प्रवेश के समय बालकों में कोई भेदभाव नहीं हो इस प्रकार की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि समावेश की स्थिति हो।
2. **वातावरण में सुधार-** विद्यालय के वातावरण में सुधार करके भी समावेशन उत्पन्न होता है। यदि कोई भी दिव्यांग बालक सामान्य छात्रों के साथ कक्षा में स्वयं को लज्जित महसूस करे तो इसके लिये वातावरण में सुधार अपेक्षित है।
3. **समानता-** समानता के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अभिप्राय यह है कि सभी विद्यार्थियों को उनके अधिकारों का दावा करने और साथ ही समाज में उनके अधिकारों से हैं। समावेशी शिक्षा की विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उससे बालक आपस में अधिकारों को समावेशित करने में सक्षम होंगें।
4. **सहयोग की भावना-** शिक्षक शिक्षा में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग करते हैं।

(1) समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन।

(2) विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना।

(3) किताबों और गीतों का आदान-प्रदान।

(4) सम्बन्धित विचारों का कक्षा में आदान-प्रदान।

(5) छात्रों में समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना।

(6) छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना।

(7) विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों का दल बनाना।

(8) प्रिय वातावरण का निर्माण करना।

(9) बच्चों के लिए लक्ष्य-निर्धारण।

(10) अभिभावकों का सहयोग लेना।

(11) विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सहायता लेना।

5. **रुचिपूर्ण पाठ्यक्रमों का निर्माण-** समावेशी शिक्षा के ज्ञान के लिये विद्यालयों में इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए जिससे बालकों में समावेश की भावना का विकास हो और वे अपने पाठ्यक्रम को पढ़ने में रूचि ले।

6. **समुदाय की भावना-** विद्यालय में बालकों का एक समुदाय होता है जिसमें बालक बहुत कुछ सीखता है। विद्यालय में बालकों को समुदाय में रहने से उनमें समावेश की भावना उत्पन्न होती है।

7. **समान व्यवहार-** विद्यालय में सामान्य व असामान्य बालकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिये ताकि जो असामान्य बालक हैं उनका ठीक तरीके से विकास हो सके और इस प्रकार उन में भी समावेशन की भावना उत्पन्न होगी।

अत एव इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन प्रयासों के द्वारा विद्यालय में समावेशी शिक्षा का विकास कर सकते हैं।

शिक्षाचार्य

समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

संगीता मोहिल

भूमिका-

समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए, इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिता सके। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी परन्तु आधुनिक काल में हर शिक्षक इस सिद्धान्त को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा व्यवहार में लाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी है। प्राचीन शिक्षा पद्धति के स्थान पर नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बालकों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है।

समावेशन शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक, दार्शनिक, सामाजिक और शैक्षिक ढाँचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है।

(N.C.F. 2005) के अनुसार स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली की क्या उपलब्धि रही है, यदि हम इस ओर ध्यान दें तो संभवतः हमें सन्तोषजनक आंकड़े मिलेंगें। वर्तमान में भारत की विद्यालय शिक्षा व्यवस्था चीन के पश्चात् विश्व की दूसरी बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। जहाँ तकरीबन 10 लाख विद्यालयों में 2025 लाख बच्चों को पढ़ाने का काम लगभग 55 लाख शिक्षक कर रहे हैं। 82% रिहायशी इलाकों में एक किलोमीटर की परिधि के अन्दर प्राथमिक और 75% रिहायशी इलाकों में तीन किलोमीटर के अन्दर उच्च प्राथमिक पाठशाला है। माध्यमिक स्तर की परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों में कम से कम 50% बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। इन सबके पश्चात् भी वर्तमान में लाखों बालक शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित है। इसके बावजूद आज भी हमारे विद्यालय ऐसे बालकों के लिए साधनहीन नजर आते है। जिनकी विभिन्न ज्ञानेन्द्रिय, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों के कारण कुछ विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएँ हैं।

वर्तमान में विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले लाखों बालक शिक्षा की मुख्य धारा से

वंचित हैं। दो प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। एक वह जिन्हें हम विशेष विद्यालय कहते हैं जोकि ज्यादातर शहरों में स्थित आवासीय है तथा दूसरी वह कि उन्हें अन्य सभी बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में भेजा जाए और वहीं उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था की जाए।

यदि बालक इस प्रकार के विद्यालय में जाता है तो वह अपने अन्य भाई बहनों के समान अपने माँ बाप के साथ रह सकता है। दूसरा इस प्रकार के विद्यालयों में सभी बालक एक दूसरे से मिल जुल कर एक दूसरे से सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त बालक को बाद में अपने आपको दुनिया में समायोजित करने में सहायता मिलती है क्योंकि आखिरकार रहना तो उसको इसी समाज में है जिसका वह हिस्सा होता है। इसलिए क्यों न बालक को प्रारंभ से ही उस वातावरण में रखा जाए जहाँ उसे विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् रहना है। इसलिए श्रेष्ठ है कि आरंभ से ही बालक को मुख्यधारा वाले ऐसे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाए। जहाँ अन्य सामान्य बालक भी जाते हैं। इसी अवधारणा के साथ समावेशित शिक्षा व्यवस्था प्रणाली का प्रारम्भ हुआ।

समावेशी शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता-

- समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक के उच्च और उचित उम्मीदों के साथ, उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है।
- समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने तथा व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने हेतु प्रेरित करती है।
- समावेशी शिक्षा बालकों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में और उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता-पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है।
- समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनत्व की भावना का विकास करने के साथ-साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान करती है।
- समावेशी शिक्षा अन्य बच्चों, अपने स्वयं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ प्रत्येक का एक व्यापक विविधता के साथ दोस्ती का विकास करने की क्षमता विकसित करती है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने की बात का समर्थन करती है। यह सही मायने में सर्वशिक्षा जैसे शब्दों का ही रूपान्तरित रूप है। जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है ''विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा।''

अध्यापक द्वारा विद्यालय में समावेशी शिक्षा के विकास हेतु उपाय-

- समुदायिक भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन।
- विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना।
- किताबों एवं गीतों का आदान-प्रदान।
- विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों का दलशिक्षण।
- बालकों हेतु लक्ष्य निर्धारण।
- विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेना।
- विद्यालय वातावरण में सुधार।
- रुचिपूर्ण एवं विभिन्न पाठ्यक्रम का निर्धारण।
- प्रायोगिक विधियों का प्रयोग।
- विद्यालयों को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाए।
- विद्यालयी शिक्षा में नई तकनीक का प्रयोग।
- मार्गदर्शन एवं समुपदेशन की व्यवस्था।

समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका-

यह सर्वविदित सत्य है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उन्हें आदर्श नागरिक बनाने में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका निहित होती है क्योंकि बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं। उन्हें जिस रूप में ढ़ाला जाए वह उसी रूप में ढ़ल जाते है। इसलिए शिक्षकों का यह दायित्व है कि वह अपने विद्यार्थियों को संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान करे।

वर्तमान में कोई भी शिक्षक छात्रों द्वारा अपने साथ विद्यालयों में लाई जा रही असंख्य मांगों और अपेक्षाओं की समझ या उनके प्रति संवेदी हुए बिना व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो सकता है। उन्हें वर्ग, जाति, धर्म,लिंग और निःशक्तता पर ध्यान दिये बिना सभी छात्रों को संकलन करने और सीखने में सार्थक अवसर प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 लिंग और सामाजिक श्रेणी पर ध्यान दिये बिना सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के इस निर्णय को अधिक मजबूत और सुदृढ़ करता है जिसके लिए उसमें शारीरिक और सीखने के पर्यावरणों, पाठ्यचर्या और अध्यापक प्रथाओं से संबंधित विस्तृत स्वीकार योग्य नियम निर्धारित किये गये हैं।

उल्लेखनीय परिणाम में शोध द्वारा पुष्टि की गई है कि शिक्षकों के कौशल, रवैये और प्रोत्साहन, सुविधाहीन और अधिकारहीन समुदायों के बच्चों की संलिप्तता, प्रतिभागिता और उपलब्धि उल्लेखनीय ढंग से बढ़ा सकते हैं। समावेशी विद्यालय द्वारा कक्षा में शिक्षकों द्वारा न्यायोचित शिक्षा प्रदान करने में शिक्षक की भूमिका बड़ी होती है।

किसी महान् व्यक्ति ने कहा है-

"एक बेहतरीन शिक्षक के साथ गुजारा हुआ एक दिन दिल लगा के पढ़े हुए 1000 दिनों से भी बेहतर है।"

शिक्षाचार्य

ज्येष्ठत्वं जन्मना नैव, गुणैर्ज्येष्ठत्वमुच्यते।
गुणात् गुरुत्वमायाति, दुग्धं दधि घृतं क्रमात्।।

Greatness is not by birth, greatness is decided by qualities (of a person) . As it increases from milk to curd to butter.

समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के उपाय

रामकंवार मीना

समावेशी शिक्षा का आशय दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर सामान्य रूप से पढ़ाना है ताकि सामान्य बच्चों और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों में कोई भेदभाव न रहे तथा दोनों तरह के विद्यार्थी एक-दूसरे को ठीक ढंग से समझते हुए आपसी सहयोग से पठन-पाठन के कार्य को कर सकें।

हमारे देश में करीब 25 लाख से भी अधिक दिव्यांग व अविकसित दिमाग वाले बालक हैं। इनकी शैक्षिक एवं व्यावसायिक सहायता की जाये, इसके लिए दिव्यांग एवं पुनर्वास सूचना केन्द्र द्वारा दिव्यांगता व सम्बद्ध क्षेत्रों के बारे में व्यापक संचार योजना पैकेज तैयार किया गया है।

NCERT ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और UNICEF के सहयोग से एक और नयी योजना शारीरिक व बौद्धिक विसंङ्गतियों वाले सभी छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा के रूप में तैयार की है।

समावेशी शिक्षा का एक व्यापक लक्ष्य यह भी प्रतीत होता है कि एक साथ शिक्षित होने पर भविष्य में समाज के अन्दर विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियों के सरोकारों को आम लोग बेहतर ढंग से समझ सकें तथा उनमें उनके प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता का विकास हो सके।

समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने का अपना एक राजनैतिक अर्थशास्त्र भी है जो भू-मण्डलीकरण या उदारीकरण की प्रक्रियाओं से प्रेरित है। यह राजनैतिक अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार को जनकल्याण, सामाजिक तथा गैर-उत्पादक कार्यों पर कम से कम खर्च करना चाहिए। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय चलाना महंगा सौदा है। इसलिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

समावेशी शिक्षा को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के दिव्यांगों की मुख्य श्रेणियों दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, मूक, बधिर तथा स्वलीनता से ग्रसित लोगों को पढ़ाने के लिए अलग-2 नामों से अंशकालीन शिक्षक एवं शिक्षिकायें रखे जाते हैं। इन्हें अधिकतर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन दिया जाता है तथा अपर्याप्त प्रशिक्षण।

समावेशी शिक्षा, भू-मण्डलीकरण की देन है इसलिए इसे अन्तर्राष्टीय तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भी व्यापक समर्थन हासिल है। इस समर्थन की भी अपनी राजनीति गणित और विज्ञान

है। दिव्यांगों के विषय में कार्यरत विभिन्न जन संगठनों तथा समाज सेवी संस्थाओं की भी अपनी राजनीति है। किसी भी योजना में सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाले अस्थिबाधित लोगों तथा मूकबधिर लोगों से जुड़े अत्यधिक संगठन समावेशन के नाम पर समावेशी योजनाओं के लाभों से अपेक्षाकृत वंचित लोगों, खास तौर पर दृष्टिबाधित लोगों के अधिकतर संगठन इसका विरोध करते हैं।

इस तरह समावेशी शिक्षा के समूचे मॉडल मे शिक्षा की पहुँच तथा शिक्षा की गुणवत्ता दोनों ही गंभीर प्रश्नों के घेरे में है। इसके लिए चल रही नीतियाँ तथा तात्कालिक मसलों को क्षणिक रूप से हल कर लेने की प्रवृत्तियाँ काफी हद तक जिम्मेदार हैं।

अतः हम यह कह सकते हैं कि भारत में समावेशी विकास की अवधारणा कोई नई नहीं है। प्राचीन धर्म ग्रंथों का यदि अवलोकन करें तो उनमें भी सभी को साथ लेकर चलने का भाव निहित है। ''सर्वे भवन्तु सुखिनः'' में भी सबको साथ लेकर चलने का ही भाव निहित है।

सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाओं में इस समावेशी विकास पर विशेष बल दिया गया है। अतः समावेशी शिक्षा के समूचे विषय को एक सम्मत परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तथा विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ-2 उनके अभिभावकों, उनके आस-पास और उन्हें पढ़ाने वाले लोगों के सरोकारों का भी पूरी शिद्दत के साथ ध्यान रखा जाए। समावेशी शिक्षा निश्चित रूप से प्राथमिक स्तर के विशिष्ट प्रशिक्षण के बाद ही दी जानी चाहिए। तभी इसके नतीजे ठोस और सार्थक सिद्ध होंगें।

समावेशित शिक्षा के सिद्धान्त-

1. सभी बच्चे एक समान।
2. सार्थक तरीके से सीखाना।
3. प्रत्येक बालक को शिक्षा का अधिकार।
4. व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित।
5. सहज, सजीव एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण।
6. विशिष्ट कार्य-प्रणाली।
7. अध्यापकों एवं अभिभावकों की भूमिका।

समावेशित शिक्षा को प्रभावी बनाने के सुझाव-

1. समावेशित शिक्षा में एक ही छत के नीचे सामान्य बालकों तथा असमर्थ बालकों हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

योजना बनाते समय दूसरे विषय विशेषज्ञों को भी आमन्त्रित किया जाना चाहिये।

2. स्कूली प्रोग्राम को इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिये जिससे दोनों प्रकार के बालक उनमें आसानी से भाग ले सकें।

3. इस सन्दर्भ में एक व्यापक समिति का निर्माण किया जाना चाहिये जो समावेशित शिक्षा के हर पहलू पर ध्यान दें।

4. प्राचार्यों, अध्यापकों एवं अभिभावकों की एक समन्वय समिति का निर्माण किया जाना चाहिये जो मिल-जुलकर इस दिशा में कार्य करें।

5. राज्य स्तर विद्वत्जनों का एक नेटवर्क तैयार किया जाना चाहिये जो इस क्षेत्र से जुड़े अनुसन्धान कार्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान कर सकें।

6. बच्चों के भावनात्मक विकास हेतु तथा उनके व्यवहार में गुणात्मक सुधार हेतु अभिनव प्रयास किये जाने चाहिये।

7. सामाजिक समर्थन जुटाने की दृष्टि से मनोरंजक, क्लब, समूह आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

8. बच्चे की प्रगति के बारे में विचार-विमर्श करने की दृष्टि से शिक्षकों और अभिभावकों में नियमित अन्तःक्रिया सम्पन्न होती रहनी चाहिये।

9. समय-2 पर समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आमन्त्रित कर समावेशित शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से उनसे ठोस सुझाव प्राप्त किये जाने चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ-

समावेशी शिक्षा - डॉ. ए. बी.भटनागर, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ

शिक्षाचार्य छात्र

समावेशात्मक शिक्षा की क्रियान्विति और संभावना

सोनिया राय

शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए।

पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को"इस सिद्धान्त को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धान्त की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी है। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करना। निशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।

समावेशी शिक्षा को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के विकलांगों की मुख्य श्रेणियों, दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, मूक-बधिर,मन्द-बुद्धि तथा स्वलीनता से ग्रसित लोगों को पढ़ाने के लिए अलग-2 नामों से अंशकालीन शिक्षक शिक्षिकाएँ रखे जाते हैं। इन्हें अधिकतर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन दिया जाता है तथा अपर्याप्त प्रशिक्षण।

समावेशी शिक्षा क्योंकि भूमण्डलीकरण की देन है, इसलिए इसे अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भी व्यापक समर्थन हासिल है। इस समर्थन की भी अपनी राजनीति गणित और विज्ञान है, समावेशन के नाम पर समावेशी योजनाओं के लाभ से वंचित वर्ग को नहीं मिल पाता है। भारत के वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में समावेशी शिक्षा के सत्य से साक्षात्कार के लिए सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की समीक्षा जरूरी है, जैसा कि विदित है ये तीनों अभियान क्रमशः प्राथमिक शिक्षा, माध्य. शिक्षा और उच्च शिक्षा को गति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गये हैं।

इनके संचालन में आवश्यक भिन्नता है, देश सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति माध्यमिक एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान से भी राज्य के विश्वविद्यालयों को काफी अपेक्षा है। परन्तु क्या यह भारत को समावेशीरूप प्रदान करने के लिए काफी है। योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी,

विद्यालयों की कमी एवं आधारभूत संरचना का अभाव सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के सामने बड़ी चुनौती है।

हाइकोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकारी अधिकारी अपने बच्चों के नामांकन सरकारी विद्यालयों में कराने की स्थिति में नहीं है। फिर यह स्वयंसिद्ध है कि हमारा विद्यालय कितना समावेशी है।

वैसे तो समावेशी शिक्षा का पहला कदम दिव्यांगों की शिक्षा के रूप में उठा था मगर कालक्रम से वंचितों की शिक्षा से भी इसका संबंध जुड़ता चला गया।

समावेशी शिक्षा से अभिप्राय आज ऐसी शिक्षा से है, जो एक ही प्रांगण में सभी को शिक्षा प्रदान करती हो। किसी वर्ग या श्रेणी के लिए अलग से किसी को शिक्षा प्रदान न करती हो।

मनोवैज्ञानिकों/शिक्षा-शास्त्रियों का मानना है कि समावेशी शिक्षा न केवल राष्ट्रीय एवं सामाजिक जरूरत है बल्कि सभी श्रेणी के विद्यार्थियों के स्वाभाविक विकास के लिए आवश्यक है।

अतः यह कहना अनुचित न होगा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के संतुलित एवं सर्वांगीण विकास के लिए समावेशी शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है।

विद्यालय स्तर से विश्वविद्यालय स्तर निजी संस्थाओं की बढ़ती संख्या और प्रभाव समावेशी समाज के समावेशी शिक्षा के जरिए समावेशी विकास की योजना के लिए लाभकारी होगी-संदेह है।

समावेशी शिक्षा में समान शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, समावेशी विकास के लिए शिक्षा और समावेशी समाज के निर्माण जैसी अवधारणाएँ समाहित है।

अतः शिक्षा को समावेशी स्वरूप देने के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है और इस दिशा में सबसे अहम् सरकारी संस्थाओं के प्रति समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों, सरकारी आलाधिकारियों के साथ-2 हमारे राजनेताओं की सोच है। हस दृष्टि परिवर्तन की दरकार शिक्षा को समावेशी करने के लिए है।

सन्दर्भ पुस्तकें-

(i) York Barr J (2003) "Special educators as teacher leaders in Inclusive Schools."

(ii) Schwartz Allen K (2000) The exceptional child 4 ed. "Inclusion in early Child hood Education."

(iii) How to support special needs students.

(iv) Zelkowitz Alyssa Strategies for Special Education and Inclusion Classrooms."

समावेशात्मक शिक्षा की क्रियान्विति और संभावना

कमलेश कुमार शुक्ला

समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशि शैक्षणिक आवश्यकताओं को समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांगत छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धान्त की ऐतिहासिक जड़ें कनाड़ा और अमेरिका से जुड़ी है। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बच्चों को सामान्य कक्षा से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।

समावेशी कक्षाओं की सामान्य प्रथाएं-

साधारणतः छात्र एक कक्षा में अपनी आयु के हिसाब से रखे जाते है। चाहे उनका अकादमिक स्तर ऊँचा या नीचा ही क्यों न हो। शिक्षक सामान्य और विकलांग सभी बच्चों से एक जैसा बर्ताव करते हैं। असशक्त बच्चों की मित्रता अक्सर सामान्य बच्चों के साथ करवाई जाती ताकि ऐसे ही समूह समुदाय बनता है। यह दिखाया जाता है कि एक समूह दूसरे समूह से श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे बर्ताव से सहयोग की भावना बढ़ती है।

शिक्षक कक्षा में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग करते हैं-

1. समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन।
2. विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना।
3. किताबों और गीतों का आदान-प्रदान।
4. संबंधित विचारों का कक्षा में आदान-प्रदान।
5. छात्रों में समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना।

6. छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना।
7. विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों का दल बनाना।
8. प्रिय वातावरण का निर्माण करना।
9. बच्चों के लिए लक्ष्य-निर्धारण।
10. अभिभावकों का सहयोग लेना।
11. विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेना।

प्रशिक्षणार्थी
शिक्षा-शास्त्र विभाग
रा.सं.सं.,जयपुर परिसर

षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता।
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता।।

If you aspire for great goal, you should distance yourself from these six vices – excess sleep, lethargy, fear, anger, laziness and procrastination.

समावेशात्मक शिक्षा की क्रियान्विति और संभावना

धर्मराज यादव

विशिष्ट बालक/समावेशात्मक बालक-

सृष्टि के अभ्युदय से आज तक यह विशिष्टता रही है कि कोई भी दो प्राणी एक से नहीं होते। वे न तो एक सा व्यवहार करते है न ही एक जैसी उनकी शिक्षा होती है। बाल विकास के अनुसार बालक को दो प्रकार का माना गया– सामान्य बालक व विशिष्ट बालक और इस विशिष्टता के क्रम में प्रखर बुद्धि वाले बालकों से लेकर मानसिक रूप से अक्षम बालकों तक को रखा गया है।

व्यक्तिगत भिन्नता के मनोविज्ञान के विकास से पूर्व समस्त बालकों को सामान्य बालकों की श्रेणी में रखा जाता था अर्थात् समस्त बालकों को केवल उन थोड़े से बालकों को जो सामान्य से अत्यधिक भिन्न थे तथा सामान्य बालक को ही एक पृथक बालक समझा जाने लगा। मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि दो बालक कभी समान नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वां बच्चे भी एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। अतः यह निष्कर्ष सिद्धान्त निकाला गया कि अधिकतर विद्यार्थी समूह औसत से भिन्न होते हैं।

यदि एक स्वरूप समूह के बालकों के लक्षणों का मापन किया जाय तो उसका विवरण सामान्य वक्र के समान होगा। रेखाचित्र में सामान्य वक्र के बीच में पड़ी लम्बवत् रेखा यह बताती है कि सामान्य बालक वे है। जो इस बिंदू पर पड़ते हैं। इससे हटने वाले समस्त बालक असामान्य है। परन्तु इस प्रकार तो प्रायः सभी बालक सामान्य से भिन्न हो जायेंगे। अतः सामान्य वक्र के दायें तथा बायें छोर पर पड़ने वाले 10-10% बालकों को औसत से भिन्न माना जा सकता है। इस 20% बालकों को विशिष्ट बालकों की संज्ञा दी जा सकती है। यह भिन्नता अन्तर-व्यक्तिगत है।

प्रशिक्षणार्थी
शिक्षा शास्त्र विभाग
रा.सं.सं. जयपुर परिसर

भारत में समावेशात्मक शिक्षा की समस्यायें और संभावनाएँ

किशन शर्मा

प्रस्तावना-

शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धान्त की ऐतिहासिक जड़ें कनाड़ा और अमेरिका से जुड़ी है। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।

समावेशात्मक शिक्षायाः अर्थः-

समावेशन शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक, दार्शनिक, सामाजिक और शैक्षिक ढाँचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है। समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अर्न्तक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

समावेशित शिक्षा कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति है जिसके अन्तर्गत विविध क्षमताओं वाले बालक सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ अध्ययन करते हैं। समावेशित शिक्षा के दर्शन के अन्तर्गत प्रत्येक बालक अद्वितीय है और उसे अपने सहपाठियों की भाँति विकसित करने के लिए कक्षा में विविध प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

बालक के पीछे रह जाने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि उन्हें कक्षा में भली प्रकार समाहित न कर पाने का जिम्मेदार अध्यापक को स्वयं समझना चाहिए।

जिस प्रकार हमारा संविधान किसी भी आधार पर किये जाने वाले भेदभाव को निषेध करता है, उसी प्रकार समावेशित शिक्षा विभिन्न ज्ञानेन्द्रिय, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक आदि कारणों से उत्पन्न किसी बालकों की, विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के बावजूद उन बालकों को भिन्न देखे जाने के बताए स्वतंत्र अधिगमकर्त्तों के रूप में देखती है।

समावेशात्मक शिक्षा का महत्त्व एवं आवश्यकता-

- समावेशित शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ, उसकी व्यक्तिगत शक्तियो का विकास करती है।
- प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है।
- समावेशित शिक्षा अन्य बालकों, अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग करती है।
- समावेशित शिक्षा सम्मान और अपनेपन की विद्यालय संस्कृति के साथ-साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान करती है।
- समावेशित शिक्षा बालक को अन्य बालकों के समान कक्षा गतिविधियों में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है।
- समावेशित शिक्षा बालकों की शिक्षा गतिविधियों में उनके माता-पिता को भी सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करती है।

भारत में समावेशी शिक्षा-

भारत की विद्यालय शिक्षा व्यवस्था चीन के पश्चात् विश्व की दूसरी बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। जहाँ तकरीबन 10 लाख विद्यालयों में 2025 लाख बच्चों को पढ़ाने का काम लगभग 55 लाख शिक्षक कर रहे हैं। 82% रिहाइशी इलाकों में एक किलोमीटर की परिधि के अन्दर प्राथमिक और 75% रिहाइशी इलाकों में तीन किलोमीटर के अन्दर उच्च प्राथमिक पाठशाला है। माध्यमिक स्तर की परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों में कम से कम 50% बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। इन सबके पश्चात् भी वर्तमान में लाखों बालक शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित है। इसके बावजूद आज भी हमारे विद्यालय ऐसे बालकों के लिए साधनहीन नजर आते है। जिनकी विभिन्न ज्ञानेन्द्रिय, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों के कारण कुछ विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं हैं।

वर्तमान में विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए शिक्षा की दो प्रकार की व्यवस्थाएं है। एक वह जिन्हें हम विशेष विद्यालय कहते हैं, जो ज्यादातर शहरों में स्थित आवासीय हैं। जिनका उद्देश्य केवल एक प्रकार के विशिष्ट बालकों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। और दूसरी तरीका है कि उन्हें अन्य सभी बालकों के साथ आसपड़ोस के सामान्य विद्यालय में भेजा जाए और वहीं उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था की जाए। यदि बालक इस प्रकार के विद्यालय में जाता है तो वह अपने अन्य भाई बहनों के समान अपने माँ बाप के साथ रह सकता है। दूसरा इस प्रकार के विद्यालयों में सभी बालक एक दूसरे से मिल जुल कर एक दूसरे से सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त बालक को बाद में अपने आपको दुनिया में समायोजित करने में सहायता मिलती है क्योंकि आखिरकार रहना तो उसको इसी समाज में है जिसका वो हिस्सा होता है। इसलिए क्यों न बालक को प्रारंभ से ही उस वातावरण में रखा जाए जहाँ उसे विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् रहना है। इसलिए श्रेष्ठ है कि आरंभ से ही बालक को मुख्यधारा वाले ऐसे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाए जहाँ अन्य सामान्य बालक भी जाते हैं। इसी अवधारणा के साथ समावेशित शिक्षा व्यवस्था प्रणाली का प्रारम्भ हुआ। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक को चाहे वो विशिष्ट हो या सामान्य बिना किसी भेदभाव के, एक साथ, एक ही विद्यालय में, सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ, उनकी सीखने सिखाने के जरूरतों को पूरा किया जाये।

भारते समावेशात्मक शिक्षायाः सम्भावनाश्च-

माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजन समावेशी शिक्षा योजना (ईडीएसएस) वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना निःशक्त बच्चों के लिए एकीकृत योजना (आईईडीसी) संबंधी पहले की योजना के स्थान पर है और कक्षा IX-XII में पढ़ने वाले निःशक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। यह योजना अब वर्ष 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी आरएमएसए के रूप में इसे आरएमएसए योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने की प्रक्रिया में है।

उद्देश्य-

सभी निःशक्त छात्रों को आठ वर्षों की प्राथमिक स्कूली पढ़ाई पूरी करने के पश्चात् आगे चार वर्षों की माध्यमिक स्कूली पढ़ाई समावेशी और सहायक माहौल में करने हेतु समर्थ बनाना।

लक्ष्य-

योजना में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999) के

अंतर्गत कक्षा IX-XII में पढ़ने वाले यथा-परिभाषित एक या अधिक निःशक्तता नामशः दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग उपचारित, श्रवण शक्ति की कमी, गतिविषय निःशक्तता, मंदबुद्धिता, मानसिक रूग्णता, आत्म-विमोह और प्रमस्तिष्क घात वाले जिसमें अंततः वाणी की हानि अधिगम निःशक्तता इत्यादि भी शामिल है। इसमें सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे शामिल हैं, निःशक्तता वाली बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे उन्हें माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने और अपनी योग्यता का विकास करने हेतु सूचना और मार्गदर्शन सुलभ हो। योजना के अंतर्गत हर राज्य में मॉडल समावेशी स्कूलों की स्थापना करने की कल्पना की गई है।

संघटक-

छात्र अभिमुखी घटक जैसे चिकित्सा और शैक्षिक निर्धारण, पुस्तकें और लेखन सामग्री, वर्दियां, परिवहन भत्ता, रीडर पाठक भत्ता, बालिकाओं के लिए वृत्तिका, सहायक सेवाएं, सहायक युक्तियां, भोजन और आवास सुविधा, रोगोपचार सेवाएं, शिक्षणादि अधिगम सामग्री इत्यादि-अन्य संघटकों में विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति, ऐसे बच्चों को पढ़ाने हेतु सामान्य शिक्षकों के लिए भत्ते, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासकों का अभिविन्यास, संसाधन कक्ष की स्थापना, बाधायुक्त वातावरण इत्यादि शामिल है।

कार्यान्वयन अभिकरण-

राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र(यूटी) प्रशासन कार्यान्वयन अभिकरण हैं। इनमें निःशक्तजनों की शिक्षा के क्षेत्र में योजना कार्यान्वयन का अनुभव रखने वाले स्वैच्छिक संगठन भी शामिल हो सकते हैं।

वित्तीय सहायता-

योजना में शामिल सभी मदों के लिए केन्द्रीय सहायता 100% आधार पर है। राज्य सरकारों से प्रतिवर्ष प्रति निःशक्त बच्चे के लिए केवल 600/- रूपए की छात्रवृत्ति का प्रावधान रखना अपेक्षित है।

निष्कर्ष-

बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 एक अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। इस अधिनियम में विकलांगता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। इन विकलांगताओं का विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 में और स्वलीनता, मस्तिष्क पक्षाघात, मंदबुद्धि और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास

अधिनियम-1999 में उल्लेख है। ये विकलांगताएं हैं-(1) अंधता (2)कम दृष्टि (3) उपचारित कुष्ठ रोग (4)बहरापन (5) लोकोमोटर विकलांगता (6) मंदबुद्धि (7) मानसिक रोग (8) स्वलीनता (9) मस्तिष्क पक्षाघात। आरटीई में इसके साथ-साथ बोलने में अक्षमता और सीखने में अक्षमता आदि की परेशानियों वाले 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए भी पड़ोस के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था है। सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान के मानदंडों को भी आरटीई, अधिनियम 2009 की व्यवस्थाओं के अनुरूप बना दिया है। सर्वशिक्षा अभियान यह सुनिश्चित करता है कि विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह किसी प्रकार की विकलांगता से प्रभावित हो, उद्देश्यपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। इसलिए इस अभियान के अंतर्गत किसी को भी शिक्षा देने से इंकार करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब है कि विशेष आवश्यकताओं वाले किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए और उसकी पढ़ाई ऐसे वातावरण में होनी चाहिए, जो उसकी सीख सकने की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

सर्वशिक्षा अभियान में विशिष्ट प्रस्ताव आने पर विकलांग बच्चे के लिए हर साल तीन हजार रूपये देने की व्यवस्था है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनाई जाने वाली जिला योजना में तीन हजार रूपये में से एक हजार रूपये की राशि बच्चे को पढ़ाने के लिए बुलाये गए शिक्षक की सेवाओं के लिए रखी जाती है। समावेशी शिक्षा के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत जिन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, वे हैं- बच्चों की पहचान, शिक्षा संबंधी औपचारिक मूल्यांकन, आवश्यकता के अनुरूप उचित शिक्षा की व्यवस्था, व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित शिक्षा योजना तैयार करना, सहायक और अन्य उपकरणों की व्यवस्था, शिक्षक प्रशिक्षण, बाहरी शिक्षक की सहायता, वास्तु संबंधी अवरोधों को हटाना, अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन तथा विशिष्ट आवश्यकताओं वाली लड़कियों पर विशेष ध्यान।

विकलांग बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा की योजना के स्थान पर 2009-10 में माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना शुरू की गई थी। इस योजना में नवीं से बारहवीं कक्षा के विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य विकलांगता वाले सभी छात्रों को प्राथमिक शिक्षा के पहले आठ वर्ष पूरे करने के बाद आगे के चार वर्षों की नवीं से बारहवीं तक की माध्यमिक स्तर की समावेशी शिक्षा अनुकूल वातावरण में प्रदान करना है। इस योजना में प्राथमिक विद्यालयों के पास होने वाले तथा सरकारी, नगरपालिका और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे ऐसे बच्चे शामिल हैं, जो उपरोक्त अधिनियमों के मानदंडों के अनुसार एक या अधिक विकलांगता से प्रभावित हैं।

माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों के लिए समावेशी योजना के विभिन्न पहलू हैं-(1) चिकित्सा/शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं का आकलन (2) छात्र की विशिष्ट आवश्यकता वाली सुविधा की व्यवस्था (3) शिक्षा सामग्री का विकास (4) सहायक सेवाएं जैसे विशेष शिक्षकों की व्यवस्था (5) संसाधन कक्षों का निर्माण और उपकरण (6) सामान्य विद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण ताकि वे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता प्राप्त कर सकें (7) स्कूलों को अवरोधों से मुक्त रखना। प्रत्येक राज्य में मॉडल समावेशी स्कूलों की स्थापना का भी प्रावधान है। विकलांगता से ग्रस्त लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उनकी सहायता की जाती है ताकि वे माध्यमिक स्कूल में पहुंच सकें। योजना के अंतर्गत लड़कियों की क्षमता का विकास करने के लिए उन्हें आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन भी दिया जाता है। विकलांग लड़कियों के लिए दो सौ रूपये मासिक की छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था है।

योजना में शामिल सभी मदों के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग इस योजना को लागू करते हैं। योजना को लागू करने में वे विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी गैर-सरकारी संगठनों की सहायता भी ले सकते हैं।

शिक्षाचार्यछात्र
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्
जयपुरपरिसरः
जयपुरम्

विद्यालय में समावेशात्मक वातावरण निर्माण के उपाय

हेमराज चतुर्वेदी

भूमिका-

हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय और लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में बच्चों को सामाजिक जातिगत आर्थिक वर्गीय लैंगिक शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है जिससे लोकतांत्रिक विद्यालय में बच्चों के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके।

आवश्यकता-

* समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है।
* समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है।
* समावेशी शिक्षा बालकों को उनके शिक्षा क्षेत्र में और उनके स्थानीय विद्यालयों की गतिविधियों में उनके माता पिता भी शामिल करने की वकालत करती है।
* समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की विद्यालीय संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत भेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है।
* समावेशी शिक्षा अन्य बालकों को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ प्रत्येक का एक व्यापक विविधता के साथ मैत्री भावना की क्षमता विकसित करती है।

विद्यालयी परिसर में समावेशी वातावरण विकसित करने के उपाय-

1. **विद्यालय के वातावरण में सुधार-** विद्यालय के वातावरण का किसी भी प्रकार की शिक्षा में बडा ही योगदान करता है। अतः समावेशी शिक्षा हेतु उचित एवं मनमोहक भवन एवं उचित प्रबन्धन आवश्यक है। इसके अलावा विद्यालय में आवश्यक शैक्षिक सहायक सामग्री एवं समावेशी माहौल आवश्यक है।
2. **प्रवेश प्रक्रिया की सरलता-** कोई बालक यदि आंशिक रूप से विकलांग है या कोई

शारीरिक विकार से ग्रस्त है तो उसके साथ प्रवेश प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं किया जाये अक्सर ऐसा कई विद्यालयों में देखा जाता है कि इन बालकों को प्रवेश के लिए मना कर दिया जाता है।

3. **रुचिपूर्ण पाठ्यक्रमों का निर्माण-** बालकों को शिक्षित करने का सबसे असरदार उपाय है कि उनके पाठ्यक्रम में प्यारी चीजों का समावेश किया जाये और उनके बीच उन्हें खेलने का अवसर दिया जाय। अतः उनकी रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण हो।

4. **बालकों को उनकी अभिवृत्तियों, आकांक्षाओं तथा क्षमताओं के अनुकूल शिक्षा दी जाये।**

5. **मार्गदर्शन एवं अनुदेशन की व्यवस्था-** हमारे विद्यालयों में समावेशी शिक्षा पूर्णतया लागू न होने के कई कारणों में से एक कारण विद्यालय में मार्गदर्शन एवं अनुदेशन की व्यवस्था का न होना। अतः विद्यालयों में मार्गदर्शन हेतु सुप्रशिक्षित योग्य अनुभवी अध्यापकों की नियुक्ति की जाये।

6. **विद्यालयी शिक्षा में नवीन तकनीकियों का प्रयोग-** समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन हेतु शिक्षा में नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाये।

7. **विद्यालयों को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाये-** समावेशी शिक्षा हेतु विद्यालयों को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाये जिससे वहां छात्रों की सामुदायिक जीवन की भावना का विकास हो।

8. **नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग-** विद्यालयों में समावेशी वातावरण के विकास के लिए नवीन मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाये।

9. पाठ्यसहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जाये जिससे बालकों में समावेशी और सहयोग की भावना का विकास होगा।

10. सामूहिक क्रीडाओं के माध्यम से भी समावेशी वातावरण का निर्माण किया जा सकता है।

समावेशी शिक्षा की महती आवश्यकता

विमल गौतम

काव्यों में ''इस संसार में भाँति भाँति के लोग'' इत्यादि पद्यावलियों द्वारा भिन्नताओं का ...स कराया गया है और यह सत्य भी है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से भिन्नता रखता ...तो कोई अपनी जाति से, कोई धर्म से भिन्नता रखता है तो कोई शरीर से भिन्नता रखता है। लेकिन ...सब भिन्नताओं के होते हुए भी सभी को समता का अधिकार प्रदान किया गया है। इस समता ...अधिकार में शिक्षा को समान रूप से ग्रहण करने का अधिकार भी दिया गया है। और समान शिक्षा देने का अर्थ है कि सभी को उन्नति के समान अवसर प्रदान किये गये हैं और उन्नति ही सभी सुखों का मूल है। कहा भी गया है कि-

''विद्या ददाति विनयं, विनयाद्याति पात्रताम्।
पात्रत्वाद् धनम् आप्नोति, धनाद्धर्मः ततः सुखम्॥

अतः शिक्षा को ही सभी सुखों, विषयों इत्यादि का मूल माना गया है। अतः शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। लेकिन कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, यह एक विचारणीय विषय है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही सभी को समान मानते हुए समावेशी शिक्षा प्रदान की गई है जिसके उदाहरण में हमारे पूजनीय ग्रन्थों रामायण, महाभारत, भागवत इत्यादि में निषादराज व राम, कृष्ण-सुदामा आदि के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्त्री शिक्षा के भी गार्गी, मैत्रेयी जैसे उदाहरण में हमारी संस्कृति के पोषक ग्रन्थों में प्राप्त हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर सबको सरल तरीके से रुचिपूर्ण तरीके से शिक्षा प्रदान करने के लिए पञ्चतन्त्र जैसे ग्रन्थों की रचना की गई। हमारे यहाँ वेदों में भी सभी को समान मानते हुए वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से समावेशी शिक्षा प्रदान की गई और कहा गया कि-

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चिन्तमेषाय।
समानं मन्त्रभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि॥

(ऋ. 10/939/02)

लेकिन कालान्तर में हमारी सोच में परिवर्तन हुआ और हममें अमानवीयता, अस्पृश्यता जैसे दुर्गुणों का समावेश होने लगा जो वस्तुतः दुर्बुद्धियों की उपज है। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति में इस प्रकार के दुर्गुण नहीं हो सकते। खैर हमारे यहाँ की कहावत ''जब जगो तब ही सवेरा'' को चरितार्थ करते

हुए समावेशी शिक्षा को अपनाकर शिक्षा देने की आवश्यकता है। यद्यपि भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, रमसा इत्यादि अभियान इन्हीं उद्देश्यों से चलाये जा रहे हैं लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, इसके लिए हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाकर पुनः ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' की भावना को अपनाना होगा। हमें स्थान, जाति, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग, वर्ण, दिव्याङ्गता के आधार पर हो रहे भेदभावों को मिटाना होगा जो कि समावेशी शिक्षा के द्वारा ही संभव है।

हमें भावी पीढ़ी के हर क्षेत्र में चाहे वह विद्यालय में हो अथवा बाहर, सभी जगह बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। स्कूलों में अक्सर हम गिने-चुने बच्चों को ही बार-बार चुनते हैं। इससे इस छोटे समूह को तो ऐसे अवसरों से फायदा होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे विद्यालय में लोकप्रिय हो जाते हैं। परन्तु दूसरे बच्चे बार-बार उपेक्षित महसूस करते हैं और विद्यालय में पहचाने जाने और स्वीकृति की इच्छा उनके मन में लगातार बनी रहती है और फिर धीरे-धीरे वो अवसरों की इस असमानता के कारण कुण्ठित हो जाते हैं, उनकी प्रतिभाएँ दब जाती हैं। तारीफ करने के लिए श्रेष्ठता और योग्यता को आधार बना सकते हैं लेकिन अवसर तो सभी को मिलने चाहिए, सभी की विशिष्ट क्षमताओं को भी पहचाना जाना चाहिए और उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। इसमें विशेष जरूरतों वाले बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें दिए गए काम को पूरा करने में ज्यादा समय/ मदद की जरूरत होती है। बच्चों को शुरू से ही संकीर्ण संज्ञानात्मक आधार पर वर्गीकृत करके स्कूल उस विविधता को भी क्षति पहुँचाते हैं, जो बच्चों की क्षमताओं और प्रतिभाओं में होती है। विद्यालय/समाज में कुछ बच्चों को मंदबुद्धि कहा जाता है, उन्हें अलग बिठाया जाता है और ऐसे सूचक लगा दिये जाते है जिससे उनका विभाजन स्पष्ट रूप से दिखने लगता है और यह विभाजन जो विभिन्न रूपों, रूप, रंग, संस्कृति, दिव्यांगता इत्यादि के रूप में एक यक्ष रूप में समस्या बनकर खड़ा हो गया है और धीरे-धीरे अपने जहर द्वारा मानवता के लिए संकट बन गया है, जिसका ताजा उदाहरण अमेरिका में हमें देखने को मिल रहा है। इस रावण रूपी समस्या का केवल और केवल समावेशी शिक्षा ही रामबाण रूपी उपचार है।

अतः विद्यालयों में दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर, स्ट्रेचर, कर्णमशीनोपकरण, बेलमशीनोपकरण आदि हो जिससे समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सके।

शोधच्छात्र

ज.रा.रा.संस्कृत विश्वविद्यालय

विशिष्ट बालकों के उन्नयन में समावेशित शैक्षिक नीतियों की समीक्षा

सूरज कुडियाल

समावेशित शिक्षा (Inclusive Education) को सभी शिक्षार्थियों की विविध जरूरतों को संबोधित करने के लिए, और सीखने के माहौल के भीतर बाधाओं को कम करके एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। लगभग प्रत्येक देश में समावेशित शिक्षा सबसे प्रमुख शिक्षा के रूप में उभरी है। Salamanca (1994) के द्वारा स्पेन में समावेशित शिक्षा के सिद्धांत को **(विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता)** नामक विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था और विश्व शिक्षा मंच में **डकार सेनेगल** ने सन् (2000) में इसे पुनः आरम्भ किया था। समावेशित शिक्षा की प्रमुख जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। **सन् 1994 यूनेस्को में (Salamanca)** के कथनानुसार विकासशील देशों की एक बड़ी संख्या मुख्य धारा के विद्यालयों में विशिष्ट छात्रों को शामिल किए जाने हेतु एवं उनकी संख्या में बढ़ावा देने के लिए अनेक शैक्षिक नीतियाँ शुरू कर दी गयी हैं। हाल ही के वर्षों में समावेशित शिक्षा की अवधारणा ने विशिष्ट छात्र ही नहीं अपितु शिक्षा से वंचित सभी छात्रों को शिक्षा में शामिल करके विस्तृत कार्य किया है। समावेशित शिक्षा (Inclusive Education) विशिष्ट बच्चों की कठिनाइयों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे शिक्षित करने और सीखने का एक नया दृष्टिकोण है। यह एक कक्षा और समुदाय है, जो कि उनकी ताकत या कमजोरियों को किसी भी क्षेत्र में, एक साथ लाने और सभी छात्रों की अन्तः शक्ति को अधिकतम बढ़ाने के लिए प्रयास करती है और साथ ही समावेशी और सहिष्णु समाज को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है। अब प्रश्न यह उठते हैं कि-

1. **वर्तमान समय में विशिष्ट छात्रों की आवश्यकताओं और समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या चुनौतियां हैं?**
2. **किस प्रकार एक समावेशी वातावरण विशिष्ट बालकों की जरूरतों को पूरा कर सकता है?**
3. **किस प्रकार की गुणवत्तापरक शिक्षा प्रभावी ढंग और कुशलता से बच्चों के लिए प्रदान की जा सकती है?**

इन्हीं प्रश्नों का समाधान समावेशित शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए

विद्यालयों में हर समुदाय के सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को समावेशी कक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए कहा गया है। समावेशी शिक्षा में विभिन्न तरीकों से अलग तरह से सक्षम बच्चों के सीखने की जरूरत को परिभाषित किया गया है। पिछले पांच दशकों में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के प्रति सेवा करने के फलस्वरूप भारत सरकार के अथक प्रयास व्यापक श्रेणी में आये हैं। **यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान (UNESCO Institute for Statistics)** द्वारा नए अनुमानों के अनुसार यह ज्ञात हुआ कि सन् 2010 में 73 लाख प्राथमिक स्कूल के बच्चे व 1990 के दशक में निम्न से उच्च शिक्षा तक 110 मिलियन से अधिक बच्चे विद्यालय से वंचित थे। **(मानव संसाधन विकास मंत्रालय-2009)** सांख्यिकी के एक अनुमान के अनुसार भारतीय जनसंख्या के लगभग 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष विद्यालयों के प्रावधान के बिना रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि आठ मिलियन बच्चे भारत में विद्यालय से दूरी बनाए हुए हैं जिसका मुख्य कारण गरीबी, लिंग, विशिष्टता और जाति है। विशिष्ट बालकों को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रकार की नीतियाँ बनायी गयी यथा-कोठारी आयोग (1966) ने आजादी के बाद की अवधि के दौरान विशिष्ट बच्चों को शिक्षित करने पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। 1990 के दशक तक शारीरिक और मानसिक रूप से विशिष्टता की मुख्यधारा को शिक्षा से बाहर रखा जाता था। 1980 के दशक में भारत सरकार के तत्कालीन कल्याण मंत्रालय की निगरानी में एहसास हुआ कि विशिष्टता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए एक संस्था की महत्वपूर्ण जरूरत है। भारत में लगभग 40 लाख 4 से 16 साल तक के बच्चे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्यवाही कार्यक्रम **(Programme of Action 1992)** के तहत विशिष्ट बालकों को अन्य समूहों के साथ एकीकृत करने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके बाद समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी की पहल का पता करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने एक सिफारिश की थी कि सभी विशिष्ट बालकों को सामान्य समुदाय के साथ एक लक्ष्य के रूप में बराबर का भागीदार एकीकृत करने के लिए, उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करने के लिए और उन्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना करने के लिए सुदृढ़ बनाया जा सकता है। **भारत सरकार अधिनियम 1992 के अनुरूप पुनर्वास विकास परिषद** ने विशिष्ट छात्रों के व्यावसायिकता का विकास एवं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद **(एनसीईआरटी)** ने यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया और नियमित रूप से विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षार्थियों की एकता को मजबूत करने के लिए वर्ष 1987 में एकीकृत शिक्षा के लिए विशिष्ट बच्चों हेतु (विचित्र) परियोजना की शुरूआत की गयी। भारत सरकार ने 1994-95 में जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना **(डीपीईपी)** लागू की और 1997 में दर्शन

समावेशी शिक्षा के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को (डीपीईपी) में जोड़ा गया। विशिष्ट बच्चों के एकीकरण पर विशेष जोर रखने हेतु इस कार्यक्रम के तहत 40,000 करोड़ रूपए (लगभग 740 million अमरीकी डॉलर) का व्यय किया गया, जो कि भारत सरकार का विश्वस्तरीय सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया। सर्व शिक्षा अभियान (SSA 2001) प्राथमिक शिक्षा के वैश्वीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया, ऐसी ही एक पहल है। 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय कार्य योजना बच्चों और विशिष्ट बालकों के साथ युवाओं को भी शिक्षा में शामिल करने के लिए लागू किया गया। इसके अलावा 2009-10 में **(IEDSS) "Inclusive Education of the Disabled at the Secondary STage"** समावेशित शिक्षा कार्यक्रम 9वीं और 10वीं कक्षाओं में विशिष्ट बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू हुआ। यह योजना अब 2013 में **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)** के तहत क्रियान्वित हो रही है, इसके तहत बच्चों में मेलजोल को बढ़ाने और उनके विश्वास का निर्माण करने के लिए व नियमित रूप से विद्यालयों में बच्चों को एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण है। **राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा (NCF-2005)** ने भी इस व्यापक समझ को दोहराया, एवं सभी बच्चों की गरिमा को जानने के लिए, विश्वास का अनुभव कराने के लिए व प्रत्येक बच्चे को सक्षम बनाने के लिए एक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखने के महत्व को विकसित करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। भारत सरकार अधिनियम 1992 के अनुरूप पुनर्वास विकास परिषद ने विशिष्ट छात्रों के व्यावसायिकता का विकास एवं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। **राष्ट्रीय विशिष्टता नीति 2006** की रूपरेखा प्रयास करती है कि राज्य, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र **(प्राइवेट संस्था)** आदि को विशिष्ट व्यक्ति को समर्थन देने उनकी रखवाली करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्य करने चाहिए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (2010) स्पष्ट करता है कि छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मुक्त रूप से प्रदान की जाय। एवं विशिष्टता अधिनियम 1995 के पाँचवें अध्याय में वर्णन है कि विशिष्ट बच्चे को शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। (PWD Act) पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम का पंचम अध्याय सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक विशिष्ट बच्चा 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार है। भारत सरकार के द्वारा शिक्षा सभी के लिए **(Education for All)** इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा की नई योजना 2010 में लागू हुयी थी। भारत सरकार द्वारा निःशक्त बच्चों को समान अवसर प्रदान करने और सामान्य स्कूलों में उनके रहने की सुविधा हेतु विशिष्ट बच्चों के लिए **(IEDC) Integrated Education for Disabled Children** योजना 1974 **(एनसीईआरटी 2011)** की एकीकृत शिक्षा योजना का शुभारम्भ किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2016 में समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत विशिष्ट बच्चों के बारे में वर्णन है कि

दिव्यांग एवं अधिगम निःशक्तता वाले बच्चे जो सामाजिक अनदेखी घर पर सहायक व्यवस्था की अनुपलब्धता विशेषत्तर छोटे विद्यालयों एवं गाँव में स्थित विद्यालयों में अपर्याप्त एवं विभिन्न सुविधाओं यथा-महिला-पुरुष, सासमाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विषमताओं आदि पर बल देने के साथ पाठ्यचर्चा और इसके पढ़ाने पर उचित समाधान किया जाय, पूर्व व्यवसाय अभिमुख कार्यकलापों को पाठ्यक्रम के प्रथम चरण में डाला जाय, मैरिट को प्रोत्साहित करने व साम्यता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति निधि, जिसका मुख्योद्देश्य ट्यूशन फीस अधिगम सामग्री और लगभग दस लाख छात्रों के लिए रहने के लिए खर्च होगी। इन समस्याओं को दूर करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं जारी रहेगी व उनमें संवर्धन भी जारी रहेगी। राज्य एवं जिला स्तर पर एक व्यवस्था बनाई जायेगी जो विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेगी और उनके लिए उपलब्ध होगी।

संदर्भग्रन्थ सूची-

- Census of India (2011), Government of India. Retrieved from http://censusindia.gov.in/Chatterjee, G.(2003). The global movement for inclusive education. Retrieved 11th January, 2016 from http://www.indiatogether.org/2003/apr/edu-inclusive.htm
- Das, A.K. Kuyini A.B., & Desai I.P. (2013). Inclusive Education in India: Are the Teachers Prepared? International Journal of Special Education. 28(1).http://www.internationaljournalofspecialeducation.com
- Giffard-Lindsay, K.(2007). Inclusive Education in India: Interpretation, Implementation and Issues. Sussex:
- MHRD (2005). Action Plan for Inclusive Education of Children and Youth with Disabilities. AVailable on http://www.education.nic.in
- Ministry of Human Resource Development. National Policy on Education (POA-1992). New Delhi: Government of India.
- NCERT (1998). Sixth All-India Educational Survey. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.
- NCERT (2006). Including Children and Youth with disabilities in Education, a Guide for Practitioners, Department of Education of Groups with Special Needs. New Delhi:
- UNESCO (1994). Salamanca STatement. Retrieved January 17, 2016 from United Nations EDucational, Scientific, Cultural Organization. http://portal.unesco.org/education/en/ev.
- NCF(2005) National Curriculum Framework. New Delhi: NCERT

- Pandey. Y(2006). From Special Education to Inclusive Education: an Analysis of Indian Policy. Paper Presented at Achieving Equality in Education: New Challenges and Strategies for Change. Kuala Lumpur, Malaysia (16-21 July 2006).
- Available at http://www.icevi.org/publications/inclusive_educational.html!(Retrieved 10th January 2016)
- Sanjeev.K. (2006). Inclusive Education: A Hope for Children with Special Needs. AVailable on http//www.bihartimes.com.
- NCV (2016).National Curriculum Framework. New Delhi:NCERT

शोधच्छात्र ''शिक्षाशास्त्र विभाग''

श्री ला.ब.शा.रा.सं.विद्यापीठ, नवदेहली

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, निघर्षणच्छेदनतापताडनैः।
तथा चतुर्भिः पुरुष परीक्ष्यते, त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा।।

The way gold's purity is tested by rubbing, cutting, heating and pounding, similarly, a person's qualities are tested by gentleness, manners, habits and deeds

भारत वर्ष में समावेशित शिक्षा की समस्या एवं संभावनायें

प्रदीप प्रसाद भट्ट

शिक्षा व्यक्ति का सर्वाधिक विकास करती है। समाज के चतुर्मुखी विकास में सहायक है और सभ्यता की बहिर्मुखी विकास की आधारशिला है। शिक्षा मनुष्य का निर्माण कर उसे व्यवहार योग्य बनाती है। इसके द्वारा ही बालक के अन्तर्निहित गुणों का विकास संभव है। इस विकास के लिए विद्यालय जो समाज का लघु प्रतिबिम्ब है। इस प्रकार का वातावरण प्रदान करता है जहाँ पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता का अनिवार्य अंग है। संविधान में लिखा गया है कि शिक्षा पर प्रत्येक **बालक-बालिका/नागरिक** का समान अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म, समुदाय आदि का क्यों न हो। शैक्षिक अवसरों की समानता सभी को समान रूप से होनी चाहिए। शिक्षा के इसी सकारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर समाज का एक वर्ग इस प्रकार के बालक-बालिकाओं का है जिनकी अपनी विशेष आवश्यकताएं होती है। अतः उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सामान्य शिक्षा प्रणाली **समावेशित शिक्षा** के साथ आगे बढ़ने का अवसर दिया गया है, दिया जाता है एवं निरन्तर दिया जायेगा।

विकलांगता अधिनियम 1995 में इसे स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है कि समावेशन को बढ़ावा दिया जाये एवं एकीकृत विद्यालयों को समावेशित विद्यालयों में मिला दिया जाये।

विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार 5 प्रकार के विशिष्ट बालक इनके पढ़ने के स्थान/साधन

1. दृष्टि बाधित
2. श्रवण बाधित 1. विशेष विद्यालय 2. एकीकृत विद्यालय (NPE 1986) 3. समावेशित विद्यालय (विकलांग अधिनियम 1995)
3. मन्दबुद्धि बाधित
4. अस्थि विकलांग
5. अधिगम अक्षम

विशेष विद्यालयों में विकलांगता के अनुसार भिन्न-भिन्न विद्यालयों में अध्ययन करने की व्यवस्था की सिफारिशें की गई थी।

एकीकृत शिक्षा- 1986 में सामान्य एवं विशिष्ट बालकों को एक समान शिक्षा का प्रावधान

किया गया। ताकि घर परिवार एवं समाज में विकलांगों के प्रति समभाव हो, परन्तु विद्यालयों ने इसे सरकार के दबाव में स्वीकृत किया जिसके कारण यह पूर्णरूप से सफल नहीं हो सका।

समावेशित शिक्षा- के अन्तर्गत जो नियम एवं अवधारणायें एकीकृत शिक्षा में छूट गये वे सभी समावेशित शिक्षा में लिये गये ताकि समान पाठ्यक्रम एवं समान शिक्षा के आधार पर विशिष्ट बालक भी कह सके कि शिक्षा हमारा अधिकार है। समावेशित शिक्षा का तात्पर्य है कि समान शिक्षा/सबको मिलकर चलना। समावेशित शिक्षा प्रत्येक का अधिकार है।

शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। समावेशित शिक्षा कक्षा मे विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति है, जिसके अन्तर्गत विविध क्षमताओं वाले बालक सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ अध्ययन करते हैं। समावेशित शिक्षा के दर्शन के अन्तर्गत प्रत्येक बालक अद्वितीय है और उसे अपने सहपाठियों की भाँति विकसित करने के लिए कक्षा में विविध प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

समावेशित शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता- समावेशित शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशित शिक्षा सम्मान एवम् अपनेपन की विद्यालय संस्कृति के साथ-साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। समावेशित शिक्षा बालक को अन्य बालकों के समान कक्षा गतिविधियों में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करती है। समावेशित शिक्षा सही मायने में शिक्षा का अधिकार जैसे शब्दों का रूपान्तरित रूप है जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों को एक समतामूलक शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना। समावेशित शिक्षा के उद्देश्यों को सभी बालकों तक पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में प्रवेश की नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। हालाँकि शिक्षा के **अधिकार अधिनियम 2009** इस संदर्भ में एक प्रभावी कदम कहा जा सकता है परन्तु धरातल पर इसकी वास्तविकता में अभी भी संदेह होता है।

बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम- बालकों को शिक्षित करने का सबसे उत्तम तरीका है उन्हें खेल एवं गतिविधियों के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए। एवं बालकों की अभिवृत्तियों, मनोवृत्तियों, आकांक्षाओं तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में विविधता तथा पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए ताकि उसे प्रत्येक बालक की क्षमताओं, आवश्यकताओं तथा रूचि के अनुसार अनुकूल बनाया जा सके जिससे उनकी योग्यताओं

और क्षमताओं का विकास हो सके। समावेशित शिक्षा की सफलता के लिए उसके प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा व्यवस्था में तकनीक का उपयोग किये जाने की आवश्यकता है। टी.वी. कार्यक्रमों, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन सहायक शिक्षा एवं तकनीक उपकरणों का उपयोग करके बालकों की शिक्षा, सामाजिक, अन्तरक्रिया, मनोरंजन आदि में प्रभावशाली भूमिका निभाई जा सकती है। समावेशित शिक्षा वातावरण हेतु बालकों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को इसकी नवीन तकनीक एवं विधियों से परिचित करवाया जाये तथा उनके प्रयोग पर बल दिया जाये। परिवार में बच्चे के समाजीकरण की उचित प्रक्रिया समावेशन हेतु आधार भूमि तैयार करती है। एक सामान्य बच्चों के सन्दर्भ में यह बहुत जरूरी है लेकिन एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इसके गहन निहितार्थ है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के समावेशन का द्वार परिवार तंत्र में उसके समुचित समावेशन से होकर गुजरता है, परिवार लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रश्रय होता है, यदि परिवार में निर्णयों में सहभागिता है, सभी को अपनी-अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के समान अवसर है तब इतना निश्चित है कि समावेशन के विषय में बच्चे के सकारात्मक अनुभव होंगें। इसके विपरीत होने की स्थिति में बालक समावेशन के विषय में नकारात्मक अनुभव ग्रहण करेगा।

- परिवार में खान-पान, शिक्षा, व्यवसाय, सम्पत्ति आदि के बारे में निर्णय एवं सहभागिता में लैंगिक आधार पर विभेद किया जाता है या नहीं।
- परिवार में आसपास मौजूद शारीरिक एवं मानसिक रूप से विशेष चुनौती वाले बालकों के प्रति परिवार का नजरिया किस प्रकार का है?
- सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लोगों के प्रति परिवार का नजरिया क्या है?
- परिवार में लोकतांत्रिक मूल्यों (समानता विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा आदि) मूल्यों के लिए पोषक वातावरण है या नहीं।

चुनौती एवं समाधान-

1. बहुविध शिक्षा प्रणाली
2. दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली।
3. विद्यालय तक पहुँच।
4. विद्यालयी पाठ्यचर्या
5. बालक की अस्मिता के प्रति शैक्षिक नजरिया।

मनोवैज्ञानिक गेस्ट एवं जेरसीया के अनुसार- समायोजन व्यक्ति तथा समाज वातावरण

के मध्य सन्तुलित तथा शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाने पर बल देता है। वातावरण में स्वयं को समायोजित करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाना आवश्यक है।

समायोजन दो प्रकार से होता है-

1. स्वयं को वातावरण के अनुसार बनाना।
2. वातावरण को स्वयं के अनुसार बना लेना।

सिग्मन फ्रायड युंग एवं एडलर ने भी समायोजन के प्रतिमान के माध्यम से समायोजित व्यक्तियों की विशेषतायें दर्शायी हैं।

1. अपनी कमियों एवं ताकतों को जानना।
2. स्वयं की एवं दूसरों का (Respect) सम्मान करना।
3. व्यवहार में लचीलापन।
4. सन्तुलित जीवन दर्शन।
5. विपरीत परिस्थितियों से जूझने की क्षमता।
6. दूसरों में दोष निकालने वाली अभिवृत्ति न होना।

अक्षम बालक-बालिकाओं की शिक्षा पर विभिन्न नीतियों का दृष्टिकोण

बिन्दु	विशेष शिक्षा	एकीकृत शिक्षा	समावेशित शिक्षा
बालक	विशेष बालक	यथा सम्भव सामान्य विद्यालयों में लाया जाये	जिन विद्यालयों में सामान्य विद्यार्थी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करें।
विद्यालय	विशेष विद्यालय	नियमित एवं सामान्य विद्यालय	समुदाय की वह पाठशाला जहाँ सामान्य विद्यार्थी जाते हैं।
पाठ्यक्रम प्रविधि	विशेष शिक्षण प्रविधि	विषय केन्द्रित प्रविधि	बल केन्द्रित प्रविधि
शिक्षक	विशेष शिक्षक	जो नियमित समूह को प्रभावि रूप से पढाते हैं	सामान्य कक्षा शिक्षक जिन्हें विशेष शिक्षा का भी ज्ञान हो
शिक्षक का समता प्रभाव	जो समूह विशेष को प्रभावित कर सके	जो सामान्य समूह को प्रभावित कर सके	शिक्षा प्रक्रिया में जो सभी को के साथ आगे ले जाने की क्षमता वाले हों

बालकों का सामान्य आत्मसम्मान	न्यून, अलग महसूस करते हैं	अपने आप को स्वयं को समूह में ढालने के लिए समय लगेगा	स्वयं को आत्मसम्मानित एवं सामान्य के सक्षम समझते हैं
वातावरण	अति प्रतिबन्धित	सामान्य प्रतिबन्धित	न्यून प्रतिबन्धित सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर
लागत मूल्य	ज्यादा खर्च	कम खर्च	बहुत कम खर्च
समता	सामान्य	न्यून	सतत् (निरन्तर)
अभ्यास का अवसर	सीमित	आंशिक	सभी के लिए समान शिक्षा
शिक्षा का अधिकार	शिक्षा आवश्यक है	अधिकार के रूप में पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाते हैं।	स्वयं विद्यार्थी अनुभव करते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ-

1. N.C.F. 2005
2. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009।
3. भारतीय संविधान।
4. शिक्षा मनोविज्ञान- अरूण कुमार।
5. शिक्षा ज्योति पत्रिका
6. York Barr. J (2003)
   Special Educations as Schools

INCLUSIVE EDUCATION: CHALLENGES AND REFORMS

Dr. Vijay Kumar Dadhich

Inclusive education means that all students attend and are welcomed by their neighbourhood schools in age-appropriate, regular classes and are supported to learn, contribute and participate in all aspects of the life of the school.

Inclusive education as a fundamental way towards the advancement of Education For All (EF_A) and life-long learning. A transversal approach to the entire education system (from education policy to schools and classes) to energize and accelerate EFA efforts in order to help achieve a proper synthesis between equity and quality.

Challenges for inclusive education

- Academic achievements (output) versus meeting individual needs
- Preparing all teachers for inclusive education
- Over 2% of pupils are being educated in separate settings (schools and classes) across Europe Developments - Policies
- Increasing focus on the rights of learners with disabilities and their families - this relates to access to compulsory education; access to specialist support and services; access to mainstream, inclusive education
- Changes in concepts and language used in policies - SEN to SNE to inclusive education
- Flexibility within policies and systems that encourage innovation and change
- Devolution of responsibilities to local and/or regional level bodies and organizations. Development - Infrastructure
- A re-focussing of the role of special schools as a resource for the mainstream sector
- Improving frameworks and structures of provision -capacity building for inclusive education within mainstream provision
- Promoting specific tools and approaches within provision - i.e. personalised learning approaches
- End user participation in local decision-making

- 'Inter' -disciplinary support structures Developments - Shared Value Systems
- Leadership at all levels with a clear vision of inclusive education as a quality approach for all learners
- All stakeholders hold the view that diversity in education is beneficial
- Reflective practice in teaching
- 'Formalising the informal' Key Principles - Practice, 2011 The focus of inclusive education must be upon widening participation and on promoting access and achievement for all learners Lisbon Hearing 2007: 'We have the right to the same opportunities as everyone else, but with the necessary support to meet our needs. No one's needs should be ignored'.

Reforms for Inclusive Educatio :-

The Constitution of India guarantees 'free and compulsory education' to all the children between 6 to 14 years of age. The Right to Education (RTE) Act, 2012 allows the children with special needs to pursue the mainstream education, but most of them have to go to special schools, away from their peers who attend regular schools. However, there is a need that all students, irrespective of their impairment, should be educated in mainstream schools. Inclusive education addresses this issue.

3- Inclusive education is an approach to educate the students with special educational needs with other students. Inclusion rejects the use of special schools or classrooms to segregate the differently abled children from other students. Generally, the schools use the inclusion model for selected students with mild to moderate special needs. Fully inclusive schools do not separate 'general education' and 'special education' curriculum; instead, the education curriculum is restructured in such a way that all students learn together.

4- In this model, emphasis is given to full participation by differently abled students in all activities along with other students and respect for their social, civil, and educational rights. Students with special needs are educated in the regular classes and are treated like a full member. However, they occasionally leave the regular classroom to attend smaller, more intensive instructional sessions in a resource-room to receive specific .services like speech and language therapy.

5- Anti-discriminatory climate has resulted into change in policy and statute both nationally and internationally which mainly include:

- The UN Convention on the Rights of the Child,1989 which mandates children's rights in respect of freedom from discrimination.
- The Convention against Discrimination in Education of UNESCO which prohibits discrimination, exclusion or segregation in education.
- The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006 which calls on member countries to ensure an inclusive education system at all levels.
- In India, Section 26 of 'The Persons with Disabilities Act, 1995' mandates the provision of free and compulsory education to be offered to all children with disabilities up to minimum age of 18 years.

6. Inclusive Education is not a recent phenomenon in India. If we look at our ancient scriptures, we can find several instances on this approach. Here, I would like to quote from अथवर्वेद :

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूवेर् संजानाना उपासते।। (अथवर् ६-६४-१)

समानो मंत्र: सिमित समानी समानं व्रतं सहिचत्तमेषाम।

समानेन वो हिवषा जुहोऽिम समानं चेतो अिभ संऽिवशध्वम्।। (अथवर् ६-६४-२)

It shows the importance and relevance of Inclusivity in the field of learning together in ancient India.

7. As per the Census 2011, there are 2.67 crore persons with disabilities in India who constitute 2.21 % of total population. The census data shows that 70% of them live in the rural areas. Therefore, it is the duty of all Educationists and Policy Makers like us to offer all kind of assistance and care to the physically challenged children for better education opportunities.

8. The Central Board of Secondary Education (CBSE) aims at equity and equality in policy, support and facilities for providing quality education to all the children. The Board has taken several initiatives for promoting inclusive education:

- The Board has made it compulsory for schools to appoint Special Educator and Counsellors so that the learning needs of the Children with special needs are addressed appropriately.
- Affiliation bye-laws of the Board insists on making the school barrier-free,

provisioning for ramps, lifts etc. and directs that every school shall promote inclusion of student with disabilities/ special needs in the normal school as per provisions of the 'Persons with Disabilities Act,1995' and in conformity with the National Policy on Education.

- The Board also permits flexibility in the curriculum and permits these students to choose subjects as per their ability and capabilities.
- Several exemptions and relaxations are offered to these students towards examinations like extra time, permission to scribe, choice to have examination paper in Braille language for visually impaired students.
- A separate cell was set up in 2014 to promote inclusive practices in the schools to offer quality education to differently abled children.
- Teachers' training programmes are organized to teach innovative techniques and research in education of differently abled children.

9. There are several instances of deprived and under privileged people who achieved great heights after getting proper educational environment.

Assistant Professor in Education
Rashtriya Sanskrit Sansthan.
Dept. of Eduction RSKS Jaipur

न हि कश्चित् विजानाति, किं कस्य श्वो भविष्यति।
अतः श्वः करणीयानि, कुर्यादद्यैव बुद्धिमान्।।

Nobody knows, tomorrow what will happen to whom. Therefore, the wise, finish tomorrow's work today itself.

Curriculum and innovation in teacher education in inclusive setting

Dr.Radha Rani Saxena
Dr. Vibha Kaushik

"All are welcome. Love is inclusive, not Exclusive"

Introduction :

Inclusive education means that all the students in a school, regardless of their strengths or weakness in any area, become part of school community .They are included in the feeling of belonging among other students, teachers and also support staff.

COMPARISON BETWEEN INTEGRATION AND INCLUSION

Mainstreaming or Integration	Inclusion
Mainstreaming is about getting learners to fit into a particular kind of system or integrating them into the existing system.	Inclusion is about recognizing and respecting the differences among all learners and building on the similarities
Mainstreaming is about giving some learners extra support so that can fit in or be integrated into the normal classroom routine	Inclusion is about supporting all learners, educators and the system as a whole, so that the full range of learning needs can be met.
Mainstreaming and integration focus on changes that need to take place in a learner so that they can fit in .Here the focus is on learner.	Inclusion focuses on overcoming barriers in the system that prevent it from meeting the full range of learning needs . The focus is on the adaption of and support systems available in the classrooms.

Inclusive education: Inclusive education is a process of enabling all students to learn and participate effectively within the mainstream school system. Placing excluded students within a mainstream setting does not itself achieve inclusion.

Principles of Inclusive education

- No discrimination with students
- Equal educational opportunity to all
- School adapt to the need of students
- Equal educational benefits for all students
- The student's view are listened to and taken seriously
- Individual differences between students are a source of richness and diversity ,and not a problem

Why we need Inclusive education in teacher education:

"Children who learn together live together" Margaret Mead

Need and importance of inclusive education in teacher education

- To fulfill the constitutional responsibilities
- To enable children to stay with their families
- For the development of healthy citizenship
- For achieving the universalization
- Developing feeling of self respect
- For social equality

Aims and objectives of inclusive education in teacher education

- Education for all
- Protection of rights
- Identification of skills
- Prepare for new challenges
- To improve quality of education

Practicing inclusive education in teacher education

- Child centre
- Most cost effective
- Equal opportunities of participation
- Child remains as natural self
- Least restrictive

Strategies to improve inclusive education in teacher education

- Mainstreaming
- Encourage students
- Improve textbooks
- Special training to teachers
- Special care of special children
- Improve methods of teaching
- Provision of required resources

Teacher education for inclusive education:

Teacher can modify the material or adapt the strategy like team-teaching, peer tutoring, co-operative learning etc.

Curriculum Adaption in teacher education:

An inclusive curriculum means that there is only one curriculum for all students . It must be accessible to all children including children with disabilities, gifted children, street and working children, of remote area, wandering population, children from linguistic, ethnic, or cultural minorities or marginalized areas or groups.

Curriculum reforms in teacher education

- Use of teaching aids
- Simple curriculum
- Adequate facilities
- Participation in games
- Co-operative curriculum
- Providing reading material
- Participation in co-curricular activities

Teaching strategies for inclusive education in teacher education:

- Co-operative learning
- Peer tutoring

Design of classroom for inclusive education in teacher education:

- Size of class .
- Teaching Aids

- Restriction of time
- Arrangement of light
- Attention to physical needs

Barriers in inclusive education in teacher education:

- Negative Approach
- Lack of physical facilities
- Lack of funds
- Lack of trained teachers
- Social Discrimination
- Educational problems
- Emotional problems

Benefits of Inclusive Education: All children benefit from inclusive education. It allows them to -

1) Develop individual strengths and gifts, with high and appropriate expectations for each child.
2) Work on individual goals while participating in the life of the classroom with other students their own age.
3) Involve their parents in their education and in the activities of their local schools.
4) Foster a school culture of respect and belonging. Inclusive education provides opportunities to learn about and accept individual differences, lessoning the impact of harassment and bullying.
5) Develop friendships with a wide variety of other children, each with their own individual needs and abilities.
6) Positively affect both their school and community to appreciate diversity and inclusion on a broader level.

Suggestions for making it successful in teacher education:

1. Co-operation of parents (to create positive attitude towards children with disabilities.
2. Generating awareness in public.
3. Adapted physical activities should be encouraged in general schools (to play with non-disabled children).

4. Provide inputs in all pre-service and in-service training for mainstream and special education teachers.

References

1. Asiman A.and Elkins, I (2009), Educating students with diverse disabilities, French forest (NSW), Prentice Hall
2. Dash, N.(2006), Inclusive education, New Delhi Atlantic.
3. Gamer, A.(1999), Inclusive Education, supporting Inclusion in Education system, London Kogan publication
4. Koehhar, C.A.&West, L.L.(1996), Handbook for successful Inclusion, Gaithersburg, M.D.Aspen
5. University News, Vol.53, No.35 (Aug 31-Sep-06 2015), Association of Indian Universities.
6. Inclusive education. (2012), Himalaya Publishing House
7. Eduspectra (2016), volume 2, Army Institute of Education
8. Bharateena Shikshan(2012), vol.XXII December-2012

अन्नदानं परं दानं विद्यादानम् अतः परम्।
अन्नेन क्षणिका तृप्तिः यावज्जीवञ्च विद्यया।।

Providing food to poor and needy persons is the best charitable deed, but making people learned by teaching them is the supreme form of charity. Food gives momentary satisfaction, but the knowledge will empower them to lead a satisfactory life.

Inclusive education for children with special needs

Kuldeep Pareek

The directive principle to guide state policy Article 45 states that "free and compulsory education should be provided for all children until they complete the age of 14"• The 93rd amendment to the Indian Constitution passed in December 2001, confirms the Government's commitment to Education for AII or Sarv Shiksha Abhyaan (SSA). The preamble explicitly states that this includes children with disabilities. The SSA provides significance to early childhood care and education and apt intervention for children with special needs. The positive factor is the change combined in the Education Act by including a relevant clause which explains that "ALL" includes children with disabilities. The objective of SSA is to bring all children between 6-14 years in the net of 1-8 elementary, free and compulsory education, keep them in school till they complete the eight year cycle and see that they attain standards of a specified quality. SSA framework clearly states that "SSA will ensure that every child with special needs, irrespective of the kind, category and degree of disability, is provided education in an appropriate environment. SSA will adopt zero rejection policy so that no child is left out of the education system. It will also support a wide range of approaches, options and strategies for education of children with special needs."

Children with disabilities and special needs also have the right to education just as normal children do.

Inclusive education strives to address the learning needs of children with special needs, with a particular focus on those who are subject to being isolated and excluded. The philosophy behind inclusive education is to promote opportunities for all children to participate, learn and have equal treatment, irrespective of their mental or physical abilities. While the awareness on inclusive education in schools throughout the country is still at an infancy stage, educational institutions are somewhat sceptical about having both normal and special children studying in the same classroom. And in circumstances, where a former excluded child is given admission into a mainstream classroom, the outcome of the action is questionable.

Lack of flexibility in curriculum, inability to fend for themselves and thus being bullied by others in the class and not getting adequate attention from the teacher are common issues. All these may result in the child not getting a fair inclusive education. As a result, the number of children with special needs receiving higher education is on the decline.

In India, a majority of children with special needs do not receive any formal education, in spite of the practice of inclusive education in some schools. This is because children with disabilities and learning deficiencies are segregated from mainstream schools and other regular routines and social activities of normal children.

Other contributing factors to this situation are lack of affordability and awareness on the kind of education choices available to children with special needs.

Hence, inclusive education becomes a key reason for integrating a special child with the mainstream. According to Dr. Mithu Alur, founder of the Spastics Society of India and coordinator at the National Resource Centre for Inclusion (NRCI), "Children need to be with other children. Sending them to a school for disabled will not help." Inclusive schools have to be well-equipped in all aspects to cater and deliver quality education for all children.

This includes having a balanced curriculum that is appropriate for all categories of children; teachers who have the ability to handle the individual needs within the classroom and thereby promote an environment where personal development, social skills and student participation are strongly encouraged.

Another critical aspect of inclusive education for a special needs child is in having the acceptance and friendship of classmates. This kind of support also aids in the progress of special children and helps them gain confidence within the school environment.

Further, parents have a vital role as partners to make inclusive education successful within the classroom.

This is possible when the children with special needs continue to live at home and attend school, just like normal children.

Parents should also be involved with the teachers and administrative staff at the school to coordinate travel arrangements, school activities and learning materials for their special child.

The Heritage School' located in Kolkata is well-known for its inclusive education philosophy where children's special needs are combined with the mainstream children to encourage overall improved student learning. The school has created a need-based programme with its educators to focus on his special students to allow them to discover their own skills and work on them to catch-up with their peers. Meenakshi Atal, the Vice Principal of the school says, "Participation is key to academic inclusion and we ensure that the participation of the children with special needs in all mainstream activities happens to the best of their abilities."

The Indian government continues to include children special needs under several of their education initiatives, including the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA). This is a government programme that aims at improving and providing quality primary education for all children. There are several national and local NGOs that champion the cause of children with disabilities and provide specific resource centres in support of inclusive education.

For instance, the Spastics Society of India has a division that aims at promoting the right of children with cerebral palsy to inclusive education.

There are also private schools in the country such as The Heritage School, Akshar School, Vydehi School of Excellence, Chettinad Srihari Vikasam etc. that offer individualised learning programmes for children with special needs.

In conclusion, children with special needs have a distinctive experience undergoing inclusive education along with normal, non-disabled classmates. There are several barriers for providing education to special children in a regular classroom.

We can overcome these obstacles by creating more awareness on inclusive education, by schools having the resources and the ability to re-structure their curriculum to cater to all types of

students, by recruiting teachers who have the skills and proficiency to meet varying demands within the classroom and by having the support of family. If these changes are implemented, it will increase the confidence of a number of special children to aspire for a valuable education like their normal peers.

Shiksha Acharya, IInd Year

शिक्षाशास्त्रविभागीयपरिवारः

प्रो. वाइ. एस. [illegible], आचार्यो विभागाध्यक्षश्च

प्रो. सन्तोषमित्तलः
आचार्या

प्रो. फतहसिंहः
आचार्यः

प्रो. सोहनलालपाण्डेयः
आचार्यः

डॉ. बत्तीलालमीना
सहायकाचार्यः

डॉ. दरियावसिंहः
सहायकाचार्यः

डॉ. लीनातिवारी
सहायकाचार्या

डॉ. शीशरामः
सहायकाचार्यः

डॉ. कुलदीपशर्मा
सहायकाचार्यः

डॉ. हरिओमशर्मा
सहायकाचार्यः (संविदा.)

डॉ. विजयकुमारदाधीचः
सहायकाचार्यः (संविदा.)

डॉ. कैलाशचन्दसैनी
सहायकाचार्यः (संविदा.)

डॉ. रेखा शर्मा
सहायकाचार्या (अतिथिः)

डॉ. दिनेशयादवः
सहायकाचार्य (अतिथिः)

डॉ. रविकान्तमणिः
तकनीकी-सहायकः

परमेश्वरदयालशर्मा
विभागीय-सहायकः

चित्रवीथिका

दीपं प्रज्वालयन्तः
परिसरप्राचार्याः
डॉ. प्रकाशपाण्डेयाः

मुख्यवक्तुः डॉ. अमिताभशर्मणः
स्वागतं कुर्वन्
परिसरप्राचार्यः
डॉ. प्रकाशपाण्डेयवर्यः

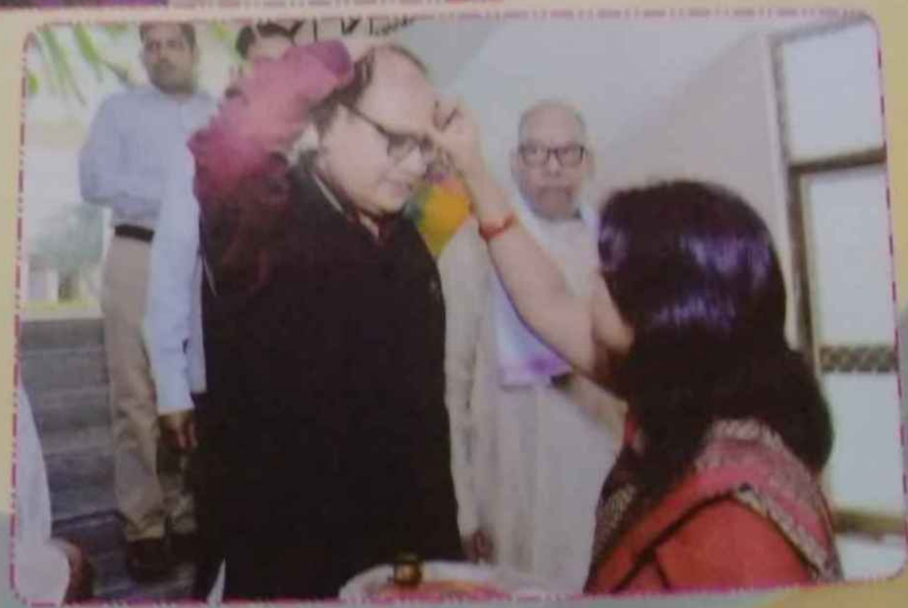

तिलकार्चनं स्वीकुर्वन्
डॉ. अमिताभशर्ममहोदयः

डॉ. अमिताभशर्मणः
सम्माननं कुर्वन्
शिक्षाशास्त्रविभागाध्यक्षः
प्रो. वाई.एस. रमेशवर्यः

तिलकार्चनं स्वीकुर्वन्
. रमेशप्रसादपाठकमहोदयः

दीपं प्रज्वालयन्
प्रो. रमेशप्रसादपाठकमहोदयः

प्रो. रमेशप्रसादपाठकमहोदयस्य
स्वागतं कुर्वन् शिक्षाशास्त्रविभागाध्यक्षः
प्रो. वाई.एस. रमेशवर्यः

स्वागतगीतं प्रस्तुतवन्तः
शिक्षाशास्त्रविभागीयाः छात्रा

समावेशात्मकशिक्षायां चर्चां कुर्वन्तः
शिक्षाशास्त्रविभागीयाः आचार्याः

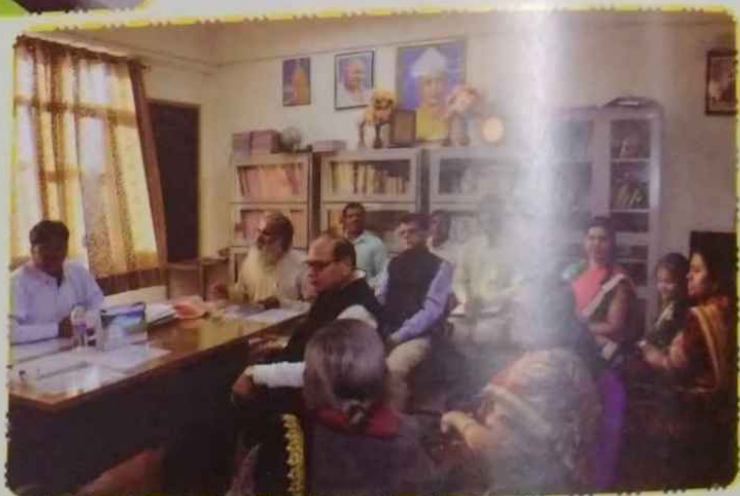

शिक्षाशास्त्रविभागाध्यक्षस्य
प्रो. वाई.एस. रमेशवर्यस्य
सम्माननं कुर्वन् शारीरिकविभागाध्यक्षः
प्रो. गजेन्द्रशर्ममहोदयः

परिसरीयज्योतिषविभागाध्यक्षस्य
प्रो. वासुदेवशर्ममहोदयस्य स्वागतं कुर्वन्
शिक्षाशास्त्रविभागीयः
आचार्यः प्रो. सोहनलालपाण्डेयवर्यः

ज.रा.रा.सं. विश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्रविभागस्य
आचार्यस्य डॉ. साम्बशिवमूर्तिवर्यस्य सम्माननं कुर्वन्
शिक्षाशास्त्रविभागीयः आचार्यः
प्रो. सोहनलालपाण्डेयवर्यः,
सार्धं चास्ति शिक्षाशास्त्रविभागाध्यक्षः
प्रो. वाई.एस. रमेशवर्यः

ज्ञानविहारविश्वविद्यालयस्य
शिक्षाशास्त्रविभागस्य आचार्यायाः
विभाकौशिकमहोदयायाः
सम्माननं कुर्वन्
विभागाध्यक्षः प्रो. वाई.एस. रमेशवर्यः

डॉ. कुलदीपशर्मणे प्रतीकचिह्नं
प्रयच्छन्तः अतिथयः

अधिमञ्चं विराजमानाः विद्वांसः

स्वविचारान् प्रस्तुतवती
ज्ञानविहारविश्वविद्यालयस्य
आचार्या प्रो राधारानी सक्सेना महोदया

ज्ञानविहार विश्वविद्यालयस्य आचार्यायाः
डॉ. विभाकौशिकमहोदयायाः सम्माननं
कुर्वती विभागस्य आचार्या डॉ. रेखाशर्मा

श्री अग्रसेनमहाविद्यालयस्य आचार्यायाः
डॉ. मीनू अग्रवालमहोदयायाः स्वागतं कुर्वती
विभागस्य वरिष्ठाचार्या प्रो. सन्तोषमित्तलवर्या

डॉ. मीनूअग्रवालमहोदयायाः सम्माननं कुर्वन्
विभागाध्यक्षः प्रो. वाई.एस. रमेशवर्यः

विशिष्टवक्तृरूपेण व्याख्यानं कुर्वती
डॉ. मीनूअग्रवालमहोदया

अधिमञ्चं विराजमानाः डॉ. अमिताभशर्ममहोदयः,
प्रो. सन्तोषमित्तलमहोदया
डॉ. नमितामित्तलमहोदया
(दक्षिणतः)

विभागीयाध्यापकैः सह चर्चां कुर्वन्तः
प्राचार्याः प्रकाशपाण्डेयमहोदयाः

समावेशात्मकशिक्षायां विमर्शं प्रस्तुवन्ति विभागीयाध्यापकाः

परिसरप्राचार्याणां स्वागतं कुर्वन् आचार्यः सोहनलालपाण्डेयवर्यः

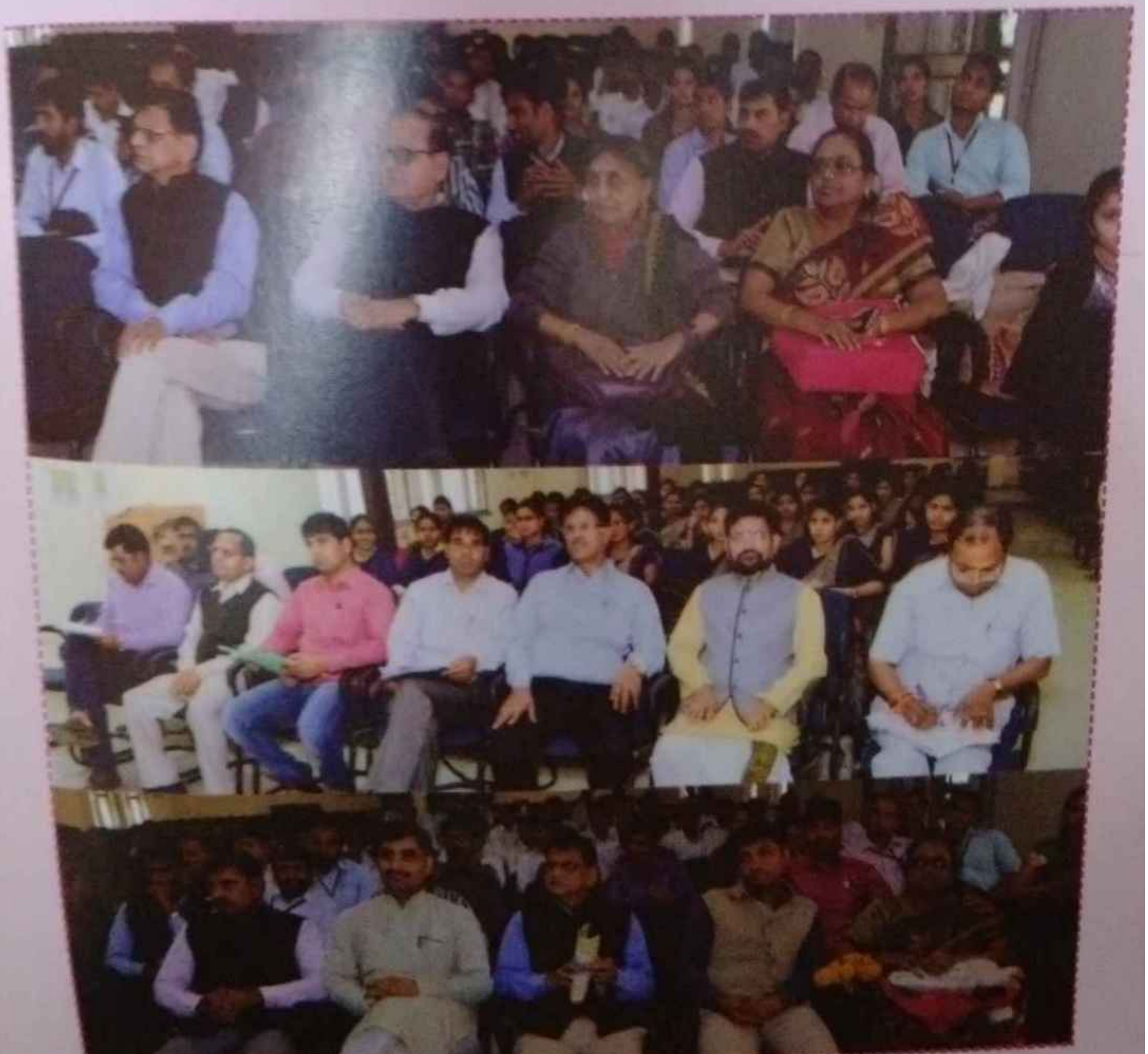

श्रोतृगणः

मंचासीनविद्वांसः

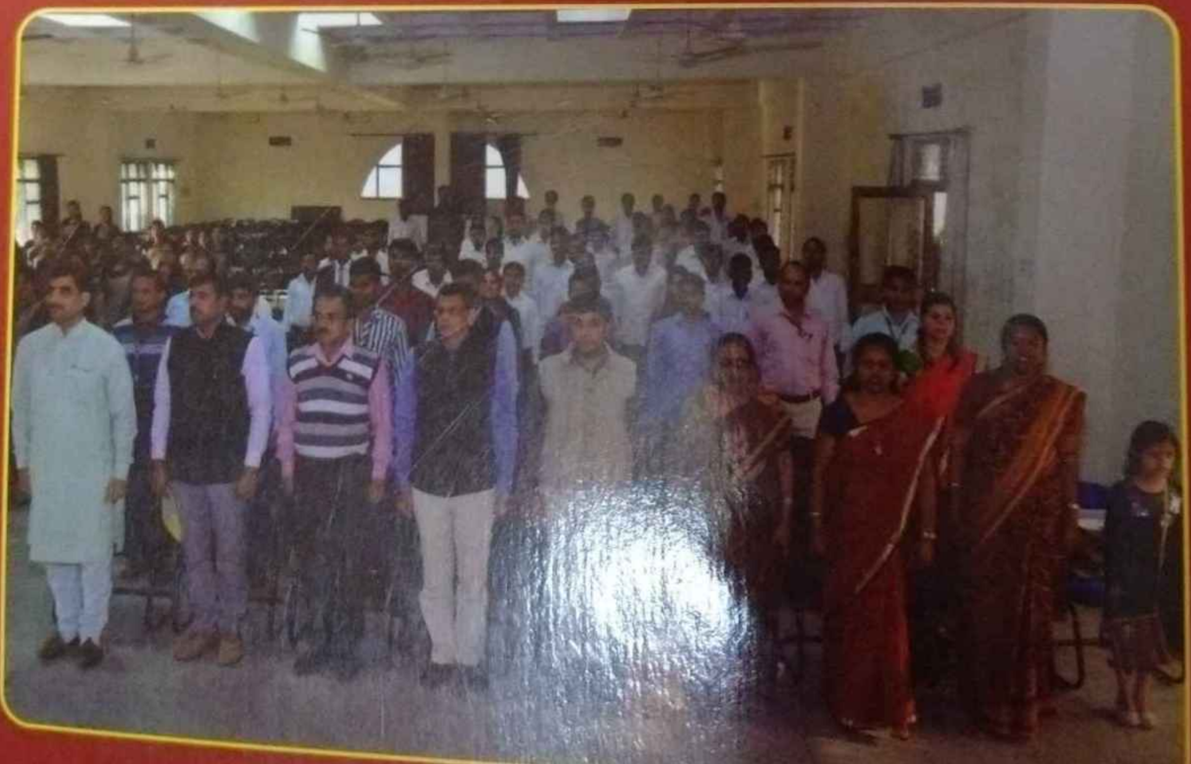

राष्ट्रगानवेलायां समवेतः जनसमुदायः